

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2005-06



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Head Office

3rd Floor, Parisrama Bhavan
Basheerbagh, Hyderabad 500 004
Phone : +91-40-66820964, 66789768
Fax : +91-40-66823334

प्रधान कार्यालय

तीसरा तल, पश्चिम भवन
बशीरबाग, हैदराबाद - 500 004
फोन: +91-40-66820964, 66789768
फैक्स: +91-40-66823334

Delhi Office

3rd Floor, Jeevan Tara, Parliament Street
New Delhi – 110 001
Phone : +91-11-23747648
Fax : +91-11-23747650

दिल्ली कार्यालय

तीसरा तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001
फोन: +91-11-23747648
फैक्स +91-11-23747650

Website / वेबसाइट: www.irdaindia.org; www.irdaonline.org
E-mail / ई-मेल: iraauth@vsnl.com

सी.एस. राव
अध्यक्ष
C.S. Rao
Chairman



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
**INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY**

पारगमन पत्र

19, दिसम्बर 2006

प्रति,
संनद
आर्थिक कार्य विभाग
बिना मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक
न्यू दिल्ली - 110 001

श्रीमान,
हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2006 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण के वार्षिक रिपोर्ट को एक प्रति को, भारत के राजधानी, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 जून, 2000 को अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणों, विवरणों और अन्य विशिष्टताओं के प्रस्तुत किया जाना) विनिर्देश, 2000 में निर्धारित प्रारूप में भेज रहे हैं।

Letter of Transmittal

मुख्यमंत्री,
श्री. हनुमान्दास
(सी.एस. राव)

December 19, 2006

To
The Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
North Block
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2006 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000, notified on 14th June, 2000 in Part II of Section 3, Sub Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary.

Yours faithfully,
C.S. Rao
(C.S. Rao) 19.12.06

पारगमन पत्र, सीएस राव, अध्यक्ष बीमा, विकास प्रा. - 110 001, नई दिल्ली
☎ : +91-10-66820957, फैक्स : +91-10-66820334
ई मेल : chairman@irdaonline.org वेब : www.irdaonline.org

Pancham Jagan, North Block, Bhasha Singh, Hyderabad - 500 004, INDIA
☎ : +91-40-66820957, Fax : +91-40-66820334
E-mail : chairman@irdaonline.org, Web : www.irdaonline.org

विषय सूची

लक्ष्य	viii
आईआरडीए की टीम	ix
परिदृश्य	1
2006-07 के अर्धवार्षिक कार्य का स्तर	3

भाग I

नीति एवं कार्यक्रम

ए)	सामान्य आर्थिक वातावरण का पुनरीक्षण	5
बी)	बीमा बाजार का मूल्य निर्धारण	10
i)	बीमा बाजार का विश्वस्तर पर परिदृश्य	12
ii)	भारतीय बीमा उद्योग	12
	— जीवन बीमा	15
	— गैर जीवन बीमा	22
सी)	लिये गये अनुसंधान एवं विकास कार्य	35
डी)	पुनरीक्षण	35
(i)	पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा	35
(ii)	बीमाकर्ताओं के विलयन सीमाओं का रख-रखाव	35
(iii)	पुनर्बीमा की निगरानी	36
(iv)	बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी	37
(v)	स्वास्थ्य बीमा	43
(vi)	ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यापार	44
(vii)	लेखा एवं बीमांकक मानक	45
	I) लेखा मानक	45
	II) (ए) नियुक्त बीमांकक प्रणाली	46
	(बी) बीमांकक मानक	51
(viii)	कृषि बीमा	51
(ix)	ऋण बीमा	52
(x)	सूक्ष्म बीमा	52
(xi)	प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश एवं विनियमन	58
(xii)	सूचना अधिनियम अधिकार	59

भाग II

काम एवं प्रचलन का पुनरीक्षण

(i)	बीमा एवं पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	60
(ii)	बीमा व्यापार से संबंधित मध्यवर्ती	60
	-बीमा एजेंट	60
	-निगम एजेंट	60
	-बीमा दलाल	60
	-सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक	61

(iii)	मुकदमों, अपील एवं अदालती घोषणाएँ	62
(iv)	बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	62
(v)	लोक शिकायतें	68
(vi)	बीमा संघ एवं बीमा काउंसिल	71
(vii)	बीमा सलाहकार समिति	72
(viii)	ओम्बड्समैन के कार्य	72
(ix)	समितियाँ	73
(x)	प्राधिकरण द्वारा किये गये सलाहकार कार्यक्रमों का पुनरीक्षण	75

भाग III

प्राधिकरण के संविधिक कार्य

ए)	आवेदक को पंजीकरण पत्र जारी करना या ऐसे पंजीकरण का नवीनीकरण करना, सुधारना, वापस करना, निकालना, स्थगित अथवा रद्द करना	76
बी)	पॉलिसी देने, पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन, बीमा किया जाने वाला ब्याज, बीमा दावे के निपटारे, पॉलिसी के सरेंडर मूल्य और बीमा ठेकों के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना	76
सी)	आवश्यक योग्यताओं का विनियमन, अचार संहिताओं एवं मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या एजेंटों के लिये प्रायोगिक प्रशिक्षण	77
डी)	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक के लिये अचार संहिता का विनियमन	77
ई)	बीमा व्यापार की संहिता में कामयाबी को प्रोत्साहन	77
एफ)	बीमा एवं पुर्नबीमा व्यापार से संबंधित व्यवसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं विनियमन	78
जी)	अधिनियम के कार्यों को करने के लिये शुल्क एवं अन्य दरों की अदायगी	78
एच)	बीमा व्यापार से संबंधित बीमाकर्ताओं, मध्यवर्ती, बीमा मध्यवर्ती एवं अन्य संस्थाओं से जानकारी लेने, परीक्षण करने, जाँच एवं छानबीन करने के साथ लेखा परीक्षण	78
आई)	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के सेक्शन 64यू के अधिन प्राशुल्क सलाहकार समिति द्वारा ज्यादा नियंत्रित एवं विनियमन नहीं किये जाने वाले सामान्य बीमा व्यापार में बीमाकर्ता द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित दर, सुविधाये, नियम एवं शर्तें	79
जे)	बीमाकर्ताओं एवं बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा पुस्तकों को संभालने का तरीका एवं प्रकार के बारे में विनियमन एवं खातों का बयान	79
के)	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश को विनियमित करना	80
एल)	विलयन सीमा के रख-रखाव का विनियमन	80
एम)	बीमाकर्ताओं एवं मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों पर फैसला सुनाना	80
एन)	प्राशुल्क सलाहकार समिति के काम का निरीक्षण	80
ओ)	बीमाकर्ता के प्रीमियम आय के प्रतिशत उपवाक्य 'एफ' में निर्दिष्ट अनुसार बीमाकर्ताओं की वित्त योजनाओं को प्रोत्साहित एवं विनियमित करने के लिये विनियमन	81
पी)	बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ता द्वारा किये गये जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा व्यापार के प्रतिशत का विनियमन	81
क्यू)	निर्धारित कुछ अन्य अधिकारों का उपयोग करना	81

भाग IV संस्था मामले

i.	संस्था	82
ii.	प्राधिकरण की बैठक	82
iii.	मानव संसाधन	82
iv.	कार्यालय भाषा को प्रोत्साहन	83
v.	सूचना प्रौद्योगिकी का स्तर	83
vi.	लेखा	84
vii.	आईएसओ 9001-2000 पंजीकरण	84
viii.	आईआरडीए जर्नल	84
ix.	आभार	84

निष्कर्षात्मक टिप्पणी	85
------------------------------	-----------

मर्दे

1.	बीमा उद्योग में आंकड़ों का गोदाम	31
2.	निवेश करने के लिये विनियमन ढाँचे का पुनः अवलोकन	40
3.	निरीक्षण का ढाँचा	47
4.	सामान्य जीवन उद्योग में गैर प्राशुल्कीकरण, फाइल और उपयोगी मार्ग सूचनाएँ	53
5.	धन शोधन निवारण उपाय की मार्ग सूचनाएँ	63

विषय सारणी

1.	मुख्य बाजार संकेतक	11
2.	भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं की संख्या	12
3.	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया गया प्रीमियम	15
4.	जीवन बीमाकर्ताओं की बाजार भागीदारी	16
5.	जारी की गयी नयी पॉलिसियाँ: जीवन बीमाकर्ता	17
6.	जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन खर्च	19
7.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रचलन खर्च	19
8.	भुगतान की गयी पूंजी: जीवन बीमाकर्ता	20
9.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया गया प्रीमियम (भारत में) - क्षेत्र के आधार पर	23
10.	जारी की गयी नयी पॉलिसियाँ: गैर जीवन बीमाकर्ता	24
11.	भारत के बाहर के प्रीमियम और कुल प्रीमियम का अनुपात	24
12.	भारत के बाहर व्यापार से प्राप्त सकल सीधा प्रीमियम - गैर जीवन बीमाकर्ता	24
13.	कमीशन खर्च	25
14.	दावों का अनुपात	26
15.	बीमा करने का अनुभव - गैर जीवन बीमाकर्ता	27
16.	प्रचलन खर्च: गैर जीवन बीमाकर्ता	27
17.	भुगतान की गयी पूंजी: गैर जीवन बीमाकर्ता तथा पुर्नबीमाकर्ता	27
18.	भुगतान किये गये लाभांश: सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता	28
19.	बीमाकर्ताओं का निवेश	38
20.	जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश - निधि के आधार पर	38

21.	तीसरा पक्ष प्रशासक - दावा डाटा	44
22.	तीसरा पक्ष प्रशासक (संरचना)	44
23.	विभिन्न मध्यवर्तियों द्वारा किया गया नया व्यापार (जीवन): 2005-06	61
24.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (2005-06)	69
25.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (2005-06)	70
26.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (सितम्बर 2005-06 में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक)	70
27.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (सितम्बर 2005-06 में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक)	71
28.	ओम्बड्समैन द्वारा शिकायतों का निपटारा (2005-06)	72

विवरणों की सूची

1.	घरेलू क्षेत्र के वित्त बचत (सकल)	90
2.	बीमा प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	91
3.	बीमा घनता की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	93
4.	राजस्व खाता: सभी बीमाकर्ता	95
5.	लाभ एवं हानि खाता: सभी बीमाकर्ता	97
6.	तुलन पत्र: सभी बीमाकर्ता	99
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - राजस्व खाता	101
8.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - लाभ एवं हानि खाता	102
9.	भारतीय जीवन बीमा निगम: पूंजी छुड़ाने एवं निश्चित बीमा व्यापार (गैर भागीदारी) - तुलन पत्र	103
10.	राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	104
11.	लाभ एवं हानि खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	106
12.	तुलन पत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	107
13.	राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	108
14.	लाभ एवं हानि खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	112
15.	तुलन पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	113
16.	भारतीय साधारण बीमा निगम - राजस्व खाता	114
17.	भारतीय साधारण बीमा निगम - लाभ एवं हानि खाता	115
18.	भारतीय साधारण बीमा निगम - तुलन पत्र	116
19.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम - राजस्व खाता	117
20.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम - लाभ एवं हानि खाता	118
21.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम - तुलन पत्र	119
22.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- राजस्व खाता	120
23.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- लाभ एवं हानि खाता	121
24.	कृषि बीमा निगम लिमिटेड- तुलन पत्र	122
25.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कुल अवरोध: 2005-06	123
26.	भारत में सकल सीधा प्रीमियम से आय	124
27.	कुल प्रीमियम आय (अर्जित)	125
28.	बीमा करने का अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभ	126
29.	बीमा करने का अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के लाभ	127
30.	उपगत दावों का अनुपात: सार्वजनिक क्षेत्र	128
31.	उपगत दावों का अनुपात: निजी क्षेत्र	129
32.	बीमा कंपनियों की एक्युटी शेयर पूंजी	130

33.	बीमाकर्ताओं एवं विभिन्न मध्यवर्तियों की शुल्क संरचना	131
34.	निधि के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश का आधार	132
35.	निधि के अनुसार गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश का आधार	136
36.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (2005-06)	137
37.	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (सितम्बर 2005-06 में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक)	137
38.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (2005-06)	138
39.	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (सितम्बर 2005-06 में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक)	139
40.	तीसरा पक्ष प्रशासक - दावा डाटा: 2005-06	140
41.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2006 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: जीवन बीमा	141
42.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2006 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: गैर जीवन बीमा	142
43.	विभिन्न केंद्रों पर ओम्बड्समैन का काम: 31 मार्च 2006 के वर्ष समाप्ति तक शिकायतों का निपटारा: जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा दोनों एक साथ	143
44.	प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम सहित) जीवन बीमा प्रीमियम	144
45.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	145
46.	गैर जीवन बीमा का सकल सीधा प्रीमियम (भारत तथा भारत के बाहर)	146
47.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - लागू व्यापार (पॉलिसियों का संख्या)	147
48.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - लागू व्यापार (बीमित राशि)	148
49.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)- नोन लिंकड व्यापार में जुर्मानित / व्यपगत पॉलिसियाँ -	149
50.	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2005-06)	150
51.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2005-06)	151

संलग्नकों की सूची

I	भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ	152
II	आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमन	153
III	(ए) प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिये गये एजेंट (2005-06) (व्यक्तिगत एवं निगम)	154
	(बी) प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिये गये एजेंट (2005-06) (शहरी एवं ग्रामीण)	155
IV	(ए) जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	156
	(बी) गैर जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	157
V	(ए) भारतीय जीवन बीमा निगम के निश्चित जीवन में मृत्यु दर - एलआईसी 94-96 अंतिम	158
	(बी) भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक ग्राहियों में मृत्यु दर - एलआईसी ए (96-98) अंतिम	159
VI	वित्त वर्ष 2005-06 में निकाले गये जीवन बीमा उत्पाद	160
VII	वित्त वर्ष 2005-06 में निकाले गये गैर जीवन बीमा उत्पाद (गैर-प्राशुल्क)	162
VIII	जीआईसी द्वारा प्राप्त किये गये अनिवार्य सेशन	164
IX	पंजीकृत दलाल (राज्य के आधार पर)	165
X	प्राशुल्क सलाहकार समिति द्वारा प्राशुल्क व्यापार पर नजर रखी जायेगी	166
XI	बीमा सलाहकार समिति	167
XII	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये संचारिका / आदेश / अधिसूचना	168
XIII	वर्ष 31 मार्च 2006 की समाप्ति के लिये खातों का वार्षिक विवरण	172
XIV	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों एवं ओम्बड्समैन के पते	190

लक्ष्य

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना एवं अच्छे व्यवहार प्राप्त करना;
- ✓ आम आदमी के लाभ हेतु और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन निधियों को तीव्रता से बढ़ाने के लिये बीमा उद्योग की तेज एवं क्रमबद्ध वृद्धि (वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक भुगतान सहित);
- ✓ उनके द्वारा विनियमित लोगों की एकाग्रता, वित्तीय स्थायित्व, सही संव्यवहार एवं योग्यता को स्थापित, प्रोत्साहित, निगरानी एवं लागू करना;
- ✓ सच्चे दावों के निपटारे, बीमा धोखों एवं अन्य गलत कार्यों को रोकने और दुविधा पुनरूद्धार संयंत्र को स्थापित करना;
- ✓ बीमा के साथ संव्यवहार करने वाले वित्त बाजारों में सही पारदर्शिता एवं क्रमबद्ध व्यवहार प्रोत्साहित करने एवं बाजार के व्यवसायियों में वित्तीय स्थिरता लागू करने में एक विश्वसनीय प्रबंधन जानकारी प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ सच्चे दावों जहाँ ऐसे स्तर काफी नहीं हैं और सही तरह से लागू नहीं किये गये हैं, वहाँ काम करना;
- ✓ उद्योग के दिन प्रतिदिन के विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकताओं के साथ बहुत ज्यादा स्व-विनियमन लाना।

आईआरडीए की टीम वर्ष 2005-06

अध्यक्ष
सी एस राव

सदस्य
पी ए बालासुब्रह्मण्यम (31.05.05 तक)
टी के बेनर्जी (01.08.05 तक)
मैथ्यू वर्गीज (31.08.05 तक)
सी आर मुरलीधरन (06.05.05 से)
के के श्रीनिवासन (05.09.05 से)

अंशकालिक सदस्य
विवेक मेहरोत्रा (29.11.05 तक)
अशोक चावला (30.11.05 से)
कमलेश एस विक्रम (04.02.06 तक)
टी एन मनोहरन (05.02.06 से)
गौतम हरि सिंघानिया (07.10.05 से)
विजय महाजन (07.10.05 से)

महा निदेशक (शोध एवं विकास)

डॉ डी वी एस शास्त्री

कार्यकारी निदेशक

प्रबोध चन्दर
के सुब्रह्मण्यम

वी वेदाकुमारी
पी सी जेम्स

परामर्शदाता

एम एम सिद्दीकी

कुनेल प्रेम

संयुक्त निदेशक

सुरेश माथुर

एस वी कृष्ण मोहन

उप निदेशक

ए कृष्णन
अरूप चटर्जी
कमल कुमार चौधरी
मुकेश शर्मा
राकेश कुमार बजाज
संजीव कुमार जैन
टी एस नाइक

ए आर नित्यानंथम
अनिल कुमार अरोरा
जे मीना कुमारी
ममता सूरी
रणदीप सिंह जगपाल
एस एन जयसिम्हन

मुख्य लेखा अधिकारी

जगन मोहन राव

विशेष कार्य पर अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी*

ए वेंकटेश्वरा राव
एच अनंतकृष्णा
एस रमा देवी
वी साई कुमार
पी वी वाई शर्मा*

सी सत्यावाणी
एन एस के प्रभाकर
रूपा रामकृष्णन
वाई प्रिया भारत

वरिष्ठ सहायक निदेशक

बी राघवन
दीपक कुमार गायकवाड़
के जी पी एल रमा देवी
राज कुमार शर्मा
आर कुमार
सुरेश नायर
सुदीप्ता भट्टाचार्य

दीपक खन्ना
डी वी एस रमेश
आर सी शर्मा
रश्मि अभिचंदानी
साई कुमार घंटशाला
संजय कुमार वर्मा

सहायक निदेशक

बी पद्मजा
जी आर सूर्या कुमार
कमल चावला
मंजू अरोडा
मथनगी सरिता
आर उमा महेश्वरी
सूसन इट्टियरा
शार्दुले आदमने

डी श्रीनिवास मूर्ति
ज्योति भगत
एल वी एस सुनिता
महेश अग्रवाल
निमिशा श्रीवास्तव
सोनिया सिंह
शिक्षा साहा

सहायक

ए रमा सुधीर
बी सोमेश्वर राव
बी एस वेंकटेश
हरि
एम एल सौजन्या
एन ई कांतिश्री
आर संगीता

ए केशव राव
बी अरूणा
दीप प्रकाश जोशी
लक्ष्मी पिल्लई
एम एस श्रीजा
पी मजूमदार
श्याम सुंदर महाकुड़

अभिलेख लिपिक

सुशपाल

शशिपाल

परिदृश्य

2005-06 के दौरान भारत की अर्थ- व्यवस्था विकसित होकर दृढ़ता से तीव्र गति से बढ़ गयी है। सेवा क्षेत्रों का प्रभावशाली संपादन एवं निर्माण क्षेत्रों का कायम रहना जो कृषि क्षेत्र के साथ न्यायपूर्ण वसूली भी हो रही है। कृषि उत्पन्नो की वृद्धि से कृषि और कृषि संबंधित कार्यकलापो से 3.9% वृद्धि दोखायी है और सेवा क्षेत्रों में 10.3% के बढ़ोत्तरी वृद्धि को कायम किया है। इस तरह सच्ची जी.डी.पी. 2004-05 में 7.5% के मुकाबले 2005-06 में 8.4% हो गया था। सेवाक्षेत्रों के अंतर्गत वित्त, बीमा, अचल संपत्ति भूमिका बिक्री व खरीददारी, व्यापार क्षेत्रों में अच्छा निर्वहन व प्रदर्शन हुआ है। बीमा से जी.डी.पी. में अधिक वृद्धि हुई है। यद्यपि इस क्षेत्र के आरंभ से बीमा की वृद्धि हुई। बीमा क्षेत्र से जी.डी.पी. 2000-01 में 12% से 2004-05 में 19.3 % तक बढ़ गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र और वैयक्तिक संगठित क्षेत्रों की बचत की वृद्धि से कुल घरेलू बचत का जी.डी.पी. 2004-05 में 29.1% बढ़ गयी है। अल्प संचय(बचत) के निवेशन ही घरेलू क्षेत्र से 19.5% कुल है। जीवन बीमा के निधि से 15.1% गणना की गयी है। डाकघर बीमा 0.3%, राज्य बीमा 0.6% है। प्रारंभिक धारणा 2005-06 के लिए घरेलू बचत में जमा करने में रुचि दिखाने लगी। इस साल बीमा में भी बचत कम हुए यद्यपि जीवन बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ गयी है।

एक बिक्री अनुक्रम से, बिन्दु क्रमवार आधार के हिसाब से मुद्रा स्फीति के परिवर्तन को मापने से मार्च 2006 के अंत में 4.1% कम हुआ है यद्यपि पूरे साल भर में मुद्रा स्फीति दर में अस्थिरता रही थी। 2004-05 के मुकाबले में 6.4 % से 2005-06 में 4.4% को आयी। दूसरी तरफ ग्राहक दर सूची जो कारखानों के कर्मचारियों का था,

उसमें 2004-05 के 3.4% प्रतिशत के मुकाबले 2005-06 में 4.4% वृद्धि हुई है। ग्राहक दरों की मुद्रा स्फीति की वृद्धि कई देशों में देखा गया है। वर्ल्ड एकनामिक आउटलुक के अनुसार 2004 में 2%, 2005 में 2.3% वृद्धि हुई है। एशिया के उभरते हुए बजारों पर अंतरराष्ट्रीय तेल दरों की वृद्धि का प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2005-06 में कुछ समय को छोड़कर घरेलू आर्थिक बाजार सात्वनादायक रहा। काल धन का दर छोटे हिस्से में बदलने पर भी मिलान क्षेत्र (कोलाटरल) चौथे हिस्से में धार चढ़ गया। मनी मार्केट में कोलाटरल मनी मार्केट के कार्यकलाप तेज हुआ। नॉन-बैंकिंग मार्गदर्शी से यह हुआ। इसके साथ, कुछ को आपरेटिव बैंक, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड के द्वारा कोलाटरल लेन देन में ज्यादा निधि पहुँचाए।

2006-06 के दौरान सरकारी सेक्यूरिटी मार्केट मजबूत हुई। दीर्घावधि के उत्पन्न अल्पावधि के उत्पन्नो से कम रहा। जैसे जीवन बीमावालों को दीर्घावधि निवेश से अपनी अचल संपत्ति की वृद्धि होगी वैसे अल्पावधि के निवेशों से उनका अस्तित्व बना रहता है। 2006-06 में ए.ए.ए. 5 वर्ष के कार्पोरेट बाँड में सरकारी सेक्यूरिटी के साथ वृद्धि हो गयी। 5 साल का यह सेक्यूरिटी, यद्यपि 2005-06 के पहले अर्ध वर्ष में स्थिर रहा, लेकिन मार्च 2006 के अंत में बढ़ाया। पब्लिक और राइट्स इश्यू के द्वारा निधि संग्रह हुआ। इश्यूओं की संख्या ज्यादा होने पर भी धनराशी संग्रह कम था। भारत के स्टॉक मार्केट की चलनशीलता से म्याक्रो एकनामिक्स फंडमेन्टल्स, बेहतर कार्पोरेट फलितांश, धनात्मक लागत वातावरण और ठोस व्यापार प्रतीक्षण की वजह से लाभदायक है। विदेशी निवेशियों की रुचि से उनके भाग लेने से भारत के म्यूच्युअल फंड के स्टॉक मार्केट में बहुत वृद्धि हुई है।

तेल दरो में अधिक वृद्धि के बावजूद भुगतान की स्थिति 2005-06 के दौरान सुविधाजनक रही। जी.डी.पी. की तुलना में चालती आकौंट घटा औसत रहा। इससे विदेशी विनिमय आरक्षण और और बाध्य कर्ज की वृद्धि हुई। यू.एस. डॉलर के मुकाबले 2005-06 के दौरान भारत के रुपये को विनिमय दर दो तरफे की गति में थी। 2005-06 के दौरान रोकड बाकी का भुगतान में अधिक वृद्धि बचत बढ़ोतरी दिखाया। भारत के विदेशी विनिमय में विदेशी मुद्रा, सोना, एस.डी.आर और आरक्षित ट्रान्च स्थिति जो आइ.एम.एफ के साथ है, मार्च 2006 के अंत में यू.एस. 151.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

केंद्रीय सांख्यिक संस्था के अनुसार 2006-07 के पहले त्रैमासिक में वास्तव जी.डी.पी. की वृद्धि 8.9% पर रहा, जो एक साल पहले 8.5% था। अर्थ व्यवस्था के सब क्षेत्रों में यह प्रगति दिखाई दी। सेवा क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रगति की दृष्टि दिखाई दी।

इस वृद्धि का अनुमान करके भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006-07 के दौरान जी.डी.पी. वृद्धि को 7.5% से 8% तक हिसाब किया है। मुद्रा स्फीति के खतरे से भी आरंभिक उचित समय में डिमांड सप्लाय में तेज़ी से वृद्धि देख सकते हैं। आइ.एम.एफ. ने 4.8% की वृद्धि 2005 में दाखिल किया जो 2004 से कम था। वैश्विक जी.डी.पी. को आइ.एम.एफ. ने 2006 में 4.9% घोषित किया है। भारत और चीन की वृद्धि बेहतर है। 2005 में दुनिया का बीमा प्रीमियम यू.एस. डॉलर 3246 बिलियन था। 2004 से बीमा का लाभ बढ़ गया है।

अर्थव्यवस्था की प्रगति से बीमा क्षेत्र में भी प्रगति दिखाई दी है। भारत और विदेशों में जीवन बीमा करानेवालों की प्रीमियम 2005-06 में 27.78% बढ़ी है। जो 24.31% 2004-05 में था। गैर-जीवन बीमा पॉलिसी

कराने वालों की वृद्धि पिछले साल 11.57% थी और अब 15.61% है। पहला प्रीमियम जो सिंगल प्रीमियम है, 36.63% कुल प्रीमियम के मुकाबले रहा। यह 47.94% होकर एक महत्वपूर्ण वृद्धि रहा। 4 सार्वजनिक क्षेत्र और न-जीवन बीमा करानेवालों 6.87% की वृद्धि को दर्ज किया है। जो भारत और बाहर भी 8% निजी क्षेत्रों में 52.85% की वृद्धि दाखिल की। मार्केट (बाजार-शेयर) शेयर 2005-06 में 25.13% बढ़ा जो पिछले साल 19% था। पालिसियों की संख्या में ...% की वृद्धि वैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकारों की वृद्धि...% थी। 2006 में बीमा का दृष्टिकोण आशादायक रहा है। आधुनिक राष्ट्रों में ज्यादा मुद्रा स्फीति और प्रगतिशील देशों में कम मुद्रा स्फीति दिखाई दे रहा है। अनजाने प्राकृतिक दुर्घटनाएँ बीमा कंपनियों के लाभ में बाधा डाल रही हैं। इस समय बाज़ार को गहरा और विस्तृत बनाना चाहिए।

प्राधिकार ने 1 जनवरी 2007 से सामान्य बीमा व्यापार को आयत कर(सीमा शुल्क) से मुक्त करने की घोषणा की है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो बीमा क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है। बीमाकर्ताओं को पारदर्शक रूप से कागजातों को रखने की प्रक्रियाएँ करना चाहिए। मोटार वाहनों के सीमाशुल्क मुक्त करने से सार्वजनिक को बहुत बड़ा लाभ होगा। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आने पर भी इसे निभा सकते हैं। सामान्य (आम आदमी) को बीमा से उत्पन्न मूल्यों को समझना कठिन है। अधिनियमों से मुक्त करने से मूल्य दाम घटकर स्वस्थ स्पर्धा बढ़ेगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। वैसे भी ग्राहक को लाभ पहुँचाना प्राधिकार को एक ललकार है।

इस प्रगति के रास्ते में प्राधिकार को और एक आपत्ति है। अपना पात्र अदा करने के लिए गरीबों में गरीब को बीमा का लाभ पहुँचाना चाहिए। बहुत विस्तृत चर्चा के बाद मैक्रो-बीमा का प्रतिबंधों को हटाया गया है। यह

एक नयी परिकल्पना है जिसे भारत के अनुभवों से प्राप्त किया है। इस वर्ग को दृष्टि में रखकर बीमा कंपनियों को अनुकूल दर में अपने उत्पन्नो का परिचय कराना चाहिए। आशा है कि सूक्ष्म-बीमा योजना बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी।

पॉलिसी धारकों के हित में प्राधिकार ने एक शिकायत विभाग की स्थापना की है जिसके द्वारा उनकी समस्याओं को लगातार हल कर सके। यह दुनिया भर में सब लोगों के लिए अति मुख्य विषय है।

परिकल्पनाओं का गुण बढ़ाना, सरल भाषा में अर्जी, लेखा में मानवीय गुणवत्ता, व्यापार कार्याचरण में पारदर्शिकता और आर्थिक स्थिति की घोषणा आदि कंपनियों को पालन करना चाहिए। इससे आगे अच्छी आदतों को कायम रख कर पालिसिदारों और बीमाकर्ताओं को मदद मिलेगी। यह एक दिन में होने वाली बात नहीं है। यह प्रशंसा योग्य है कि प्राधिकार ने इस दिशा में आगे बढ़ा है।

2006-07 के प्रथम अर्ध वार्षिक के कार्य :

1. जीवन बीमा : इस आर्थिक वर्ष के छः महीनों के दौरान बीमाकर्ताओं ने रू. 29664.64 करोड़ के प्रीमियम लिखा जो पिछले साल रू. 11323.13 था। इससे 161.98% की वृद्धि हुई है। एल.आइ.सी. का रू. 23435.08 करोड़, निजी बीमाकर्ताओं का रू. 6228.56 करोड़ है। एल.आइ.सी. के नये पालिसिदारों की वृद्धि क्रमशः 178.69% और 113.78% है। पिछले साल के अर्ध वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र में पालिसी लिखने की संख्या भी 12.63% बढ़ गयी है। एल.आइ.सि

का 2.14 % और निजी बीमाकर्ताओं का 91.92% है। निजी व्यवहार रू. 25637.42 करोड़ (160.29% की वृद्धि) और सामूहिक व्यापार से रू. 4027.22 करोड़ (173.27% की वृद्धि), एल.आइ.सी. के वैयक्तिक और सामूहिक व्यापार के हिसाब से 177.86% उर 183.71 % वृद्धि क्रमशः हुई है। निजी कंपनियों द्वारा 111.94% और 130.44 % वृद्धि हुई है। एल.आइ.सी. का मार्केट शेयर 79% रहा और प्रीमियम संग्रहण 80.09% रहा। पिछले साल ये 74.26% और 88.32 % क्रमशः थे। 87.34 लाखों के जीवनबीमा का पालिसी कराया। इसमें पिछले साल से 108.62% की प्रगति दिखायी दी। एल.आइ.सी. योजना के अनुसार कुल 63.97 जीवों को सुरक्षित कराया है।

2. गैर-जीवन(नॉन-लाइफ) बीमा :

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में रू. 12377.76 करोड़ के प्रीमियम लिखाया जो 22.81% वृद्धि दाखिल किया। पिछले साल यह रू. 10079.15 करोड़ था। निजी और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने रू. 4340.05 करोड़ प्रीमियम बनवाया जो पिछले साल रू.2688.50 करोड़ था। इससे 61.45% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में रू.8037.19 करोड़ के प्रीमियम जो 8.75% बढ़ा (रू. 7390.65 करोड़ प्रथम अर्धवार्षिक 2004-05 में था)

प्राधिकरण को यह खुशी हो रही है कि वो अपना छठा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है जो आइ.आर.डी.ए. नियम 1999 के 20 अनुभाग में प्रस्तुत है। यह रिपोर्ट 2005-06 के दौरान

प्राधिकार के कार्यालयों को दर्जा किया है। इसमें देश में बीमा योजना (व्यापार) बढ़ाने के कार्यतंत्र और वृद्धि कोशिश आदि का विवरण दिया है। इनका विस्तृत विवरण भाग I से IV तक किया है। भाग-I में प्राधिकार के कार्यालयों का विवरण है। भाग-III में आइ.आर.डी.ए. नियम 1999 के भाग 14 का प्रतिबंधक कार्यों का विवरण है। भाग -IV में संस्था संबंधी विषय है।

भाग I नीति और कार्यक्रम

अ. सामान्य आर्थिक वातावरण

भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिर निर्माण कार्य के प्रभावशाली कार्य और कृषि कार्यों में पुर्नलाभ की वजह से 2005-06 राजकोशिय वर्ष में मजबूत प्रगति को दर्ज किया है। 2004-05 के वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद के 7.5% प्रतिशत के मुकाबले में 2005-06 के वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद ने 8.4% प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। कृषि और उससे संबंधित कार्यों में 2004-05 से कम 0.7 प्रतिशत से उबरते हुए 2005-06 में 3.9 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की है। फूड ग्रेस और नन-फूड ग्रेस दोनों के उत्पादन में प्रगति महसूस की गई है। सुदृढ़ निर्माण कार्य के कारण उद्योग क्षेत्र में 2004-05 के 7.4 प्रतिशत से 2005-06 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे वास्तविक जीडीपी0 में सिमांत वृद्धि हुई है। गृह और नियोत की मांग में स्थिर वृद्धि क्षमता के दोहन में वृद्धि, क्षमता में वृद्धि, पॉजिटिव उद्योग और ग्राहक के विश्वास ने निर्माण सेक्टर के वृद्धि में सहारा दिया है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में बदलाव औधेगिक सेक्टर कार्यों के सिमांत वृद्धि को दर्शा रहा है। मुंबई हाई फिल्ड में लगे आग के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट हुई जिसके कारण जुलाई से दिसंबर 2005 के बीच में माइनिंग सेक्टर में नेगेटिव वृद्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2004-05 के 8.4 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 8.1 प्रतिशत पर चला गया। इफ्रास्ट्रचर सेक्टर ने लगातार दूसरे वर्ष मध्यम कार्य दर्ज किया। कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के कारण इफ्रास्ट्रचर उद्योग में वृद्धि (औधेगिक उत्पादन सूचकांक के 26.7 प्रतिशत भारत के साथ) 2004-05 के 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 5.3 प्रतिशत पर चला गया। लघु उद्योग ने 2005-06 में अपने लगातार वृद्धि को जारी रखा। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है, क्योंकि लघु उद्योग सकल घरेलु मध्य में लगभग 40 प्रतिशत का सहयोग करता है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात का लगभग 44 प्रतिशत भाग लघु उद्योग से आता है।

सेवा सेक्टर ने 2005-06 में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो कि अंतीम 5 वर्ष के 8.6 प्रतिशत के औसत वृद्धि से अधिक है। यह सेक्टर जो कि 2005-06 के वृद्धि में एक मुख्य सहायक है ने वास्तविक जीडीपी0 के वृद्धि में लगभग तीन चौथाई योगदान है। सेवा क्षेत्र ये अप्रत्यासित कार्य किया है वो व्यापार, होटल, यातायात, और संदेश में वृद्धि के कारण से है जो पूरे क्षेत्र के वृद्धि का आधा प्रदान करता है। वित्त, विमा, रीयल स्टेट, तथा कारोबार सेवा में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो 2005-06 में 9.7 प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रफुल्लित करने वाला बात है कि जीडीपी0 बीमा क्षेत्र का भी काफी योगदान हो रहा है। 2000-01 में इसका भाग 12 प्रतिशत था, यही वह वर्ष है जब बीमा क्षेत्र को विनिवेश के लिए खोल दिया गया, जो 2004-05 में बढ़कर 19.3 प्रतिशत हसे गया।

बचत और पूँजी निर्माण

सकल घरेलु बचत (जीडीपी0) तत्काल बाजार मूल्य के अनुसार 2003-04 में 28.9 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 29.1 प्रतिशत हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र बचत 2003-04 में जीडीपी0 के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 2.2 प्रतिशत हो गया है। इसका कारण सिर्फ राष्ट्रीय प्रबन्धन में बचत में कमी तथा अविभागीय इन्टरप्रइजेज के बचत में वृद्धि है। सार्वजनिक कार्पोरेट सेक्टर का बचत दर 2001-02 में जीडीपी0 का न्यूनतम 3.6 प्रतिशत से 2004-05 के 4.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो ऊँची स्थाई उर्पाजन को दर्शाता है। जबकि दूसरी घरेलु क्षेत्र का बचत दर में निरन्तर कमी दिखाई दी है जो 2003-04 के 23.5 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 12.0 प्रतिशत हो गया है। यह कमी दोनो वित्तिय बचत और भौतिक सम्पति के बचत में भी देखा गया है। मुद्रा और जमा 2004-05 में घरेलु हाउसहोल्ड सेक्टर के सकल वित्तिय बचत का 45.5 प्रतिशत रहा। छोटे बचतों में विनिवेश 19.5 रहा। बीमा संचय में 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें जीवन बीमा संचय में वृद्धि 15.1 प्रतिशत, डाक बीमा में 0.3 प्रतिशत तथा राज्य बीमा में 0.6 प्रतिशत प्रोविडेन्ट और पेन्शन संचय का भाग 12.9 प्रतिशत था।

प्राथमिक दृष्टिकोण के अनुसार घरेलु क्षेत्र ने 2005-06 में प्राथमिक जमा की तरफ बढ़ा दी है। जब जमा के भाग में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बीमा संचय का भाग घटकर 14.2 प्रतिशत हो गया है। जीवन बीमा संचय के रूप में संवा में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। औद्योगिक बिन्दु से यह परेशान करने वाला दिखता है जैसा कि जीवन बीमा के करोबार में 2005-06 में ठोस वृद्धि हुई। जहाँ घरेलु बचत में जी0डी0पी0 के अनुसार 0.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कि गई, वहीं घरेलु विनिवेश में जी0डी0पी0 के अनुसार 2.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कि गई है जो विदेशी बचत के वृद्धि को दर्शाता है। विदेशी बचत में ये एक अप्रत्याशित बदलाव है—शुद्ध पूँजीगत अर्न्तप्रवाह 2004-05 में जी0डी0पी0 का 1.0 प्रतिशत या जबकि 2003.04 में बाह्यप्रवाह सकल घरेलु उत्पाद का 1.6 प्रतिशत था।

मूल्य स्थिति

थोक विक्रय मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्थिति 2004-05 में 5.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2006 में 4.1 प्रतिशत हो गई। 23 अप्रैल 2005 के वर्ष के मध्यांतर के शुरुआत में ही मुद्रास्फिति अपने अधिकतम ऊँचाई 6.0 प्रतिशत हो गई। अधिकतम आधार और मानसून के सुधार के कारण मुद्रास्फिति गिरकर 27 अगस्त 2005 को 3.3 प्रतिशत हो गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण 2005-06 के तीसरी तिमाही में पुनः मुद्रास्फिति में वृद्धि हो गई। उसके बाद मुद्रास्थिति मार्च 2006 के अन्त तक 4.1 प्रतिशत पर स्थिर और सामान्य रहा। आर0 बी0 आई0 के मौद्रिक उपायों के तहत रेपो दर और सी0 आर0 आर0 में वृद्धि के चलते मुद्रास्थिति सामान्य रहा। मुद्रास्फिति 2004-05 के औसतन 6.4 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में औसतन 4.4 प्रतिशत रहा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी 2004-05 के 3.8 प्रतिशत से 2005-06 में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलु मुद्रास्फिति और वैश्विक मुद्रास्फिति ने बीमा उत्पादन के मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाई है। आई एस एफ के अनुसार विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फिति 2004 के 2.0 प्रतिशत से 2005 में 2.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत सारे एशियन विकासशील

बाजार में मुद्रास्फिति अनतराष्ट्रिय कच्चे तेल मूल्य के कारण बढ़ा है।

मुद्रा बाजार

मुद्रा बाजार के स्थिति में 2005 के मध्य दिसम्बर से 2006 के अन्त फरवरी को छोड़कर पूरे 2005-06 में सामान्य रूप से बढ़ता रहा। तरलता स्थिति पूरे वर्ष के अधिकतम समय में सामान्य रहा। जमानत पद्धति के आधार पर ब्याज दर भी मुद्रा बाजार में चौथे तिमाही में ऊँचाईयों को छुआ। कॉल मनी मार्केट के अलावा जमानत पद्धति के अनुसार दर-बाजार रेपो (एल0ए0एफ0 के बाहर) तथा जमानती उधार देने और लेने का जो भाग है वह रेपो दर के नीचे रहा। मुद्रा बाजार का विकाल पूरे वर्ष के दौरान अजमानती कॉल मुद्रा भाग से जमानती बाजार रेपो तथा सी0बी0एल0ओ0 की ओर मुड़ गया। इन कार्यों के प्रवाह का बदलना उस पॉलिसी का परिणाम है जिसके तहत अगस्त 2005 से कॉल मुद्रा बाजार में नॉन बैंकिंग सहयोग को बन्द कर दिया गया है। जमानती बाजार पूरे उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग के साथ मुद्रा बाजार का प्रधान भाग के रूप में उभरा है। अजमानती कॉल बाजार का भाग पूरे बाजार लेन-देन का अप्रैल 2005 में 51.0 प्रतिशत से मार्च 2006 में 26.1 प्रतिशत तक गिर गया है। मार्च 2006 तक सी0डी0एल0ओ0 भाग में क्लियरिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 152 सदस्य (79 सक्रिय सदस्य) प्रवेश किये हैं। इस भाग में एक बीमा कम्पनी और कुछ कॉ-ऑपरेटिव बैंक को संचय प्रदान किया गया है। अभी म्युचुअल फंड सी0बी0एल0ओ0 में मुद्रा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा पूर्तिकारक बना हुआ है।

विदेशी विनिमय बाजार

भारतीय रुपये ने 2005-06 में यू0 एस0 डॉलर के मुकाबले 43.30-46.33 प्रत्येक यू0 एस0 डॉलर के रेंज में दोहरे चाल को दर्शाया। रुपया जो कि 2005-06 के पहले चार महीने में रेंज की सीमा के अंदर था उसे चाइनिज रेनमिनबी की दोबारा मूल्यांकन से 21 जुलाई 2005 को बढ़त मिली। अगस्त 2005 के अंत से तेल के मूल्य के प्रभाव, करेंट एकाउंट कमी में तेजी से बढ़ोतरी और मजबूत यू0 एस0 डॉलर के कारण रुपये पर दबाव पड़ा। 8 दिसम्बर 2005 को विनिमय दर प्रत्येक यू0 एस0 डॉलर के मुकाबले में 46.33 रुपये हो गया।

दिसम्बर 2005 के दूसरे भाग से एफ0 आई0 आई0 के भीतर प्रवाह यू0 एस0 डॉलर का अन्तराष्ट्रिय बाजार में नीचे जाने के कारण रुपया तेजी से मजबूत हुआ तो भी आई0 एम0 डी0 रिडेम्सन 6.5 बिलियन यू0 एस0 डॉलर का था। 31 मार्च 2006 को विनिमय दर 44.61 रुपये प्रत्येक यू0 एस0 डॉलर का था। 31 मार्च 2005 के मुकाबले भारतीय रुपया 1.9 प्रतिशत नीचे गया। चूँकी पूँजी का प्रवाह करेंट एकाउंट में कमी से अधिक रहा इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ने 2005-06 में अधिक दर्ज किया। परिणामतः भारतीय विदेशी विनिमय संग्रह जिसके तहत विदेशी मुद्रा सम्पत्ति, स्वर्ण, एस0 डी0 आर0 और संग्रह ट्रांच की आई0 एम0 एफ0 के साथ स्थिति 2005-06 के 10.1 बिलियन यू0 एस0 डॉलर से बढ़कर मार्च 2006 के अंत तक 151.6 बिलियन यू0 एस0 डॉलर हो गया।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

2005-06 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों से होनेवाली प्राप्तियों में कमी आ गई। लम्बी अवधी मैचुरीटीज से होनेवाली प्रतियों में बढ़ोतरी छोटी अवधी मैचुरीटीज से कम रहा। प्राप्तियों के माध्यामिक वर्ष चाल गश्ह तरलता, मुद्रास्फीति का अनुमान, कच्चे तेल के मूल्य और यू0 एस0 प्राप्तियों के चाल से प्रभावी रहा। 30 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष पेपर से प्राप्तियाँ मार्च 2005 के अन्त की प्राप्तियों से 70 अंको से मजबूती पाकर 7.35 प्रतिशत और आरामदायक तरलता स्थिती के कारण 30 जून 2005 को 6.89 प्रतिशत हो गया। बाजार का जुलाई 2005 के दौरान विस्तार हुआ तथा अगस्त - दिसम्बर, 2005 तक स्थायित्व को प्राप्त कर चुका था।

जबकि जनवरी 2006 के अन्तिम सप्ताह तक रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में 25 आधार बिन्दु के वृद्धि के चलते प्राप्ति में वृद्धि हो गयी थी। दस वर्ष की प्राप्तियाँ 27 जनवरी 2006 को 7.41 प्रतिशत, जनवरी 31 2006 को गिरकर 7.28 प्रतिशत और 31 मार्च 2006 को बढ़कर 7.52 प्रतिशत हो गया। 1-10 वर्षों के प्रतियों का फैलाव मार्च 2006 के अन्त में घटकर 98 आधार प्वाइन्ट्स पर आ गया (मार्च 2005 के 114 आधार प्वाइन्ट्स से) 10-30 वर्ष के प्राप्तियाँ घटकर 30 आधार प्वाइन्ट्स पर आ गया (मार्च 2005 के 54 आधार प्वाइन्ट्स से) नन बैंकिंग जैसे बीमा कंपनियाँ और पेंशन फंड्स के लंबी अवधी के प्रतिभूतियों में लगाव को दर्शाते हुए। 5 वर्षों एए-रेटिंग वाले बान्ड्स की प्राप्तियाँ और सरकारी

प्रतिभूतियाँ की प्राप्तियाँ 2005-06 के दौरान एक साथ बढ़ी। 5 वर्षों वाले सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्तियाँ जो कि अप्रैल से अक्टूबर 2005 तक 30 आधार प्वाइन्ट्स पर स्थिर था वो मार्च 2005 के 67 बेसीस प्वाइन्ट्स से बढ़कर मार्च 2006 में 91 बेसीस प्वाइन्ट्स तक पहुँच गया।

प्राथमिक बाजार

2005-06 के दौरान 139 कंपनियाँ प्राथमिक बाजार अपने पब्लिक और राइट्स इश्यू के साथ आई और उन्होंने 27,382 करोड़ रुपये इकट्ठा किया 2004-05 के 60 कंपनियों के 28,256 करोड़ के मुकाबले में। 2004-05 के इश्यू के मुकाबले 2005-06 का इश्यू दुकाना होने के बावजूद राशि संग्रह कम रहा। 2005-06 में 103 पब्लिक इश्यू था जिसमें 79 इनिशियल पब्लिक ऑफर (आई0 पी0 ओ0) तथा 24 दूसरे पब्लिक ऑफर (एफ0 पी0 ओ0) था। आई0 पी0 ओ0 के द्वारा 2005-06 के दौरान 10,936 करोड़ रुपये की साधन का उगाही की गई। निजी क्षेत्र कम्पनियाँ 2005-06 के दौरान 131 इश्यू के द्वारा 20,199 करोड़ रुपये की उगाही की जबकि 2004-05 में 55 इश्यू के द्वारा 17,162 करोड़ रुपये की उगाही किया गया था जो इसके भाग को 2004-05 की 60.7 प्रतिशत की अपेक्षा 2005-06 में 73.8 प्रतिशत बढ़ा दिया। बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ 2005-06 के दौरान प्राथमिक बाजार की और रुख किया और 12 इश्यू के साथ 12,439 करोड़ रुपये की उगाही की तथा 2005-06 के पूरे वार्षिक आय का 45.5 प्रतिशत बनाया।

भारतीय कॉर्पोरेट ने अन्तराष्ट्रिय पूँजी बाजार से 2005-06 के दौरान साधन की उगाही को 238.7 प्रतिशत बढ़ाते हुए 11,358 करोड़ रुपये की उगाही की। इनमें से ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट (जी0डी0आर0) के द्वारा 9,779 करोड़ रुपये, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट (जी0डी0आर0) के द्वारा 1,573 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्रा कॉन्वर्टिबल बॉन्ड के द्वारा 6 करोड़ रुपये की उगाही था।

द्वितीय बाजार

भारतीय स्टॉक बाजार में 2005-06 के दौरान आशा से बहुत अधिक उछाल दर्ज किया गया। मजबूत और बड़े आर्थिक पहलू, प्रभावशाली कॉर्पोरेट नतीजे, पूँजी लगाने के लिए

सही वातावरण , व्यापार के लिए मजबूत नजरीया विदेशी संस्थाओं द्वारा लगातार पूँजी का लगाना तथा साथ ही साथ भारतीय म्युचुअल फंड का सकारात्मक भागीदारी ने शेयरों के भाव को बढ़ाने में बल प्रदान किया है। दुनिया के देशों में कच्चे तेल की किमतों के बढ़ने के बाद भी सूचकांक विशिष्ट मापक अंक से 2005-06 की तुलना में कई स्तरों से आगे बढ़ गया है। नियंत्रित मुद्रा विस्तार दर, विदेशी मुद्रा का आशा के मुताबिक बढ़ोतरी और सरकार द्वारा आर्थिक संचय में विदेशी पूँजी लगाने वालों के लिए भारतीय प्रतिभूती बाजार को और अधिक आकर्षक बना दिया है। अक्टूबर 2005 को छोड़कर भारतीय प्रतिभूती बाजार में पहली बार 06 फरवरी 2006 को तेज रफ्तार देखने को मिला है, जब बी0एस0सी0 सेन्सेक्स 10,000 के अंक को पहली बार पार कर गया तथा 27 मार्च 2006 को यह 11,000 के सीमा तक चला गया। 2005-06 के दौरान बी0एस0सी0 सेन्सेक्स 73.7 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त किया जो कोलंबिया (आई0जी0बी0सी0सूचकांक 138.4 प्रतिशत) तथा रूस (सी0आर0टी0एक्स0 सूचकांक 121.5 प्रतिशत) के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत है। एक साल पहले का 54.5 प्रतिशत की कीमतों की अधिक-कमी के झलक के आधार पर जी0 डी0 पी0 के अनुपात में पूँजीगत बाजार और व्यापार में 2005-06 के दौरान 85.6 और 67.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजी बाजार का यह बढ़त सभी सेक्टरों में महत्वपूर्ण बढ़त के रूप में दर्ज हुआ। 2005-06 में सभी स्टॉक एक्सचेंज का टर्न ओवर मुद्रा के रूप में इससे पिछले साल के 16,66,896 करोड़ रुपये की तुलना में 23,90,103 करोड़ था जो पीले साल की अपेक्षा 43.4 प्रतिशत बढ़ा था। पूँजीगत बाजार में बदलाव की क्रिया स्टॉक मार्केट के फैलाव को जानने का दिशा बतलाता है। उँचे स्तर पर पूँजीगत बाजार बढ़ते हुए स्टॉक बाजार के क्रियाकलाप को दर्शाता है। बी0एस0सी0 का पूँजीगत बाजार 77.9 प्रतिशत बढ़कर 2004-05 के अन्त के 16,98,428 करोड़ रुपये की तुलना में 2005-06 में 30,22,190 करोड़ रुपया हो गया है। पूँजीगत बाजार का बहाव व्यापार किमत के अनुपात में मापा जा सकता है अर्थात् शेयरों की किमत जी0 डी0 पी0 के साथ बाजार भाव के रूप में चालू बाजार के किमतों के आधार पर मापा जा सकता है। 2005-06 के अन्त तक यह अनुपात 85.6 प्रतिशत कि उँचाई को छूते हुए आज तक के सभी मापदंड से ऊपर जा पहुँचा है।

मध्यावधि लेखा जोखा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2006 के मध्यकाल के लेखा-जोखा में बताया की भारतीय अर्थव्यवस्था 2006-07 के पहले तिमाही में मतबूत विकास दर को प्राप्त किया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक वास्तविक पूर्ण घरेलु उत्पाद में 2005-06 के प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के इसी समय में 8.9 प्रतिशत को अंकित किया है। वास्तविक पूर्ण घरेलु उत्पाद कृषि , उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में क्रमशः 3.4 प्रतिशत , 9.7 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत रहा।

औद्योगिक उत्पाद के वृद्धि में उछाल 2006-07 के पहले पाँच महीनों में देखा गया। अप्रैल-अगस्त 2006 की तुलना में औद्योगिक उत्पादन 10.6 प्रतिशत रहा जो 2005 के समान समय के लिए 8.7 प्रतिशत था।

निर्माण क्षेत्र ने 11.8 प्रतिशत वृद्धि की है और यह औद्योगिक क्षेत्र के चालक की भूमिका अदा कर रहा है। संरचनात्मक ढाँचा क्षेत्र ने अप्रैल-अगस्त 2006 में थोड़ा वृद्धि दर्शाया है (पिछले साल के समान समय में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया है) जो कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद के बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ। सेवा क्षेत्र ने द्वि अंक प्रगति हासिल की है (2005 के अप्रैल-जून के 10.1 प्रतिशत की अपेक्षा 2006 के अप्रैल-जून में 10.5 प्रतिशत बढ़ा) जो पूरे जी0डी0पी0 का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रणी क्षेत्र बना हुआ है। घरेलु स्टॉक बाजार निर्माण और सेवा क्षेत्र के कार्यों में उछाल की वजह से पुनः उठा है तथा सकारात्मक विनिवेश वातावरण संकेत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तेजी है वह 2006-07 के शेष समयों में भी बनी रहेगी। बैंक ऋण की माँग बढ़ाने में इस मजबूत वर्ष में वार्षिक जमा वृद्धि सक्षम है। गैर खाद्य ऋण में वृद्धि 30 प्रतिशत से ऊपर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य में गिरावट के बावजूद विकसित अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिति अगस्त 2006 तक उँची बनी रही। सितम्बर 2006 के दौरान तेल मूल्य में कमी के कारण मुद्रास्फिति कुछ कम रहा। बहुत सारे केन्द्रीय बैंकों ने मजबूत माँग की वजह से मौद्रिक नीति में कड़ा रुख अपनाया। भारत में वर्ष 2006-07 में पूरे वर्ष के दौरान मुद्रास्फिति लगभग समान रहा। वर्ष 2006-07 में प्राथमिक खाद्य पदार्थों का

मूल्य मुद्रास्फिति की कुँजी साबित हुई। मुद्रास्फिति में दबाव के बावजूद प्री-इम्पटिव मौद्रिक और राजकोषिय नीतियों ने मुद्रास्फिति को सामान्य रखने में मदद किया है। थोक मूल्य मुद्रास्फिति 2006 के अन्त मार्च के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 14 अक्टूबर 2006 को 5.3 प्रतिशत था। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फिति नवम्बर 2005 से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फिति से ज्यादा रहा है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों के ऊँची भार के साथ-साथ खाद्य मूल्य में भी ऊँचाई को दर्शाता है।

कॉल मनी दर सितम्बर 2006 के अन्तिम तिमाही को छोड़कर पूरे दूसरे तिमाही में रिजर्व रेपो दर के बराबर रहा। एडवांस कर के बाह्य प्रवाह के कारण तरलता दबाव में कमी तथा त्योहार के समय के मुद्रा के मांग के चलते ऊँची ऋण मांग के कारण सितम्बर 2006 के दूसरे अर्धमास में कॉल दर बढ़ा है। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट 2006-07 के दौरान सामान्य रहा। सोना और चाँदी के आयात में कमी के कारण गैर तेल आयात में वृद्धि देखी गई। पूँजीगत वस्तुओं के आयात में विनिवेश मांग के कारण वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य के कारण तेल आयात में वृद्धि रहा। 2006-07 के पहले तिमाही में चालू लेखा कमी में वृद्धि देखी गई। एक वर्ष पहले की अपेक्षा, जो ऊँची व्यापार कमी को दर्शाता है। ऊँची चालू लेखा कमी को वित्तीयन पूँजी प्रवाह से हुआ जो 2006-07 के दौरान बढ़ा है।

वित्तीय बाजार स्थायित्व की ओर 2006-07 में अग्रसर हुआ है, जबकि ब्याज दर सभी विभागों में बढ़ा है। बाजार रेपो में ब्याज दर तथा मुद्रा बाजार का कॉलेटेरल बौरोइंग तथा लेन्डिंग ऑब्लिगेशन (सी0बी0एल0ओ0) भाग मार्च 2006 के औसतन क्रमशः 6.17 प्रतिशत तथा 6.19 प्रतिशत की तुलना में अक्टूबर 2006 (27 अक्टूबर 2006 तक) में औसतन क्रमशः 6.40 प्रतिशत तथा 6.26 प्रतिशत रहा। सरकारी प्रतिभूतियाँ, जिनका परिपक्वता एक वर्ष है, में वृद्धि देखी गई जो 2006 के अन्त अप्रैल में 6.20 प्रतिशत का अपेक्षा 27 अक्टूबर 2006 तक 7.02 प्रतिशत बढ़ा है। वैसी सरकारी प्रतिभूतियाँ जिनका परिपक्वता वर्ष दस वर्ष है उसमें भी में वृद्धि देखी गई, जो 2006 के अन्तिम अप्रैल में 7.39 प्रतिशत की अपेक्षा 27

अक्टूबर 2006 में 7.62 प्रतिशत बढ़ा। दस वर्षीय और एक वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के चुकाने का जो फैलाव है उसमें 119 के आधार बिन्दु से 60 आधार बिन्दु का गिरावट आया है, 27 अक्टूबर 2006 तक।

मध्य-पूर्व भाग में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के चलते तथा जैव राजनितिक जोखिम के चलते दबाव में आया है। रुपये का मूल्य जुलाई 2006 के अन्तिम सप्ताह से बढ़ा है, जिसका कारण एफ0 आई0 आई0 का अर्न्तप्रवाह तथा तेल मूल्य का कम होना है। पब्लिक इश्यु के द्वारा साधन की प्राप्ति 2006 के अप्रैल-सितम्बर के दौरान 2005 के समान समय की अपेक्षा 51.6 प्रतिशत बढ़ा है। घरेलु स्टॉक बाजार ने 2006-07 के दौरान बढ़त दर्ज किया है तथा जो भी हानियों को ढो रहा था, उसे लगभग समाप्त कर दिया है।

बाहरी विकास

2005-06 में भारत के भुगतान की स्थिति तेल की किमतों में ऊँची बढ़त के दबाव को झेलने के बावजूद भी अच्छी रही। 2005-06 में भुगतान की स्थितियों ने कई सकारात्मक विशेषताओं के साथ समाधान का रास्ता निकाला। सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात में 2005-06 में चालू वित्तीय घाटे में बढ़त हुई इस के बावजूद भी चालू वित्तीय घाटे की स्थिति सीमित रही। सब कुछ मिलाजुलाकर भुगतान की स्थिति अच्छी बचत वाली दर्ज हुई, विदेशी मुद्रा के भण्डारण में बढ़त का विकास हुआ। बाहरी कर्ज (सकल घरेलु उत्पाद की अनुपात स्वरूप) कम होना शुरू हुआ। वार्षिक चालू प्राप्ति और विदेशी मुद्रा के विनिमय भंडार में सीमा से अधिक की बढ़त मिलकर देश के विदेशी कर्ज से ऊपर रहा।

2005 में वैश्विक विकास का नतीजा शानदार 4.8 प्रतिशत पर रहा, जबकि यह 2004 में तीन दशक से दर्ज 5.3 प्रतिशत से नीचे की ओर गया। बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में बढ़त दर 2004 के 3.3 प्रतिशत से 2005 में 2.7 प्रतिशत नीचे आया। यू0 एस0 और यूरो वाले इलाके में हास इसका कारण रहा जो की जापानी वित्तीय व्यवस्था में विस्तार से हलके रूप से कुप्रभावित हुआ। ग्लोबल आर्थिक-क्रियाशीलता प्रसन्नानीय मजबूती के रूप में ऊमड़ा जबकि दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल बढ़ती हुई कीमतें इसकी अनुकूलता के मुताबिक नहीं था। बड़े केन्द्रिय बैंको द्वारा पूर्व खरीद का लगातार आर्थिक लगाम

लगाने के बावजूद भी बड़ी वित्तीय नीतियाँ अभी तक बड़े पैमाने पर ताल-मेल वाली थीं। विश्व स्तर पर आर्थिक बाजार की स्थितियाँ वास्तविक लम्बी अवधि के दर के नीचे रहने से विकास दर को आधार देने के कारण ताल-मेल वाली रहीं।

ऊपर उठते हुए बाजारों में तथा विकासशील देशों में निजी पूँजी के निवेश से इन देशों में विकास की किरण चमकी तथा 2005 में इन अर्थव्यवस्थाओं में और मजबूती आई। सीधा विदेशी निवेश ने निजी पूँजी के निवेश को बल दिया जो कि पूर्ण निवेश के 30 प्रतिशत के बराबर था। शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश, जो कि 2004 में तेजी से बढ़ा, 2005 के दौरान ऊँची स्थिति पर कायम रहा।

विश्व मुद्रा कोष ने 2006 में जी0डी0पी0 की बढ़त 4.9 प्रतिशत दर्शाया है। विकासशील देशों तथा उमड़ने वाले बाजारों का विकास भविष्य आकलन बढ़ा ही प्रभावशाली चल रहा है जिसकी अगली कतार में भारत और चीन अगुआई कर रहे हैं। विश्व व्यापार की मात्रा में 2006 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है, जो पिछले एक साल से थोड़ा बहुत ऊँचा है।

यू0 एस0 का विशाल आर्थिक घाटा दूसरे बड़े हुए देशों से पूरा किया जा रहा है, जिसमें मध्य पूर्व के तेल निर्यात करने वाले देश तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच की आमदनी वाले समूह के देश हैं। इस असंतुलन को ठीक करने का अचानक और गैर कानूनी तरीका विश्व अर्थव्यवस्था को दिशाहीन विनिमय दर के एडजस्टमेंट तथा बड़ी मात्रा में ब्याज दर की बढ़त के खतरों के रूप में खड़ा है। ऊँचे दर की क्षण-क्षण बदलने वाली तेल की किमतें ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। हालांकि हरदम बदलने वाली स्थितियाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार में कीमतों के पुनः निर्धारण से नीचे खिसकने का खतरा खड़ा है।

2005-06 के दौरान पूँजी का आना उत्साह से पूर्ण रहा है, जिसमें विदेशी पूँजी का निवेश मुख्य रहा जिसके चलते आर्थिक विकास की संभावना रही। 2005-06 में सीधा और संस्थागत पूँजी का निवेश बढ़ा। 2005-06 में विदेशी पूँजी का

सीधा निवेश 7751 मिलियन डॉलर पर पहले साल के 5652 मिलियन डॉलर की तुलना में 37 प्रतिशत ज्यादा रहा। निवेश की अनुकूल दशा के आधार पर, सुधरते हुए विकास की संभावना, और समझदारी पूर्ण सीधे विदेशी निवेश के उदारीकरण नीति को अपनाने से तथा व्यवस्था को सरल बनाना इसके पीछे में था।

विदेश से सहायता राशि 2005-06 के दौरान 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने भी ऋण के रूप में विदेशों को सहायता प्रदान करना जारी रखा है। भारत द्वारा विदेशों को ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने की राशी 2000-01 के 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा 2005-06 में 489 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर हो गया। भारत ने जो सहायता प्रदान की है उसमें ज्यादातर तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण है, और ऋण सहायता के साथ इसका भाग 79 प्रतिशत है। 2005-06 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले मुख्य देशों में भूटान, नेपाल, बांग्ला देश, तथा कुछ अफ्रीकी देश हैं।

2006-07 के दौरान पूँजी का बहाव, एफ0 आई0 आई0 के बहाव को छोड़कर, बहुत ज्यादा था। एफ0 डी0 आई0 का अर्न्तप्रवाह 2005 के अप्रैल-मई के 922 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा अप्रैल-मई 2006 में बढ़कर 1,199 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ए0 डी0 आर0/जी0 डी0 आर0 के द्वारा पैसे की प्रप्ति 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1,007 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एन0 आर0 आई0 डिपॉजिट 2006 के अप्रैल-मई के दौरान 816 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्न्तप्रवाह अंकित किया गया, जबकि 2005 में इसी समय के लिए बाह्य प्रवाह 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। जबकि दूसरी ओर, एफ0 आई0 आई0 2006 के अप्रैल-जून के दौरान 1,787 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य प्रवाह अंकित किया, जबकि एक साल पहले इस समय के लिए 544 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्न्तप्रवाह था।

बीमा उद्योग महत्वपूर्ण आर्थिक बिचौलियों की सेवा भी लगातार जारी रहने वाले आर्थिक विस्तार तथा बढ़त के लिए

अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों पर बीमाकृत पूँजी से हटाकर व्यापार गत पूँजी में उसी दौरान मूल सुविधाओं के विकास हेतु लगाता है। तथ्यता: लम्बी अवधि तक चलने वाले उत्तरदायित्व बहन की बातों के आधार पर, जीवन बीमा कम्पनिया से मिलती जुलती स्थिति में रहने के कारण मूलभूत निवेश पूँजी चुकाने की स्थिति में रहने के कारण आदर्श है। भारतीय रिजर्व बैं के द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आर्थिक बजट में पूँजी का योगदान 14.2 प्रतिशत था अर्थात् चालू बाजार कीमत के आधार सकल धरेलू उत्पादन का 2.4 प्रतिशत 2005-2006 में था। इस तरह लगातार जारी रहने वाला आर्थिक परिवर्तन हेतु बीमा क्षेत्र का विकास आवश्यक है। एक प्रौढ़ बीमा उद्योग से समाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधार भी लाभान्वित होते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र जो 1999 में प्राइवेट भागीदारी वास्ते खोला गया था एक मुक्त वातावरण का 6 साल पूरा कर चुका है। प्रथम वर्ष में औसत 37 प्रतिशत वार्षिक बढ़त के साथ, बीमा के लिये जीवन पहलू पर दिया गया धन और 15.72 की प्रतिशत की बढ़त बिना जीवन क्षेत्र में बहुत अधिक जीवन बीमा की जारी रहने वाली पॉलिसी को लेकर भारतीय बीमा उद्योग की स्थिति अभी भी बरहता है। बढ़त के प्रति आकर्षण सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बीमा कर्ताओं से मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के बारे में एक दूसरे से मिलने की धोषणा हुई है जो प्रथम साल में हुई कमी को उलट देता है और लगातार 2 वर्षों तक स्वस्थ वृद्धि हुई है। जो इस के विपरीत बिना जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कर्ताओं द्वारा बढ़ने वाली प्रतियोगिता में उत्सुकता दिखाने में धीमा रहें हैं। उद्योग और सम्बद्ध अधिकारी दोनों उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनियाँ आम तौर पर और निजी बीमा कम्पनियाँ खास तौर पर पहुँच के बाहर की शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापन अभियान द्वारा और इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों को जनता को देते हुए पहुँच रहे हैं।

स्वास्थ्य और दूसरे बिना जीवन क्षेत्र में घूसने का यह अनुपात भी अन्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। ये तथ्य बीमा क्षेत्र में काफी बढ़त सम्भावनाओं को निर्दिष्ट करते हैं। 1999 बीमा

क्षेत्र के खोलने के समय से 23 विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस मिला दिया गया है और 1688.67 करोड़ का विदेशी पूँजी भारतीय बाजार में हुई है। नये उत्पाद, कल्पनीय यबाजार और तेज वितरण ने उपर उड़ने वाली कम्पनियों को भारतीय ग्राहकों को प्रभावित करने में अपने को इतना योग्य बनाया है जितना की कोई सोच भी नहीं सका था। क्षेत्र को खालने के समय, जीवन बीमा कर बचत के साधन के रूप में जाना जाता था, बीमा धारकों की धारणा धीमे बदल रही है अरैर बीमा आच्छादन को कर छूट के बिना भी ले रहे हैं। बीमा में आने वाले साधारण जनता उन क्षेत्रों को देख रही है जो उनके विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है वाले उत्पादों को दे रही है और आज बहुत सी पसन्दगिया आज बाजार में उपलब्ध है।

श्री राम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी के पंजीयन के साथ जिसे सानलामा के साथ एक होकर संयुक्त कार्य किया, जीवन बीमा उद्योग में काम करने वाली कम्पनियों की संख्या 15 तक पहुँच गई है। यह नया पदार्पण करने वाला फरवरी 2006 जीवन बीमा देना शुरू किया। अपने क्रिया-कलाप के दो महीनों के दौरान कम्पनी ने 20237 बीमा जारी किया जिसका पूरा बीमा राशि 10.32 करोड़ था।

सारिणी -1

मुख्य बाजार सूचक

भारत में 'जीवन' और गैर जीवन विश्व बीमा बाजार दिसम्बर 31, 2005	रुपये 127213.73 करोड़ यु0 एस0 डालर 3425.71 बिलियन यु0 एस0 डालर
	साधारण बढ़त से 4.9 प्रतिशत मुद्रास्फीति से 2.5 प्रतिशत
2005-2006 में भारत तथा भारत के बाहर	जीवन 27.78 प्रतिशत बिना जीवन 15.61 प्रतिशत
भौगोलिक प्रतिबंध शेयरो पर प्रतिबंध प्रिमियम की बढ़त नये काम करने वालों वास्ते	उपलब्ध नहीं विदेशी सम्बर्धक शेयरो का 26 प्रतिशत तक रख सकते हैं।
पंजीयन प्रतिबंध	अलग हिस्से में पंजीयन है। संयुक्त पंजीयन उपलब्ध नहीं

मार्च 2006 के अन्त तक पन्द्रह जीवन और चौदह बिना जीवनकी बीमा कम्पनियाँ थी। एक मापदंड की कम्पनी स्टार हेल्थ मार्च 2006 में पंजीयन का प्रमाण पत्र पायी और चालू वित्त वर्ष 2006-2007 के दौरान अपना काम चालू किया। इस तरह बीमा कर्ताओं की कुल संख्या अब तक सोलह होती है। बिना जीवन के कम्पनियों में दो विशेषता प्राप्त कम्पनियाँ जिनका नाम कृषि बीमा कम्पनी जो फसल

बीमा व्यापार को देख-रेख करती है और निर्यात ऋण गारन्टी निगम जो निर्यात विश्वसनीयता के बीमा में काम करती है।

सारिणी 2

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

व्यवसाय का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	15*	16
साधारण बीमा	6	9	15
पुर्नबीमा	1	0	01
कुल	8	24	32

* एक ने अपना प्रचलन वर्ष 2006-07 में शुरू किया

विश्व बीमा परिदृश्य

2005 विश्व स्तर पर बीमा प्रिमियम की राशि 3426 बिलियन यू0एस0डी0 था। इसमें 1974 बिलियन डालर जीवन के खाते में और यू0एस0डी0 1452 बिलियन बिना जीवन के बीमा खाते में था। वास्तविक आधार पर पूरा बीमा राशि 2.5 प्रतिशत बढ़ी। बिना जीवन का प्रिमियम 0.6 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी जबकि जीवन बीमा 3.9 प्रतिशत बढ़ी। 2004 की तुलना में जीवन बीमा में मुनाफा में बढ़ोतरी हुई। बिना जीवर व्यापार यु0एस0 में बड़ी तूफानी धाटा के बाद भी मुनाफा युक्त रहा। उँची आर्थिक विकास, आधुनिक मुद्रास्फीति, कम ब्याज दर और यूरो, जापान और उभड़ने वाले बाजारों में उपयुक्त स्टॉक मार्केट ने बीमा उद्योग की बढ़ोतरी में योगदान किया।

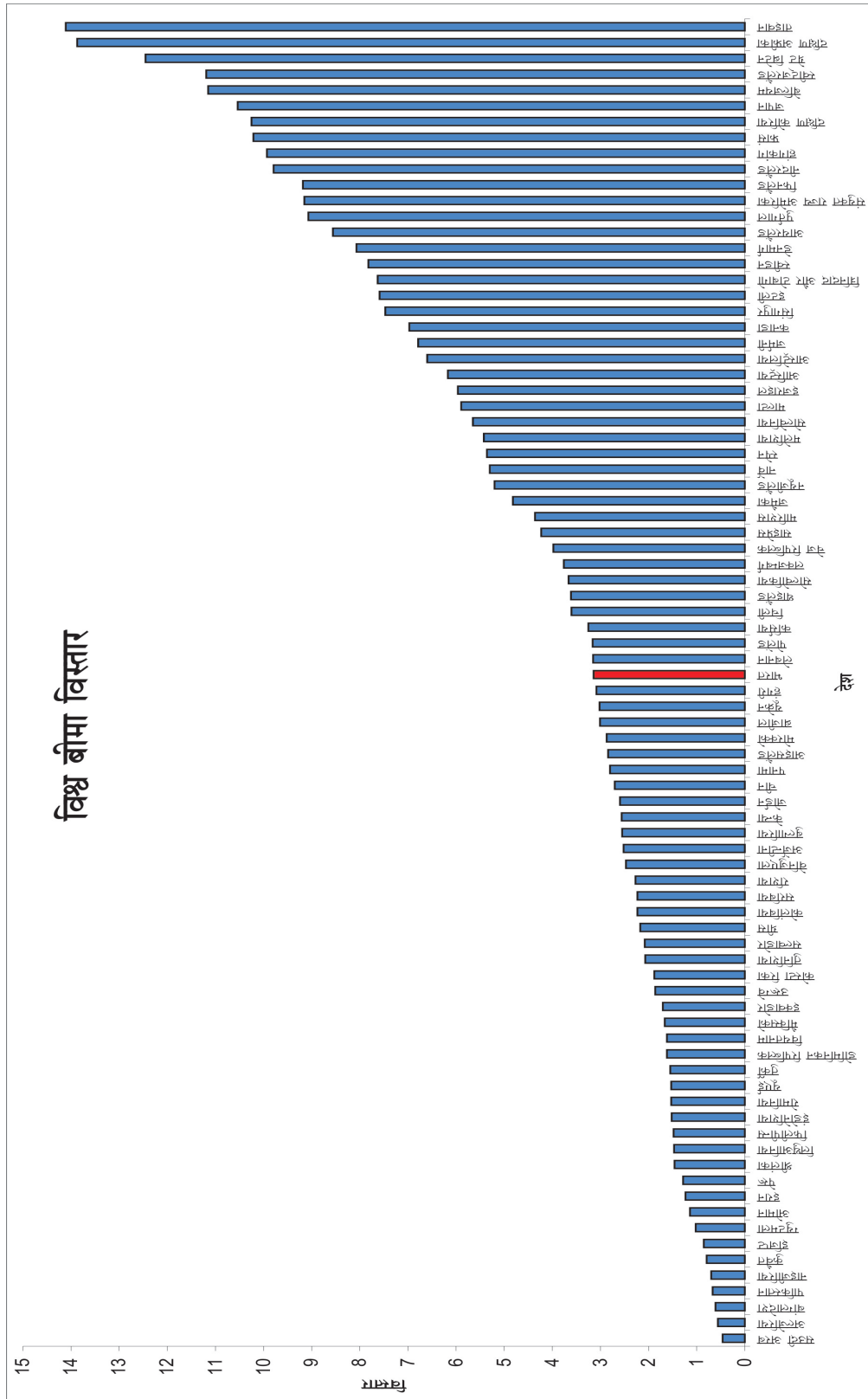
यू0एस0 को छोड़कर जहाँ पर थोड़े काल के लिये उँची ब्याज दर ने जीवन उत्पादों को कम आकर्षक बनाया है। जीवन बीमा के सर्वांगीण प्रचलन के अनुसार ही मजबूत बढ़त परिलक्षित होती है। वृद्ध आयु की सुविधाओं की माँग पूर्ण आवादी मे सेवा निवृत्त लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ रहा है और सरकासर वृद्धि आयु सुविधाओं को निजी योजनाओं में दे रही है। इस संदर्भ में जीवन उत्पादों के कर नियमों में परिवर्तन महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है। जीवन व्यापार पर लाभ अनेक देशों में निम्न-निम्न कीमतों के चलते बढ़ा है।

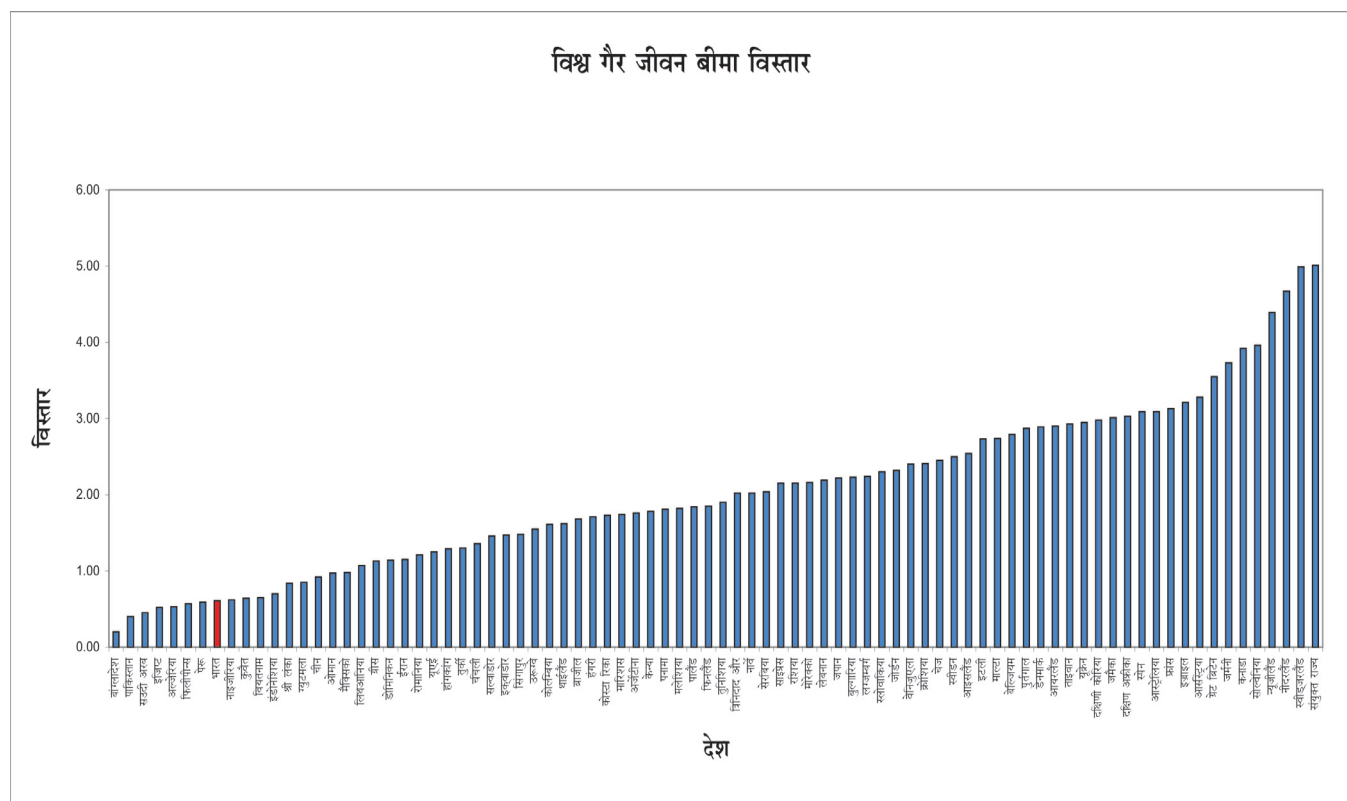
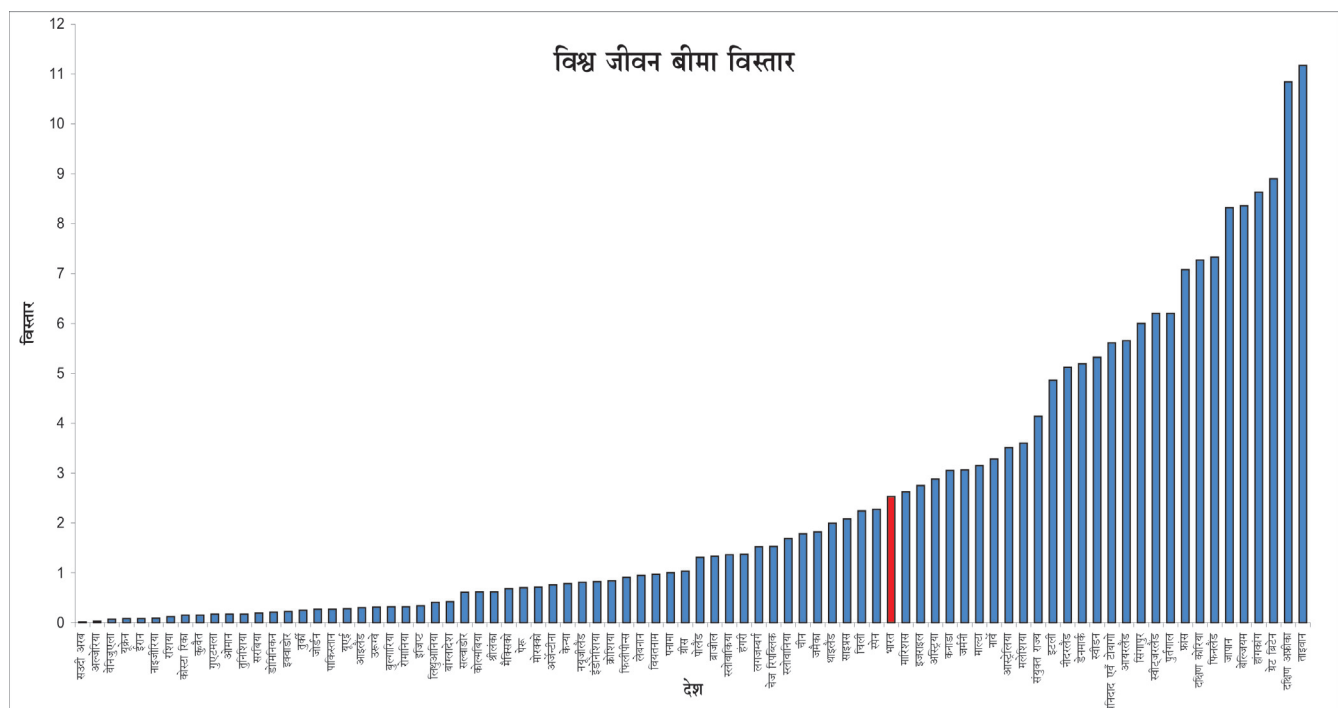
गत वर्ष बिना जीवन का व्यापार प्रिमियम दर में गिरावट के कारण यह दिखायी पड़ा जो व्यापारिक धारा के अनुसार था जैसा कि उड्डयन और नौकायन जो 2001 से 2004 के बीच में तेज बढ़त का अनुभव किया। भारत जैसे देशों में बीमा धन प्रौढ़ बीमा बाजार की तुलनाओं में अनुकूल बीमा पॉलिसी के तहत काफी तेजी से आगे बढ़ा। उच्च खतरा उठाने के रास्ते पर बड़े तूफानी धाटे के बाबजूद इस उद्योग में पूँजी बढ़ती गई। यह विकास बाजार में नये धन के आने के समर्थन पाया।

2006 के लिए सझान अनुकूल है। जीवन बीमा में बढ़ोतरी तेज हो सकती है, बिना जीवन बीमा अधिक सम्भावना के साथ निम्न बढ़त को दिखाते आ रहा है। कुछ अपवाद कुछ व्यापार की धाराये है जो बड़ी तूफानी हानियों से प्रभावित हुई है जहाँ पर प्रिमियम दर और प्रिमियम का आकार अधिक मात्रा में बढ़ने की आश है। जीवन बीमा के और बढ़ने से लाभ आकर्षक बना रहेगा। बिना जीवन का बीमा कम्पनियों से भी 2005 की रूप-रेखा को कायम रखने की आशा की जाती है।

भारतीय बीमा उद्योग

बड़ी आबादी और पहुँच के बिना बाजार के चलते भारत में बीमा एक बड़े अवकसर के रूप में हैं। 2004-2005 की 32.49 प्रतिशत विकास दर को पर कर 2005-06 में जीवन बीमा (प्रथम वर्ष के सन्दर्भ में पैमाइस के आधार पर आकलन के हिसाब से) 47.93 प्रतिशत बढ़ा। फिर भी बीमा की पहुँच देश में धीमा चलते आ रहा है। देश के जी0डी0पी0 के हिस्से के रूप में बीमा की पैठ अथवा प्रिमियम आकार 2005 जीवन बीमा के लिए 2.53 प्रतिशत रहा और 0.62 प्रतिशत बिना जीवन के बीमा वास्ते रहा। आमदनी बढ़ने के साथ पहुँच का स्तर उँचा जाता है। खास कर जीवन बीमा में। भारत अपने विशाल मध्य वर्ग परिवारों के कारण—ने बीमा उद्योग पर समर्थता को दिखाया है। विश्व स्तर पर बड़े बीमा कर्त्ताओं के लिये अनेक विकसित देशों में बाजार के पूर्णता की स्थिति में पहुँचने के कारण और अधिक आकर्षक हुआ हैं। बीमा बाजार ने बड़े परिवर्तनों को देखा है जिसमें जीवन और बिना जीवना दोनों में अनेक बीमा कर्त्ताओं की उपस्थिति शामिल है। अधिकांश निजी बीमा कम्पनियाँ संयुक्त उद्यम है जिसमें विश्व स्तर को जानी मानी विदेशी हस्तियाँ भी शामिल





है। उपभोक्ता जागरुकता बढ़ी है। प्रतियोगिता ने अधिक उत्पाद तथा अच्छी उपभोक्ता सेवा को लागा है। इसने अनुकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और रोजगार बढ़ाने में डाला है।

1) जीवन बीमा

जीवन बीमा उद्योग ने 105875.76 करोड़ रूपयों का प्रिमियम आय 2005-2006 में दर्ज किया पिछले वित्तीय वर्ष के 82854.80 करोड़ रुपया के मुकाबले में 27.78 प्रतिशत का बढ़त दर्ज करते हुए। पहले वर्ष का प्रिमियम, एक प्रिमियम और नवीन प्रिमियम का समर्पण प्रिमियम में क्रमानुसार अंशदान रुपया 21275.75 करोड़ (20.09 प्रतिशत), रुपया 17509.78 करोड़ (16.54 प्रतिशत) और रुपया 67090.21 करोड़ (63.37 प्रतिशत) है। 2000-2001 के वर्ष में जब उद्योग को निजी

व्यवसायियों के लिए खोला गया था उस समय जीवन बीमा प्रिमियम रु34898.48 करोड़ था जो 6996.95 करोड़ रुपया पहले वर्ष के प्रिमियम, 25191.07 करोड़ रुपया नवीन प्रिमियम और 2740.45 रोड़ रुपया एक प्रिमियम से मिलकर बना था। खुलने के बाद एक प्रिमियम 2001-2002 के 9194.07 करोड़ रुपया से गिरकर 2002-03 में 5674.14 करोड़ रुपया हो गया शत प्रतिशत रिटर्न पॉलिसी के कारण (कथन) 2003-04 में ये 5936.50 करोड़ रुपया के साथ कुछ उपर गया (4.62 प्रतिशत बढ़त) 2004-05 के वर्ष ने एक आवश्यक बदलाव देखा 2003-04 के वर्ष में जब एक प्रिमियम आय 74.11 प्रतिशत के बढ़त के साथ 10336.30 करोड़ रुपया पर पहुँच गया जो कि सम्पूर्ण प्रिमियम के उस वर्ष में नीचे लिखे जाने के 12.74 प्रतिशत था।

सारिणी 3

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया गया प्रिमियम

	(रु. लाख में)	
बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
	प्रथम वर्ष का प्रिमियम	
एलआईसी	1165823.94	1372803.17
	(-1.25)	(17.75)
निजी क्षेत्र	422309.25	754772.99
	(106.46)	(78.73)
कुल	1588133.19	2127576.16
	(14.65)	(33.97)
	एकल प्रिमियम	
एलआईसी	899482.42	1478784.14
	(62.32)	(64.40)
निजी क्षेत्र	134148.09	272193.91
	(239.46)	(102.91)
कुल	1033630.51	1750978.05
	(74.11)	(69.40)
	नवीनीकरण प्रिमियम	
एलआईसी	5447422.62	6227635.05
	(17.95)	(14.32)
निजी क्षेत्र	216293.48	481386.89
	(218.26)	(122.56)
कुल	5663716.10	6709021.94
	(20.85)	(18.46)
	कुल प्रिमियम	
एलआईसी	7512728.98	9079222.36
	(18.25)	(20.85)
निजी क्षेत्र	772750.82	1508353.79
	(147.65)	(95.19)
कुल	8285479.80	10587576.15
	(24.31)	(27.78)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े वृद्धि को (प्रतिशत में) प्रदर्शित करते हैं।

जीवन बीमा उद्योग में पहले वर्ष के प्रिमियम (जिसमें एक प्रिमियम भी शामिल है) को नीचे लिखा 2005-06 में 68785.54 रुपया में 2004-05 के 26217164 रुपया के मुकाबले और 2004-05 के 32.49 प्रतिशत के बढ़त से 47.94 प्रतिशत का बढ़त दर्ज किया। पहले वर्ष के प्रिमियम में बढ़त को दूसरे लगातार वर्ष में यूनीट से संबंधित उत्पादों के विक्रय से बढ़ावा मिला। पिछले वर्ष के अनुभव से उलट एल0 आई0 सी0 को पालिसी को नीचे लिखने की संख्या में 47.89 प्रतिशत का बढ़त मिला पिछले साल के 11 प्रतिशत के गिरावट के मुकाबले में। ये उलट प्रभाव यूनीट संबंधित व्यापार के शक्ति में बढ़त के वजह से दिखाई दिया। एल0 आई0 सी0 के द्वारा खुदरा व्यक्ति सिंगल प्रिमियम पालीसी और गैर-सिंगल प्रिमियम ने क्रमानुसार 35 और 31 प्रतिशत का बढ़त दर्ज किया। इसके मुकाबले में 14 निजी क्षेत्र के

बीमा करने वालों के द्वारा नये पालीसी को नीचे लिखने की संख्या 2004-05 के 34.62 प्रतिशत के मुकाबले 73.37 प्रतिशत से बढ़ा। निजी क्षेत्र बीमा कम्पनीयों के द्वारा नीचे लिखे गये सिंगल प्रिमियम व्यक्ति पालीसी 103 प्रतिशत से बढ़ा, वहीं गैर-एकल प्रिमियम व्यक्ति पालीसी 64 प्रतिशत से बढ़ा।

जीवन बीमा बाजार के आकार में वृद्धि अर्थव्यवस्था के बढ़त में शक्ति और प्रति व्यक्ति आय के समन्वय से हुआ है। एल0 आई0 सी0 (20.85 प्रतिशत) और नये बीमा कर्त्ताओं (95-19 प्रतिशत) के संपूर्ण प्रिमियम में 2005-06 में अच्छे बढ़त के कारण ऐसा हुआ। नये बीमा कर्त्ताओं की उँची बढ़त को 2004-05 में नीचे के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन नये बीमाकर्त्ताओं ने अपने बाजार में हिस्सेदारी को 2004-05 के 9.33 प्रतिशत से अच्छा कर 2005-06 में 14.25 प्रतिशत कर लिया है। (सारणी 4)

सारणी 4

जीवन बीमाकर्त्ताओं की बाजार भागीदारी

	(प्रतिशत)	
बीमाकर्त्ता	2004-05	2005-06
प्रथम वर्ष का प्रिमियम		
एलआईसी	73.41	64.52
निजी क्षेत्र	26.59	35.48
कुल	100.00	100.00
एकल प्रिमियम		
एलआईसी	87.02	84.45
निजी क्षेत्र	12.98	15.55
कुल	100.00	100.00
नवीनीकरण प्रिमियम		
एलआईसी	96.18	92.82
निजी क्षेत्र	3.82	7.18
कुल	100.00	100.00
कुल प्रिमियम		
एलआईसी	90.67	85.75
निजी क्षेत्र	9.33	14.25
कुल	100.00	100.00

2005-06 में नीचे किये गये पहले वर्ष के प्रिमियम का अलगाव दर्शाता है जीवन, भत्ता, पेंशन और स्वास्थ्य ने क्रमानुसार प्रिमियम को नीचे लिखने में 73.57; 4.30; 22.10 और 0.02 प्रतिशत का योगदान किया पिछले वर्ष के 77.27; 6.7; 15.55 और 0.47 प्रतिशत के मुकाबले में। लगातार दूसरे वर्ष भी पेशान उत्पादों के लिए झुकाव दिखाई दिया। नये पालीसी जिन्हें उद्योग के द्वारा बीमालेखन किया गया था वे थे 393.34 लाख 2004-05 के 262.11 लाख के मुकाबले में और पिछले वर्ष के 8.44 प्रतिशत के गिरावट के मुकाबले में 50.06 प्रतिशत का बढ़त दिखा। निजी बीमाकर्ताओं ने 73.37 प्रतिशत के बढ़त को दर्शाया (पिछले वर्ष के 34.62 प्रतिशत से दुगने से भी अधिक बढ़त), एल0 आई0 सी0 ने 2004-05 के 11.09 प्रतिशत के ऋणात्मक बढ़त से 47.89 प्रतिशत के बढ़त को दर्शाया। निजी बीमा कर्ताओं और एल0 आई0 सी0 के पालीसी बीमालेखन के संदर्भ में बाजार में हिस्सेदारी क्रमानुसार 9.84 प्रतिशत और 90.16 प्रतिशत 2004-05 के 8.21 प्रतिशत और 91.48 प्रतिशत के मुकाबले में। (सारणी 5)

सारणी 5

जारी की गयी नयी पालिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
निजी क्षेत्र	2233075 (34.62)	3871410 (73.37)
एलआईसी	23978123 (-11.09)	31590707 (35.75)
कुल	26211198	35462117

नोट: कोष्ठक में लिखे लये आंकड़े संबद्ध बीमाकर्ता का अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

नवीन प्रिमियम में वृद्धि बीमा कर्ता के व्यापार अपलेखन के गुण को जाँचने का एक अच्छा साधन है। यह आग्रह अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है तथा बीमा कर्ता के व्यापार के कुल खर्च में कमी करने में मदद करा है। जीवन बीमा उद्योग द्वारा नवीन प्रिमियम का अपलेखन 2005-2006 के दौरान 18.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 2004-2005 के दौरान 20.85 प्रतिशत थी। निजी बीमाकर्ता तथा एल0आई0सी0 ने क्रमशः

122.56 प्रतिशत तथा 14.32 प्रतिशत की वृद्धि 2005-06 के दौरान दर्ज की।

पहले वर्ष के प्रिमियम के बदलाव संबंधी उत्पाद के एकीकरण को दर्शाता है, जिसमें 2005-2006 के दौरान प्रिमियम का अपलेखन 16060.67 करोड़ रुपया का हुआ जबकि 2004-05 के दौरान 8247.74 करोड़ रुपया का हुआ था, जिससे 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर संबंधित प्रिमियम 2005-06 में 19804.33 करोड़ रुपया था जबकि 2004-05 में 17069.37 करोड़ रुपया था जो 16 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। संबंधित और गैर संबंधित व्यापार 44.78 तथा 55.22 प्रतिशत था 2005-06 के दौरान जबकि 2004-05 के दौरान 32.54 तथा 67.46 प्रतिशत क्रमशः 20 प्रतिशत 2003-04 के दौरान गैर संबंधित व्यापार पहले साल के प्रिमियम अपलेखन का 91.53 प्रतिशत था। स्टॉक बाजार में सकारात्मक उपलब्धियों को संबंधित उत्पाद दर्शाता है। एल0आई0सी0 भी 2005-06 के पहले साल के प्रिमियम का 29.76 प्रतिशत संबंधित उत्पाद को दर्शाता है। गैर संबंधित तथा संबंधित प्रिमियम का अपलेखन एल0आई0सी0 के द्वारा 2004-05 में 98.31 प्रतिशत तथा 21.69 प्रतिशत किया गया था जबकि 2003-04 के दौरान 97.71 प्रतिशत तथा 2.29 प्रतिशत किया गया था। निजी बीमाकर्ता की स्थिति में यह अनुपात 17.52 तथा 82.48 प्रतिशत था 2005-06 के दौरान जबकि 2004-05 के दौरान 28.72 तथा 71.28 प्रतिशत था। 2003-04 के दौरान गैर संबंधित तथा संबंधित पहले वर्ष का प्रिमियम 50.18 प्रतिशत तथा 49.82 प्रतिशत था। ग्राहक पीछले दो वर्ष से इकाई संबंधित उत्पाद उत्साह दिखा रहे हैं।

एल0आई0सी0 ने यूनिट संबंधित उत्पादों की शक्ति से प्रिमियम को बढ़ाने का इरादा किया जो बाकी बचे हुए उद्योग के सामान था और इसने साफ तौर से ग्राहक के चुनाव के मूल्यांकन को दर्शाया।

उत्पादों में नवीन प्रवर्तन :

बीमा उद्योग के बढ़त में उछाल उत्पाद में नवीन प्रवर्तन, बेचना और बॉटने वाला चैनल का उद्योग के द्वारा स्थान में रखना, टारगेट प्रचार मार्केटिंग के साथ के कारण हुआ। नवीन प्रवर्तन उत्पादों के फायदों के साथ ही नहीं बल्कि सौपने वाले

तकनीक जो वित्तिय सेवाओं और बाहर के राज प्रसाद के अंदर विभिन्न मार्केटिंग समझौतों के कारण हुआ है। इन सारे चीजों ने जीवन बीमा को ग्राहकों के अधिक अनुरूप बनाते हुए उनके और समीप ले गया। बीमा कम्पनियों तेजी से आधे-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदगी को बीमा कवर से सुरक्षा देने का संदेश दे रहीं हैं।

जीवन बीमा के क्षेत्र में यूनिट से सम्बद्ध बीमा योजना का लागू करना सम्भवतः एकल सबसे बड़ी खोज है। उत्पाद का ढाँचा अनेक चिन्ताओं को दूर करता है जिसको खरीदारों को बीते काल में भुगतना पड़ता था जैसे कि वित्तिय जिम्मेदारियों की पूर्ति, लचीलापन और पारदर्शिता। यूनिट अलग ढंग से बने हुए उत्पाद है और पालिसी धारकों को इच्छानुसार चुनाव का मौका देते हैं। यूनिट दिशा निर्देश के चलते सीधा और खुली पारदर्शिता नियोजित धसन की देख रेख और संबंधित खतरों के बिन्दुओं पर उपलब्ध है। फन्ड के अनुसार अलग-अलग धन सुरक्षा संसाधन और विभागीय प्रदत्तकीकरण को नियमित आधार पर खोला जाता है।

बढ़ी हुई प्रतियोगिता के चलते प्राप्त नतीजों में सब से महत्वपूर्ण नतीजा शुद्ध सुरक्षा योजना में कमी का होना है। 6 वर्षों से दर में नियमित नीचे की ओर खिसकना जारी है और ये दर महत्वपूर्ण ढंग से सेक्टर के शुरुआत के समय के दर से नीचे हैं। जीवन बीमा बाजार बहुत अधिक प्रतियोगी हुआ है और बीमा धारकों को फायदा पहुँचा रहा है। साथ-साथ उद्योग लगातार फल-फल रहा है और अपने बीमा दर्ज कराने और खतरा प्रबंधन में समर्थता प्राप्त कर रहा है। शर्त दरों में घटक बीमा योजनाओं में धन के नियोजन के स्तर से लोग आश्वस्त हुए हैं। सुरक्षा का शह उँचा स्तर भी यह गवाह है कि खरीददार खतरा निवारण के प्रति तथा खास कर धर और बच्चों के भविष्य पर इस बड़े खतरा सुरक्षा के प्रावधानों के तहत सतर्क है। फिर भी विकसित देशों तथा दूसरी उमड़ने वाली आर्थिक इकाइयों पर लगाये गये धन को देखते हुए बीमा कराये गये लोगों के साथ दूसरे पहुँच से बाहर के लोगों बीच यह बीमा का सुरक्षा कवच बढ़ाना है। जीवन बीमा कम्पनियों बड़े ढाँचे वाले सेवा निवृत्ति योजनाओं की आवश्यकताओं को भी तेजी से पहचान रही हैं और अपनी समर्थता को इस अंश को बनाने वास्ते पूँजी प्रबंधन लगा रही हैं। देश में पेंशन सब से बड़ी आवश्यकता और विकास अवसर के रूप में पहचाना जा रहा है और जीवन बीमाकर्ताओं के लिए एक

विशिष्ट विभाग है। हाल के समय में निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने विशेष ज्ञान को लम्बी अवधि के मृत्यु बीमा, दुर्घटना निवारण और सालाना पेच धन योजनाओं पर लगाया है। इस वर्ष ने खास कर कैंसर के लिए भारत के बीमा योजना की शुरुआत को देखा है तथा इसके साथ बहुत ही थोड़े समय से विश्व स्तर पर स्वीकृत मधुमेह देख-रेख को भी जो 8 में से एक भारतीय पर असर डाले हुए है इस उत्पाद की विशेष विवरण टिप्पणी करने योग्य है जिस का कारण अद्वितीय बचाव वाले खतरा यप्रबंधन की पहुँच के साथ आर्थिक एकीकरण की ओर पहुँच है। समूह बीमा व्यापार में उदारीकरण के बाद काविकास भी प्रभावशाली रहा। व्यावसायिक फन्ड प्रबंधन के प्रभाव से सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी व्यापार ने धन बढ़ाने वाली सेवाओं के साथ विकास को प्राप्त हुआ है। विकास ओर नयी योजनाओं के सम्भावनाओं के जोड़ने से, जीवन बीमा क्षेत्र को बढ़ने का बृहत क्षेत्र है और इस उद्योग से आशा की जाती है कि गत दो वर्षों में प्राप्त नई बीमा के लक्ष्य को कायतम रखेगा। फिर भी बीमा धारकों को यूनिट को चुनने के पहले आगाह करना है कि वे इससे सम्बद्ध खतरों को देखते हुए अर्थनियोजन पर सतर्क रहें।

जीवन बीमाकर्ताओं का खर्च

जीवन बीमा का अनुच्छेद 40 बी बतलाता है कि भारत में किये गये जीवन बीमा व्यापार में से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च प्रबंधन पर कोई बीमाकर्ता नहीं कर सकता है। प्रबंधन के खर्च में सभी तरह का कमीशन का भुगतान निर्धारित लिखित खर्च शामिल है। इसके आगे बीमा कानून निर्धारित सीमा के हिसाब किताब का तरीका बताते हैं। जीवन बीमा का एक बड़ा भाग कमीशन होता है। व्यापार के 22.52 प्रतिशत के समभागित हिस्से के विपरीत (2004-05 में 24.06 प्रतिशत) एल0आई0सी0 ने 25.26 प्रतिशत का खर्च (2004-05 में 26.37 प्रतिशत) प्रथम साल के बीमा पर उठाया, गैर सरकारी बीमाकर्ताओं के मामले में यह 17.54 प्रतिशत पर आया (17.69 प्रतिशत 2004-05 में)। एकल बीमा पर एल0आई0सी0 द्वारा दिया गया कमीशन गैर सरकारी बीमा के 1.07 प्रतिशत के परिपेक्ष में 1.10 प्रतिशत था।

कमीशन में 1.54 प्रतिशत की कमी थी। निजी बीमाकर्ता के कमीशन में कुछ वृद्धि हुई थी, जबकि एल0आई0सी0 के कमीशन

चुकाने में 1.11 प्रतिशत कमी हुई थी। नवीन प्रिमियम पर औसत बीमाकर्ता द्वारा एल0आईसी0 के 5.57 प्रतिशत की अपेक्षा 3.96 प्रतिशत औसतन थी। जीवन बीमा उद्योग द्वारा, 2004-05 में 7104.46 करोड़ रुपया की अपेक्षा 2005-06 में 8643.29 करोड़ रुपया कमीशन खाते में जमा की गई।

सारिणी 6

जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन खर्च

(रु. लाख में)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
प्रथम वर्ष		
एलआईसी	307456.78	346825.35
निजी क्षेत्र	74722.57	132356.84
कुल	382179.35	479182.19
एकल प्रिमियम		
एलआईसी	8304.22	16208.52
निजी क्षेत्र	1314.42	2903.38
कुल	9618.64	19111.90
नवीनीकरण		
एलआईसी	309212.67	346985.22
निजी क्षेत्र	9435.64	19050.49
कुल	318648.31	366035.71
कुल कमीशन		
एलआईसी	624973.67	710019.09
निजी क्षेत्र	85472.63	154310.71
कुल	710446.30	864329.80

टिप्पणी: लिंक / गैर लिंक व्यवसाय के कारण एलआईसी ने प्रथम वर्ष 2004 - 05 की आंकड़ों में परिवर्तन किया

संबंधित/गैर संबंधित व्यापार के कारण किया गया है। निजी बीमाकर्ता के प्रबंधन खर्च में 2005-06 के दौरान मिला-जुला प्रभाव देखा गया जबकि कुछ बीमाकर्ता ने सीमा को पार कर दिया है। चौदह निजी बीमाकर्ता में से नौ बीमाकर्ता निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। मेट लाइफ के स्थिति में पिछले

साल के 207.45 प्रतिशत की अपेक्षा इस साल 143.95 प्रतिशत घटा है। एल0आईसी0 वैश्य ने अपने खर्च को पिछले साल 66.36 प्रतिशत तक रोक कर रखा जबकि 2005-06 के दौरान थोड़ा बढ़कर 104.44 प्रतिशत हो गया। रिलायंस लाइफ की स्थिति में पिछले साल अर्थात् 2004-05 के 297 प्रतिशत की अपेक्षा इस साल घट कर 168 प्रतिशत हो गया है। सहारा जीवन के लिए यह दूसरे साल का कार्य था जबकि श्रीराम जीवन के अपना कार्य 2005-06 में शुरू किया था, दोनों बीमाकर्ताओं ने अपना प्रबंध खर्चा के सीमा को पार कर दिया है।

एल0आईसी0 का प्रबंध खर्चा अपने सीमा के अन्दर है। विवरण के अन्य साधन जैसे बैंकाएश्योरेंस, प्रत्यक्ष बाजार, इंटरसेट तथा टेलीमार्केटिंग इत्यादि ने खर्च को कम कराया है तथा बीमाकर्ता ने ज्यादा ग्राहक को बनाया है जबकि बीमाकम्पनी तथा बीमाकर्ता के लिए नए साधन को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है।

ज्यादातर कम्पनियों ने बैंकाएश्योरेंस के पक्ष को सुलता पूर्वक अपना लिया है जो वाणिज्यिक और सहकारी बैंक के द्वारा हो रहा है। यह सत्य है कि मार्केटिंग के खर्च में कमी से बीमा करने में खर्च कम होता है जिससे कम आय वाले व्यक्ति भी बीमा करवा सकते हैं, कार्य का खर्चा, सकल प्रिमियम अपलेखन के प्रतिशत के रूप में निजी बीमाकर्ता ने 23.72 प्रतिशत रखा है (2004-05 में 28.85 प्रतिशत था।)

सारणी -7

जीवन बीमा का कार्य खर्चा

(रु0 लाख)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
एल0 आई सी0	624126.11	604155.42
निजी क्षेत्र	222946.80	356813.97
कुल	847072.91	960969.39

निजी बीमाकर्ता का ज्यादातर खर्चा, कर्मचारी खर्चा 37.45 प्रतिशत (2004-05 में 34.79 प्रतिशत), 6 प्रतिशत प्रशिक्षण खर्च (एजेंट का प्रशिक्षण तथा सेमिनार के साथ) (2004-05 में 6.96 प्रतिशत), विज्ञापन तथा प्रकाशन 10.51 प्रतिशत (2004-05 में 11.31 प्रतिशत) तथा ह्रास खर्चा 5.13 प्रतिशत

(2004-05 में 6.15) था। एल0आई0सी0 ने कार्य खर्चा को सकल प्रिमियम अपलेखन का 6.65 प्रतिशत तक किया है जबकि 2004-05 में 8.31 प्रतिशत था कर्मचारी का मेहनताना तथा कुशलता लाभ एल0आई0सी0 ने 2005-06 के दौरान कार्य खर्च का 59.57 प्रतिशत दिया है जबकि यह 2004-05 में 72.33 प्रतिशत था।

एल0आई0सी0 की अपेक्षा निजी क्षेत्र के बीमा कर्ता का प्रबंधनीय संरचना क्षीण है। इसलिए प्रतियोगितात्मक वेतन संरचना के बावजूद उनका कर्मचारी खर्च कुल कार्य खर्च का 35 प्रतिशत ही है।

सारिणी 8

भुगतान जमा पूंजी: जीवन बीमाकर्ता

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
एलआईसी	5.00	5.00
निजी क्षेत्र	4347.81	5885.95
कुल	4352.81	5890.95

चुकाये गये लाभ

जीवन बीमा ने कुल सकल लाभ के रूप में 35264.40 करोड़ रुपया 2005-06 में चुकाया (2004-05 में 28700.57 करोड़ रुपया) जो सकल प्रिमियम बीमा करने का 33 प्रतिशत है (2004-05 में 34.64 प्रतिशत) प्राइवेट बीमाकर्ता ने लाभ चुकाने में 434 प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें 1307.61 करोड़ रुपया चुकाया है (2004-05 में 244.85 करोड़), यह उनके प्रिमियम बीमा करने का 9 प्रतिशत है (2004-05 में 2.96 प्रतिशत) एल0आई0सी0 ने 2005-06 में 33956.79 करोड़ रुपया का लाभ चुकाया है जो प्रिमियम बीमा करने का 37 प्रतिशत है (2004-05 में 28440.45 करोड़ रुपया), जो कुल बीमा प्रिमियम बीमा करने का 37 प्रतिशत है। दिया है कि जीवन बीमा अपने व्यापार के किसी खास उत्पाद को पुनर्बीमित नहीं करता है, पुनर्बीमा पर लाभ का चूकता रकम 35317.98 करोड़ रुपया था (2004-05 में 28668.97 करोड़ रुपया) यह कहा जा सकता है कि समूह बीमा कर ज्यादातर भाग पुनर्बीमित था। इसके अलावा जीवन उद्योग का नये व्यापार का ज्यादातर भाग यूनिट लिंकड है, विनिमय खतरा पालिसी धारक के द्वारा उठाया जाता है।

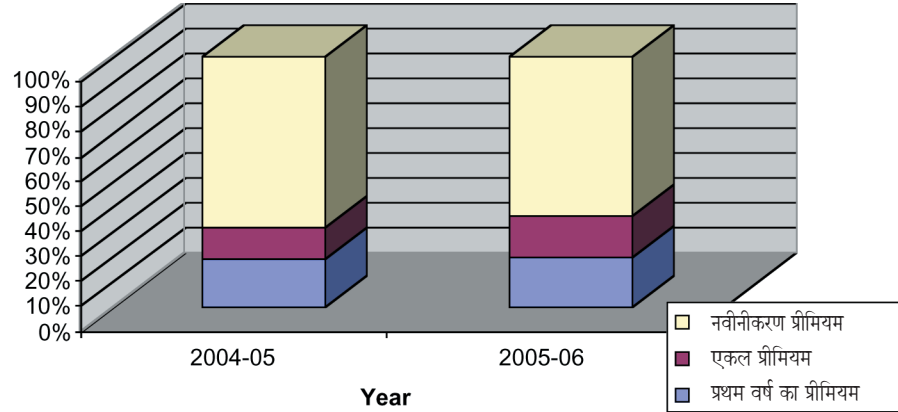
धारण शक्ति अनुपात

एल0आई0सी0 अपने व्यापार का छोटा भाग ही पुनर्बीमित करता है, और वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 34.54 करोड़ रुपया का प्रिमियम पुनर्बीमित किया है (2004-05 में 34.64 प्रतिशत) उसी प्रकार निजी बीमाकर्ता की स्थिति में, उनके व्यापार का केवल छोटा सा भाग ही पुनर्बीमित किया गया था, समूह व्यापार के साथ ज्यादातर विभाग का निर्माण हुआ। निजी बीमा कर्ता 101.71 करोड़ रुपया (2004-05 में 64.79 करोड़ रुपया) ही पुनर्बीमा के प्रिमियम के रूप में उगाह पाये। यह जानकर आश्चर्यजनक लगता है कि 'यूनिट लिंकड' बीमा उत्पाद में जोखिम पालिसीधारक के द्वारा उठाया जा रहा है तथा 2005-06 के दौरान एक विशिष्ट भाग नये व्यापार से संबंधित 'यूनिट लिंकड' उत्पाद का ही है। जबकि यूनिट लिंकड से संबंधित मार्ग दर्शन जसे 1 जुलाई 2006 से लागू है कहता है कि यूनिट लिंकड उत्पाद का प्रिमियम कम होना चाहिए पुनर्बीमा के नियमों में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। (कथन-4)

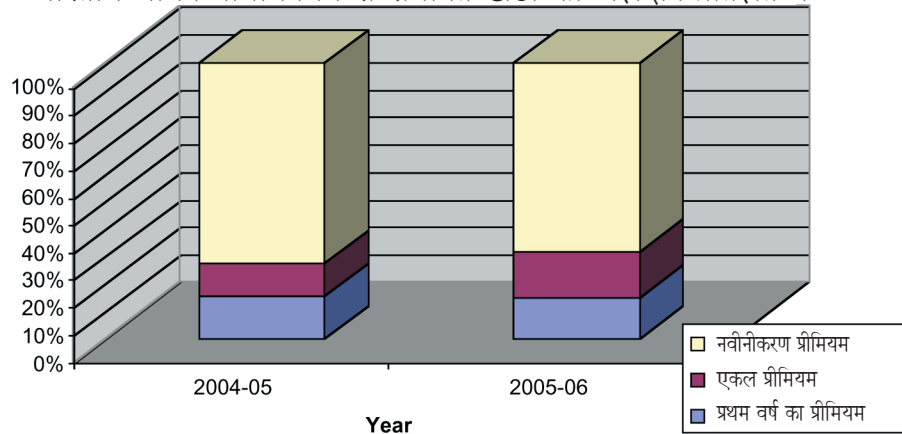
धन विनियोग से आय

जब जीवन बीमा का कार्य का कार्य स्थिरता प्राप्त करता है तब उनका धन लगाने का आधार मजबूत होता है जिसका परिणाम उनका धन विनियोग का लाभ उनको पूरी आमदनी का विशेष भाग होता है। 2005-06 में एल0आई0सी0 द्वारा किये गये बीमा पर अकस्मात उछाल आने के कारण, धन विनियोग का लाभ अंश (वित्त उपलब्धियों को लेकर) 2004-05 के 32.31 के विपरीत 30 प्रतिशत नीचे खिसका। चूंकि इसके विपरीत धन विनियोग का लाभ नये बीमाकर्ताओं के वास्ते 2005-06 में 15.2 प्रतिशत था जो कि पूर्व वर्ष के 6.05 प्रतिशत तुलना में है। पिछले तीन वर्षों में एल0आई0सी0 के मामले में धन विनियोग का लाभ योग लाभ की ओर 30 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रहा। निजी बीमाकर्ताओं के मामले में यह अनुपात 2004-05 के साल तक लगातार नीचे खिसकता आ रहा है। फिर भी 2005-06 में एक मोड़ आया जिस में धन विनियोग का लाभ दुगुना होते हुए 15.25 प्रतिशत पर गया। (स्थिति में कुछ अकस्मात परिवर्तन भी हुआ जहाँ पर कुछ थोड़ी -सी सी कम्पनियों धन विनियोग विभाग में प्राप्ति के मामले में नीचे गई) इसका श्रेय केवल इसी तथ्य को नहीं

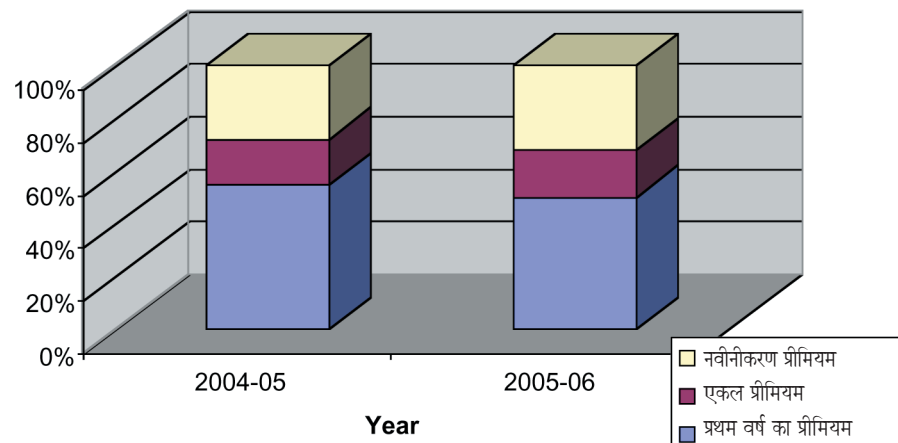
जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित खंडों का अंशदान प्रतिशत में



भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित खंडों का अंशदान प्रतिशत में



निजी जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित खंडों का अंशदान प्रतिशत में



दिया जा सकता है कि विनियोग योग्य राशि धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसका श्रेय इस को भी जाता है कि बीमा कम्पनियाँ पूँजी बाजार में उपर उठने की परिपाटी के फसल को काटने में योग्य बनी। कम्पनियों ने अपने धन विनियोग विभाग में फायदे का सुधार दर्ज कराया है। एल0आईसी0 जो अपने महकमें में लम्बी कालावधि का शेयर रखता है। उसने फायदे में 8.72 प्रतिशत पर नीचे खिसका पहले साल के 9.93 के परिपेक्ष में। निजी बीमाकर्ताओं धन विनियोग आमदनी कैपिटल उपलब्धि को लेकर 2004-05 के 498.82 के परिपेक्ष में 2782 करोड़ था; एल0आईसी का धन विनियोग फायदा 2004-05 के 363261.41 करोड़ के परिपेक्ष में 2005-06 में 40056.35 करोड़ था।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

जीवन बीमा उद्योग पूँजी पर बढ़ने वाला होता है और बीमाकर्ताओं को जरूरी है कि कुछ अन्तराल पर धन प्रिमियम कीमतों में बढ़त प्राप्ति वास्ते लगाते रहें। कमीशन रि उँची दर को लेकर काम करने के साधनों की स्थापना में खर्च, एजेन्सी में काम करने वाले समूह को आगे बढ़ाने में किया प्रशिक्षण लागत इसके उत्पादों के लिए बन्धनों को खोलना, तर्कपूर्ण स्तर तक दबावों को झेलने का स्तर पालिसियों पर वित्तीय जुगाड़ बैठाना, धन वापसी के स्तर को कायम रखना, ये चीजें बीमा कर्ताओं को आरम्भ के 5 से 7 वर्षों तक के कारोबार पर फायदा प्राप्त करने पर कठिनाई पैदा करता है। एस0बी.आई0 लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहली प्राइवेट सेक्टर कम्पनी है जो 2005-06 में 2.03 करोड़ के शुद्ध लाभ का चक्र पूरा किया। बान का सुरेन्स कम्पनी का मुख्य वितरक माध्यम बना रहा और बीमा कर्ताओं द्वारा जारी किये प्रिमियम के 43 प्रतिशत का योगदान किया। अपनी छोटी कार्यालयगत पूँजी के बाबजूद भी कम्पनी कार्य बाधाओं को पहले तोड़कर आगे बढ़ी है। फिर भी बीमाकर्ता अभी भी रेवेन्यू खाते में धाटा दिखाते आ रहे हैं। श्री राम लाइफ जिसने फरवरी 2006 में काम शुरू किया— उसने भी शेयर धारकों की पूँजी के लागत पूँजी से 2.56 करोड़ का फायदा लिया और अभी भी अनेक पूँजी और रेवेन्यू खर्च पर लगाते हुए जा रहा है। सभी प्राइवेट बीमा कम्पनियों ने अपने 2005-06 के रेवेन्यू खातों में धाटे का रिपोर्ट दिया जिसको मजबूत करने के लिए

शेयर धारकों द्वारा पूँजी की सूर्य लगाने की आवश्यकता पड़ी। सहारा और श्री राम को छोड़ सभी प्राइवेट बीमा कर्ताओं ने वर्ष के दौरान पूँजी को आमंत्रण दिया। मेट लाइफ शेयर को सुपूर्द करने की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा नहीं कर सका। 31 मार्च 2005 के परिपेक्ष में 2590.32 करोड़ की जगह प्राइवेट बीमा कर्ताओं द्वारा उठाया गया 31 मार्च 2006 को 3790.81 करोड़ पर था अर्थात् पहले साल के परिपेक्ष में 46.34 प्रतिशत का धाटा बढ़त था। शेयरो द्वारा दिये गये लगातार आर्थिक इन्जेक्सनों के चलते वृद्धि कर्ताओं की वचन बढ़ता बीमा कर्ताओं के किया कलाप को स्थिर करने में दंखी गई। 2005-06 के दौरान रेवेन्यू खाते में धाटे के रिपोर्ट के बाबजूद बीमा कर्ताओं ने लाभांश की धोषणा जारी रखा। यह याद दिलाया जाता है कि 2003-04 के दौरान नये बीमा कर्ताओं द्वारा उनके प्रतियोगी स्वरूप को बाजार में कायम रखने के लिए बोनस धोषणा की आवश्यकता को महसूस करते हुए सम्बद्ध अधिकारी ने बोनस के धोषणों की अनुमति बीमा खतरा स्तर के पूँजी के अभाव में भी दिया जो कि सम्बद्ध अधिकारी द्वारा लागू किये गये मापदंडों के पूरा करने के आधार पर था। 2004-05 के परिपेक्ष में 15884.26 करोड़ की जगह पर काम कराकर एल0आईसी0 12,733 करोड़ पर सीमा को पार किया जिसमें 621.77 करोड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया (2004-05 में 696.60 करोड़) जो कि 1956 के एल0आईसी0 अधिनियम के अनुच्छेद 28 से ताल-मेल पर था।

गैर जीवन बीमा

2004-05 के 17480.59 करोड़ के परिपेक्ष में भारत में 2005-06 में गैर जीवन जीवन बीमा उद्योग ने 20359 करोड़ का प्रिमियम लाभ का रिपोर्ट दिया जो 16.46 प्रतिशत बढ़त दिखाता था। 2004-05 के 13972.96 करोड़ के परिपेक्ष वर्ष के दौरान गैर जीवन पर चार सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 14997.06 करोड़ का बीमा दर्ज किया अर्थात् 7.33 प्रतिशत की बढ़त (4.77 प्रतिशत 2004-05 में) हुई आठ प्राइवेट क्षेत्र के बीमा कर्ताओं ने 2004-05 के 3507.62 करोड़ के परिपेक्ष में 5361.53 करोड़ का बीमा दर्ज किया जो 52.85 करोड़ का बढ़त दिखाता था (2004-05 में 55.35 करोड़) गत पाँच वर्षों के दौरान प्राइवेट बीमा कर्ताओं का बाजार हिस्सा 26.34

प्रतिशत तक बढ़ा है (2004-05 में 20.07 प्रतिशत) 2004-05 में गैर बीमा उद्योग ने 12.09 प्रतिशत का बढ़त दर्ज किया है (सारिणी-9)

सारिणी 9

गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित प्रीमियम : क्षेत्र के आधार पर

विभाग	2004-05	2005-06
अग्नि	3331 (19.05)	3774 (18.54)
समुद्री	1228 (7.03)	1284 (6.31)
विविध	12922 (73.92)	15301 (75.16)
कुल प्रीमियम	17481	20359

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबद्ध विभाग का अनुपात (प्रतिशत) में दर्शाते हैं।

इस उद्योग ने 2005-06 के दरम्यान 2878 करोड़ अतिरिक्त प्रीमियम के शर्तों के अनुसार जिसमें निजी बीमाकर्ताओं का योगदान 1853.91 करोड़ का था और बचा हुआ 1024.10 जो सरकारी बीमाकर्ताओं के योगदान से हुआ। इस व्यापार के बढ़त में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ओरियन्टल एन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईसीआई लंबार्ड जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, बजाज आलियान्ज जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड और इफको टोकियो साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड का योगदान है। इसके विपरीत 276 करोड़ रुपये की गिरावट नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी द्वारा बीमा दर्ज करने में हुई।

निजी क्षेत्र में आईसीआई लंबार्ड और बजाज ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा का रिपोर्ट दिया। आईसीआई लंबार्ड निजी बीमाकर्ताओं में 7.77 प्रतिशत बाजार हिस्सा के साथ और 81.13 बढ़त के साथ आगे रहा बजाज अलायन्ज का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक बढ़कर 1272.29 करोड़ पर प्रतिशत बाजार हिस्सा के साथ रहा। इफको टोकियो से 80 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार का प्रतिशत 4.38 रहा। एचडीएफसी0यब और रिलायंस का बाजार शेयर 1 प्रतिशत से नीचे चलता रहा जो क्रमशः 0.98 प्रतिशत और 0.80 प्रतिशत रहा जिसमें पिछला केवल 0.40

प्रतिशत से बढ़ा। सरकारी क्षेत्र के आम बीमा कम्पनियों का बाजार शेयर 73.66 प्रतिशत नीचे खिसका है। न्यू इंडिया का बाजार हिस्सेदारी 23.54 प्रतिशत (24.09 प्रतिशत 2004-05 में) है जबकि ओरिएन्टल इश्योरेन्स तथा नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी 17.32 प्रतिशत, 17.26 प्रतिशत 2004-04 में , तथा 17.31 प्रतिशत (21.74 प्रतिशत 2004-05 में) क्रमशः है। यूनाइटेड इण्डिया के पास बाजार हिस्सेदारी 15.50 प्रतिशत (2004-05 में 16.84) है। नेशनल और यूनाइटेड इण्डिया ने अपने प्रीमियम अपलेखन में क्रमशः 4.43 तथा 1.34 प्रतिशत की कमी दिखलायी । यूनाइटेड इण्डिया का बाजार हिस्सेदारी लगातार दूसरे साल गिरता हुआ दिखा।

इस उद्योग के पूरे परीक्षण पर ध्यान देने से मालूम चलता है कि प्रीमियम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मोटर तथा स्वास्थ्य में हुआ है जो क्रमशः 1204.29 करोड़ रुपया तथा 525.37 करोड़ रुपया है जो क्रमशः 16.06 प्रतिशत तथा 30.33 प्रतिशत कि बढ़ोतरी को दर्शाता है। बीमाकर्ताओं के व्यापार के अपलेखन का 42.61 तथा 11.05 प्रतिशत इन दोनों भागों से पूरा हुआ है। अग्नि तथा अन्य ने प्रीमियम अपलेखन का 18.38 तथा 9.97 प्रतिशत लेखित है। समुद्र, यात्रिकी तथा उड्डयन ने 6.35 प्रतिशत, 4.80 प्रतिशत तथा 1.96 प्रतिशत लेखित किया है। दायित्व और व्यक्तिगत दुर्घटना ने भारत में पूरे गैर जीवन उद्योग के प्रीमियम अपलेखन का 2.01 तथा 2.87 प्रतिशत लेखित किया है। निजी क्षेत्र ने व्यापार के भागों में पकड़ बढ़ाकर जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अपलेखित किया जाता था तथा नये व्यापार क्षेत्र खोलकर उद्योग के विभिन्न भागों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। प्रीमियम के कुल वृद्धि का, 2005-06 के दौरान, 64.41 प्रतिशत पर निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता द्वारा पकड़ बना ली है जबकि उनका बाजार हिस्सेदारी 26.34 प्रतिशत है। पालिसी के संख्या के निर्गमन के हिसाब से उद्योग ने 2005-06 के दौरान 6.25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा पालिसी अपलेखन की संख्या में 2005-06 के दौरान 73.90 प्रतिशत वृद्धि हुई है (2004-05 में 56 प्रतिशत था) सार्वजनिक क्षेत्र में पिछले साल के 16.15 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 1.54 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। (पुनः सेशोधित आँकड़ों के आधार पर) (सारिणी-10)

सारणी 10

नयी पॉलिसियाँ गैर जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
सार्वजनिक क्षेत्र	44634047 (16.15)	43945284 (-1.54)
निजी क्षेत्र	5144755 (55.96)	8946916 (73.90)
कुल	49778802	52892200

1. कोष्ठक में अंकित संख्या संबंधित बीमाकर्ता के दर(प्रतिशत में) दर्शाता है।
2. 2003-04 के लिए संख्या चालू वर्ष में सुधारा गया है।
3. 2004-05 के लिए संख्या इस वर्ष में सुधारा गया है।

प्रिमियम का अपलेखन भारत के बाहर

सार्वजनिक क्षेत्र के वैसे गैर जीवन बीमाकर्ता जिन्होंने भारत के बाहर कार्य किया है 1032.71 करोड़ रुपया का प्रिमियम अपलेखन किया है (2004-05 में 975.86 करोड़) बाहर किया गया कार्य, जो गैर जीवन बीमा उद्योग के द्वारा किया गया है, सकल प्रिमियम अपलेखन का 4.83 प्रतिशत (2004-05 में 5.28 प्रतिशत) है। (सारिणी-11)

सारिणी-11

कुल प्रिमियम के साथ भारत के बाहर के प्रिमियम का अनुपात

(प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
नेशनल	0.28	0.36
न्यू इंडिया	17.49	16.36
ओरिएंटल	2.35	2.29
यूनाइटेड	0.00	0.00

न्यू इंडिया ने 27 देशों में शाखाओं, एजेंसियों, सहायक कम्पनियों तथा सब्सिडियों के नेटवर्क के द्वारा कार्य किया है। 16.36 प्रतिशत (2004-05 में 17.49 प्रतिशत) प्रिमियम बाहर से अपलिखित किया गया है। नेशनल इन्स्यूरेंस और ओरियेन्टल इश्योरेंस ने अपने पूरे व्यापार

का बहुत छोटा हिस्सा 0.36 प्रतिशत (0.28 प्रतिशत 2004-05 में) तथा 2.29 प्रतिशत (2004-05 में 2.35 प्रतिशत) कमशः बाहर से अपलिखित किया है। नेशनल बीमा कम्पनी ने 2005-06 के दौरान 12.67 करोड़ रुपया का प्रिमियम अपलेखन किया है (2004-05 में 10.75 करोड़ रुपया, 17.97 प्रतिशत की वृद्धि)। न्यू इंडिया ने भी प्रिमियम अपलेखन में वृद्धि कर 937.38 करोड़ रुपया कर लिए है (पिछले वित्तीय साल में 892.35 करोड़ रुपया था, 5.05 प्रतिशत वृद्धि)। ओरिएन्टल इश्योरेंस ने 82.66 करोड़ रुपया का प्रिमियम का अपलेखन किया है (2004-05 में 72.77 करोड़ रुपया था जो 13.59 प्रतिशत की वृद्धि है)। युनाइटेड इंडिया ने 2003-04 से विदेशी कार्य में वृद्धि कर लिया है। (सारिणी-12)

सारिणी 12

सकल प्रत्यक्ष प्रिमियम भारत के बाहर के व्यापार से : गैर जीवन बीमाकर्ता

(रु० लाख)

बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
नेशनल	1074 (21.09)	1267 (17.99)
न्यू इंडिया	89235	93738
ओरिएन्टल	(1.89)	(5.05)
यूनाइटेड	7277	8266
नेशनल	(7.60)	(13.59)
न्यू इंडिया	-	-
कुल	97586	103271

नोट: कोष्ठक में अंक अनुपात को दर्शाता है (पिछले वर्ष के प्रतिशत में वृद्धि)

बीमाकर्ता की धारण: शक्ति जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। जुगल धारण क्षमता अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता द्वारा, 73.56 प्रतिशत से घटकर 74.37 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक बीमाकर्ताओं में दो का

धारण क्षमता उच्च है— न्यू इंडिया, 76.52 प्रतिशत(2004-05 में 76.33 प्रतिशत), तथा नेशनल 75.87(74.32)/ओरिएन्टल 69.27(71.72) तथा युनाइटेड इंडिया 70.55(73.79) दोनों ने पूरे धारण क्षमता अनुपात में कमी दिखलायी है, पूरे भाग में धारण क्षमता अनुपात में विभिन्नता देखी गई है। जबकि अग्नि की स्थिति में धारण क्षमता अनुपात 75.28 तथा 59.04 प्रतिशत के बीच है, समुद्र तथा अन्य भागों में यह अनुपात क्रमशः 58.68 से 47.05 तथा 79.27 से 94.13 प्रतिशत के बीच है। निजी बीमा कर्ता का धारण क्षमता अनुपात पोर्टफोलियों के बनावट पर निर्भर करता है। जबकि एचडीएफसी चब ने 71.90 प्रतिशत रखा है (पिछले साल 76.44 प्रतिशत पोर्टफोलियों का जबरदस्त बनावट की वजह से)। रोयाल सुन्दरम, चोलामण्डलम, इफको टोकियो तथा टाटा एआईजी ने अपने पोर्टफोलियो का 64.73(60.97), 44.76(52.86), 53.58(47.27) तथा 58.80(57.95) प्रतिशत रखा है। बजाज अलायंस का धारण क्षमता अनुपात भी 54.92(56.28 प्रतिशत में) उंचा था। यद्यपि आईसीआईआईसीआई लॉम्बार्ड तथा रिलायन्स ने भी

अपना धारण क्षमता अनुपात पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्च रखा है उद्योग के औसत की तुलना में उनके पास सबसे कम धारण क्षमता अनुपात था जो 46.36 (36.72) तथा 34.22(23.40) प्रतिशत क्रमशः था। परम्परागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने अपने पोर्टफोलियों के बनावट में आश्चर्यजनक, धारण क्षमता रखा है, जबकि धारण क्षमता उस भाग के द्वारा चलाया जाता है जो प्रिमियम का अपलेखन करता है।

गैर-जीवन बीमा का खर्च

बीमा कानून 1938 का धारा 40सी सामान्य बीमा व्यापार के प्रबंधन खर्चों के सीमा का बताता है। 2005-06 के दौरान चार निजी बीमा कम्पनियों सीमा के अन्दर थी, टाटा एआईजी, चोलामण्डलम तथा रोयाल सुन्दरम ने सीमा से 2 से 8 प्रतिशत ज्यादा दर्शाया था। एचडीएफसी चब ने 20 प्रतिशत सीमा को पार कर दिया है। 2004-05 में 6 निजी बीमाकर्ता बताएँ सीमा के अन्दर था जबकि दो, चोलामण्डलम और एचडीएफसी चब, 4 से 13 प्रतिशत से बाहर था।

सारणी 13 कमीशन खर्च

विभाग	निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
अग्नि	2456.06	4812.21	17710.51	21558.23
समुद्री	1621.99	2277.98	6992.26	7829.71
विविध	18741.65	32338.1	98616.77	113753.7
कुल	22819.7	39428.29	123319.54	143141.6

2005-06 के दौरान पब्लिक क्षेत्र बीमा कर्ता ने खर्च अनुमति सीमा से ज्यादा रखना जारी रखा। युनाइटेड इंडिया के अलावा अन्य तीनों पब्लिक क्षेत्र के बीमा कर्ता के वास्तविक खर्चा अनुमत सीमा से 115 प्रतिशत ज्यादा था। युनाइटेड इंडिया के स्थिति में यह खर्च 157 प्रतिशत ज्यादा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता के लिए कर्मचारी खर्च, कार्यकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बना है। ये खर्च अभी कुल कार्यकारी खर्च का 79.27 प्रतिशत है (2004-05 में 78.57 प्रतिशत) तथा सकल प्रिमियम अपलेखन का 19.93 प्रतिशत (19.13,

2004-05 में)। जबकि ओरिएन्टल तथा नेशनल ने कुल कार्यकारी खर्च में कर्मचारीयों के खर्च में कमी दर्ज की है जो 78.56 (82.09, 2004-05 में) तथा 73.71 (74.21) प्रतिशत है, जबकि न्यू इंडिया तथा युनाइटेड इंडिया ने कहे गये अनुपात में वृद्धि दर्ज की है जो क्रमशः 79.65 प्रतिशत (77.98 प्रतिशत 2004.05) में तथा 84.39 प्रतिशत (80.78 प्रतिशत) है। युनाइटेड इंडिया की स्थिति में, खर्च में कमी न केवल कर्मचारीयों के खर्च में बढ़ोतरी के कारण है बल्कि

प्रिमियम के अपलेखन में भी कमी 2005-06 के दौरान , कारण है। (सारणी 14)

आठ निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता में से 6 पाँच/छः साल से कार्य कर रहे थे तथा अपने कार्यों को स्थापित कर चुके हैं। सकल प्रिमियम पर कमिशन 2005-06 में 10.22 प्रतिशत दिया गया, जबकि 2004-05 में 11.04 प्रतिशत था। उनका कुल प्रबंधन खर्च 30.11 प्रतिशत है (2004-05 में 27.68 प्रतिशत) था। अन्य प्रमुख खर्च में इन बीमाकर्ताओं का कार्यकारी खर्च के रूप में , कर्मचारी का पारीश्रमिक वेलफेयर बेनिफिट 37.45 प्रतिशत (2004-04 में 34.79 प्रतिशत), प्रकाशन तथा विक्रय के उन्नती खर्च 14.93 (14.79 प्रतिशत), विविध खर्च 10.82 प्रतिशत (9.77 प्रतिशत) हास्य 5.13 (6.15 प्रतिशत), संचार खर्च 4.53 प्रतिशत (4.74 प्रतिशत) विज्ञापन किराया पर तथा टैक्स 3.88 (5.51 प्रतिशत) , एजेंट की भर्ती तथा

प्रशिक्षण 3.26 प्रतिशत (2004-05 में 3.48 प्रतिशत) तथा कानूनी और व्यवसायिक खर्च 2.94 (3.88 प्रतिशत) शामिल है।

बिना भुगतान के दावा का अनुपात

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कर्ता का बिना भुगतान का दावा 2005-06 के दौरान 10,569.85 करोड़ रुपया था जबकि 2004-05 में 9,075.40 करोड़ रुपया था। कुल प्रिमियम (पुर्नबीमा का कुल) के परिपेक्ष में अनुपात 89.94 प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 81.63 प्रतिशत था, माना गया है। जबकि नहीं चुकता किया गया दावा , न्यू इण्डिया तथा नेशनल का बढ़कर 83.64 (74.58) तथा 105.49 (79.92) प्रतिशत क्रमशः रह गया है। युनाइटेड और आरियन्टल का सामसन्ध अनुपात गिरकर क्रमशः 91.78 (91.99) तथा 82.57 (86.04) प्रतिशत हो गया है।

सारणी 14 दावों का अनुपात

(प्रतिशत)

विभाग	सार्वजनिक		निजी क्षेत्र	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
अग्नि	39.72	66.13	37.91	52.72
समुद्री	62.81	67.67	87.82	107.71
विविध	92.34	96.08	50.75	52.35
कुल	81.63	89.94	51.16	54.47

बिना चुकाए गए दावे का दर विविध व्यापार में सबसे ज्यादा बढ़कर 96.08 प्रतिशत हो गया है,जबकि समुद्र तथा अग्नि में क्रमशः 67.67 प्रतिशत तथा 66.13 प्रतिशत है। नेशनल बीमा में विविध भागो में बिना चुकाए दावे की दर सबसे अधिक थी जो 112.20 प्रतिशत था।बीमा कर्ता ने समुद्र में भी सबसे ज्यादा बिना चुकाए दावे या जो 83 प्रतिशत था जबकि न्यू इंडिया ने अग्नि से संबंधित बिना चुकाए दावे उच्चतम था जो 72.40 प्रतिशत था।

प्राइवेट बीमा कर्ताओं में बिना चुकाए दावे 1548.22 करोड़ रुपया था जबकि 2004-05 में 911.73 करोड़. रुपया था। बिना चुकाए दावे का दर ,2004-05 में 51.16 प्रतिशत की अपेक्षा 54.47 प्रतिशत था। कुल बिना चुकाए दावे का दर बढ़कर चोलामण्डलम की स्थिति में 69.94 (61.16)

प्रतिशत,आई0एफ0एफ0सी0ओ0 टोक्यो की स्थिति में 51.03(50.79) प्रतिशत बजाज अलायंज की स्थिति में 58.64(47.22) प्रतिशत, रिलायन्स में 62.01(61.91) प्रतिशत तथा आई0सी0आई0सी0आई0 लॉम्बार्ड में 53.04(48.23) प्रतिशत था तथा एच0डी0एफ0सी0 चब में 55.50(58.94) प्रतिशत, तथा टाटा ए0आई0जी0 की स्थिति में 47.56 प्रतिशत तथा रोयाल सुन्दरम में 54.45 (56.39) प्रतिशत था।

अपलेखन खर्च

चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने अपलेखन हानि को 2005-06 में वहन किया है।संचय अपलेखनहानि 2579.38 करोड़ रुपया की अपेक्षा बढ़कर 3948.15 करोड़ रुपया हो गयी थी,जो चारो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता के कुल प्रिमियम

का 35.70 प्रतिशत है (2004-05 में 23.20 प्रतिशत)। यह हानि भारत के बाहर 47.58 तथा 27.12 प्रतिशत के बीच था (2004-05 में 17.57 और 34.37 प्रतिशत था। जबकि ओरिएण्टल ने सीमान्त कमी दिखलायी है अपलेखन हानि में 27.12(27.56) प्रतिशत। न्यू इंडिया, नेशनल और यूनाइटेड इंडिया ने इन हानियों में कमशः 30.78(17.57) प्रतिशत, 47.58(18.96) तथा 42.04(34.37) प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। (सारिणी-15)

सारिणी-15 अपलेखन खर्चा : गैर जीवन बीमा

	(रु० लाख)	
	2004-05	2005-06
सार्वजनिक क्षेत्र	(257938)	(394815)
निजी क्षेत्र	250	(5061)

नोट : कोष्टक में दर्शाया गया अंक हानिको सूचित करता है।

सेचय करने के बाद, प्राइवेट क्षेत्र ने अपलेखन हानि 50.61 करोड़ रुपया दर्शाया है जबकि अपलेखन लाभ 2.50 करोड़ रुपया का है जो कुल प्रिमियम अपलेखन का 1.78 प्रतिशत है (2004-05 में अपलेखन लीभ 0.14 प्रतिशत)। दो बीमाकर्ताओं ने अपलेखन लाभ दर्शाया है जबकि पाँच ने या तो अपलेखन हानि पिछले साल के लाभ की अपेक्षा हानि दर्शाया है। एक बीमा कर्ता ने अपने अपलेखन हानि में कमी दर्शायी है। 6 बीमाकर्ताओं का अपलेखन हानि कुल प्रिमियम का 16.23 प्रतिशत से 1.40 प्रतिशत बीच था। जबकि दो बीमाकर्ताओं ने अपलेखन लाभ दर्ज कराया था। जब अभी कहे गए लाभ में थोड़ी कमी आयी है। अन्ततः प्रदर्शन में कमी अनेक कारणों से है जबकि प्रबंधन के खर्च में हल्की वृद्धि होकर 27.38 प्रतिशत हो गयी (2004-05 में 27.32 प्रतिशत), कुल नहीं चुकाए गए दावे में 54.47 प्रतिशत का बशद्धि था (2004-05 में 51.16 प्रतिशत)। असमाप्त होखिम के लिए रिजर्व में वृद्धि में कमी पिछले वर्ष में 21.38 प्रतिशत की अपेक्षा 19.93 प्रतिशत था।

सारिणी-16 परिचालन खर्च: गैर जीवन बीमा

	(रु० लाख)	
बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
सार्वजनिक क्षेत्र	364030.89	401692.11
निजी क्षेत्र	69198.26	106051.48
कुल	433229.15	507743.59

नोट: पब्लिक क्षेत्र में ई0सी0जी0सी0, ए0आई0सी0 तथा जी0आई0सी0 नहीं आता है।

शुद्ध लाभ

सार्वजनिक क्षेत्र का कम्पनी ज्यादा लाभान्वित हुए हे जो वैश्विकरण के पहले से कार्य कर रहे थे। ये बीमाकर्ता समय के अनुसार रिजर्व करने में सक्षम है। इन बीमाकर्ताओं के द्वारा विनियोग उच्च ब्याज दर के समय में की गई थी और निजी वित्तियन दोनों दे रहा है, आकर्षक प्राप्ति तथा पूँजी की प्राप्ति और निचले स्तर को सुधारने में कोशिश किया है। जहाँ पी. एस.यू. अपलेखन हानि दर्शा रहा है, नेशनल के अलावा, तीन सार्वजनिक क्षेत्र का बीमाकर्ता विनियोग की प्राप्ति के आधार पर लाभ दर्शाया है। नेशनल ने कुल हानि 06.25 करोड़ रुपया को दर्शाया है, जबकि कुल लाभ 131.12 करोड़ रुपया है, उच्च बिना चुकाए दावे के रुप में यह दर पिछले वर्ष के 80 प्रतिशत की अपेक्षा 24 प्रतिशत है। जबकि ओरिएण्टल ने कुल लाभ 283.92 करोड़ रुपया दर्शाया है। न्यू इंडिया तथा युनाइटेड ने कमशः 425.23 करोड़ रुपया तथा 716.38 करोड़ रुपया था।

सारिणी-17

चूकता पूँजी गैर जीवन बीमा तथा पुर्नबीमा

	(रु० लाख)	
	2004-05	2005-06
सार्वजनिक क्षेत्र	450	500
निजी क्षेत्र	1048.96	1279.01
जीआईसी	215	430
ईसीजीसी	600	700
एआईसी	200	200
कुल	2513.96	3109.01

आठ गैर जीवन बीमाकर्ताओं के आर्थिक परिणाम की तुलना उनके योजनाबद्ध तरीके के साथ खुलासा करता है कि चार बीमाकर्ता अर्थात् इफको टोकियो, आईसीआईसीआई लंबार्ड बजाज अलायज और रिलायन्स जनरल ने बीमा कराने और लाभ अर्जित करने में बढ़ चढ़ कर काम किया है। टाटा-ए0आई0जी0 और रायल सुन्दरम ने अपने चार वर्षों के कार्यकाल में रुकावट दिखाया है। योजनाबद्ध प्रोग्राम के अनुसार उन के काम की पूर्ति भी हुई है। चोलामण्डलम और एच0डी0एफ0सी0 2002 अक्टूबर में अपने काम में सक्रिय हुए। आठ गैर जीवन बीमाकर्ताओं में से जिन्होंने उदारीकरण के बाद काम शुरू किया, सात ने 2005-06 में शुद्ध मुनाफा कमाया। चोलामण्डलम अपने किया कलाप के तीसरे वर्ष में धाटा दर्ज कराता रहा जबकि एच0डी0एफ0सी0 2005-06 में अपने को सुधार लिया। सब मिलाकर 2005-06 के वित्त वर्ष में गैर जीवन बीमा योजना मुम्बई के अप्रत्योभित बाढ़ से प्रभावित हुई। जिस के चलते अकस्मात भयानक नुकसान हुआ। चलते पुनः बीमा कर्ताओं से वसूली विपरीत दिशा में यचली गई। फिर भी धन नियोजन के स्वस्त चालन से हाने वाली आमदनी के चलते इन कम्पनियों द्वारा रिपोर्ट किया गया। शुद्ध मुनाफा सब जगह सुधारात्मक दिखाई पड़ा। सात निजी बीमा कर्ताओं का पूरा शुद्ध मुनाफा उनके 2004-05 के 133.23 करोड़ के परिपेक्ष में 157.52 करोड़ था। चोलामण्डलम ने 2004-05 के 3.34 करोड़ के धाटे से कम 3.12 करोड़ का धाटा दर्ज कराया।

निवेश आय

स्टॉक बाजार में तेजी कायम रहने के साथ स्थायी आर्थिक विकास के बल पर अर्थ क्षेत्र में नियोजन का माहौल तीसरे साल भी सतत कायम रहा। इसने बीमा कम्पनियों के सुधरे आर्थिक उपलब्धि को योगदान दिया। सब मिलाकर अर्थ नियोजन पर प्राप्ति इन की बिक्री पर अथवा उच्च लाभ देने वाले अर्थ नियोजनों की वापसी से हुआ कुछ बीमाकर्ताओं ने पुनः निर्मित खातों यपर भी उँचे दर्जे का संग्रह का रिपोर्ट किया। बीमाकर्ताओं ने अपने म्युचुअल फन्ड में पैसा लगाकर भी बढ़त दर्ज कराया। 2004-05 में 29.57 बढ़त के साथ 4330.18 करोड़ ररुपये के परिपेक्ष में 5610.63 करोड़ की आमदनी दर्ज कराया। निजी बीमाकर्ताओं के सम्बन्ध में, बीमा

कर्ताओं द्वारा अपनाये गये अर्थ नियोजन पर निर्भर करते हुए उनके अर्थ नियोजन की संरचना उनके विभागों में लगाये पूँजी पर प्राप्ति का दर बदलता रहा है। सभी निजी क्षेत्र के बीमा कर्ताओं ने अर्थनियोजन से अपनी आमदनी 267.35 करोड़ का आमदनी दर्ज कराया जो कि पूर्व वर्ष के 184.42 करोड़ के परिपेक्ष में था इसका मतलब 45.07 की बढ़त की बढ़त (19.50 प्रतिशत की बढ़त 2004-05 में रहा)

शेयर धारकों की वापसी

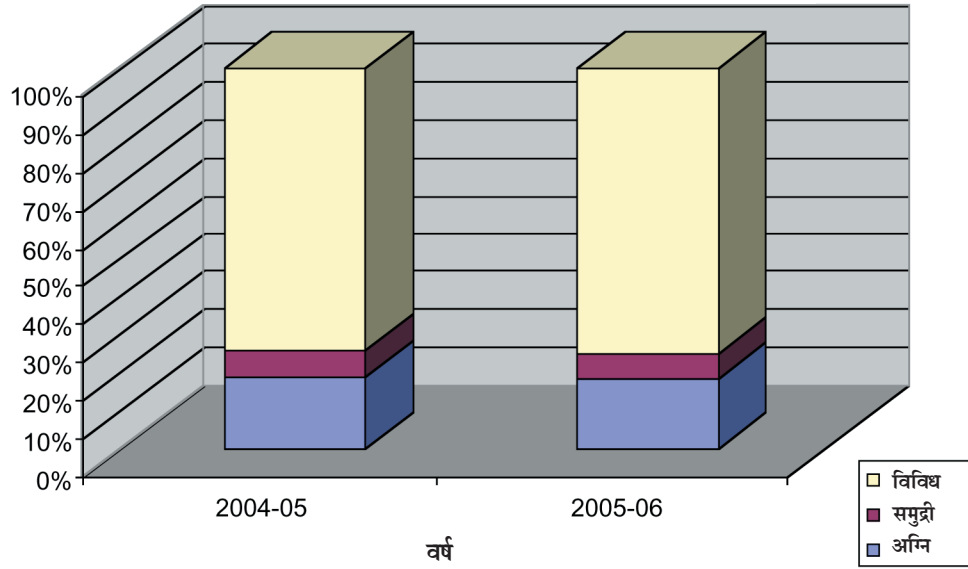
सरकारी क्षेत्र के तीन गैर जीवन बीमा कम्पनियाँ जिन्होंने शुद्ध मुनाफा 2005-06 में दर्ज कराया और सरकारी कोष में 266 करोड़ कर योगदान कर अतिरिक्त फायदा दिखाया। नेशनल द्वारा शुद्ध धाटा के कारण कोई अतिरिक्त फायदा की घोषणा नहीं हुई। न्यू इंडिया ने भी प्रत्येक तीन पर एक के अनुपात में बोनस घोषित किया। गैर जीवन बीमा की सात बीमा कम्पनियों ने जिन्होंने 2005-06 में शुद्ध मुनाफा कमाया। उसमें दो ने विशेष लाभ की घोषणा की जबकि आई0सी0आई0सी0आई0 लंबार्ड ने तीसरे अनवरत साल तक अतिरिक्त लाभ का घोषणा किया। इफको टोकियो ने तीसरा वार्षिक विशिष्ट लाभ की घोषणा वित्त वर्ष 2004-05 में चूकने के बाद किया।

सारिणी-18

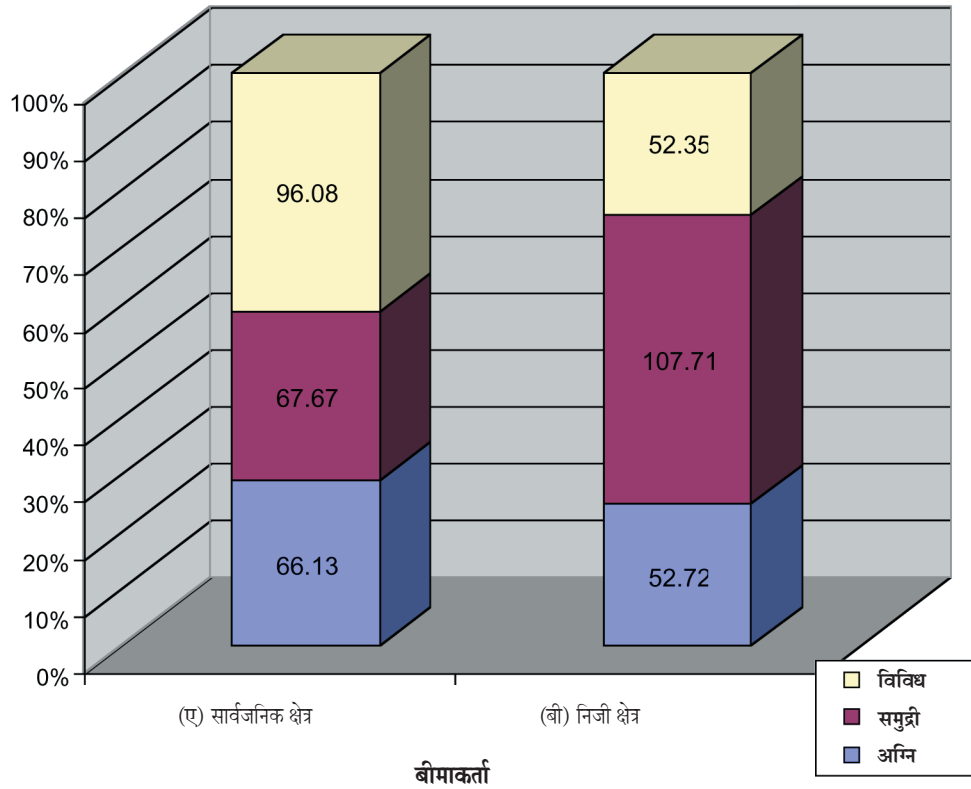
विशिष्ट लाभ का भुगतान, सरकारी क्षेत्र के बीमा कर्ता

	(रु0 लाख)	
बीमाकर्ता	2004-05	2005-06
एलआईसी	69660	62177
गैर जीवन बीमाकर्ता	19700	26600
ईसीजीसी	1523	4436
जीआईसी	6450	8600
कुल	97333	101813

गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित प्रीमियम : क्षेत्र के आधार पर



उपगत दावों का अनुपात (प्रतिशत में)



साधारण बीमा निगम

धरेलू पुनः बीमा बाजार में मात्र एक बीमाकर्ता जी0आईसी0 भारत में प्रत्यक्ष पुनः बीमा कम्पनियों की पुनः बीमा का सुविधा देता है। जी0आईसी0 प्रति एक पालिसी पर 20 प्रतिशत का कानूनी छुट पाता है और धरेलू कम्पनियों को संधि प्रोग्राम तथा विभागीय प्रस्तुतीकरण की अगुआई करता है। निगम के पुनः बीमा योजना की रचना धारण क्षमता को देश के भीतर क्षति देने वास्ते, खतरे से बचाने का सुविधा का पूंजी तरह से निश्चित करने के लिये और धरेलू बाजार में पूंजी ताकत पैदा करने के लिये किया गया है। मरिन हल पूल टेरेजिज्म पूल जी0आईसी0 के साथ मैनेजर के रूप में काम करते रहते हैं। टेरेजिज्म पुल के अप्रैल 2006 से अच्छी फल के तहत प्रति क्षेत्र के हिसाब 600 करोड़ की व्यवस्था हुई है। जी0आईसी0 ने जी0ओ0आई0 के वार योजना को एक जनवरी 2005 से अपने जिम्मे की है और युद्ध के चलते होने वाले खतरों से बचाव के लिए 400 करोड़ की आवरण केवल युद्ध के लिये ली गई है। 1500 करोड़ रुपये तक के खतरा का मुकाबला करने में सक्षम योजना भारतीय बाजार के फायदे वास्ते की गई है। एक अतिरिक्त आवरण भी इस जगह पर है। उँचे कीमतों के खतरे स्वतः इस सुविधा में चले जाते हैं जब दूसरी व्यवस्थाएँ समाप्त हो जाती हैं। ऐसे खतरों के लिये यह जी0आईसी0 क्षमता की 3000 करोड़ (पी0एम0एल0) तक बढ़ाता है।

850 करोड़ रुपये का भयानक आपदा निवारण कोष। 750 करोड़ का भूकम्प काल सुरक्षा कोष, 250 करोड़ रुपये जल संचरण कोष आवरण, व्यक्तिगत व्यापार खतरा निवारण कोष भी कायम किया गया है।

आभ्यान्तरिक विदेश समझौता और सुविधात्मक व्यापार

समर्थन देने वाली भारतीय समूह की कम्पनियाँ निगम द्वारा भारतीय बाजार को आवश्यक छूट, कम्पनी के अधिशेष समझौता, बाजार अधिभार समझौता, के साथ भारत में सीधे भाग लेने वाले को सुरक्षा देने तथा विभागीय मंजूरी के लिये दी गई है। जी0आईसी0 एक प्रभावी पुनः बीमा समाधान कारक के रूप अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में उमड़ी है

और सार्क देशों के दक्षिण पूर्व, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में अग्रणी भाग ले रही है। इसके अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर भोग की सुविधा के विस्तार, आसान पहुँच, प्रभावकारी सेवा और नपी तुली पुनः बीमा समाधान वास्ते जी0आईसी0 ने लन्दन और मास्को में लायजन और प्रतिनिधित्व कार्यालय खोल रखा है।

जोखिम और चिंताएँ

जी0आईसी0 का अपना खतरा बीमाकर्ताओं द्वारा दावा भुगतान का दायित्व, खुला और स्पष्ट रूप से बीमा का भुगतान, चालू साख का खतरा, मुद्रा का भाव परिवर्तन का खतरा और संधी समझौते की परिशानियों से होने वाले खतरों से होता है। इसके आगे अन्तराष्ट्रीय भुगतान साख, दावा भुगतान सामर्थ्य की गणना जोड़ने और घटाने में शामिल खतरे को लेकर सर्वव्यापी गणना के रूप में उठने और गिरने की किया भी जी0आईसी0 के खतरे के कारक है। उचित सुरक्षा विश्लेषण में असफलता लिए गये जोखिम के स्तर को बढ़ा सकता है। चुंगी के शर्तों पर गैर जीवन बीमा के सम्भावनाओं पर ढील दिया जाने वाले कानून ने भी, पाप्ति की सीमा को अस्थिर बनाया है। खतरा प्रबंधन में जी0आईसी0 की कोशिश में कसावसोयेप के आवश्यकता आधारित स्वीकृत विभाग शामिल है, अनुमानित खतरे से पीछे जाने की बात, सम्पूर्ण खतरे के प्रति अतिरिक्त बड़ी सुरक्षा और आकस्मिक भीषण खतरों को छतरी खतरे के हानियों से बचाने वाले विभाग है।

संचालन नतीजे

2005-06 के नव महीने का पूरा अर्जित प्रिमियम 4458.84 करोड़ था। 2004-05 के उसी समय के अर्जित प्रिमियम के 4373.68 करोड़ की तुलना में है। 2005-06 के प्रथम नव महीने में पुरा बीमा दर्ज करने का धाटा का नतीजा 1260.18 करोड़ 2004-05 के उसी समय के घाटे के 572.28 करोड़ घाटे के परिपेक्ष में हैं। 2005-06 में अर्थनियोजन (अप्रैल 2005 से मार्च 2006) का फायदा 1718.62 करोड़ है जबकि तुलनात्मक रूप से उसी समय 2004-05 (अप्रैल 2004-मार्च 2005) में यह फायदा 1398.61 करोड़ था जो 22.88 प्रतिशत बढ़त पर दर्ज किया गया। पालिसी धारकों के खातों में

बीमा उद्योग में आंकड़ों का गोदाम

स्वयंचालित (ऑटोमाइज़ेशन) होने से पहले ही बीमा क्षेत्र ने पहले माहिती-विश्लेषणात्मक व्यापार को विकसित किया। बीमा क्षेत्र को खतरे और प्रतिफल का अंदाज़ा उच्चस्तर की शुद्धता से लगाने का सामर्थ्य रखना आवश्यक है। सांख्यिकी क्षेत्र में विवरणात्मक और भविष्यात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ने आर्थिक शोध विभाग और ज्यादा काम कर सकते थे। तो भी प्रबल रीति से कुल विश्लेषणात्मक सांख्यिकी पर निर्भर रहने से माहिती विश्लेषण एक अनजाना विषय बन गया। इस क्षेत्र में सामान्यता लाने में सक्षम होने पर भी आमूलाग्र में विशिष्टता लाकर विभिन्न परिणामों को नहीं देख पाये। लाभ के हिसाब से ग्राहक को अति उत्तम ..मिले यह अद्भुत बात है।

1990 के अंतिम अर्ध वर्ष में बीमा कंपनियों ने माहिती वेयर हाउसिंग तकनीको की सृष्टि करके नये व्यापार के अवकाशों को प्रारंभ किया। मैक्रो और म्याक्रो स्तर में इसे किया सूक्ष्म में भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, सार्वजनिक दस्तावेज और सही स्थानीय विवरण आदि बाह्य स्रोतों का विशाल आँकड़ों को आंतरिक अनुभव के आधार पर उच्छ रिति से संग्रह करके बाज़ार को समझने में सहायक था। मैक्रो वीक्षण में तकनीकी को पहचानना है जो अंतर्गत वस्तुअतः तथ्यों और उनसे संबंधित सेवाएँ और कानूनी कारवाईयों को जब नये उत्पादनो की सृष्टि करते समय उपयोग किया जाता है।

हाल के वर्षों में स्वतंत्रता का विश्लेषण प्रचलित और सफल हुआ है। कंपनियों ने पाँच, दस या बीस वर्षों का अपरिष्कृत दावा या खोया माहिती का पूरा लेखागारो को पाया है। ये विवरण बीमा करनेवाले और घटना के साथ जुड़कर एक उच्छ विवरण विश्लेषणात्मक स्रोत बन सकता है जब उसे सही प्रकरण की सूचना मिलेगी। यह प्रक्रिया आंतरिक विशेषता से प्रारंभ होकर दावाओं को वर्गीकृत करता है और बीमा करनेवालों के बारे में बीमा संपत्ति, घटना को ही कुल सम्मिलित करती है। इन व्यवस्थाओं में विवरण ही स्वयं आँकड़ों का हिसाब लगाकर आगे के विश्लेषण का आधार बन सकता है।

यह केंद्र दावा विवरण को बढ़ा भी सकते हैं जैसे उसके साथ बाह्य विवरण को पहले से प्राप्त करके आगे की क्रियाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रेडिट इतिहास को अनुमानित और क्रिया कारवाई को नये पालिसिया बनाने में या सांप्रदायिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। उसे विस्तरण करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह संदेहजनक दावा को भी लागू होता है। रूढ़िगत बुद्धिमत्ता कहता है कि जब किसी एक को आर्थिक रूप से जाँचते तो वे धोखेबाज़ी से दावा करने का अवकाश लेते हैं।

इस तरह के वास्तव विषयों में विश्लेषण में गहरापन लाने के लिए विपरीत सूचको की सृष्टि की गयी। इसमें बीमा करने वाले ही या पार्टी ही दावा की घटना का विवरण देते हैं। ये सूचक खर्च का निर्णय, जाँचने स्रोत बन सकते हैं।

अन्य व्यापार जो अब सीख रहे हैं, वह बीमा क्षेत्र में पहले से मौजूद है। यह ज्यादा सक्षम है। पालिसी बेचने और नये ग्राहक बनाने में पहले के ग्राहक को ही दूसरा पालिसी बेचने में अन्य व्यापारियों से आगे

हैं। ग्राहक की भागीदारी और एजेंट का व्यवहार बुनियादी जड़ों से बने हैं जो ऐतिहासिक रूप से इस तत्व को कार्पोरेट मदद कम मिल रहा है।

डाटा वेयर हाउस ग्राहक सूचना विवरण को व्यापार के रास्ते में जोड़कर एक संयुक्त ग्राहक दृष्टिकोण को स्थापित कर सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण से बीमा कवरेज को प्रतिनिधित्व करने के विभागों की सृष्टि कर सकते हैं। जिस ग्राहक को आवश्यकता है अगर उस तक पहुँच न पायेंगे तो दरार विश्लेषण के द्वारा उसकी सेवा कर सकते हैं। टेलि मार्केटिंग या सांप्रदायिक क्षेत्र के एजेंट के द्वारा ज्यादा व्यापार कर सकते हैं।

ग्राहक का संबंध डाटा वेयरहाउस से बढ़ा सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ से सूचना का निरंतर प्रवाह होता रहता है। यह स्पर्धात्मक डाटा संग्रहण पूर्ण रूप से एजेंट द्वारा हो या दावा के कानूनी कारवाई से या सेवा प्रतिनिधि द्वारा हो अनुरूपता से युक्त है। सबसे अधिक तंग करनेवाले समस्याओं में से एक है कि बीमा पार्टियों के निश्चित पता या बीमा संपत्ति के पता निश्चित मालुम करना।

“बीमा जीवन चरित्रों” का निर्माण करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अर्थात् ग्राहक के पुराना पता और बदले हुए स्थान और अन्य ऐतिहासिक सूचना (खबर) को पूरा संग्रह करना। पुरानी सूचना के अनुसार इसे कम प्रयास से कर सकते हैं। अंत हुए पालिसियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। कभी कभी यह संकीर्ण प्रक्रिया पहले मामले को जोड़ने में आवश्यक है।

दुर्घटनाग्रस्त स्थलों को पहचानने में स्वयंचालित दावा प्रक्रिया में क्रांति हुई है। पूर्व विश्लेषण ने दिखाया है कि दावा हर औसत रूप से घटना संबंधित दावा के प्रस्ताव से नज़दीक ही रहता है। भौगोलिक रूप से ड्राइव-इन-दावा केंद्रों में अनुक्रिया वितरित हुए हैं। ऐसे दावा केंद्रों को जहाँ ज्यादा घटनाएँ होती हैं उसके पहुँच में बनाना चाहिए, जहाँ ग्राहक रहते हैं।

डाटा वेयरहाउस को बाज़ार के सब पहलुओं में उपयोग कर सकते हैं जिससे पहचान और बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। कंपनियाँ संस्थापित विश्लेषण और प्रत्यक्ष सर्वेक्षण और बाहरी खरीदी विवरण के आधार पर ग्राहकों के प्रस्तुत पालिसी और कवरेज के विधा से पहचानना शुरू करते हैं। खंडात्मक विश्लेषण एक शक्तिशाली क्रियाशील पालिसी को प्रदर्शित करता है। टारगेट में रुचिकर विशिष्टता की सृष्टि करके प्रचार की सूची बनाकर भविष्य के दृष्टिकोण की वृद्धि कर सकते हैं। डाटा वेयरहाउस बाज़ार प्रचार का मौल्यांकन करके सफलता का रास्ते को भी पहचान सकता है।

सफल कंपनियों ने खतरे के विषयों को विश्लेषण करके वपसी को विस्तार और गहराई से अध्ययन करके अपने ग्राहकों को चुनने अच्छे सूचकों की सृष्टि किये हैं। यद्यपि उनके दाम थोड़े ऊँचे होने पर भी उनके ग्राहकों में उन्होंने सिद्ध मार्केट को पहचाना जो पहले जमा हुआ था।

कई कंपनियाँ अपने व्यापारी लाइन को बढ़ा रहे हैं, जिसमें विशेष ग्राहकों के विभागों को विस्तार किए जा रहे हैं। उत्पन्नो को ज्यादा केंद्रीकृत करके सक्षम परिभाषाओं के साथ ग्राहकों के समूहों तक पहुँच रहे हैं। अब लाभ व्यापार का स्तर या बड़े ग्राहक विभागों से मापा नहीं जा रहा है।

कई मल्टी लाइन कंपनियाँ मे आटो, घर, व्यापारी उत्पन्नो को रख सकते हैं। संप्रदाय से व्यापार का लाभ उस विभाग या मुख्य स्तर से मापा जाता है (उदा : आटो/घर) छोटे स्तर में (पूर्ण/विविधता/अवधिजीवन) जनरल लेड्जर प्रक्रिया इस दिशा में की जाती है और ये आर्थिक रिपोर्ट विकल्पानुसार मौजूद है।

अब कंपनियाँ उत्पन्न स्तर की ओर बढ़ रही है जिसके साथ ग्राहक के भौगोलिक दर्शिता और विभागीय विभिन्नता की ओर ध्यान केंद्रीकृत कर रही है। उत्पन्नो को अलग करने की प्रक्रिया ग्राहक की धारणशक्ति और बाज़ार वृद्धि की कुशलता दोनो में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस नये प्रयत्न को एक समझदार, प्रमाणीकृत विस्तारित साधन का आवश्यकता है।

भविष्य में सफलता पाने के लिए पूर्व अभ्यासो में मूलभूत परिवर्तन लाना आवश्यक है। बीमा क्षेत्र के व्यापार नये कानूनों से व्यवस्थित होना चाहिए, ग्राहको को अच्छी तरह सीमित करके परिणामों को अधिक शुद्धता से माप सकते हैं।

इन विभागों से लाभ के अंतरा को शुद्धता(खरा) से मापना एक सवाल है। सिर्फ प्रीमियम रेविन्यू को देखना ठीक नहीं है। बहुत जागरूकता से सब प्रत्यक्ष हानी प्रक्रियाओं को जोडकर उसे परिणामकारी बनाने की योजना बनाकर स्थिर और अस्थिर दरों को निश्चित कर सकते हैं।

इससे परोक्ष दरो को बांटकर हिसाब करने छिपे हुए सच्चा अंतर को जादू की तरह जान सकते हैं।

डाटा गोदाम एक प्रयोशाला है, जिसमे नमूना देखना, परीक्षा करना, और सही तालमेल के साथ साथ निर्दिष्ट स्रोतो से परिणामों को जुटा भी सकते हैं।

यह बीमा उद्योग का दूसरा सीमा प्रदेश है। इसमे मज़बूत डाटा बेस को नीव से बनाना आवश्यक है। विस्तृत पालिसी, प्रीमियम, क्लेम और अन्य खर्च का विवरण स्रोत से ग्राहक-स्तर के लाभ तक एक नमूना सुक्ष्मतर से विविध समूहो तक पहुँचना है। हिसाब-किताब और कार्य कलाप ग्राहक केंद्रित होना इस समय की आवश्यकता है। नये भविष्य का विधानों को अपना कर जनसंख्या की साख्यिकी को लेना आवश्यक है। डाटा वेयर हाउस को ऊपर के अनुभवों के आधार पर आज के लिए तैयार होना आवश्यक है।

अगर डाटा एक जगह में मिले तो विन्यासों को ढूँढना आसान हो जाता है.... डाटा को वर्गीकृत करके भविष्य में ग्राहक के व्यवहार को कुछ हद तक: (अ) इकरारनामा को रद्द करने की संभवनीयता जान सकते हैं। (आ) बेचने की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। (इ) दावा के अनुपात आदि का अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह के डाटा खोज तकनीकों से व्यापार की वृद्धि होकर मूल्य लगाने और दर कम करने में प्रगति देख सकते हैं। प्राधिकार नेव तो इस क्षेत्र के लिए टीएसी मुंबई में डाटा वेयर हाउस बनाने की कोशिश में हैं। छोटे पैमाने पर पहले डाटा वेयर हाउस मोटर डाटा और स्वास्थ्य बीमा आंकड़ों को आतिथ्य देगी। इस अनुभव से व्यापार के अन्य रास्ते भी डाटा वेयर हाउस के साथ जुडजाएगी। भारतीय माहोल में डाटा वेयर हाउस समस्याओं से भरा हुआ है। क्योंकि कुशल सोच के आभाव के कारण, पूर्व चित्रित नक्शे के आधार पर और कम्प्यूटरीकरण से समस्याएँ हैं।

खुशी का समाचार यह है कि डाटा विवरण का बड़ा हिस्सा बीमा कंपनियों के विविध प्राकारों में, प्रक्रियाओं में मौजूद है। जो विभाग कार्यरत है उनसे संबंधित सब प्रश्न और उत्तर हमें प्राप्त है। छोटे विवरण को मालिक संबंधी प्रबंधक के सूचना व्यवस्था को कंपनी के अंतर्गत बना सकते हैं। हर विभाग के कार्यों को कंपनी के अंदर अच्छे परिभाषा में डाटा निर्वहण किया तो उद्योग निर्दिष्टता और प्रश्न उत्तर से संबंधित सब कार्यों को निभा सकते हैं। इसलिए, इन छोटे विवरणों का एकीकरण नहीं है। प्राधिकार ने इन सभी डाटा बेस को निर्धारित डाटा नमूनों में संग्रह करके एक अच्छे गात्र के डाटा बेस को मोटर और स्वास्थ्य बीमा के आंकड़े के बारे में बनाया है।

टीएसी डाटा वेयर हाउस के मुख्य उद्देश्य

टीएसी डाटा वेयर हाउस को केंद्रीय कोष बनाने के लिए विन्यास किया है जो बीमाकरने वालों की व्यवस्थाओं को दखल दिये बिना डाटा दे सके। बीमा करानेवालों को रेग्युलेटर और सरकार को मौलिक सूचनाएँ देना इसका लक्ष्य है।

डाटा वेयर हाउस को और डाटा मैनिंग तकनीक से, विश्लेषणात्मक औज़ारों से बनाया है। उपयोग करने वालों को मदद करने के लिए ऐतिहासिक डाटा को बनाया है। टीएसी डाटा वेयरहाउस के तीन मुख्य अंश हैं: डाटा वेयर हाउस की संख्या बढ़ाना, दैनिक व्यवस्था में आजका और भविष्य के परिवर्तनों को प्रबंध करना, ये सब इनसे सम्मिलित है:

- (अ) डाटा को निकालना, साफ करना और विश्लेषण के लिए तैयार करना
- (आ) सारांश पट्टियों को (सम्मरी टेबल) बनाना, निकालना, रोलिंग डाटा को चालू/बंद करना, नये व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- (इ) प्रश्नों के रूपरेखा को नये विषयों, नये क्षेत्रों को मापने योग्य बनाने के लिए जोड़ना।

बीमा कंपनियाँ अपने डाटा बेस से डाटा निकालकर टीएसी को समय समय पर (वर्तमान में वार्षिक, भविष्य में त्रैमासिक) टेक्स्ट पाठ रूप में देना होगा। कच्चा डाटा को सिडि में स्वीकार करते हैं और संख्या(क्रमांक) में रखते हैं। लाग रजिस्टर में लिखने के बाद पठ्य को फैल में लोड करके टीएसी डाटा बेस की फाइल में लोड करके टीएसी डाटा बेस में रखते हैं। ईटीसी टूल एसक्यूएल सर्वर का उपयोग करते हैं। आफ्ट वेर पैकेज को डाटा और अन्य फार्मों को विविध विभागों से भर सकते हैं। (मोटर और स्वास्थ्य) इस डाटा को आरंभ में तात्कालिक डाटा बेस में लोड करते हैं।

डाटा वेयर हाउस में डाटा को साफ करना एक बड़ा प्रक्रिया है। टेक्स्ट फैल और एक्सेल फैल और अन्य प्रारूपों को एसक्यूएल में परिवर्तन करते हैं। तार्किक गलतियों को निर्दिष्ट प्रश्न डालकर बिना गलती के डाटा को मुख्य डाटाबेस में अपलोड करते हैं।

कच्चा डाटा बैंक अप को नियमित रूप से स्वीकार किया जाता है। इसे पोर्टबल हाई डिस्क में संग्रह करके सुरक्षित करते हैं। इसके प्रति को अलग स्थान में संग्रह करते हैं। मुख्य डाटाबेस को रोज़ और हफ्ते में लेकर हाईडिस्क में संग्रह करते हैं। और एक प्रति भी निकालते हैं। इसकेलिए एसक्यूएल सर्वर बैंक अप को आफ्ट वेयर को उपयोग करते हैं।

सारांश डाटा को बनाकर उसे ओडीएस में रखते हैं। सब परिभाषित डाटा सारांश को ओडीएस में संग्रह किया जाता है। यह भाग क्षणिक है। प्रश्नों के निर्वहण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सारांश डाटा को निरंतर अपडेट बनाते हैं। जैसे ही नया डाटा को वेयरहाउस में लोड करते हैं।

अर्थनियोजन का फायदा निकाल देने पर 164.48 करोड़ का धाटा उठाना पड़ा। कर वापसी के कारण कर के पहले का फायदा 1442.94 करोड़ और कर के बाद का फायदा 598.52 करोड़ था। सभी वर्गों के लिए एक साथ लेने पर दिया जाने वाला दावा 4573.07 पर गया (3702.80 करोड़ 2004-05) खास करके अचानक आने वाले विनाशक तूफान के चलते और कुछ खतरा वाले धाटे के चलते जिसमें मुम्बई का बाढ़ का धाटा शामिल था (जुलाई 2005)

विकास विभाग

देश में महकमा सभी आर्थिक बांडधारकों के संबंध में अच्छा डाटा का आधार बनाने के विषय पर सम्बद्ध अधिकारी के विचारों से प्रतिबद्ध थे। आम बीमा बाजार के प्राशुल्क हटाने के क्षेत्र में आगे बढ़ते कदम से यह महत्व पूर्ण होता जा रहा है। आई0आर0डी0ए0 द्वारा पहली जनवरी 2007 तक का निर्माण नक्शा प्राशुल्क रहित व्यवस्था के लिए अच्छी तरह से सोच लिया गया है। इसको समर्थन देने वास्ते पूरा डाटा नियमन स्तर महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बिंदु पर प्राशुल्क सलाहकार समिति योगदान भी प्राशुल्क रहित व्यवस्था में बदलेगा। टी0ए0सी0 को सभी आम बीमा सांख्यिकी वास्ते डाटा कोषागार के रूप में कल्पित किया गया है। यह विचारित मोटर पूल के लिए बीमा दर्ज कराने को प्रक्रिया में सहायक बनेगा। इस विचार के आधार पवर मोटर बीमा सांख्यिकी का डाटा चार सरकारी क्षेत्र के आम बीमा कम्पनियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर साल 2003-04 और 2004-05 के लिए संग्रह किया गया है। भारत में स्वास्थ्य बीमा के महत्व को मद्दे नजर रखते हुए, तीसरे पक्ष के प्रशासकों से जिनकी स्थापना दावा भुगतान को तेज करने वास्ते किया गया-संग्रहित हुआ इस तरह इक्कठा किये हुए डाटा को वैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा जाता है। नीचे जाते हुए जीवन क्षेत्र में जीवन से संबंधित डाटा का भी व्यवहार अक्सर है। बार-बार सभी जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा एक सुरक्षित ढाँचे के तहत हुआ है। नीचे गिरते हुए आधार का भी उद्देश्य विस्तृत किया जा रहा है। आई0आर0डी0ए0 पर आर0एन्ड डी0 भी टी0ए0सी0 पर इस तरह संग्रह किये डाटा के सूक्ष्म परीक्षण में लगा हुआ है। आन्तरिक व्यवहार वास्ते रिपोर्ट तैयार है।

डी) पुनः अवलोकन

1) बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा

सम्बद्ध अधिकारी ने 2002 में बीमाधारकों के हितों को रक्षा के लिये नियमों की सूचना। इन नियमों के हतह सभी बीमाकर्ताओं से शिकायत निवारण ढाँचा की स्थापना की उम्मीद बीमा धारकों के दोषारोपण और शिकायत निवारण को कारगर ढंग से तेजी पूर्वक के लिये की जाती है।

सम्बद्ध अधिकारी व्यवस्था को कम्पनियों में निदेशित करता आ रहा है यह निश्चित करने के लिये को वे 2003 में प्रभाव बन जायें। सम्बद्ध अधिकारी ने बीमाधारकों के शिकायत निवारण के लिय शिकायत कोष की स्थापना बीमा शिकायतों के निवारण के लिये किया है। सम्बद्ध अधिकारी शिकायतों को प्राप्त करता है और बीमा कम्पनियों के सामने उनको उठाता है। शिकायतों का स्वभाव बाजार में घटने वाली घटनाओं पर रोशनी डालता है। शिकायतों का अधिकांश भाग जीवन बीमा के संबंध में मृत्यु दावा के इन्कार करने को लेकर खासकर समय के पहले मृत्यु को लेकर होता है। आम जीवन बीमा से संबंधित अधिकांश शिकायतें व्यक्तिगत बीमा, जिस में (मेडी क्लेम) स्वास्थ्य, मोटर के पहले आने वाला सर्वाधिक मशहूर है। स्वास्थ्य बीमा में पच्चास प्रतिशत से अधिक शिकायतें पहले से आने वाली बीमारियों को लेकर होती हैं। आम बीमा भाग में 75 प्रतिशत सम्बद्ध अधिकारी को प्राप्त शिकायत दावे को लेकर होता है, 24 प्रतिशत के आर पास पालिसी से संबंधित और 1 प्रतिशत दूसरे कारणों से होता है। दावे के निपटारे को लेकर किया गया शिकायत धट रहा है। यह महसूस कर लेना चाहिए कि माला और उत्तरदायित्व से संबंधित दावों का वास्तविक रूप से सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हो सकता है या तुलना किया जा सकता है क्योंकि उनको पालिसी के शर्तों से जुटना होता है न कि सेवा के माप दंडों से। बीमा कम्पनियों द्वारा सुधरे प्रतियोगिताओं के चलते सुधरी ग्राहक सेवा मुहैया करायी जा रही है।

2) शोधन क्षमता का रख रखाव

बीमा अधिनियम 1938 अनुच्छेद 64 भी ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को जरूरी शोधन क्षमता का सुरक्षित अंश रखना होता है।

आई0 आर0 डी0 ए0 (सम्पत्ति, दायित्व, तथा शोधन क्षमता) अधिनियम 200 जरूरी शोधन क्षमता के गणना का पद्धति का विस्तृत जानकारी देता है। जीवन बीमाकर्ता की स्थिति में जरूरी शोधन क्षमता 50 करोड़ रु0 से ज्यादा है तथा उपयुक्त कानून के आधार पर है। साधारण बीमाकर्ता की स्थिति में जरूरी शोधन क्षमता अधिकतम निम्नांकित रकमों तक होना चाहिए।

- 1) 50 करोड़ रु0 (पुर्नबीमा की स्थिति में 100 करोड़)
 - 2) कुल प्रिमियम से आय का 20 प्रतिशत के बराबर
 - 3) कुल बिना चुकाये दावे का 30 प्रतिशत के बराबर
- पुर्नबीमा में उधार के संबंधों में कुल प्रिमियम तथा कुल बिना चुकाये दावे का वास्तविक रुप का गणना की जाती है , लेकिन प्रतिशत के रुप में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई0 आर0 डी0 ए0 ने कार्यकारी शोधन क्षमता का अनुपात (वास्तविक शोधन क्षमता से जरूरी शोधन क्षमता का अनुपात) 1.5 है, सभी बीमाकर्ता के लिए।

जीवन बीमाकर्ता

15 बीमाकर्ता , जो 2004-05 में प्रिमियम का अपलेखन किया, मे से 14 बीमाकर्ताओं ने 1.5 के जरूरी ऑकड़े को प्राप्त कर लिया है। एलआईसी का ऋण चुकाने का अनुपात 1.3 है जो न्यायिक जरूरी अनुपात से ज्यादा है लेकिन प्रबंधकीय जरूरी अनुपात 1.5 से कम है। मैक्स न्यूयार्क लाइफ ने शोधन अनुपात में 2004-05 के 1.47 की अपेक्षा 2005-06 में 2.0 वृद्धि दर्ज की हैं। ऋण चुकाने का अनुपात ,जीवन बीमाकर्ता को, 31.03.2006 को विज्ञापित हैं।

गैर जीवन बीमा कर्ता

गैर जीवन के भाग में चार सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं में ,तीन ने निर्दिष्ट शोधन अनुपात जो 1.5 है को प्राप्त कर लिया हैं। ओरिएन्टल का शोधन अनुपात पिछले वर्ष के 31 मार्च में 1.46 की अपेक्षा 31 मार्च 2006 में बढ़कर 1.97 हो गया है। यूनाइटेड इंडिया का शोधन अनुपात 31 मार्च 2006 को 2.23 था (पिछले साल 2.04)। न्यू इंडिया का ऋण चुकाने का अनुपात पिछले वर्ष में 3.22 की अपेक्षा इस वर्ष 3.09 हैं। नेशनल इश्योरेंस ने अपना शोधन स्थिति में कमी को जारी

रखा है। इसका शोधन क्षमता 31 मार्च 2005 को 1.21 के अपेक्षा 31 मार्च 2006 को घटकर 1.08 हो गया है (31 मार्च 2004 को 1.46 था)

प्राधिकरण भारत सरकार का ध्यान कम्पनियों के शोधन में लगातार गिरावट की ओर खींच रहा है तथा शोधने निर्दिष्ट अनुपात 1.50 को प्राप्त करने के लिए नये पूँजी को डालने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान खींच रहा हैं।

विशिष्ट बीमा कम्पनियों में से, जो उधार व्यापार का अपलेखन करता है , के पास शोधन अनुपात 9.39 था जबकि 31 मार्च 2005 में 6.44 था । कृषि बीमा कम्पनी , जिसने अपना कार्य 2003-04 में शुरु किया है, का शोधन क्षमता 31 मार्च 2006 को 2.16 था।

आठ गैर जीवन निजी बीमाकर्ताओं में से छः ने निर्दिष्ट ऋण को चुकाया है। बजाज एलायन्स तथा आइसीआईसीआई लॉम्बार्ड का शोधन क्षमता क्रमशः 1.22 तथा 1.29 था। आइ0सी0आई0सी0आई0 लॉम्बार्ड ने अप्रैल 2006 में 200 करोड़ रुपया के अतिरिक्त पूँजी लगाया है तथा चुकाने की विश्वासनीयता को प्राप्त किया है। बजाज एलायन्स को यह सुझाव दिया गया है कि दिसम्बर 31, 2006 तक अपने जरूरी ऋण चुकाने की क्षमता को विश्वासनीय बनाने के लिए जरूरी कार्य करें।

पुर्नबीमाकर्ता

राष्ट्रीय पुर्नबीमाकर्ता साधारण बीमा निगम , ने अपनी शोधन अनुपात 2005 में 3.81 की अपेक्षा 31 मार्च 2006 में 3.41 दर्शायी हैं।

3) पुर्नबीमा कर निरीक्षण

अधिकारियों को पुर्नबीमा से संबंधित जो अधिकार मिला है वो आई0आर0डी0ए0 कानून 1999 की धारा 14(1) तथा 14(2), उपधारा (1) के साथ ही साथ बीमा कानून 1938 की धारा 34 एफ, 101ए, 101बी तथा 101सी में निर्दिष्ट हैं। इसके अलावे अधिकारियों ने साधारण बीमाकर्ता द्वारा पुर्नबीमा से संबंधित नियमों को भी बनाया है, जो पुर्नबीमाकर्ता द्वारा पुर्नबीमा से संबंधित साधारण नियमों को कहता है। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार साधारण बीमा निगम एक 'भारतीय बीमाकर्ता के रुप में बनाया गया है जो सभी प्रत्यक्ष साधारण बीमाकर्ताओं से कानूनन 20 प्रतिशत का छूट प्राप्त करने को अधिकृत है जितनी भी सीमाओं को बनाया गया है वो पुर्नबीमा सलाहकार समिति से सम्पर्क कर बनाया गया था।

प्रत्येक बीमाकर्ता को अपने पुर्नबीमा कार्यक्रम को बनाने के समय निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखना है :-

- देश में अधिकतम धारणा रखना
- पर्याप्त पुर्नबीमा के क्षमता को बढ़ाना
- पुर्नबीमा का जो लागत मूल्य बचा है उसे सबसे अच्छा सुरक्षा प्रदान करना
- व्यापार के संबंध को सरल करना

विनियमन साधारण बीमाकर्ता को अधिकारियों के समाने डालने होगा उनकी स्वीकृति के लिए। अधिकारी पुर्नबीमा के वापसी को भी संग्रह करते हैं ताकि अनुपातिक तथा गैर अनुपातिक मेल के कार्यों का आकलन कर सकें।

पुर्नबीमा सलाहकार समिति

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 101ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुर्नबीमा करेगा जो प्रत्येक साधारण बीमा पालिसी के बीमित मूल्य के उस प्रतिशत के रूप में होगा जो अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट है, जो दायित्विक छूट यकीनन छूट के रूप में जाना जाता है, जो पुर्नबीमा सुझाव समिति के सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है।

इस उद्देश्य के लिए (ए) अधिकारी उस प्रतिशत को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो सभी पालिसी के बीमित मूल्य का भारतीय पुर्नबीमा के साथ पुर्नबीमित है और पुर्नबीमा के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रतिशत प्राप्त करवाता है जो उस पालिसी के कुल बीमित मूल्य का 30 प्रतिशत बढ़ा होना चाहिए। (बी) उस प्रतिशत के अनुपात को निर्दिष्ट कर सकता है जो भारतीय पुर्नबीमाकर्ता को दिया गया था।

पुर्नबीमा सुझाव समिति ने अपने अन्तिम सभा में उन 2006-07 के लिए जी0आई0सी0 पर कम्पनियों द्वारा बाध्यिक दूट की स्थिति को अन्तिम रूप दिया। राष्ट्रीय धारण शक्ति का तत्कालिन स्तर को पुनर्निरीक्षण किया गया है तथा समिति इस बात की निगरानी कर रहा है कि केवल कानून छूट के द्वारा ही धारण शक्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद सभी बीमाकर्ताओं द्वारा संग्रह का प्रयास जरूरी है। पुर्नबीमा सुझाव समिति के आधार पर अधिकारियों ने सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को सुझाव दिया है कि भारतीय पुर्नबीमा कर्ताओं को बीमा व्यापार के सभी स्तरों के लिए वैद्य

छूट 20 प्रतिशत जारी रहेगा, लेकिन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापार के विभिन्न स्तरों के लिए संभात्य अधिकतम हानि या बीमित मूल्यों के द्वारा वैद्य छूट की सीमा से छुटकारा मिल सकता है। यह भी निर्धारित करता है कि 2006-07 के लिए कमीशन का तत्कालिन स्तर जारी रहेगा, वार तथा सार्क के लिए अलग-अलग कमीशन दर को खत्म कर दिया जाएगा तथा मेरिन कारगो या मेरिन हल, जैसा केस होगा, में मिला दिया जाएगा।

आतंकवाद पूल

भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल जिसका स्थापना अप्रैल 1,2002 को हुआ था ने 31 मार्च, 2006 को अपने कार्य का चौथा वर्ष पूरा किया। पुल के द्वारा जो मूल्य चुकाया गया है वो प्रारम्भ में 200 करोड़ रुपया प्रति जोखिम/प्रति स्थान था से बढ़कर अप्रैल 1,2004 से 300 करोड़ रुपया प्रति जोखिम/प्रति स्थान हो गया था उसके बाद फरवरी 1,2005 से बढ़कर 500 करोड़ रुपया प्रति जोखिम/ प्रति स्थान हो गया। अपलेखन समिति/पूल सदस्यों के सभा में प्रति जोखिम/प्रति स्थान का चूकता मूल्य संशोधित होकर 1 अप्रैल, 2006 से 600 करोड़ रुपया हो गया।

(4) बीमाकर्ताओं के विनियोग का निरीक्षण

31 मार्च 2006 को बीमा उद्योग का पूरा निवेश 13.66 प्रतिशत बढ़कर 529483.10 करोड़ रुपया हो गया है जो पिछले साल 465863.89 करोड़ रुपया था। जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विनियोग 13.07 प्रतिशत बढ़कर 487150.69 करोड़ रुपया हो गया है जबकि संबंधित मामले में ही गैर जीवन बीमाकर्ताओं का केस 13.15 प्रतिशत बढ़कर 42332.41 करोड़ रुपया हो गया है। जबकि एलआईसी ने अपना विनियोग 10.87 प्रतिशत बढ़ाया है जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने 130.05 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन कम्पनियों द्वारा निवेश में वृद्धि 10.51 दर्ज है तथा निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने 49.21 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। (सारिणी-19)

सारिणी-19
बीमाकर्ताओं का निवेश

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	जीवन		गैर जीवन		कुल	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
सार्वजनिक क्षेत्र	418288.99	463771.14	34856.53	38519.52	453145.52	502290.66
		(10.87)		(10.51)		(10.85)
निजी क्षेत्र	10162.94	23379.55	2555.43	3812.89	12718.37	27192.44
		(130.05)		(49.21)		(113.80)
कुल	428451.93	487150.69	37411.97	42332.41	465863.89	529483.10
		(13.70)		(13.15)		(13.66)

नोट: 1) भारत के एलआईसी का निवेश शामिल नहीं किया गया है।

2) चित्र आईआरडीएफ के पास जो प्रोविजनल रिटर्न फाइल किया गया था उसके आधार पर है।

3) कोष्टक में दिये गये आकड़े प्रतिशत वार्षिक बढ़त को दर्शाया है।

31 मार्च 2006 को सम्पूर्ण विनियोग में जीवन फंड विनियोग का योगदान 81.53 प्रतिशत, पेंशन और सामान्य भत्ता (जिसमें समूह भी है) 13.15 प्रतिशत और यूनिट से संबंधित फंड का योगदान 5.31 प्रतिशत है। इसके मुकाबले 31 मार्च 2005 को इनका योगदान क्रमानुसार 85.48, 12.77 और 1.76 प्रतिशत था। ये देखने की संभावना है कि पिछले वर्ष से यूनिट से संबंधित फंड के

विनियोग के तरफ एक झुकाव हुआ है जो कि उम्मीद के अनुसार अर्थपूर्ण है। ये झुकाव निजी बीमाकर्ताओं के संबंध में अधिक है जिसमें पिछले वर्ष के 46.92 प्रतिशत मुकाबले यूनिट से संबंधित फंड में विनियोग 61.85 है जो नये बीमाकर्ताओं के नये व्यापार के अपलेखन के लिए यूनिट से संबंधित उत्पादों पर विश्वास को दर्शाता है। (सारणी-20)

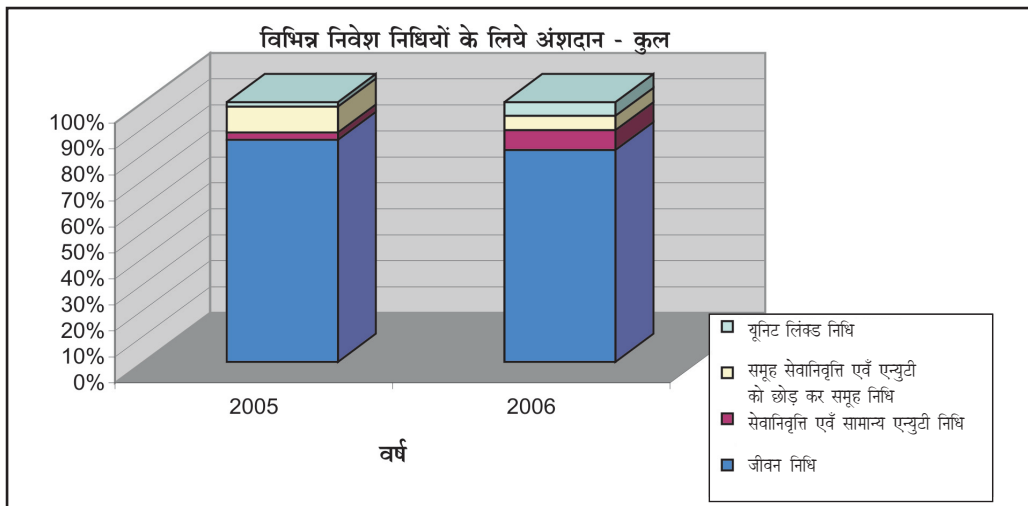
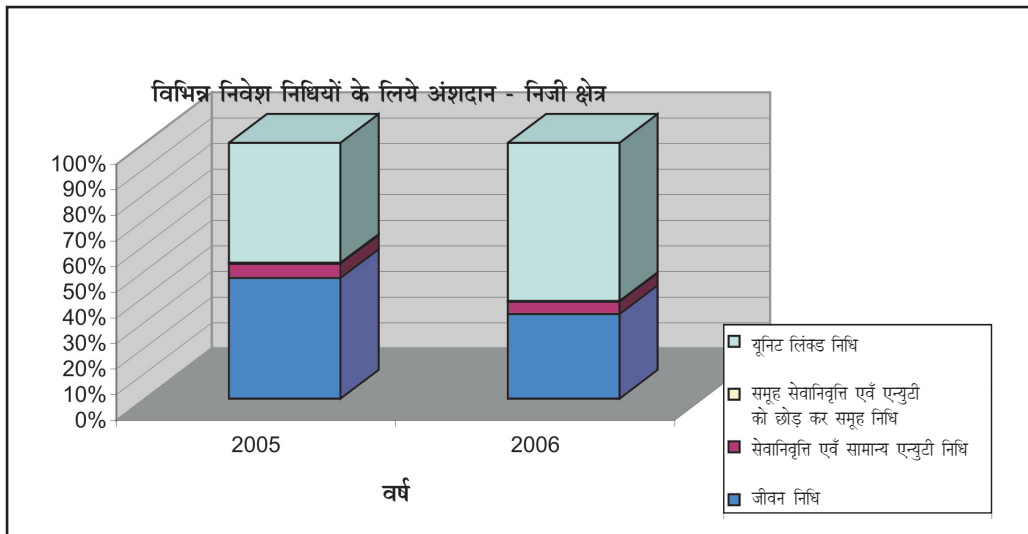
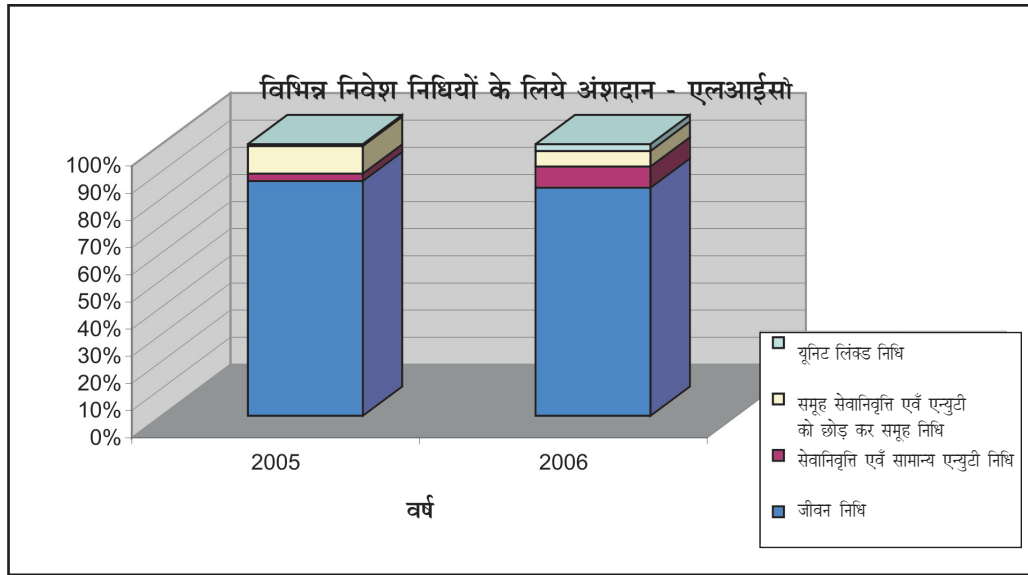
सारिणी-20
जीवन बीमाकर्ता के निवेश- निधि के अनुसार

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		सेवानिवृत्ति तथा सामान्य एन्ड्युटी फंड		समूह सेवानिवृत्ति तथा सामान्य एन्ड्युटी फंड को छोड़कर समूह		यूनिट लिंक्ड निधि		सभी का योग	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
एलआईसी	389447.52	361428.87	36157.64	11462.03	26737.53	42639.42	11428.45	2758.67	463771.14	418288.99
निजी क्षेत्र	7741.13	4790.98	1106.65	561.75	72.09	41.43	14459.68	4768.77	23379.55	10162.94
कुल	397188.65	366219.85	37264.29	12023.78	26809.62	42680.85	25888.13	7527.45	487150.69	428451.93
	(81.53)	(85.48)	(7.65)	(2.81)	(5.50)	(9.96)	(5.31)	(1.76)		

नोट : 1) आँकड़े आईआरडीएफ में जमा किये गये सामयिक रिटर्न पर आधारित हैं।

2) कोष्टक में दिये गये आँकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।



निवेश करने के लिये विनियमन ढाँचे का पुनः अवलोकन

भूमिका:

आईआरडीए के धन लगाने वाले नियमों में जीवित और बिना जीव वाले के लिए धन लगाने की परिवारी वाले जरूरी नियमों की व्यवस्था किया हुआ है। (फिर से बीमा करने वाले को लेकर) जीवन भात्ता वार्षिक भात्ता और पेन्शन सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में जरूरी नियमों को निश्चित किया गया है जो कि जीवन बीमा कार्यक्रम के तहत अधिकार में रहने वाले मूलधन से चलाया जाता है और आम बीमा योजना कार्यक्रम के तहत बीमा चलाने वाले की कुल धन से चलता है।

1983 का जीवन बीमा कानून और नियम सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाने के प्रतिशत मात्रा को अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये प्रतिभूति को (जहाँ मूलधन और सूद की भुगतान निश्चित होना है) और दुसरे धन लगाने की अधिकारी द्वारा निर्धारित धन लगाने की योजनाओं में 85 प्रतिशत जीवन योजना के वास्ते और 75 प्रतिशत आम बीमा कम्पनियों के नियमानुसार निश्चित करता है। ये नियम एक कम्पनि के द्वारा खतरा उड़ाने की सीमा समूह में कम्पनियों द्वारा खतरा उठाने की सीमा एक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा खतरा उठाने की सीमा का बुद्धिमानी पुर्ण नियम निर्धारित करते हैं जिससे धन एक जगह इकट्ठा होने के खतरे को दूर किया जाये और बचाव का ढाँचा खड़ा किया जाए । ये नियम ढाँचा गत व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भी धन लगाने के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। यह निश्चित करने वास्ते ऐसा किया जाता है कि लम्बी अवधि में सेक्टरों से होने वाली बचतों को सही ढंग से उचित जगहों पर लाया जा सके ।

यूनिट से जुड़े हुए उत्पादों में जहाँ पर धन लगाने का खतरा पॉलिसी रखने वाले आदमी के उपर जाता है वहीं धन लगाने का रुपरेखा अधिकारी द्वारा निश्चित किया हुआ तथा अधिकारी द्वारा नहीं निश्चित किया हुआ ढाँचा के अनुसार 75:25 के अनुपात में बँट जाता है ।

(ए) विनियमन संक्षेप में :-

1. आईआरडीए का निवेश विनियमन सम्पत्ति, प्रधान अधिकारी, समूह, वित्त इत्यादि को परिभाषित करता है।
2. यह नियम जीवन, गैर-जीवन व्यापार विशेषतः पॉलिसी धारक फण्डस के विनियोग करने आधार को दर्शाता है।
3. विनियोग नियम मूलभूत और सामाजिक ढाँचा के संतुलन को महसूस करता है । (ये नियम बीमा के साधनों के सुरक्षित हिसाब में आने वाला और लाभदायक होने की पहचान पर टिके हैं। बुद्धिमानी पूर्ण अपनाये गये खतरों से बचने के उपाय उचित एजेंसियों की सहायता सुरक्षा दिलाते हैं।)

(बी) अन्य विनियमों की संक्षिप्त जानकारी

अधिकारी विनियोग के बारे में सूचना, आमदनी की उगाही, विभिन्न फण्डस से प्राप्ति, विनियोग का आधार, हानि वाली निवेश का विस्तृत जानकारी, फण्डस के आधार पर विनियोग, विनियोग का आधार, किया गया विशिष्ट विनियोग, विनियोग करने वाली कम्पनी का विस्तृत जानकारी, समूह में आनेवाली कम्पनियाँ और उद्योग क्षेत्र का खतरा, नॉन-परफॉर्मिंग सम्पत्ति का विवरण इत्यादि सूचनाओं को प्राप्त करता है । अधिकारी विनियोग नियम के क्लॉज 7 के तहत आने वाले अन्य अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार रखता है ।

हर बीमा करने वाला को एक विनियोग की सलाह देने वाली समिति को रखना है जो समिति बोर्ड द्वारा बनाये गये धन लगाने की नीतियों के लिए जिम्मेदार होगी। विनियोग की नीति फिनान्सीयल साल के शुरुआत में उन तरीकों को दिखाते हुए जो योजना को बढ़ाने में आनेवाली हैं अधिकारी के सामने फाइल की जायेंगी। जो की निगरानी रखी जाएगी

- (ए) धन से होने वाले लाभ का ठीक जानकारी , सतर्कताओं और खतरे के रूप रेखा पर
- (बी) सेक्युरिटी को नीचे आने से रोकना
- (सी) बाजार के खतरे को प्रबंध करना
- (डी) देने योग्य पूँजी- पूँजी चुकाने की जवाब देही की व्यवस्था
- (ई) बीमाधारकों की लगायी पूँजी पर उचित भुगतान
- (एफ) सुरक्षा और पूँजी को बचाना।

धन लगाने की नीतियों कि आधे वर्ष के अन्तर पर इसके सही से लागू करने के वास्ते फिर से जाँच होनी चाहिए और धन लगाने की नीतियों में किसी बदलाव की हालत में इसको अधिकारी के सामने फाइल करना चाहिए।

(सी) इक्विटी में धन लगाना

कानून और नियम इक्विटी में धन लगाने पर सीमा लगाये हैं। जीवन और गैर जीवन के व्यापार में बीमा कानून सन् 1938 के धारा 27ए और 27बी के सावधानी बरतने वाले विशेष व्यवस्थाओं को पूरा किया जाना जरूरी है ताकि यह निर्धारित हो सके कि कोई धन का लगाना अधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं 1 इस कानून में निर्धारित मापदंड तीन सरलों से कम के लाभांश के भुगतान की साधारण बीमा कम्पनी के लिये और जीवन कम्पनियों के मामले में सात सालों से कम के लाभांश भुगतान का निर्धारण नहीं करता 1 यह उन कम्पनियों के बारे में भी लागू है जिनकी इक्विटी औ प्रसन्द के शेयर खरीदे जाते हैं इसके आगे अधिकारी द्वारा किसी बीमा कम्पनी के बारे में जो इनीशियल पब्लिक ऑफर में योगदान करता है मापदंड निश्चित किया जाता है।

अधिकारी द्वारा सहमति पाया हुआ धन लगाने की बात नीचे लिखे को पूरा करेगा .

- (ए) बीमा कानून 1938 के धारा 27 'ए' और 27 'बी' में सावधानी बरतने वाले सतर्कता के माप-दंड
- (बी) खतरो के बिन्दु आइआरडीए के धन लगाने में खतरे के बिन्दुओं को बतलाते हैं जिसका उद्देश्य :-

1. व्यक्तिगत कम्पनी में धन लगाना
2. समूह कम्पनियों में धन लगाना
3. किसी खास औद्योगिक क्षेत्र में धन लगाना
4. प्रमोटर समूह की कम्पनियों में धन लगाना

बाजार में बदलाव को ख्याल में रखकर इक्विटी के खतरे को नीचे प्रतिशत में रखा जाता है। अधिकारी भी अनेक असर डालने वाली विचारों के द्वारा आनेवाले रिपोर्ट को प्रभावकारी ढंग से बदलता है, जिसका आधार समय-समय पर आने वाले रिपोर्ट की जाँच प्रभावित करने वाले नियमों और 1938 के बीमा कानून के तहत होता है।

(डी) निवेश कार्य को बाह्य कार्य बनाना

नियम के तहत किसी भी बीमा व्यापार के मूल काम को मूल स्थान से हटाने की व्यवस्था नियम के अन्दर नहीं आता है। चूँकी धन लगाना मूल कामों में से एक है जबकी नियमों की सूचना को नोटिस में लाते समय यह साफसाफ बतलाया गया है कि धन लगाने सम्बन्धी सभी काम इसे उचित रूप से नियंत्रण करने को लेकर अपने देख-रेख में ही होना चाहिए। मगर ये नियम धन

लगाने सम्बन्धी सलाह को मूल स्थान हटकर जाने की अनुमति उपर के दिशा के साथ साथ देता है। प्राधिकरण ने सकुलर निकाल कर साफ किया है, धन लगाने के काम को संस्थान से दूर ले जाने का हुक्म नहीं है। चूँकि बीमा करने वालों ने एमएवी के योग अपनी कठिनाइयों को बतलाया है। सम्बन्धित अधिकारी ने सीमित मात्रा में उद्देश्य पूर्ण काम को मूल स्थान से हटाने की अनुमति जीवन बीमा कम्पनियों को एमएवी के योग के लिये दिया है।

(ई) निवेश के विनियमों का पुनर्विलोकन

सहमति के साथ यह देखा गया कि धन लगाने सम्बन्धी प्रयोग में चालू नियम जो कि सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा 2000 ई में जारी किया गया, वे सभी कुछ-कुछ मात्रा में अनेक सुधार के तरीकों से बदले जा चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में फैलाव के साथ तथा नये आर्थिक पहलुओं को साथ नये पहलुओं में धन लगाने की प्रार्थना तथा आगे आने वाली नई योजनाओं में धन लगाने की आवश्यकता बढ़ी है जिसकी गुंजाइश अभी के ढाँचे में नहीं है, इसके लिए जाँच करके उचित नियम के भीतर बढ़ाने वाले ढाँचे को तैयार करना है।

इसलिए सम्बन्धित अधिकारी ने इस समय चलन में धन लगाने वाले नियमों की जाँच के लिए कार्यकारी गुप को बनाया जो पूरी तरह से चालू कानूनी कमियों और व्यवस्था को बीमा कम्पनियों के लिए जाँच करेगी और हासिल किये गये जानकारी के आइने में आवश्यकता मुताबिक उचित सलाह जिसमें आर्थिक बाजार में आये बदलाव और बीमा कम्पनियों द्वारा झेले जानेवाले सभी कठिनाइयाँ शामिल हैं। यह समूह वर्तमान में चालू निर्धारित प्राप्ति ढाँचे की भी जाँच कर रहा है ताकि आवश्यकता अनुसार बदलाव की सलाह दी जा सके। यह गुप शीघ्र अपने सलाहों को अन्तिम रूप देगा।

बीमा अधिनियम 1938 के पुनः अध्ययन के दौरान विधि आयोग के सामने बीमा कम्पनियों द्वारा धन लगाने सम्बन्धि ढाँचा के जाँच का पहलू भी सामने था। जून 2004 में भारत सरकार को अपना रिपोर्ट देते समय विधि आयोग ने कुछ एक पहलुओं पर जानकारी द्वारा पूरी जाँच की आवश्यकता है। सम्बन्धित अधिकारियों ने के0 पी0 नरसिम्हा को चेयरमैन बनाकर मार्च 2005 में एक समिति बनाया जिसमें जुलाई 2005 में धन लगाने संबंधी कानूनों और नियमों को पूरी तरह से लेते हुए अपना रिपोर्ट पेश किया। इन सुझावों में से कुछ बीमा कानूनों के संशोधन से जुड़े हैं और इस समय सरकार द्वारा इसकी जाँच चल रही है।

जीवन बीमाकर्ता केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों में 245477.93 करोड़ रुपया का विनियोग है आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में 49638.45 और विनियोग में 102072.27 करोड़ रु. है जो कि 31 मार्च 2006 के एक्सपोजर नियमों पर आधारित है ।

31 मार्च 2005 को इससे सम्बन्धित विनियोग क्रमानुसार 209908.18 करोड़ रु , 45521.01 करोड़ रु. तथा 110790.66 करोड़ रु. है । एल0आईसी0 के केस में जीवन फंड से 61.91 प्रतिशत केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों और अन्य स्वीकृत बीमाकर्ताओं में, 1 2.37 प्रतिशत आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र और 25.72 विनियोग में मार्च 31,2006 के एक्सपोजर नियमों पर आधारित था। इसके मुकाबले में पिछले वर्ष के क्रमानुसार प्रतिशत थे 57.2 , 12.35 और 30.4। नीजी बीमाकर्ता के जीवन फंड से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में, 12.37 प्रतिशत आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र और 25-72 विनियोग में मार्च 31,2006 के एक्सपोजर नियमों पर आधारित था। इसके मुकाबले में पिछले वर्ष क्रमानुसार प्रतिशत थे 57.2 , 12.35 और 30.4। निजी बीमा कर्ता के जीवन फंड से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी 56.51 प्रतिशत आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में 18.81 प्रतिशत और विनियोग में 24.68 प्रतिशत है जो कि 31 मार्च 2006 के एक्सपोजर नियमों पर आधारित है। पिछले वर्ष संबंधित आंकड़े क्रमानुसार 62.65 प्रतिशत, 17.96 प्रतिशत और 19.39 प्रतिशत थे।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश:-

गैर-जीवन बीमा कर्ताओं के द्वारा किये गये सम्पूर्ण विनियोग में 16745.31 करोड़ रु. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में 4981.88 करोड़ रु. और विनियोग में जो कि 31 मार्च 2006 के एक्सपोजर नियमों पर आधारित है उसमें हिस्सेदारी है 17497.42 करोड़ रु. जो कि पिछले वर्ष क्रमानुसार 14964.24 करोड़ रु., 4389.7 करोड़ रु और 15410.64 करोड़ रु. था।

सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन कम्पनियों ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 15150.5 करोड़ रु. का विनियोग किया है(जो कि 39.33 प्रतिशत है सम्पूर्ण विनियोग का) , 4413.07 करोड़ रु. आधारभूत और सोशल क्षेत्र में (जो

कि सम्पूर्ण विनियोग का 11.46 प्रतिशत हैं।) और विनियोग में 16169.11 करोड़ रु. एक्सपोजर नियमों पर आधारित (जो कि सम्पूर्ण विनियोग का 41.98 प्रतिशत है) जो कि पिछले वर्ष में क्रमानुसार 13725.2 करोड़ रु.(39.38 प्रतिशत) 4001.17 करोड़ रु.(11.48 प्रतिशत) और 14695.38 करोड़ रु.(42.16 प्रतिशत) था । निजी क्षेत्रों का उपर के क्षेत्रों में विनियोग है 1594.81 करोड़ रु.(41.83 प्रतिशत), 568.81 करोड़ रु.(14.92 प्रतिशत) और 1328.82 करोड़ रु.(34.84 प्रतिशत) जो कि 31 मार्च 2005 को क्रमानुसार 1239.04 करोड़ रु.(48.49 प्रतिशत), 388.53 करोड़ रु. (15.2 प्रतिशत) और 715.41 करोड़ रु.(28 प्रतिशत) था।

5) स्वास्थ्य बीमा

आज मुश्किल से देश की एक प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के अन्दर जाती है। स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य के लिए दिये गये सम्पूर्ण खर्च का मात्र 1.2 प्रतिशत है। आई0आर0डी0ए0 के द्वारा 2003 में स्थापित कार्यात्मक समूह ने स्वास्थ्य बीमा आंकलन सह- समिति बनाया है जिसके सलाह पर तीन समितियों को बनाया गया है जो क्रमसनुसार स्वास्थ्य बीमा आंकड़ा, उत्पादों में नवीनीकरण और पहले से स्थित बीमारी का परिभाषा और स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन देखेगी।

इन समितियों के सलाह को एक-एक करके आगे ले जाया जायेगा। उत्पाद नवीनीकरण के सह-समिति के सलाह के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा सह-ग्रुप को स्थापित किया गया है ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए।

स्वास्थ्य बीमा सामान्य बीमा व्यापार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग है। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिये आई0आर0डी0ए0 एक अलग स्वास्थ्य बीमा विभाग की स्थापना कर रही है। अधिकारी स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अलग से नियम और निर्देश बनाने की योजना बना रही है।

वर्ष ने स्वास्थ्य बीमा कम्पनी के रजिस्ट्रेशन को देखा जो कि व्यापार में आया सामान्य बीमा कम्पनी के लिये जरूरी 100 करोड़ रु. के न्यूनतम पूँजी जरूरत के साथ ।

तीसरा पक्ष प्रशासक

ये अपने सेवाओं के भुगतान में प्रोफेशनल हो गये हैं और लगातार अपने स्थिति की मजबूत कर रहे हैं। अपने कार्यों के दायरे के विस्तार के लिये टी0पी0ए0 को केन्द्र सरकार ओर

राज्य सरकार के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य योजनाओं को अपने सेवाओं को देने की मंजूरी मिली है। इनमें से बहुत कम ने अपने वित्तीय स्थिति को और पूँजी लगाते हुए मजबूत किया है। उनके द्वारा निर्दिष्ट अस्पतालों की लिस्ट बढ़ रही है। दो और कम्पनियों को टी0पी0ए0 की तरह कार्य करने के लिए 2005-06 में लाइसेंस दिया गया है। एक टी0पी0ए0 कम्पनी के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी अपने कार्यों का निष्पादन ठीक से नहीं कर रही थी और अपने कार्यों के निष्पादन में प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। इस तरह अब 26 कम्पनियों के पास टी0पी0ए0 (स्वास्थ्य सेवाओं) के तौर पर कार्य करने का लाइसेंस है। अधिकतर सामान्य बीमा कम्पनियाँ जो स्वास्थ्य बीमा व्यापार में कार्य कर रही हैं ने टी0पी0ए0 को उनकी पालिसी की सेवा के लिये अधिकृत किया है। ये उनके स्थिर तरीके से टी0पी0ए0 सेवाओं के इस्तेमाल में विश्वास को दर्शा रही हैं।

स्वास्थ्य बीमा आंकड़ा सुरक्षा कोष को बनाने को ध्यान में रखते हुए अधिकारी ने टी0पी0ए0 से आंकड़ों का संग्रह एक दिये हुए फॉर्मेट में किया है और उसे मुम्बई के टी0ए0सी0 मुम्बई में रखा है। आंकड़ों को सुधारने के लिये विचार-विमर्श चल रहा है जो कम्पनियों के स्वास्थ्य बीमा के सांख्यिकी को संग्रह कर किया जा सकता है। अधिकारी एक आई0सी0डी0 10 कोडिंग पर प्रतिशिक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत व्यूरो आफ सेन्ट्रल हेल्थ इंटेलेजेन्स के द्वारा प्रबंध किया गया। प्रत्येक टी0पी0ए0 से न्यूनतम दो कर्मचारियों को ओरियेंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिये कहा गया। इन्हें मोहाली और बैंगलोर में चार बैचों में किया गया।

सारिणी-21

तीसरा पक्ष प्रशासक: दावा आंकड़े

निपटारे गये दावे

उपगत दावे	1 माह के भीतर	1 माह से 3 माह के भीतर	3 माह से 6 माह के भीतर	6 माह से ज्यादा	बचे हुए दावे
1126895	730269	291766	36051	10597	104740
	(64.80)	(25.89)	(3.20)	(0.94)	(9.29)

टी0पी0ए0 ने बड़े संख्या में पालिसी धारकों को अस्पतालों में वित्त रहित मेडिकल उपचार को पाने में मदद की है। लम्बे समय में पाये गये अनुभव और संग्रह किये गये आंकड़ों से ये सोचा गया है कि इन सभी व्यवसायियों को मेडिकल उपचार के खर्च को देश के अंदर नीचे लाने में मदद करेगी।

सारिणी-22
टीपीए (अंतरसंरचना)

टीपीए का नाम	जोड़े गये चिकित्सालयों की संख्या	खोले गये नये कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	चिकित्सकों / व्यवसायियों को मिलाकर मानव शक्ति
फैमिली हेल्थ प्लान	1097	2	79
मेड सेव हेल्थ केयर लिमिटेड	464	4	33
हैरीडेज हेल्थ सर्विसेस	522	1	31
रक्षा टीपीए प्रा. लि.	417	15	43
टीटीके हेल्थ केयर सर्विसेस लिमिटेड	1424	6	227
पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेस	413	2	99
मोडि एक्सिस्ट इंडिया प्रा. लि.	183	3	43

6. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में व्यापार :-

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों से सम्बन्धित दायित्व के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं के लिये विनियमों को बनाया था और सभी बीमाकर्ताओं को वर्ष भर इन दायित्वों को पूरा करना होगा। यह व्यवस्था जो बीमाकर्ता की जरूरत है, कार्य के शुरू करने वाले वर्ष के आधार पर व्यापार का अपलेखन करता है। इन दायित्वों को पूरा के लिए व्यवस्था बताता है कि बीमाकर्ता का पहला वित्तीय वर्ष 12 महीनों के कम होने से, अनुपातिक प्रतिशत या जीवनों की संख्या जैसा केस हो, के अनुसार अपलेखन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कम्पनियों के लिये यह जरूरी है कि व्यापार की मात्रा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में 2001-02 में दर्ज किए गए अपलेखन से कम न हों।

जीवन बीमाकर्ता का दायित्व

सभी पन्द्रह बीमाकर्ताओं, जो पिछले छः वर्षों से जीवन बीमा के कार्य में लगे हैं, ने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व को पूरा किया है। उनके द्वारा पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत जो ग्रामीण और क्षेत्र में अपलिखित किया गया है 2005-07 के वर्ष में कुल पॉलिसियों के अपलेखन के दायित्व के आमंत्रण के रूप में था।

सामाजिक क्षेत्र में जितने जीवन की संख्या प्राप्त की गई वो निर्दिष्ट दायित्व से जयादा था। एल0आई0सी0 की स्थिति में यह निर्दिष्ट है कि वर्ष भर में ग्रामीण क्षेत्र में निर्गत पालिसी का प्रतिशत 32 मार्च, 2002 में समाप्त वर्ष में किए गये व्यापार की मात्रा से कम नहीं होना चाहिए। जबकि जीवनों की संख्या जो प्राप्त किया गया है, बीमाकर्ता द्वारा सामाजिक क्षेत्र में

2001-02 में प्राप्त किए गए जीवनों की संख्या से ज्यादा है। एल0आईसी0 ने अपने कवरेज के क्षेत्र में बढ़ा दिया है। अब यह विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह योजना के द्वारा समाज के कमजोर तबकों को भी अपने अधीन कर रहा है जिससे असंगठित क्षेत्र का गैर प्रतिष्ठित तथा भीड़ भी इसके अन्तर्गत आ जाए। बीमा के दावे का भुगतान सरकार द्वारा बनाए गए विशेष विधि से भी किया जाता है बीमा आवरण पर सब्सिडी पावरलूम मजदूर, हैडीकाफ्ट कारीगर तथा हैंडलूम जुलाहा को दिया गया है। शिक्षा सहयोग योजना के तहत छात्रवृत्ति उनको बच्चों को दिया जाता है जिनके अभिभावक जनश्री बीमा योजना के तहत आते हैं।

गैर जीवन बीमाकर्ता का दायित्व :

सभी आठ निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने ग्रामीण तथा सामाजिक दायित्व को 2005-06 के वित्त वर्ष में पुरा किया है। जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व को 2005-06 में पुरा किया है, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने अपना व्यापार का अपलेखन, ग्रामीण क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में जीवन कवच के संख्याओं के आँकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब नेशनल इश्योरेंस कम्पनी ने अपना सामाजिक क्षेत्र का दायित्व पूरा नहीं कर पाया है। अधिकारीगण इस बात को ध्यान दे रहे हैं। न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जिसका जीवन कवर की संख्या, ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2004-05 के दौरान निर्धारित संख्या से थोड़ा कम था, ने वर्ष 2005-06 के दौरान पूरा करने के लिए सही कदम उठाया है। बीमाकर्ताओं ने अपना दायित्व, वर्ष के दौरान दिए गए रिपोर्ट में, का आजाकारिता रखता है।

8) लेखा और बीमांकन मानक:

1. लेखा पद्धति

प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में वित्तीय लेखांकन तथा ऑडिटर के रिपोर्ट को जो बीमा कम्पनी से संबंधित है, को बनाने के लिए कानून निर्गत किया है। समान तथ्यों के समय-समय पर विभिन्न स्पष्टीकरण के लिए मार्च 2002 में कानून में पुनर्द्वार किया गया है। यह नियम इन्सटीच्यूट ऑफ चार्टर एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया के द्वारा निगत लेखांकन प्रमाण को पूरा करता है। परिवर्तनीय सुधार लेखांकन पद्धति के लिए

बनाया गया है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट (ए0एस0-3) से संबंधित है जो प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर अधिकारियों को तैयार करने के लिए जरूरी है। (ए0एस0-17) के भाग सूचना के अन्तर्गत जरूरतों को भी बीमा सारे बीमा कम्पनियों के लिए अधिक कठोर कर दिया गया है। व्यवसाय में आगे की जरूरत है कि वित्तीय कथन प्रबंधन रिपोर्ट के साथ ही एक दिये हुए फार्मेट में और प्रबंधन के द्वारा प्रामाणित हो। कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 217(2एए) के जरूरत के अनुसार उत्तरदायित्व कथन जो कि कारपोरेट गर्वनेंस का भाग है ये प्रबंधन रिपोर्ट का भी भाग है अधिकारी ने हिसाब की जाँच करने वालों के रिपोर्ट के लिये भी एक फार्मेट दिया है और हिसाब किताब को दो आडिटर्स के द्वारा सम्मिलित रूप से जाँच करने की जरूरत है।

बीमा अधिनियम 1938 के धारा 12 के अनुसार सारे बीमा कम्पनियों का वार्षिक आडिट अनिवार्य तौर पर आडिटर्स के द्वारा होना चाहिए। आई0 आर0 डी0 ए0 के नियम 3(4) (बीमा कंपनियों के वित्तीय कथन और आडिटर्स रिपोर्ट को बनाना) नियम, 2002 आगे बताता है कि प्राधिकरण समय-समय पर अलग निर्देश/मार्गदर्शिका नियुक्ति, नित्यता या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के योग्यता और अनुभव उनके चक्र नियुक्ति की अवधि, इत्यादि जिसे अनिवार्य सोचा जाये हो सकते हैं। संबद्ध अधिकारी एक आडिटर्स के पैनल को कायम रखे हुए हैं जो कि मिले हुए आवेदन पर आधारित है और ये फरवरी 2001 में निकाले गये परिपत्र के कारण है, और पैनल को कायम रखने की कार्य करने की रिति का पुनर्निरीक्षण जिस संदर्भ में किया गया है वो है -(1) मिले हुए आवेदन के प्रमाणन और प्रक्रिया में रुकावट

संशोधित गाईड लाइंस के मुख्य लक्षण जो की 2006-07 के वित्तीय वर्ष से लागू हैं, वो नीचे दिये गये हैं :-

(अ) परिणामस्वरूप अधिकारी आडिटर्स के पैनल को कायम नहीं रखेंगे। उसके जगह न्यूनतम नुस्खा दिया गया है जो नियमित आडिटर्स में नियुक्ती हाने वाले फर्म के लिए जरूरी है।

(ब) परिणामस्वरूप बीमा कम्पनियाँ ऑडिट फर्म जो दिये गये उपयुक्त सिद्धांत को पूरा करते हैं, उनके चुनाव के लिए उत्तरदायी हैं।

(स) बीमा कम्पनियाँ को जरूरी है की वो अपने संतुष्टी के अनुसार योग्यता सिद्धांत को प्रमाणित कर लें, उनके नियुक्ति को स्वीकृत करने से पहले।

(द) बीमा कम्पनियों से सम्बद्ध अधिकारी को ऑडिट फर्म का नाम पता उनके नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर देना होता है। व्यापारिक निगम के शासकीय प्रबन्ध के प्रचलन के रूप में कार्य परिवर्तन धीमापन में तेजी लाने वास्ते पुनः निरीक्षित दिशा निर्देश में से समाहित किया गया है।

जीवन सहित और गैर जीवन पर बीमाकर्ताओं के आर्थिक विवरण की तैयारी लागू होने वाले नियमों पर समय-समय से उठने वाली विविध समस्याओं की जाँच हेतु सम्बद्ध प्राधिकरण ने एक समिति का गठन किया है। जनवरी 2004 में इस समिति का पुनः गठन हुआ और अभी इसके निम्न सदस्य हैं :-

1. श्रीमान, श्रीमती टी0 एस0 विश्वनाथ , एफ0 सी0 ए0, नई दिल्ली चेयर मैन
2. आशीष भट्टाचार्य , आई0 आई0 एम0, कोलकत्ता
3. अमल गांगुली, एफ0 सी0 ए0, नई दिल्ली
4. पी0 बी0 रामानुजन, चेन्नई

2005-06 के दौरान समिति ने उन विषयों का जाँच किया है जिनका लगाव (1) आय के पहचान के मापदंड , बीमा कम्पनियों के लिये दस्तावेजों में उल्लेखित कानूनी हालत तथा ऋण अदायगी सम्पत्ति का वर्गीकरण (2) बीमाकर्ताओं द्वारा त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट और परफोर्मा जिन पर ऐसे रिपोर्ट बीमाकर्ताओं द्वारा पेश किये जाने वाले हैं , (3) दूसरों से लिये गये योजनाओं में धन का नियोजन उनकी लेखा विषयों को लेते हुए , (4) अलटरमेट रिस्क ट्रांसफर से जुटे हुए लेखा और प्रस्तुतीकरण विषय , गैर जीवन बीमा कर्ताओं द्वारा प्रवेश पाये हुए समझौते पर और (5) गैर जीवन बीमा कम्पनियों के मामले में अर्थ नियोजनों की बिक्री पर टैक्स की पेचीदगीयाँ जो फायदा नुकसान को व्यस्थित करती है आदि से है।

यह समिति वर्तमान में जिन बातों की जाँच कर रही है वे हैं (1) जीवन बीमा कर्ताओं के आर्थिक रिपोर्ट में यूनिट सम्बद्ध उत्पदो वास्ते खुलासा करने की आवश्यकता रिपोर्ट करने में

अधिक पारदर्शिता निश्चित करने वास्ते (2) जीवन बीमा कर्ताओं के सम्बन्ध में दावे का परिचालन वास्ते व्यवस्था सम्बन्धि निर्देश का आधार रखना तथा उनसे सम्बन्धित लेखा-जोखा (3) बीमा कम्पनियों को चल सम्पत्ति में धन नियोजन की सम्भावनाओं की जाँच अनुसार अनुमति देने की क्रिया। आर्थिक विवरण की तैयारी के नियमों पर समझौते के शर्तों को दूर करने वास्ते बीमा कम्पनियाँ प्रयत्न कर रही हैं जो यह व्यवस्था देता है कि किराये की आमदनी में केवल वसूला गया किराया है और इसमें कोई काल्पनिक किराया नहीं शामिल होगा।

II) (अ) नियुक्त बीमांकक प्रणाली

2000 वर्ष में सम्बद्ध अधिकारी ने नियुक्त बीमांकक प्रणाली की व्यवस्था को लागू किया ।

नियमगत ढाँचा व्यवस्था देता है कि कोई बीमाकर्ता कोई भी जीवन बीमा व्यवसाय भारत में बीमांकक के बिना नहीं कर सकता है। जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में ए0 ए0 को शर्तिया तौर पूर्ण कालिक कर्मचारी होना है जबकि गैर जीवन बीमा कर्ताओं के मामले में ए0 ए0 सलाहकार के रूप में चल सकता है और कम्पनी का कर्मचारी होना आवश्यक नहीं हैं । प्रत्येक ए0 ए0 को कुछ छूट प्राप्त है और कुछ दायित्व भी उनके उपर है जिनको नियमों के तहत विशिष्ट रूप से बतलाया गया है।

बीमा कानून 1938 के उद्देश्य के अन्तर्गत 2003-04 में सम्बद्ध अधिकारी ने बीमांकक के योग्यता पर इसकी परिभाषा को लेते हुए सूचना जारी किया। यह नियम आगे व्यवस्था देता है कि सम्बद्ध अधिकारी किसी खास परिस्थिति में अपनी समझ की पहुँच के अनुसार व्यवस्था में ढील दे सकता है और इस तरह के व्यक्ति को कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये बीमांकक के रूप में दस्तखत करने की अनुमति दे सकता है। सम्बद्ध अधिकारी द्वारा बीमांकक के अधिकार और कर्तव्य की रूप रेखा उनके नियोजन के अनुसार है जिसमें ये बातें शामिल हैं सभी प्रबंधन और बोर्ड मीटिंग में जाने का अधिकार, बातचीत में शामिल होने का अधिकार, बीमा खतरा को सलाहों को प्रबंधन को देना खास कर उत्पाद रूप रेखा पर और कीमत निर्धारण पर, ठीका दस्तावेज पर अर्थनियोजन और पुनः बीमा, सभी समय बीमाकर्ताओं के ऋण आदयगी क्षमता को कायम रखना, बीमाकर्ताओं के

जाँच के लिए कार्य योजना

प्राधिकरण के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को चार क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है- वह है-

- (i) बीमाकर्ताओं का पंजीकरण तथा बीमा मध्यस्थताओं को पंजीकरण।
- (ii) वित्तीय एवं विनियामन पर्यावेक्षण।
- (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियामन तथा
- (iv) पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा।

विनियमन कार्याचरण में बीमा कंपनियों का पंजीकरण, ऋण शोधन की क्षमता को बनाए रखने, निवेश एवं कंपनी के नियमित वित्तीय रिपोर्टिंग जिससे कंपनी के प्रदर्शन का पता चलता हो, आते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण ने पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए नियम निर्धारित किये हैं, सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति दायित्व, एजेंटों का पंजीकरण, कार्पोरेट एजेंट एवं तृतीय पक्ष प्रशासन आदि। कुल मिलाकर विनियमन कार्ययोजना बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, प्राधिकरण द्वारा दर्शाए गए विभिन्न विनियमनों में स्पष्टतः दिखाए गए हैं।

प्रक्रिया

नये बीमाकर्ताओं को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के साथ यह भी महसूस किया गया कि पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए विनियमित कंपनियों पर एक पर्यावेक्ष नज़र रखी जाए जिससे कंपनी अपनी वित्तीय हालत को तंदुरुस्त बनाए रखे। निगरानी प्रक्रिया दो हिस्सों ऑन-साइट तथा ऑफ-साइट पर्यावेक्षण के रूप में विभाजित की जा सकती है। यह प्रक्रियाएं कुछ इस तरह लायी गयी हैं कि इससे नियमीकृत कंपनियां नियामकीय कार्य योजना के दायरे में रहेंगे साथ ही पॉलिसी धारकों के हितों की भी निरंतर रक्षा करेंगे।

विभिन्न रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को बीमा कंपनियों के क्रियान्वयन के हिसाब से बनाया गया है। ऑफ-साइट चार भागों (i) वित्तीय रिपोर्टिंग, (ii) निवेश कार्य, (iii) बीमांकक मामले तथा (iv) पुर्नबीमा। इन विनियमों के चलते बीमा कंपनियों को घोषित नियमित अंतराल में अपने रिपोर्ट तथा वक्तव्यों को प्रदर्शित करना होगा। विनियमों के दिये न जाने वाले कुछ एक वर्षों के संबंध में भी अतिरिक्त रिपोर्टिंग को कहा जाता है। पर बीमा कंपनियों के कार्यों पर निगरानी आवश्यक है।

वित्तवर्ष 2005-06 जो कि उद्योग के खुलने के बाद बीमा कंपनियों के कार्यों का छठा वर्ष था। प्राधिकरण ऑन साइट जाँच के

लिए व्यापक तैयारियां कर रहा था तब यह महसूस किया गया कि व्यापक स्तर पर जाँच से पहले विनियमता कंपनियों को अपने कार्यों में स्थिरता लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर उठी चिंताओं के आधार पर प्राधिकरण ने ऑन साइट निरीक्षण लक्ष्य स्थापित किया। लक्षित जाँच के अलावा प्राधिकरण 2001-02 के बाद से विनियमित बीमा कंपनियों के निवेश लेखों की जाँच भी कर रहा है। वर्ष 2005-06 तक यह जाँच कुछ एक कंपनियों के लिए भी पर बाद में सभी कंपनियों पर लागू किया गया।

प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों के कार्यों के पर्यावेक्षण के लिए व्यापक निगरानी प्रक्रिया सुझायी है इसके साथ ही प्राधिकरण यह भी देखेगा कि कंपनियां पर्यावेक्षण तथा नियमों के पालन में किस तरह अपने आपको ढालती है।

प्रस्तावित पर्यावेक्षण एवं जोखिम का पूर्वानुमान

बीमा व्यापार से संबंधित जोखिम इस प्रकार परिभाषित किये जा सकते हैं-

1. ऋण (क्रेडिट) जोखिम-
2. बाज़ार जोखिम (ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा बाजार जोखिम)
3. बीमा जोखिम (उत्पाद का आकार तथा कीमतों का जोखिम आदि)
4. क्रियान्वयन जोखिम
5. दिवालिया संबंधित जोखिम
6. न्यायिक एवं विनियामक जोखिम
7. नीतिगत जोखिम
8. निरस्त का जोखिम

-जोखिम प्रबंधन नियंत्रण नीचे दिये गए मुद्दों पर लागू होता है-

1. क्रियान्वयन प्रबंधन योजना बनाना, निर्देश देना तथा बीमाकर्ता के दैनिक कार्यों को नियंत्रितकरना-
2. वित्तीय विश्लेषण तथा प्रबंधन के प्रदर्शनों का विश्लेषण तथा उन्हें प्रबंध को बताना
3. कार्यों की प्रतिपूर्ति जो तीन तथ्य सजोयें हुये है। नीति तथा प्रक्रिया को विनियमन की आवश्यकता के अनुरूप बनाना, अनुपालन का अनुवीक्षण, वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के अनुरूप करना
4. संगठन में आंतरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र कार्य होना चाहिये। इसका निर्धारण संगठन के नियंत्रण के प्रभाव के अनुसार होगा साथ ही यह जोखिम प्रबंध की नीति प्रक्रिया के प्रभावशाली अनुपालन को बताते हैं।
5. जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का कार्य जोखिम की पहचान, विकास, जोखिम प्रक्रिया का मूल्यांकन, जोखिम को प्रबंध करने की प्रक्रिया, विकास तथा जोखिम सहनशीलता की सीमा, अनुमोदित सहनशीलता की सीमा को अनुवीक्षण करना तथा बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा जोखिम अनुवीक्षण की रिपोर्ट करना है।

6. वरिष्ठ प्रबंधन तथा प्रणाली का सुनिश्चितीकरण: वरिष्ठ प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी में शामिल है कि संगठनात्मक तथा प्रक्रिया नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा अनुमोदित नीति तथा प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। मुख्य प्रबंधन इस स्थिति में होना चाहिये कि वह कार्यनीति तथा योजनाओं को प्राप्त करने के लिये दी गयी कार्यनीति तथा लक्ष्यों को अनुमोदन दे सके। मुख्य प्रबंधन की यह भी जिम्मेदारी है कि सुदृढ़ व्यवसाय परिपाटी, संस्कृति तथा आचार नीति लागू की जाये।

7. निदेशक मंडल को बीमाकर्ता की कार्यकारणी की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गयी है। बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल है (i) सुनिश्चित करें की प्रबंधन योग्यता प्राप्त तथा प्रभावशाली हो (ii) प्रक्रिया तथा संगठनात्मक नियंत्रण को पुनर्विलोकन करे तथा अनुमोदन करे (iii) मुख्य जोखिम को सुनिश्चित तथा विनियोजन से उसका प्रबंध करें (iv) संगठन की नीति तथा प्रक्रिया को अनुमोदन मुख्य गतिविधियों के साथ प्रदान करें (v) कार्यनीति तथा व्यवसाय योजना को पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन दें तथा (vi) प्रबंध के नियंत्रण को स्वतंत्र निर्धारण प्रदान करें।

पर्यवेक्षक दल को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को निर्धारण करते हुये साधारण जाँच द्वारा निष्कर्ष तथा नियंत्रण स्थापित करना चाहिये, इसी आधार पर मूल्य निर्धारण तथा कार्य इकाई तथा संपूर्ण संगठन के लिये होंगे। इस मूल्यांकन के केंद्र बिन्दु यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी निर्धारित शोधन अनुपात का अनुपालन करती है तथा उसके परिचालन तथा विवेकपूर्ण आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया पर आधारित होंगे तथा ऐसी प्रक्रियाएँ पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करती हो।

सुरक्षा धन तथा उत्तरदायित्वों का प्रमाणीकरण, प्रबंधन का ध्यान ऐसी बातों की ओर खींचना जो बीमाधारकों के हित के विपरीत है। बीमा जोखिम आकलन और मूल विन्दुओं का प्रमाणीकरण और दूसरे प्रतिवेदन 1938 के बीमा कानून के अनुच्छेद 13 के अन्दर इस कानून के अनुच्छेद 40-बी के मुताबिक रिपोर्ट पेश करते हुए प्रिमियम के आधार के तौर पर, अनुच्छेद 112 के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप पेश करते हुए अन्तरिम बोनस की सिफारिशों पर भुगतान योग्य बोनस मूल्य निर्धारण वास्ते उपलब्ध निर्धारित दस्तावेजों को आधार मान कर, निर्धारित करते हुए कि बीमा उत्पाद की प्रिमियम दरें साफ सुथरी हैं, यह प्रमाणित करते हुए कि गणितीय आरक्षित धन दिशा निर्देश के तहत ठीक रखे गये हैं जो दिशा निर्देश भारत के एक्चुरियल सोसाइटी द्वारा जारी की गई है। यह पक्का करते हुए कि बीमा धारकों के तर्कपूर्ण आशाओं को उत्तरदायिता के आकलन और अधिक धन के बँटवारे के बारे में सोचा गया है जिस में भाग लेनेवाले बीमा धारक है। बीमा उद्योग के हक में बीमा खतरा के विन्दुओं पर ताकि बीमा धारकों के सलाह देना और सम्बद्ध अधिकारी को यदि बीमाकर्ता ने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो इस की सूचना देना। गैर जीवन बीमा कर्ता के मामलों में ए0ए0 से आशा की जाती है कि वह घरेलू चंगी रहित उत्पाद तथा लागत मूल्य को प्रमाणित करेगा। लेकिन असूचित अधि।कोष जो कि विशिष्ट दावा भुगतान के खाते में आर्थिक विवरण में निर्देशित है। गत चार वर्षों में गैर सरकारी बीमा कर्ताओं के सहयोग के साथ बीमा उद्योग का विकास बीमा खतरा आकलनकर्ता के व्यवसाय का अच्छा रास्ता खोलता है। इस में विकास नियोजित बीमा जोखिम आकलनकर्ता के की सूचना देता है जो कारपोरेट वातावरण में अपना अधिकारपूर्ण जगह की तलाश कर रहें हैं। इस व्यवसाय से आशा किया जाता है कि जीवन बीमा जोखिम के डाटा संग्रह में आम बीमा व्यवसाय में, जोखिम प्रबंधन तथा सेवानिवृत्ति में यह विशिष्ट योगदान करेगा। बीमा जोखिम आकलनकर्ता सेवानिवृत्ति अन्य लाभ, अर्थनियोजन और दूसरे सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अकस्मात घटने वाली घटनाओं से जुड़े हुए हैं

पिअर रिव्यू

बीमा जोखिम आकलनकर्ता के व्यवसाय में एक बड़ा विकास समवयस्क समस्तरीय व्यक्ति आकलन से जुड़ा है। उद्योग में लगे व्यावसायिक योग्यता के लोग अकस्मात दिशा परिवर्तन के साथ इस विचार पर आ रहें हैं कि समवयस्क समस्तरीय आकलन बीमा खतरा आकलन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। विश्व स्तर पर बीमा खतरा आकलन के काम को पहुँचाया है क्योंकि ये नियम बीमाधारकों के हकों की सुरक्षा से जुड़े हैं।

पुनः परीक्षण समिति

प्राधिकरण ने एक पुनः परीक्षण समिति बनाने की बात को बीमाकानून 1938 के अनुच्छेद 13 में आपेक्षित बीमा जोखिम आकलन रिपोर्ट और खास तौर से चिन्हित विन्दुओं पर पुनः आकलन के लिए निर्णय लिया। सम्बद्ध अधिकारी ने एक नयी बीमा जोखिम आकलन समिति को 2005 में बनाया जिसमें ये लोग शामिल थे—

1. के0पी0नरसिंहम —ए0एस0आई0 के भूतपूर्व अध्यक्ष
 2. एन0एम0 गोबर्द्धन—ए0एस0आई0 के भूतपूर्व अध्यक्ष
 3. पी0ए0 बालासुब्रह्मण्यन —आईआर0डी0ए0 के सलाहकार
- सम्बद्ध समिति बीमाकर्ताओं के कानूनी व्यवस्थाओं पर आये रिपोर्टों की आकलन करता है और नियोजित बीमा जोखिम आकलनकर्ता के काम की जाँच उनके लिये निर्धारित कानूनों के परिपेक्ष में करता है। समिति की कोशिशों ने सम्बद्ध अधिकारी को नियोजित बीमा जोखिम आकलनकर्ता के व्यवस्था की उद्योग में उपस्थिति उनके काम के प्रभाव को समझने में मदद करता है। इस प्रभाव की समझ का आधार व्यापार में उँची बढ़त के सन्दर्भ में विभिन्न विस्तार के साथ शामिल किया जाने वाला नूतन उत्पाद बीमाकर्ता के खतरों पर उचित खतरा प्रबंधन प्रचलन की जानकारी यह समिति देती है। समिति ने ए0ए0 के व्यवस्थागत रिपोर्ट पर आई0आर0डी0उ0 के व्यवस्था प्रस्तुतिकरण के तहत ध्यान दिया है ऋण भुगतान सुरक्षा धन, निर्धारित जबाबदेही और बीमाकर्ता ऋण मुक्त आधारित संसाधन पर से संबंधित 2000 कानून) और आई0आर0डी0ए0 (बीमा जोखिम आकलन रिपोर्ट और विशिष्ट परिलक्षित तथ्य) 2000 का नियम को समझने में समिति ने मदद किया है। समिति ने बीमा जोखिम आकलन

रिपोर्ट तथा निष्कर्ष की गुणवत्ता हर तरह के सुधार का रिपोर्ट दिया है। सम्बद्ध नियमन के दिये गये व्यवस्थाओं के पास जाते हुए जब यह देखा कि दिये गये विवरण में कुछ मामलों में ऐसे बिन्दु थे जिनका संबंध अपूर्ण समझदारी और व्यवस्था पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर कीमत आकलन में विपरीत परिवर्तन, प्रारम्भिक वर्षों में खर्च का जुगाड़ निर्धारित सीमा से बाहर गया जो बीमा मृत हो चुका था उनके। पुनः जीवन का संचित कोष मूल्यवान परिणाम का प्रबलता अचूर प्रमाणन कि परिणाम से प्रभावित नहीं होता है। समूह का निरीक्षण जो बीमांकक रिपोर्ट तथा सारांश से संबंधित है, संबंधित बीमाकर्ता के ए० ए० एस० से विचार विमर्श किया जाता है तथा जो भी कमियाँ समूह ने बतलायी है वो संशोधित लिखित पत्र के द्वारा सही करने के लिए कहा गया है, यदि जरूरत हो।

बीमांकक अधिनियम 2006

भारत सरकार ने राजपत्र में 28.08.2006 को बीमांकक नियम प्रकाशित किया है। परिणामस्वरूप बीमांकक व्यवसाय वैध अवस्था की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ेगा। इस नियम के अनुसार तत्कालीन "एक्युरियल सोसायटी ऑफ इण्डिया" के स्थान पर इन्सटिट्यूट ऑफ एक्युरियल ऑफ इण्डिया की स्थापना निम्नांकित उद्देश्य के लिए की गई है :-

- व्यवसायिक शिक्षा , प्रशिक्षण , ज्ञान , अभ्यास तथा व्यवहार के जो बीमांकक के बीच है, सिद्धांत का विकास , वृद्धि तथा सहायता
- बीमांकक व्यवसाय की अवस्था में वृद्धि
- बीमांकक के प्रोफेशन के सदस्यों द्वारा अभ्यास को कानून सम्मत बनाना
- जनता के हित में बीमांकक विज्ञान से संबंधित ज्ञान और अविष्कार में वृद्धि करना तथा उसको व्यवहार में लाना।

II) (ब) बीमांकक मानक

एक्युरियल सोसायटी ऑफ इण्डिया (ए० एस० आई०) ने निर्देश नोट (जी० एन०) (एक्युरियल नियम) निर्गत किया है अपने सदस्यों को। ए० एस० आई० के द्वारा निर्गत जी० एन० जनता के हितों को ध्यान में रखता है। जी० एन० अपने को

ऑथोरिटी के नियमों से अलग कर लिया है जो इसके लिए जरूरी था तथा ए० एस० आई० द्वारा निर्गत प्रधान सहमति से संबंधित था। ए० एस० आई० ने अपना पहला निर्देश नोट (जी० एन०) "नियुक्त बीमांकक तथा जीवन बीमा" पर निर्गत किया था। जी० एन० एक आवश्यक प्रोफेशनल नियम है जो नियुक्त बीमांकक के ऐसे दायित्व का वहन करता है। बीमाकर्ता के ऋण चुकाने की योग्यता का निर्वहन पॉलिसी धारक के अकांक्षा को भ्रमित नहीं करेगा। ए० एस० आई० ने साधारण बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक के लिए जी० एन० 21 को निर्गत किया है।

जी० एन० 21 नियुक्त किये गये नियुक्त बीमांकक के उत्तरदायित्व उनके स्थिति को प्रभावित करने वाले निणर्य उनके उत्तरदायित्व और कार्यों की सीमा , प्रिमियम दर और नये उत्पादों के लिए पॉलिसी की स्थिति और सेल पर पहले से स्थित उत्पाद , पुँजी की जरूरत , एक्युरियल का निरीक्षण , प्रिमियम और दावा का सुरक्षा लिखित नोट और एक्युरियल का मार्गदर्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारीयों और सलाहकारों जैसे पहलुओं को कवर करता है। अधिकारी नियुक्त किये गये एक्युरियल को अधिकारी के द्वारा निर्मित नियमों की व्याख्या पर स्पष्टीकरण देते हैं।

ix) फसल बीमा

कृषि बीमा :- बहु मौसम सूचकांक का उभरना और बयोमास पर आधारित चालक उत्पाद :

प्राकृतिक आपदा का किसानों के जीवन पर वृहत प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक फसल बीमा में बहुत सारे अन्तर्वर्ती दोष होते हैं जो जो इसके प्रसिद्धि को घटाते हैं। नीतिमान संकट , विपरीत चुनाव, बहु ऐजेन्सियों का उपयोग और उनके विशाल प्रशासनिक खर्च, फसल उत्पाद का मूल्य निरूपण और सूचना के लिए विश्वास काने योग्य तरीका ये कुछ समस्याएँ बीमाकर्ता के सामने है। दावा के निष्पादन में अत्यधिक देरी पॉलिसी धारको के लिए झुंझलाहट का मामला है। आगे इसके चुनाव की सीमा है। बीमा को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए कुछ नये पद्धति वाले बीमा इंस्ट्रुमेंट का वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है। उदाहरण – सूचकांक पर आधारित मौसम बीमा। सूचकांक पर आधारित मौसम बीमा पॉलिसी जिसे आईसीआईसीआई लंबार्ड

और इपको टोकियो के द्वारा शुरू किया गया था पर आधारित पूर्व अनुभवों से कृषि बीमा कंपनी ने 2005-06 में कुछ और मौसम बीमा पायलट गेहूँ बीमा, आम बीमा और कॉफी बीमा पर चालू किया है पहले से चले आ रहे एआईसी0 और अन्य उत्पादों को भी जारी रखा है। मौसम बीमा का मूल सिद्धांत है कि फसल उत्पादन में धाटा जो मौसम चक्र में विपरीत घाटे के कारण हुआ है का मूल्यांकन किया जा सके। ये मौसम चक्र में बदलाव के कारण किसानों के द्वारा झेले गये वित्तीय धाटा और उनको मिलने वाले हानि की पूर्ति के मूल्यांकन करने के बीच में संबंध प्रदान करता है। इस विश्लेषण के अंदर समय और मौसम मानक का वितरण खासकर मौसम के दौरान बारीश होता है। इन्हीं के आधार पर वर्षा (मौसम) बीमा अनुबंध का खाका बनाया जाता है।

ये सूचित किया गया कि तकनीकी फायदों को ध्यान में रखते हुए बीमा कर्ताओं में से एक ने 7-8 साल के उपग्रह चित्रों को गेहूँ के लिए बायोमास/फसल प्रभाव की गणना के लिये पढ़ा। गेहूँ बीमा पालिसी का खाका तापक्रम/बायोमास और फसल प्रभाव पर आधारित है और ये बीमा कराने वालों की क्षतिपूर्ति अनुमानतः गेहूँ के उत्पादन में कमी और न्यून फसल के कारण उत्पादन में करता है जिसे उपग्रह चित्रों का उपयोग कर नापा गया है जो कि सही विशेष तहसील या ब्लॉक के एनडीभीआई से संबंधित है फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के दौरान (उच्च फसल प्रभाव और उपग्रह चित्रों के उपलब्ध होने से संबंधित) और जो संबंधित है पालिसी की सूची में दिये गये अधिकतम विशिष्ट बीमित रुपये से।

उत्पाद पर आधारित बीमा के मुकाबले मौसम और सूचकांक पर आधारित बीमा कार्य में कम खर्चीला होता है। चूँकि काफी कम एजेन्सियाँ इसे लागू होने में शामिल हैं इसलिए सम्मिलित प्रबंधन खर्च काफी नीचे है। ये उत्पाद पारंपरिक फसल बीमा के उपर तेजी से दावा का निष्पादन करते हैं क्योंकि इनका निपटारा पालिसी की अवधि खत्म होने पर दो सप्ताह के अन्दर हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के द्वारा पहले से लागू पौधे बीमा को उपयुक्त तरीके से नये और नवीन फसलों के लिए पुनरुद्धार किया गया है। उदाहरण-जटरोफा (वायोडीजल पौधा) जिसे भारतीय किसानों को दिया गया है।

X) ऋण बीमा

ऋण बीमा कराने वालों के वित्तीय धाटे के लिये बीमा है जो पालिसी धारकों के ग्राहक जिनको उत्पाद और सेवाओं को दिया गया है उनके द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ऋण बीमा कम्पनियों के प्राप्तियों को वाणिज्य संबंधी खतरों (और राजनीतिक खतरा पोर्ट ऋण के संबंध में) जिससे परिणाम स्वरूप यचालान का भुगतान नहीं हो सकता है से ससुरक्षा प्रदान करती है। इन खतरों में खरीदने वालों का दिवालिया हो जाना और धीमा भुगतान शामिल है।

इस वर्ष ने पहले से लागू पालिसी के अनुभवों के आधार पर नवीनीकरण किया गया साथ में नये जरूरत पर आधारित बीमा सोल्यूशन कोलाया गया। आई0टी0 से चलने वाली सेवा पालिसी उनमें से एक नया ऋण बीमा सुरक्षा है जिसे आई0टी0 से चलने वाली सेवाओं को देने वाली साफ्टवेयर निर्यातकों और कम्पनियों के विशिष्ट जरूरतों के लिये बनाया गया है। ये पालिसी हानि की क्षतिपूर्ति करता है बिलम्ब से हाने वाले डिफाल्ट, दिवालीयापन और अनुबंध के अस्वीकार किये जाने और राजनीतिज्ञ खतरा जैसे नहीं बदले जाने योग्य स्थिति, अनुबंध का खात्मा और आयात सीमा आदि आई0टी0 से मिलने वाली सेवाओं के भुगतान की वसूली नहीं होने पर परिभाषित सेवा में मुख्यतः विशेष साफ्टवेयर जरूरत एक विशिष्ट सीमा के अनुबंध के अन्दर आता है। इसमें परिभाषित सीमा जैसे महीना या चौमाही के दौरान दिये गये सेवाओं पर आधारित भुगतान भी आता है ये एक दिये हुए अवधि के लिये अनुबंध हो सकता है और ये परिभाषित समय अंतराल पर दिये गये सेवाओं के बिलिंग के साथ होता है या खास काम के लिये दिये गये अनुबंध और भुगतान उपलब्धि के मील के पथर से संबंधित हो सकता है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बीमा कारपोरेट अपलेखन सिद्धांत पर आधारित विभिन्न ऋण बीमा पालिसियों का प्रस्ताव दे रहे हैं।

XI) सूक्ष्म बीमा:

बीमा गरीब के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में धनात्मक भाग अदा कर सकती है और उसे जरूरत है करने कि सूक्ष्म बीमा करने वाले एजेंटों के द्वारा गरीबों के लिये प्रस्तावित बीमा के रास्ते में आने वाली रुकावटों का परिक्षण करने की

सामान्य बीमा उद्योग का मुक्त बाजार तथा फाइल और उपयोग के दिशा निर्देश

आगामी 1 जनवरी 2007 से शुल्क निर्धारण नीति हटाने संबंधी रखा गया प्रस्ताव बीमा क्षेत्र खोल दिये जाने के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहेगी। फिलहाल सामान्य बीमा क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत व्यवसाय बीमा अधिनियम की धारा 64 यू एम के तहत गठित प्राशुल्क सलाहकार समिति द्वारा सामान्य बीमा क्षेत्र के शुल्क नियमन, लाभ, नियम एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित विभिन्न शुल्कों के आधार पर संचालित किया जा रहा है। निर्धारित प्राशुल्क के आधार पर संचालित बाजार में प्राशुल्क नियमन संबंधी किसी भी प्रकार का उल्लंघन बीमा अधिनियम 1938 का उल्लंघन माना जाने के बाद से निजी जोखिम के आधार पर प्राशुल्क संबंधी लचीले निर्णय लेने की प्रवृत्ति खत्म हो गयी।

प्राशुल्क निर्धारण नीति हटाने का सबसे पहला प्रयोग 1964 में किया गया, जब समुद्री (कार्गो) में प्राशुल्क नियमन हटाया गया। जिससे बीमा बाजार में क्रांति उत्पन्न हुई। तब से बीमा उद्योग को सावधानी के साथ संचालित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी, प्राधिकरण ने प्राशुल्क निर्धारण नीति हटाने संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करना लाभकारी समझा ताकि बाजार को मुक्त रूप से पूर्व एक कार्य योजना बनायी जा सके। इसका उद्देश्य प्राशुल्क मुक्त व्यवस्था के लिये सुलभ लेन देन सुनिश्चित बनाने के अलावा बाजार को नियंत्रण से बाहर होने से रोकना था, जिसका बीमाकर्ताओं के लाभ के साथ निकट संबंध है। सितम्बर 2005 में आईआरडीए ने मुक्त बाजार व्यवस्था को 1 जनवरी 2007 से प्रारंभ करने की कार्य योजना संबंधी एक व्यापक नोट जारी किया था। इस नोट में बीमाकर्ता द्वारा बीमा कराने की नीति, प्राशुल्क निर्धारण, पॉलिसी के नियमों और शर्तों एवं अमलावरी के लिये समय तालिका के साथ कापेरिट गर्वनेंस के बारे उठाये जाने योग्य कदमों संबंधी एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। जिससे प्राशुल्क निर्धारित बाजार को मुक्त बाजार बनाया जा सके। जिसमें बीमाकर्ताओं को प्राशुल्क निर्धारण की स्वायत्ता और समझौतों के नियम एवं शर्तों का सुचारु ढंग से पालन संभव हो सके। बाजार को मुक्त रूप दिलाये जाने के बाद प्राशुल्क सलाहकार समिति की भूमिका में परिवर्तन हो सकता है। वह संपूर्ण बीमा उद्योग की तकनीकी विशेषता मुहैया करने के साथ बीमा किश्त एवं दावों संबंधी विवरण का संकलन, ऐसे विवरण का विश्लेषण करने और बीमाकर्ताओं को उसकी नीतियों की जानकारी देने का कार्य कर सकती है।

मुक्त बाजार की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के लिये आईआरडीए के तत्वावधान में 13 एवं 14 मार्च 2006 को हैदराबाद में दो दिवसीय बैठक सह संगोष्ठी में सभी सामान्य बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा नियुक्त प्राशुल्क सलाहकारों, बीमा उद्योग के विशेषज्ञों तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य व्यापार की विभिन्न श्रेणियों में प्राशुल्क निर्धारण के लिये आवश्यक सलाह तथा प्राशुल्क संबंधी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देना था। जिससे बीमाकर्ताओं को मुक्त बाजार में व्यापार के लाभ और जोखिम के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये तैयार रहने में आसानी होगी। मुक्त बाजार को साकार करने के बाद उसकी जरूरतों पर बारीकी से निगाह रखनी होगी और बीमाकर्ताओं को बीमा कराने वाले अपने दलों के अलावा अन्य पहलुओं को भी मजबूत करना होगा। साथ ही उपलब्ध विवरण का उपयोग प्राशुल्क निर्धारण, दलालों को

प्रशिक्षित करने और ग्राहकों को बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिये, आंतरिक प्राशुल्क मैनुअल और प्रभावी भीतरी नियंत्रण तैयार करने के लिये उपलब्ध विवरण (डाटा) उपयोग में लाना होगा।

प्राधिकरण ने एक संचालन समिति का भी गठन किया है, जिसमें के के श्रीनिवासन- सदस्य (गैर जीवन), श्री सी एन एस शास्त्री- सलाहकार तथा श्री डी वी एस शास्त्री, महानिदेशक - आईआरडीए शामिल है। यह समिति बाजार व्यवस्था की समीक्षा करने के लिये गठित की गयी है। इस समिति ने मुक्त बाजार व्यवस्था संबंधी तैयारियों के मूल्यांकन के लिये बीमाकर्ताओं के साथ कई बैठकों का आयोजन भी किया है। मुक्त बाजार में उत्पादों को सुलभता से उतारने के लिये प्राधिकरण ने सामान्य बीमा के उपयोग एवं फाइल संबंधी दिशा निर्देश मसौदा तैयार किया है।

प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बीमाकर्ताओं द्वारा उतारे जाने वाले नये अथवा अनोखे उत्पाद बाजार की स्थिति का लाभ उठाने योग्य होना आवश्यक होता है। इन दिशा निर्देशों के लिये बीमा उत्पादों में किसी ग्राहक अथवा ग्राहकों के विशिष्ट वर्ग की आवश्यकता पूर्ण करने की क्षमता होना आवश्यक होता है। उत्पादों की समीक्षा के लिये फाइल और उपयोग संबंधी समीक्षा आवश्यकताओं के दिशा निर्देश आईआरडीए द्वारा दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं द्वारा उतारे जाने वाले उत्पादों तथा उनके शुल्क के बारे में उसी प्रकार सुनियोजित प्रक्रिया तैयार करना है। जैसी बीमाकर्ताओं और ग्राहकों के बीच की प्रक्रिया होती है।

प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं की जिम्मेदारी, शिकायतें, अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं उत्पादों के वर्गीकरण को फाइल में संग्रहित करने के लिये संबंधित सामान्य बीमा परिषद में वितरित किया गया और विस्तृत विवरण भी दिया गया। एकत्रित विवरण एवं मार्ग दर्शक सिद्धांतों को वेब साइट में डाला गया। अंत में 28 सितम्बर 2006 को इन मार्ग सूचियों के विवरण को संग्रह किया गया।

दिशा निर्देशों के जरिये 31 मार्च 2008 तक निर्धारित प्राशुल्क नीति के दायरे में आने वाले एंडोस्मेंट और वारंटी आदि संबंधी शुल्क भिन्नता पर दिशा निर्देशों के जरिये प्रतिबिम्बित किया है। अर्थात् जो शुल्क वर्तमान है उसके अनुसार स्पर्धा को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में सिर्फ शुल्क निर्धारण है, सीमा (अवधि) और शर्त नहीं है।

उत्पादों संबंधी विवरण संग्रहित करते समय बीमाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है आईआरडीए से संबंधित उत्पाद डिजाइन और प्राशुल्क निर्धारण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे उत्पादों को आईआरडीए भेजने से पूर्व आंतरिक जाँच कर लें जिससे आईआरडीए के सवाल जवाब को टाला जा सके।

आईआरडीए की आवश्यकतायें कुछ इस तरह हैं:

1. उत्पादों का दर और योजनायें सही और दूरदर्शी होनी चाहिये। उत्पादों संबंधी मानदंड पारदर्शी और साफ होने चाहिये। बीमाकर्ताओं को ऐसे प्रीमियम रखने चाहिये जिनका आसानी से निर्वाह किया जा सके। अंत में देने वाला धन ठीक से बताया जाना चाहिये और उस व्यक्ति से ठीक मूल्य पर बीमा कराया जाना चाहिये।

2. उत्पादों से संबंधित सभी साहित्य सरल भाषा में हो, लोगों को (योजनाओं) समझने में आसानी हो, सभी तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में बताने से बीमा कराने वाले को लाभ होगा। उसकी शर्तों संबंधी दस्तावेज गुमराह करने वाला और समझ में न आने वाली नहीं होनी चाहिये।
3. उत्पाद वास्तविक होना चाहिये। उस पर बीमित जोखिम वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण, अथवा वित्तीय गारंटी स्वीकार्य नहीं है। बीमाकर्ताओं से अन्य समझौतों जो बीमा कहलाते हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से उपाय मात्र होते हैं अथवा वित्तीय गारंटी की उम्मीद नहीं है। कोई परोक्ष बीमा उत्पाद जैसे बीमा डेरिवेटिव्स के लिये अनुमति नहीं है।
4. बीमा उत्पाद पॉलिसीधारक हित संरक्षण विनियमन 2002 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। व्यक्तिगत दिशा के उत्पादों जैसे स्वास्थ्य बीमा के लिये पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व (15 दिन माना जा सकता है) पॉलिसीधारक को सूचना देने का प्रावधान होना चाहिये। ऐसे उत्पाद जिन्हें टेली मार्केटिंग के द्वारा बेचा जाना है अथवा किसी दूसरी गतिविधि के लाभ के रूप में, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये जिससे असंगत ढंग से उत्पाद को बेचने से रोकने को सुनिश्चित किया जा सके।
5. बीमाकर्ताओं को अपने उत्पादों की जानकारी देने के लिये जहाँ तक वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। उदाहरण के लिये बीमा का नवीनीकरण, बीमा का आधार, रद्द करना पंचायती निर्णय आदि। यह शब्दावली सरल भाषा में होनी चाहिये। स्वास्थ्य बीमा में निरंतरता है, और अन्य व्यापार में स्वचालित नवीनीकरण नहीं है। इन सभी बातों को सरल भाषा में समझ सकने के लिये विवरण पत्रिका में बताना चाहिये। बीमा कराने वाले को कम से कम पंद्रह दिन तक समय देकर पॉलिसी रद्द करने के बाद दूसरी बीमा योजना चुनने का अवसर देना चाहिये। दावों की पूर्ति के लिये पॉलिसी को रद्द नहीं किया जाना चाहिये। पॉलिसी में छोटे मोट विवाद के प्रस्ताव प्रक्रिया को भी सरल भाषा में कानूनी कार्यवाही, पंचायत निर्णय का प्रबंध करना चाहिये।
6. उत्पादों के मूल्यों को सही विवरण तथा तकनीकी व्याय संगत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये। जहाँ प्रस्तावित दर सूची पहले से अस्तित्व में रहने वाली दर सूचियों के आंकड़ों से लिया जाता है। जहां व्यापार का वर्ग कर युक्त है या नहीं- यह दर सामान्य तथा प्रचलित बाजार दर के स्तर पर होनी चाहिये। पुर्नबीमा कराते समय बीमाकर्ताओं को उसका मूल्य सुनिश्चित करना चाहिये। बीमारहित तकनीकी विवरण के आधार पर यदि दर आधारित है तभी बीमाकर्ताओं को अपनी प्रतिष्ठान के तर्क की प्रतिरक्षा करके बाजार की दर का समर्थन करना चाहिये। दो दरों की सूची लगा सकते हैं। एक तो एजेन्सी कमीशन और नेट दर जहाँ ग्राहक प्रत्यक्ष रूप में होते हैं फिर भी बीमाकर्ताओं को इस कार्य का खर्चा उठाना पड़ेगा। जैसे किसी एजेंट या दलाल को उठाना पड़ता है।

7. अवधि और शर्तें बीमाकर्ता और बीमा कराने वालों के बीच उचित रहेंगी। शर्तें और वारंटी न्यायपूर्ण और आज्ञाकारिता से भर सक्षम होना चाहिए। पालिसीदार की सीमा का मूल्य बीमा में खोना नहीं। पालिसीदार की सुरक्षा को कवर करना चाहिए। पालिसीदारों को रिकवर करने का समय न्यायपूर्ण होना है। पालिसीदार को दुःसाध्य दावा करने की योग्यता के साथ उसके व्यापार शीघ्र रीति से चलने के लिए क्लेम की कारवाई करना चाहिए।
8. दर में उपांत (मार्जिन) बीमाकर्ताओं के अनुभव के साथ अनुरूप के हिसाब से बनाना है। उसके कमिशन दर, व्यवस्था खर्च, लाभ व आकस्मिकता का धन कमिशन या दलाली के दर के साथ समांतर होना चाहिए। कमिशन मार्जिन को विनाकारण कम नहीं करना क्योंकि उसे बेचने की प्रक्रिया में ढेढ़पन आ सकता है। कानून ही उल्लेख करता है कि गरिष्ठतम कमिशन दे सकते हैं। बीमाकर्ताओं को मुक्त रूप से स्वागत करते हुए जो अपने योजनाओं/उत्पन्नों को कम दामों में विन्यास करेगी, तो कमिशन के दर भी कमी आकती है। तब तक उन उत्पन्नों को बाज़ार में सस्तेदामों में बेचकर कमिशन को बढ़ा भी सकते हैं। इस व्यवस्थाओं की खर्चा बीमाकर्ताओं को अबतक उठाना पड़ता था। फिर भी, अब यह मुमकिन (संभव है) कि बीमाकर्ताओं को विविध मार्जिन में उत्पन्नों को बाज़ार में प्रदर्शित करके शक्तिशाली बाज़ार या प्रबंधक रीति से उस विधा के बीमा को बनाये रखना। स्पर्धा में जीतने के लिए बीमाकर्ताओं को कम मार्जिन में चीज़ों को बेचने नहीं देंगे तो भी अगर बीमाकर्ता कम मार्जिन में बेचना चाहे या उसे बाज़ार में सशक्त बनायेंगे तो ऐसे कंपनी दिवाले के मार्जिन से बच सकती है। इस तरह के बीमालेख भी बोर्ड के अनुमोदन से ही होना चाहिए।
9. बीमाकर्ताओं को यह आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि यह स्पर्धा नियम रहित कटौती व गलत बीमालेख की आदि न हो। यद्यपि यह कहना ठीक नहीं है, फिर भी बीमाकर्ताओं को इस तरह गलत अभ्यास को नहीं बढ़ाना चाहिए।

बीमाकर्ता की बीमा लेखन नीति निदेशक मंडल के समक्ष (केवल समिति या उपसमिति के समक्ष नहीं) अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जानी चाहिये, उत्पाद डिजाइन, मूल्यांकन, आवरण की नियम एवं शर्तें तथा बीमा लेखन गतिविधियों को निदेशक मंडल की बीमालेखन नीति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गयी बीमा लेखन नीति की एक प्रति आईआरडीए को बिना विलंब भेजनी होगी। नीति को प्रबंधकों की सुलभता नहीं देनी चाहिये जिससे गैर टिकाऊ दरें अथवा अपर्याप्त पुर्नबीमा प्रबंध बढ़े व्यवसाय के लिये किया जा सकता है।

सभी महत्वपूर्ण निर्णय दो उच्च कार्यपालकों से जिसमें एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा न हो निर्णय को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

बीमालेखन के अनुशासन तथा मजबूत व्यवसा परिपाटियों के लिये यह सोचा गया है कि कंपनी का निदेशक मंडल आवश्यक रूप से ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जो मार्जिन को सुरक्षा देगा बजाये व्यवसाय की कुल उन्नति के। उच्च प्रबंधन, बीमांकक तथा प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारी से अपेक्षा है कि वे निगम के संपूर्ण दर्शन के अनुसार कार्य करेंगे। वृहत् आईटी प्रणाली से डाटा एकत्र करेंगे तथा दरों का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे।

इस आधार पर फाईल तथा प्रयोग दिशा निर्देशों के अंतर्गत जमा किये गये उत्पादों को न्यायसंगत रूप से उचित सांख्यिकी अथवा तार्किक आधार पर न्यायोचित होना चाहिये

एक ही तरह के बीमा सुरक्षा प्राथमिकता, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य और जीवन बीमा के साथ। 10 दिसम्बर 2005 को अधिकारी ने सूक्ष्म बीमा नियमों के बारे में सूचना दी। इसने बीमाकर्ताओं को उपयुक्त सूक्ष्म बीमा उत्पादों का खाका तैयार करने का मौका दिया। सूक्ष्म बीमा एजेंटों जैसे गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायक समूहों को पहचानने के लिये मापदंड दे दिये गये हैं।

विनियमों की कुछ मुख्य विशिष्टता हैं :-

i) एक जीवन और एक-एक-जीवन बीमा कम्पनी के बीच संबंध सूक्ष्म बीमा उत्पादों के बाजारीकरण के लिये। ये संबंध या तो उत्पाद या वितरण में हो सकते हैं।

ii) एनजीओ/एमएफआई और एसएचजी को सूक्ष्म बीमा उत्पादों का सूक्ष्म बीमा एजेंटों के तौर पर वितरण करने का अवसर दिया गया है। जो सामान्य वितरण श्रोत जैसे एजेंट्स, कोरपोरेट एजेंट्स और ब्रोकर्स भी सूक्ष्म बीमा उत्पादों का वितरण कर सकते हैं।

iii) सूक्ष्म बीमा के लिए लिया गया माडल मुख्य या एजेंट माडल हैं।

iv) बेचे गये सूक्ष्म बीमा को उनके समाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व की गणना से पहचाना जायेगा।

v) इनडोवमेंट बीमा, टर्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, धर बीमा, कृषि संबंधित जानवर बीमा इत्यादि के लिए निश्चित किये गये अधिकतम और न्यूनतम रुपये पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं।

vi) सारे जीवन बीमा उत्पाद अधिकतम 15 साल के लिये उपलब्ध हैं।

vii) जीवन बीमा उत्पादों पर दिये जाने वाले कमीशन को बढ़ाकर प्रिमियम का 20 प्रतिशत पूरे प्रिमियम भुगतान सीमा के लिये कर दिया गया है।

viii) बीमा अभिकर्ता बनने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी उस खत्म कर दिया गया है तथा इसके लिए सौ घंटे का प्रशिक्षण जरूरी है, उसके बाद एक परीक्षा पास करनी होगी।

ix) सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता के क्षमता को बढ़ाने के लिए, बीमा कम्पनी को उन्हें 25 घंटे का प्रशिक्षण देना होगा।

x) वैसे सभी उत्पाद जो सूक्ष्म बीमा उत्पाद के रूप में बेचे जाने हैं उसे प्राधिकरण के द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त करनी होगी तथा जब इसे बाजार में प्रस्तावित किया जाता है तो अपने आपको सूक्ष्म बीमा उत्पाद के रूप में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

xi) पॉलिसी धारको को बीमा का अनुबंध स्थानीय भाषा से समझानी जानी चाहिए।

xii) सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद केवल बीमा कम्पनियों द्वारा ही अपलिखित किया जाना चाहिए।

xiii) समूह बीमा उत्पाद के लिए कम से कम 20 का समूह होना चाहिए। इन नियमों का परिणाम है कि प्राधिकरण ने विभिन्न फोरम विशिष्ट रूप से सभी बीमा कम्पनियों पर, सूक्ष्म बीमा की अवधारणा को उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सभी राज्य सरकारों द्वारा गरीबी हटाओं कार्यक्रम को एक साथ करने के लिए, आईआरडीए ने एक सुरक्षात्मक कदम उठा है, जो उसने सभी राज्यों को, प्रधान सचिव को संबंधित करते हुए दिनांक 26.05.2006 को पत्र लिखा है जिसमें उसने विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूक्ष्म बीमा के अवधारणा को प्रकाशित करने की बात की है।

प्राधिकरण सभी बीमा कम्पनियों से प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहता है जो इस विशिष्ट स्तर के व्यापार के सूत्रपात पर विचार करेगा तथा यह जानकारी प्राप्त करेगा कि बीमाकर्ता को माइक्रो बीमा व्यापार के वृद्धि में क्या व्यावहारिक विवशता आ रहा है।

xv) प्राधिकरण के द्वारा निर्गत दिशा, आज्ञा और विनियमन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 यू0एम0(2) की शक्ति का उपयोग करते हुए प्राधिकरण ने दावे के भुगतान के हानि को एक सीमा से बाँध दिया है जो मान्यता प्राप्त सभी निरीक्षण करने वाले तथा हानि निर्धारित करने वाले के निरीक्षण पर आधारित था। बाजार के निर्गमन के दो महीने के बीच विशिष्ट केश के रूप में गुजरात में सूरत में बाढ़ के लिए किया गया था जो 20,000 से 50,000 के बीच था। बीमाकर्ताओं को 50,000 रु. तक के हानियों के निर्धारण में इन-हाउस निरीक्षण करने वाले का सेवा लेना की अनुमति प्रदान की गई है। यह विशेष व्यवस्था दावे का शीघ्रतम भुगतान के लिए

तथा पॉलिसीधारकों को बाढ़ से हुए कठिनाइयों को कम करने के लिए की गई है।

प्राधिकरण ने 2002 में नियम को निर्गत किया है जिसके तहत बीमाकर्त्ता अपने पहले पाँच वर्ष के कार्य ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र में करेंगे। जब कुछ बीमाकर्त्ता 2005-06 के वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रम के छठे वर्ष में थें, तब 8 जून 2005 को कुछ दिशा निर्देशों को निर्गत किया गया जो वर्ष 2005-06 के लिए निम्नांकित आज्ञाकारिता को बताता है:

1. जीवन बीमाकर्त्ता के संबंध में कुल पॉलिसी का 18 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए।
2. गैर बीमा बीमाकर्त्ता को अपने कुल प्रिमियम आय का 5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए।
3. सभी बीमाकर्त्ता अपने नये जीवन में पच्चीस हजार सामाजिक क्षेत्र से लेगा तथा इसकी अवधि वर्ष में 31 मार्च तक होगा।

जबकि प्राधिकरण अब छः वर्षों के कार्यों की पद्धति का निरीक्षण कर रहा है, तथा वैसे बीमाकर्त्ता जो अपने कार्यों के सातवें वर्ष में प्रवेश कर लिये हैं 2006-07 के वित्तीय वर्ष में, अनेक संबंध में प्राधिकरण ने दिशा निर्देश किया है कि उनका कार्य वैसे ही चलता रहेगा जैसे छठे वर्ष में चलता रहा था।

प्राधिकरण सामान्य बीमा उत्पाद का प्राशुल्क मुक्त कर रहा है जो कर रहा है जो 1 जनवरी 2007 से प्रभावित है तथा इसके अन्त तक बीमा कम्पनियों द्वारा मील का पत्थर को प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश को तैयार किया है। विस्तृत लिखित पत्र तथा उपयोगी मार्गदर्शिका को निर्गत किया गया है जो प्रभावपूर्ण प्राशुल्क मुक्त करेंगे, प्राधिकरण ने ऐसा दिशा निर्देश दिया है जो प्राशुल्क मुक्त के मामले में स्टेकधारकों को न्यूनतम असुविधा को प्राप्त करवाता है।

पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है की प्राशुल्क मुक्त के बावजूद शर्त तथा परिस्थिति, वर्णन इत्यादि पॉलिसी के प्रभाव में आने के 15 दिन के भीतर बीमाकर्त्ताओं द्वारा बदला नहीं जाएगा। बीमाकर्त्ताओं को निर्देश देने तथा उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न निर्गमों के स्पष्टीकरण के संबंध में, प्राधिकरण ने समय-समय पर स्पष्टीकरण, दिशा तथा आज्ञा का निर्गमन किया है।

इन आज्ञाओं तथा दिशाओं का तात्पर्य संलग्नक XII में दिया है जो 2005-06 में निर्गत है (सितम्बर, 2006 तक)

XII) प्राधिकरण को दिये गये शक्तियाँ तथा अधिकार

12) सूचना अधिकार का अधिनियम

सूचना पाने का अधिकार, अधिनियम 2005, जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावित है के तहत नागरिकों को अपने माँगे गये सूचना को पाने के लिए साफ, स्पष्ट तथा लगातार पद्धति प्रदान की गई है। सूचना का अधिकार सिविल तथा राजनीति अधिकार के साथ-साथ आर्थिक आकार सामाजिक अधिकार जानने का मूल आधार है। सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरण से मुफ्त सूचना का बहाव जनता के विचार को सूचित करता है तथा जनता के प्रति जबाबदेही को दर्शाता है। आई0 आर0 डी0 ए0 की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है जो एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' बनाता है जो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। आईआरडीए अधिनियम के प्रभाव में आने से कहे गए अधिनियम की धारा 5 के अनुसार श्रीमती वेदा कुमारी एक्सेक्यूटिव डायरेक्टर (एडमि0) को बनाया गया है सेंट्रल पब्लिक सूचना ऑफिसर तथा धारा 19 के अनुसार श्री सी आर मुरलीधरण को एपलेट ऑथरिटी बनाया गया है।

सूचना के त्वरित प्रसारण के लिए ऑथरिटी ने 16 अक्टूबर, 2006 को पाँच अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की है, सार्वजनिक सूचना ऑफिसर के जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत आता है।

1. श्री प्रबोध चन्द्र, इडी – गैर जीवन, हिन्दी तथा कानूनी
2. श्री के0 सुब्रमण्यम, इडी – बीमांकन
3. श्री पी0 सी0 जेम्स, इडी निरीक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा
4. श्री एम0 एम0 सिद्धिकी, सी एस ओ-बीमा मध्यवर्ती
5. श्री कुन्नेल प्रेम, सी0 एस0 ओ0 – जीवन बीमा
6. श्रीमती वेदा कुमारी, इडी – ए0 टी0 आइ0, कॉरपोरेट ऐजेन्सी तथा अन्य दूसरे।

भाग II

परिचालन तथा कार्य की पुनर्समीक्षा

(1) बीमा और पुनर्बीमा करने वाली कंपनियों के विनियम

प्राधिकरण ने आई0 आर0 डी0 ए0 (बीमा करने वालों की ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र के प्रति जवाबदेही) के नियमन 2002 को उचित कार्य रिपोर्ट के लिए जारी किया है। आई0 आर0 डी0 ए0 ने इन नियमन को 2004 में सुधार किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को फिर से दिया है। इस संबोधन के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र को जिम्मेदारियों पर रास्ता दिखाया गया है। सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमा करने वालों की पूरी की जानेवाली जिम्मेदारियाँ :-

- (ए) पहले वित्त वर्ष में पाँच हजार जीवन
- (बी) दूसरे वित्त वर्ष में सात हजार पाँच सौ जीवन
- (सी) तीसरे वित्त वर्ष में दस हजार जीवन
- (डी) चौथे वित्त वर्ष में पन्द्रह हजार जीवन
- (इ) पाँचवें वित्त वर्ष में बीस हजार जीवन

आगे बतलाया गया है कि 'जीवन से मतलब नये जीवन से है जिस का बीमा वित्त वर्ष के दौरान हुआ है और वे साल के 31वें मार्च तक प्रभाव में हैं। नयी परिभाषा वित्त वर्ष 2005-2006 से प्रभाव में है।

(2) बीमा व्यापार से जुड़े मध्यवर्ती

बीमा व्यापार से जुड़े मध्यवर्ती लोगों में दलाल तृतीय पक्ष प्रशासक और सर्वे करने वाले लोग आते हैं। कारपोरेट एजेन्ट के साथ बीमा एजेन्ट बीमा करने वालों के प्रतिनिधि होते हैं और बीमा की बिक्री को आगे बढ़ाने अच्छी भूमिका निभाते हैं। संबंधित अधिकारी ने 1 जुलाई 2004 से बम्बई के बीमा कार्यालय को पहले से पंजीकृत एजेन्टों के परीक्षा लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत के बीमा संस्थान ने ऑन लाईन विभिन्न मेट्रो शहरों में बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2006 से कई प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियाँ समाप्त हो गयी हैं।

बीमा एजेन्ट

बीमा क्षेत्र में गुणात्मक तत्वों के सुधार के चलते स्रोत का विकास हुआ है जिसमें बाजार में आनेवालों को उद्योग के हर क्षेत्र में सही

गुण वाले अनुभवी दलालों का योगदान शामिल है। सही दलाली के लिए उद्योग में काम करने वाले आदमी को (1) एक खास आचरण के नियम को अपनाना पड़ता है और (2) बाजार में अनेक विषयों पर काम करने वास्ते सही गुण और समझ रखना पड़ता है। यह जान लेना है कि एजेन्ट बीमा करने वाले और बीमा कराने वाले के बीच का एक अति विशेष व्यक्ति होता है और उन्हें बीमा बेचने के लिये सभी पहलूओं से पूरा होना चाहिए।

एजेन्टों को काम के माध्यम से दक्ष बनाने वाले शिक्षण संस्था द्वारा दक्ष बनाने का दिशा निर्देश

प्राधिकरण ने 24वीं मई 2005 को कंप्यूटर के जरिये शिक्षण देने वाले संस्थानों के लिये दिशा निर्देश जारी किया। इस के आगे प्राधिकरण ने 26 वीं जून 2006 को इसमें कुछ और बातों को जोड़ने का सूचना जारी किया :-

- o एक ही समय में एक ही कम्प्यूटर पर एक से अधिक सूची (अधिक संख्या सूची) खोलने की अनुमति नहीं है तथा एक ही उपयोगकर्ता द्वारा आई0 डी0/पास वर्ड सूची अनेक मशीनों पर एक ही समय नहीं खोला जा सकता है।
- o शिक्षण संस्थान को जीवन के लिए और आम बीमा कि प्रमाणित कार्य-आधारित शिक्षण देने की एक ही योजना क्षेत्र में रहना होगा। सभी प्रमाणित कार्य-आधारित शिक्षण संस्थानों उपर के अतिरिक्त जरूरतों को मानकर चलना होगा और किसी भी निर्देश की अवहेलना उनकी प्रमाणिकता खत्म करा सकता है।

शिक्षण संस्थान को जीवन के लिए और आम बीमा कि प्रमाणित कार्य-आधारित शिक्षण देने की एक ही योजना क्षेत्र में रहना होगा। सभी प्रमाणित कार्य-आधारित शिक्षण संस्थानों उपर के अतिरिक्त जरूरतों को मानकर चलना होगा और किसी भी निर्देश की अवहेलना उनकी प्रमाणिकता खत्म करा सकता है।

निगमित एजेन्ट्स

2005-06 साल में कोई नई दिशा निर्देश की सूचना जारी नहीं हुई है।

बीमा दलाल

मध्यस्थ रुपये में काम करने वाले दलाल बीमा कम्पनी और बीमा लेनेवाले के सूचना और जानकारी सम्बन्धी स्थित दूरी को पाटते हैं।

जब आम बीमा के उत्पाद देय शुल्क सूची से मुक्त हो जाते हैं तो इस जानकारी के क्षेत्र में बढ़ने की सम्भावना रहती है। शुल्क सूची के मुताबिक देय मूल्य के भुगतान के बाद आम बीमा की सूचियों और भत्तों के अनुसार जो कीमत आंकी जायेगी वह खरीदारों को मुहैया नहीं होगा। इस परिपेक्ष में दलालों ने महसूस किया है कि उनकी भागीदारी अधिक महत्व तथा कीमत आनेवाली दिनों में पाने जा रही है और आनेवाले परिस्थितियों वास्ते अपने को तैयार कर रहे हैं।

2005-06 में 31 ब्रोकिंग लाइसेन्स जारी किये गये जिसमें पृथक विभागों से बना हुआ लाइसेन्स था। 31वीं अक्टूबर 2006 तक प्रामाणिक लाइसेन्सों की संख्या 23 रही। चालू वर्ष के दरम्यान एक सौ से उपर लाइसेन्सों का नवीकरण हुआ।

सम्बन्ध अधिकारी ने एक दक्ष कमिटी का गठन किया है जिसके चेयरमैन श्री जी0 के0 रमण हैं (चेयरमैन रोयल सुन्दरम बीमा कम्पनी लिमिटेड) जो दलालों से सबन्धित नियमों की तथा सम्बद्ध पहलुओं की फिर से जाँच करेगी। यह रिपोर्ट नवम्बर में दाखिल हुआ और अभी जाँच के क्रम में है। कुछ एक गलती करने वाली कम्पनियों के खिलाफ जाँच और अनुशासन की कारवाई के साथ अनेक विभागों से युक्त काम देखने वाले लाइसेन्स को रद्द किया गया। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दलाल समय की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और पेशेवर के रूप में उमड़कर गुणात्मक खतरा झेलने वाली सेवाओं को करते हुए अपने ग्राहकों के व्यापार पेशा में गुणात्मक सुधार का योगदान देंगे।

सारिणी – 23 बीमा किया हुआ नया व्यापार (जीवन) विभिन्न मध्यस्थों द्वारा : 2005-06

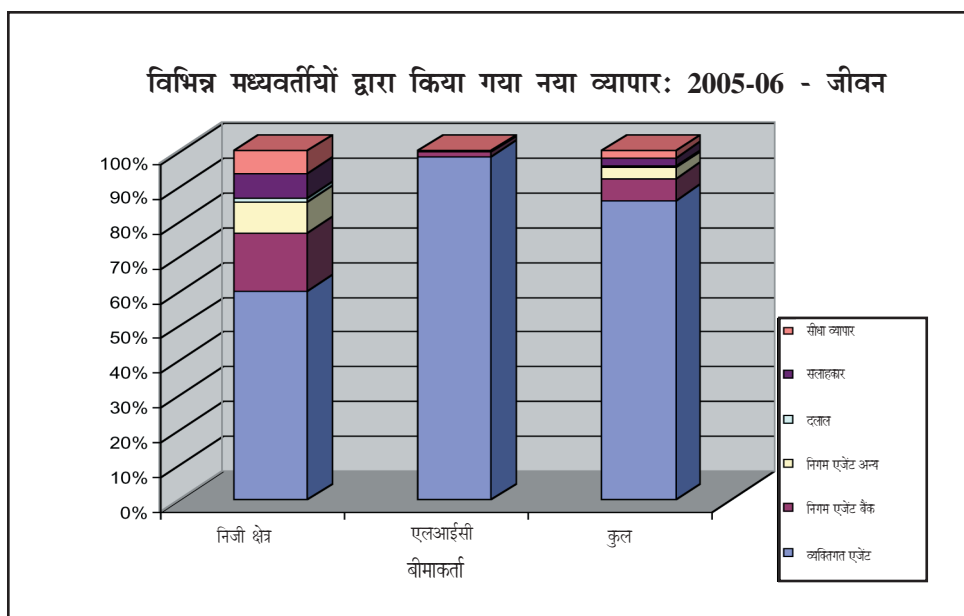
						प्रतिशत	
व्यक्तिगत एजेंट		संस्थागत एजेंट		दलाल	रेफरल	सीधा व्यापार	
		बैंक	दूसरे				
निजी क्षेत्र	59.71	16.87	8.92	0.83	7.06	6.61	
एल0 आइ0 सी0	98.37	1.25	0.32	0.06	0.00	0.00	
कुल	85.67	6.38	3.15	0.31	2.32	2.17	

सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक

भारत की सरकार ने निरीक्षण करने वालों और घाटा आंकने वालों के व्यापार को गति देने नियमन और अभिवर्धन के लिये एक प्रोफेशनल संस्था को कायम करने का प्रस्ताव रखा जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कौन्सिल एन्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट और कम्पनी सेक्रेटरीज के रूप-रेखा के समान था। सरकार ने श्री के0 एन0 भंडारी के अध्यक्षता में निरीक्ष को और घाटा आंकने वालों के लिये एक संस्था के निर्माण की उपयोगिता जानने के लिये एक कमिटी को नियुक्त किया जून 2003 में अपने पेश किये 12 रिपोर्ट में सिफारिश किया कि सरकार ,आइ0 आर0 डी0 ए0 और उद्योग निरीक्षण करने वालों के लिए संस्था बनाने का हर सम्भव प्रयत्न करें। इस सलाह को मान्यता देने के क्रम में आईआरडीए निरीक्षकों और घाटा आंकने वालों की एक तदर्थ समिति का गठन एक संस्था के स्थापना को

बल देने वास्ते किया। यह संस्था 1956 के कम्पनी कानून के अनुच्छेद 25 में इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एससेसर्स के नाम ,रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद से कार्यरत है। मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैन्डिंग और विषय आधारित लेख ,कम्पनी मामलों के क्षेत्रीय निदेशक चेन्नई की सहमति से निरूपित किया गया।

तदर्थ समिति के साथ आईआरडीए में संस्था के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिये सदस्यता अभियान शुरु किया तदुपरान्त संस्था वास्ते सदस्यता का आवेदन मांगा गया। इस सूचना के प्रति अच्छा उत्साह दिखायी पड़ा। संस्था द्वारा प्राप्त आवेदनों में 4340 सदस्य संस्था को प्रथम समिति में चुनाव लड़ने और मत देने को योग्यता रखते हैं। 10 नवम्बर 2006 को आईआरडीए के वेबसाइट पर इस सूची को डाला गया है। चुनाव की सूचना जारी होने के चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र जारी होने की उम्मीद की जाती है।



(3) विवाद, अपील, और अदालती निर्णय।

प्राधिकरण को विभिन्न न्यायालय में जो विभिन्न विषयों का कववाद दाखिल है उस संबंध में प्रधान प्रतिवादी या परफोर्मा प्रतिवादी के रूप में बनाया गया है। न्यायालय में जो केस है वो बीमाकर्ता द्वारा दावे का निपटारा, बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं करना, बीमा अभिकर्ता का अनुमति को नवीनीकरण नहीं करना, निरीक्षण करने वाला तथा हानि निर्धारित कानूनी के वर्गीकरण तथा विभाजन, मोटर बीमा प्रिमियम का भार, लोकपाल के पुरस्कार का प्रभावी न होना इत्यादी से संबंधित है।

प्राधिकरण जब केस का बचाव करता है तब उन कानून और सिद्धांत के प्रावधान को ध्यान में रखता है जो बीमा व्यापार से संबंधित विभिन्न निर्णयों पर निर्गत किये गये सिद्धांत तथा निर्देशों के प्रावधान को दर्शाता है। जब भी प्राधिकरण यह महसूस करता है कि यह केस में सामिल नहीं है या तो कानूनन यह सच्चाई के बिन्दु से, उदाहरण के लिए, जब केस का विषय इसके कानूनी प्रावधान से बाहर है, तब वह अपना नाम प्रतिवादी के क्रम से हटा लेता है।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, ने 20 जून 2006 को एक प्रार्थना पत्र पर निर्णय देते हुए कहा की तृतीय प्रतिवादी मोटर ट्रांसपोर्ट गाड़ी तथा पॉलिसी पैकेज को भी दिया जाएगा और उनका

नवीनीकरण भी होगा। बीमा कम्पनियों इसे अपनी योग्यता मान सकती है तथा विचारपूर्वक अपना सकती है।

(4) बीमा में अन्तराष्ट्रीय सहयोग।

बीमा निरीक्षकों का अन्तराष्ट्रीय संगठन।

बीमा निरीक्षकों और दूसरे वित्तीय क्षेत्र के निरीक्षकों में सहयोग बढ़ाने वास्ते सन् 1994 में बीमा निरीक्षकों के अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। कई वर्षों के अन्तराल में सदस्यता बढ़ी है और 180 क्षेत्रों से अधिक के बीमा निरीक्षक सदस्य बने हैं। व्यापारिक संगठन बीमा और पुनः बीमा वाली कम्पनियों। अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्था में परामर्शदात्री और दूसरे व्यापारिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक संगठन इस के निरीक्षक बने। इस तरह का विश्व स्तर पर बढ़ते बीमा बाजार पर रोशनी डालता है और स्थायी निरीक्षण करने योग्य मापदंड प्रचलनों की आवश्यकता बतलाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता को आगे बढ़ाने में मजबूत पर्यवेक्षकीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को महसूस कराता है। आइओ एओ आइओ विशिष्ट मापक के निर्धारण के वास्ते तथा कार्यरूप में लागू करने के लिए एक प्रभावशाली फोरम के रूप में सामने आता है। ऐसा यह अभ्यास करने वालों और नीति बनाने

धन शोधन निवारण उपाय की मार्गसूचियाँ

9/11 की दुर्घटना से दुनिया को पता चल गया है कि आतंकवादियों के पीछे धनी लोगों का हाथ है और उन्होंने बृहदमात्रा में निधि का चाल जागतिक रूप में सृष्टि किया है। इन निधियों की सृष्टि अपराधीशिल कार्यकलापों जैसे ड्रग ट्राफिकिंग(मादकद्रव्य व्यापार), मनुष्यों का व्यापार, तस्कर व्यापार आदि से हुई है। आतंकवादियों के हाथों में पहुँचाने की व्यवस्था भी है जिससे वे अपना राक्षसी कृत्य कर सकें। इन निधियों की बाति गुप्तरूप से कानूनी तौर पर कई कारवाइयों के बाद होती अहि इसे मनी 'लांडरिंग' कहते हैं (एएमएल)। विशेषकर करोड़ों रूपये एक कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था से जुड गये हैं।

ऐ.एम.एफ. ने 1996 में एक अंदाज़ा लगाया है कि 1996 में दुनिया के ढालनेवाला कुल एम.एल.का धन 2% से 5% तक दुनिया के जीडीपी के बीच होगा।

मनी लाँडरिंग (एम.एल.)

मनि लाँडरिंग (एम.एल.) अनैतिक रूप से चल रहा है जो आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से नैतिक और कानूनी तौर पर चल रहा है।

एम.एल. से प्रवृत्त क्षेत्र :

सदृढ. आर्थिक व्यवस्था चलानेवाले को एम.एल. धमकी दे रही है। सामान्यतः एम.एल.वाले ऐसे क्षेत्रों को चुनते हैं जहाँ कमज़ोर, बेअसर और कम खतरावाला आर्थिक व्यवस्था हो।

एम.एल. के स्तर :

एम.एल. के तीन सामान्य स्तर हैं जिसके दौरान एम.एल.लोगों के द्वारा कई लेन-देन होगी।

1. अनैतिक कार्यों से भौतिक रूप से नियुक्त करके नकद को आगे बढ़ाते हैं।
2. जन साधारण में अवैध कार्यकलापों के द्वारा पेचीदा लेन-देन पैदा करके अपने मूल स्रोत से धन को अलग करना।
3. अपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति को न्यायता का धारण देकर ऐसे अभास का समीकरण उत्पन्न करना।

1998 में एम.एल. के विरुद्ध अंतराष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा चलाना प्रारंभ किया। बैंकिंग प्रतिबंधक और परिवेक्षण बंसल समिति ने और राष्ट्र संघ यु.एन सभा ने (मादक द्रव्य) नार्कोटिक ड्रग के निषेध और मनोवैज्ञानिक वस्तुओं को 140 देशों में निषेध करने का सहमत दिया है।

आर्थिक कार्यबल - एफ.ए.टी.एफ

आर्थिक कार्यबल यह एक अंतर-सरकारी पॉलिसी बनाने वाला संघटन है जो 1989 में जीएटी समिति पैरिस में निर्णय लिया था। इसके उद्देश्य थे देशीय और विदेशीय स्तरों में 3 एम.एल. को मिटाना और पॉलिसियों को बढ़ाना है।

- 3) एफ.टी.ए.एफ. ने 40 सिफारिशों को एम.एल. के बारे में और 9 विशेष सिफारिशों को टी.एफ.(आतंकवाद वित्त) को ऊपर भी लगाये हैं। इससे आतंकवादियों को टी.एफ. रोक के उनकी आर्थिक व्यवस्था की मजबूत करने की कोशिश करना है।

एम.एल.के एशिया प्रशांत समूह :

भारत एशिया प्रशांत समूह का सक्रिय सदस्य है। यह एफ.ए.टी.एफ. का सहायक सदस्य है। एपीजी के अनुसार धन शोधन निवारण कानून 2002 के सिफारिश के मुताबिक इसे निषेध करना चाहिए जो 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया।

आर्थिक अपराधों में अत्यंत मुख्य है करवचाना इस विवादित विषय को कई प्राधिकारों ने सुलझाने की कोशिश की है। एम.एल.से संबंधित क्षेत्र में मुख्यतः आयात निर्यात व्यवहार सीमा प्रदेशों में स्थानांतरण मूल्य से संबंधित है। भारत का ए.एम.एल./सि.एफ.एफ. व्यवस्था अभी नवजात स्थिति में है।

भारत कई आतंकवादी हमलों का शिकार हा है और आतंकवाद के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव भारत को है। आतंकवाद के विरुद्ध कानून भी कई सालों से बना है। “काली” आर्थिक-व्यवस्था का स्वरूप ए.एम.एल./सि.एफ.टी के साथ प्रस्ताव रखने के बाद पता लग गया। अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं ने भी इस प्रस्ताव का परिवीक्षण करने की आवश्यकता को साबित किया। भारत ने तो एक निर्दिष्ट ए.एम.एल./सि.एफ.टी कानून का परिचय कराने में लगा है। पी.एम.एल.ए. ने केंद्रीय ए.एम.एल./सि.एफ.टी व्यवस्था की स्थापना करने का निर्णय पास किया है।

धन शोधन रोकथाम विधि (कानून(पी.एम.एल.ए) 2002

पी.एम.एल.ए. कानून को 1998 में मसौदा बनाया। संसद में इसके लिए आरंभिक प्रतिरोध आये जब तक सितंबर 11 की दुर्घटना हुई तब इस कानून को भारत सरकार ने 2002 में पारित किया।

इस कानून के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी अपराधियों के संपर्क में रहे या प्रतिवाद न करनेवाली संपत्ति को दिखाने से उन्हे एम.एल.के अनुसार अपराधी माना जाता है। कोई भी इस एम.एल. का अपराध किया हो उसे तीन साल तक कठिन जेल की सजा जो सात साल तक भी विस्तृत किया जा सकता है; और 2.5 लाख तक दंड भी दिया जाता है। भाग ए के अनुसार अपराधो को कानून में 10 वर्ष तक की सजा भी दी सकती है।

इस कानून के अनुस्तर सब वित्तीय संस्थाओं को सब व्यवहार का बही-खाता रखना ज़रूरी है। निर्देशक को सब व्यवहार, लेनदेन की सूचना देनी चाहिए और सब दस्तावेजों की जाँच और सब ग्राहकों की पहचान का कागज़-पत्र अभिलेख रखना चाहिए। इन सब सूचनाओं को पालन करने से नागरिक न्याय कलापी में रक्षा मिलती है।

इस कानून के मुताबिक सब अभिलेखों को निर्वहण या जाँच करना ज़रूरी है। इन अभिलेखों से बैंकिंग कंपनी के ग्राहकों को पहचान सकते हैं। आर्थिक संस्थाओं और मध्यमार्थियों के पहचान भी होता है, 2005 के नियम के अनुसार हर एक आर्थिक संस्था को इन अभिलेखों का निर्वहण करना चाहिए।

- (अ) रु. 10 लाख या उसके अधिक समान मूल्यों का नकद व्यवहार लेनदेन विदेशी मुद्रा में हो तो, अभिलेख का निर्वहण करना चाहिए।
- (आ) विदेशी मुद्रा के रु. 10 लाख से कम या उसके बराबर लेनदेन का व्यवहार समग्र रीति से एकीकरण एक महीने के अंदर हुआ तो।
- (इ) जाली नेट या फोर्जरी का मामला अगर दाखिल किया हो
- (ई) सब संदेहात्मक लेनदेन नकद में किया या नहीं।

अभिलेखों को लेनदेन का स्वरूप भी निभाना है। लेनदेन का मूल्य और उपयोगित मुद्राएँ उनका नाम, तारीख और भागीदारों का विवरण हार्ड/साफ्ट कंपनी को रखना चाहिए। इसे 10 साल तक निभाना चाहिए। ग्राहक और संस्था के बीच का व्यवहार का अभिलेख का निर्वहण करना चाहिए।

बीमाक्षेत्र की भेद्यता :

अन्य क्षेत्रों के जैसे बीमाक्षेत्र भी एम.एल. का शिकार हुआ है। इसमें बचन, निवेश, स्थानांतरण आदि खतरे का अंश है। इससे कर बचाने वालों को (एम.एल.) लोगी को निवेश करने का सही जगह मिल जाता है।

संसार भर के बीमा क्षेत्र के प्रीमियम का मूल्य यु.एस. डॉलर 2.941 ट्रिलियन है जो एम.एल./टि/एफ. के लिए भेद्यता बन सकता है। जीवन बीमा और सामान्य बीमा के द्वारा एम.एल. और आतंकवादी पूँजी पतियों को आसानी से निवेश करने का रास्ता मिलता है। यह आघातकारी अंश बितरण, देय और करारनामे पर अवलंबित है।

करबचानेवाले पूँजी पतियों को जीवन बीमा के क्षेत्र एक आकर्षक क्षेत्र है। बीमा कंपनियाँ अकेले का वैयक्तिक प्रीमियम लेकर करारनामा करता है पर दरहसल ग्राहक को बीमा सुरक्षा के बदले पूँजी निवेश का अवकाश मिलकर और ज्यादा भुगतान मिलता है।

सामान्य बीमा में बेईमान दावा करके संपत्ति या अन्याय के धन को ले समते हैं या बीमा करा सकते हैं। बहुत सारी घटनाओं से यह साबित हुआ है कि सामान्य बीमा भी एम.एल. के खतरे से बाह्य नहीं है। एम.एल. से एक अन्याय के धन से खरीददारी और पॉलिसी लेना भुगतान आदि अन्याय का धन होता है। इसमें धोखेबाज़ी का हाथ मालूम ही नहीं होता। दूसरा कानून लागू करनेवाली संस्थाएँ सामान्य बीमा उत्पादों को

गलत इस्तेमाल करते हैं। धन राशी का असलियत जानने के बगैर नोवेशित धन राशी को साबित करने में लगे रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बीमा परिवीक्षकों का संघ (आईएआईएस)

आईएआईएस ने ए.एम.एल./सि.एफ.टि को प्राथमिकता देकर 40+9 सिफारिशों को सूचित किया है। एफ.ए.टि.एफ. ने दुनिया भर के बीमा परिवीक्षकों का महत्व को जान लिया। ए.एस.पि (इन्शुरेन्स कोर प्रिंसिपल्स) 28 को एफ.ए.टि.एफ. के सिफारिशों की ज़रूरत है, जो बीमा क्षेत्र को और बीमा परिवीक्षकों को तसल्ली देनेवाली बात है।

भारत का पात्र:

भारत 40+9 एफ.ए.टि.एफ. के सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहा है। इससे अपराधियों को आर्थिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने से रोक लगा सकते हैं।

आर्थिक सूचना संस्था-भारत

आर्थिक सूचना संस्था-भारत एक स्वतंत्र संस्था है जो इ.आई.सि. को प्रत्यक्ष सूचना देता है। यह 18 नवंबर 2004 में अस्तित्व में आया। संदेहास्पद आर्थिक व्यवहारों को जाँच, सूचना, विवरण लेना, आदि की ज़िम्मेदारी निभाता है। आर्थिक सूचना संस्था-भारत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इंटेलिजेन्स (सूचना), जाँच पड़ताल, कार्यप्रवृत्त होना आदि जागतिक संस्थाओं के साथ एम.एल. और उससे संबंधित अपराधों को रोकने की ज़िम्मेदारी भी लेती है।

बीमाक्षेत्र को ए.एम.एल. का मार्गदर्शी सूत्र :-

आईआरडीए को जीवनबीमा क्षेत्र के मार्गसूचियों को देने का अधिकार दिया गया है जो गजट विज्ञापित सं 15.2005-इ.एस./एफ सं. 6/9/2005 इ.एस. ता 13 दिसंबर 2005 को लक्ष्य में रखकर उन्हें 31 मार्च 2006 को क्षेत्र के दृष्टिकोण से विस्तारित किया। 1 अगस्त 2006 से ए.एम.एल. कार्यक्रम जारी करने की आवश्यकता है।

अब बीमा कंपनियों को ऊपर कानूनी कर लागू किया है। अगर कोई मादक-द्रव्य व्यापार में या अन्याय रीति से संपत्ति प्राप्त कर रहा है तो उस पर कानूनी कारवाई किया जा सकता है।

एफआईयू-आईएनडी के निर्देशक के सामने अपना निजी परिचय बनाना है। यह ए.एम.एल. कार्यक्रम बीमा कंपनी को लागू होता है। उसके एजेंटों को या मध्यवर्तियों को नहीं।

प्रस्तुत स्थिति में बीमा कंपनियां जो वैद्यकीय स्वास्थ्य बीमा, पुनः बीमा सामूहिक बीमा, सावधी जीवन बीमा, के व्यवहार एम.एल. के अंतर्गत आते हैं। हर एक कंपनी को ए.एम.एल.पॉलिसी होना चाहिए और आईआरडीए के साथ एक प्रतिलिपि रखना चाहिए। जहाँ कम आघातकारी एम.एल. है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। उनको

एक प्रिन्सिपल कंप्लियन्स अफसर को इस ज़िम्मेदारियों को निभाना और कंपनी के नियमों को लागू करने के लिए नियुक्त करनी चाहिए।

एक ए.एम.एल. कार्यक्रम में निम्नलिखित निहित संलग्नक है।

- 1) इंटर्नल पॉलिसियाँ, प्रक्रियाएँ, और नियंत्रण
- 2) प्रिन्सिपल कंप्लियन्स अधिकारी की नियुक्त
- 3) एजेंटों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्त
- 4) आंतरिक कंट्रोल/आडिट

आपके ग्राहक को जानिए

ये नमूने मार्गसूचियों को कार्यप्रवृत्त करने में मुख्य पात्र निभाती है। इन नमूने के गुणवत्ता ए.एम.एल. व्यवस्था के नियंत्रण पर अहम भूमिका निभाती है जो एम.एल. खतरो को पहचान सकता है। समय पर पहचान और परीक्षा न करने से एम.एल.की पहचानने में देरी हो सकती है। बीमा कंपनियों की मार्गसूचियों के अनुसार सब ग्राहकों का सही परिचय कराना ज़रूरी है। यह लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है। यह 01/01/2006 (27 जुलाई 2006 सूचना पत्र में सुधार किया हुआ)। ये नमूने ग्राहकों के निधि का स्रोत, उनके कुल धनराशी आदि का बीमा करने की ज़रूरत को भी दाखिल करता है। आगे बीमाकर्ताओं को अन्य ग्राहक जो पहले ग्राहक से मिलता जुलता हो उसके साथ, अपराधी के साथ या निषेधित सस्था/व्यक्तियों के साथ संपर्क में आना नहीं चाहिए।

ग्राहकों को उच्च खतरा/ कम खतरा में निभक्त करने की सूचना कंपनियों को दी गयी है। रू. एक लाख प्रति वर्ष की आमदनी आधार पर और उसके उद्यम के आधार पर बाँटना चाहिए।

- कर्मचारियों को/एजेंटों, कार्पोरेट एजेंटों का पूरा जाँचने कार्य कलापो पर जोर दिया गया।
- ए.एम.एल. का प्रशिक्षण सब कर्मचारियों को और मध्यवर्तियों को भी देना चाहिए।
- रू. 50,000/- के प्रीमियम या उससे अधिक राशी को बैंको के द्वारा लौटाना/भुगतान करना चाहिए।
- संदेह (शंकास्पद) व्यवहार के रिपोर्ट (एस.टि.आर/नकद. सि टि आर रिपोर्ट को एफआईयू-आईएनडी के सामने पेशा करना चाहिए। तीन कार्य करने के दिनों के अंदर पहचाने हुए निर्दिष्ट नमूने में पेशा करना। सि.टि.आर. को अगले महीने 15 को पेशा करना चाहिए।
- नियम 3 और नियम 10 जो पि.एम.एल.ए. नियम 2005 के अनुसार बीमाकर्ता/एजेंट/कार्पोरेट एजेंटों को सब दाखिल दस्तावेज को निभाना चाहिए। 10 वर्ष का व्यवहार का दस्तावेज का निर्वहण करना चाहिए।
- बीमा कंपनियों का आंतरिक आडिट/परिवीक्षण विभागों को समय-समय पर पॉलिसी, कार्यकलाप, नियंत्रण/एम.एल. कार्य, आदि का परिवीक्षण करना चाहिए। सिर्फ ए.एम.एल.ए पॉलिसी को बोर्ड आडिट कमिटी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

दुनिया भर में सामान्य बीमा के आघातकारी अंश एम.एल. खतरों के बारे में बीमा क्षेत्र का आतंक बढ़ रहा है। सामान्य जीवन बीमा क्षेत्र को मार्गसूचियों से परे नहीं रखना है। फिर भी व्यवहार के तरीके, स्थिति आदि पर कुछ रियायतें दी जा सकती हैं।

वालों दोनों को अपने अनुभवी लोगों, अनुभवों और समझदारी के बँटवारा का मौका दिलाकर करता है।

आई० ए० आई० एस० की गतिविधियाँ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गये 15 सदस्यों वाली मतदान करने वाले सदस्यों की समिति तथा चेयर ऑफ बजट समिति द्वारा जो देन वोट के अधिकार रहित सदस्य होता है, द्वारा चलाया जाता है। यह तकनीकी समिति, लागू करने वाली समिति और बजट समिति द्वारा उनके कार्यकारी दलों द्वारा पूरक सहयता पाता है। आई० ए० आई० एस० का दिनि प्रतिदिन का व्यापार और क्रियाकलाप अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के बैंक से क्रेटारियेर बसेल, स्वीटजरलैंड द्वारा निरूपित होता है।

आई०ए०आई०एस० प्रभावपूर्ण बीमा के प्रबंधन संबंधी शासन पद्धति के लिए सिद्धान्त प्रमाण और नीति को विकसित किया है। ऐसा करना पॉलिसी धारक के सुरक्षा और हित के लिए अनुकूल और प्रभावशाली बीमा बाजार के उत्पत्ति में मदद करता है। आई०ए०आई०एस० इस पेपर भी तैयार करता है जो बीमा निरीक्षक के हित के लिए विशिष्ट क्षेत्र के आधार को उपलब्ध करवाता है।

आई०ए०आई०एस० अंतर्राष्ट्रीय सभा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है तथा वित्त प्रबंध को भूमंडलीय आकार देने में मदद करता है। विशिष्ट रूप से आई०ए०आई०एस० संयुक्त बाजार का सवैधानिक भागों में से एक है और इसके सभी कार्यकारी विभागों में सम्मिलित होता है। यह वित्त स्थायित्व बाजार को प्रतिनिधित्व करता है।

आई०ए०आई०एस० अन्तराष्ट्रिय वित्त विवरण प्रमाणक जो विमियकरण से संबंधित है पर अपने कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा प्रमाणक बोर्ड (आई०ए०एस०बी०) को इनपुट उपलब्ध करवाता है तथा यह आई०ए०एस०बी० के प्रमाणक सलाहकार परिषद् का सदस्य है साथ ही साथ यह इसके बीमा कार्य विभाग तथा वित्तिय संयंत्र कार्य ग्रुप का "ऑफिसियल ऑब्जरवर" भी है। इसे वित्तिय कार्यबल जो धन शोधन तथा आतंकवाद वित्तियण से लड़ता है, के पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। प्राधिकरण अधिकार समिति तथा आई० ए० आई० एस० के विभिन्न समितियों, जो बीमा के ठेका, लेखा-जोखा, बीमा नियम, पुर्नबीमा, वित्तिय एकीकरण इत्यादी का कार्य देखता है, के सदस्यों के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

एकीकरण सिद्धान्त पर संयुक्त फोरम

संयुक्त फोरम, जो 1990 के शुरुआती दौर में बनाया गया था, वित्तीय क्षेत्र के नियमन से सम्बन्धित तीन अंतर्राष्ट्रीय भागों को संजोता है जैसे, बी० आई० एस० आई० ए० आई० एस० और आई० ओ० एस० सी० ओ०, एकल रूप जिसमें पूँजी की उपलब्धता, जोखिम प्रबन्धन, सही और उचित प्रमाण, प्रबन्धक के साथ सूचना का आदान-प्रदान, इन्ट्रा समूह स्थानांतरण, तथा एक्सपोडार इत्यादि आता है, के साथ प्रबन्धन के एकीकरण पर विकसित पालिसी पेपर के बल के साथ प्रतिस्थापित है। प्रारंभ में यह बाजार केवल तथा यूरोपियन देशों में ही था। संयुक्त बाजार ने अपने पेपर में अपने सदस्य राष्ट्रों और अन्य वैद्य अधिकार के सिद्धान्त के निस्पादन में भाग प्राप्त करने के लिए एक कार्यकारी समूह का निर्माण किया है, बाजार निरीक्षक एकीकरण के भूमण्डीकरण के वैद्य अधिकारों को समझने के लिए उत्कण्ठ है। इसने भविष्य के काम के लिए विभिन्न देशों के निरीक्षण एकीकरण तथा सीमापार निरीक्षण मुद्दा पर समझने योग्य सूचनाओं के संग्रह की आवश्यकता महसूस किया है।

फोरम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करने वाले संघ को पहले के सदस्य और तीन नन- सदस्य वैद्य अधिकार के साथ जिसमें, एक-एक सदस्य एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमेरिका से जिन्हे समझाना होगा कि कैसे वे विभिन्न देशों के ज्वाइंट फोरम एकीकरण पर के विचारों और सिद्धान्तों के समीप जाकर उन्हें अपना सकेंगे।

भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व

(5) लोक शिकायतें

बीमा करने वालों के लिए विनियम बनाते वक्त प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य पालीसीधारकों के हितों की सुरक्षा और अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करना है। इसी के अनुसार प्राधिकरण ने आई० आर० डी० ए० में शिकायत दूर करने वाले विभाग की स्थापना की है ताकि जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा वाले पॉलिसीधारकों के शिकायत को दूर किया जा सके। बीमा करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पॉलिसीधारकों को पहले संबंधित बीमा करने वाले के शिकायत/ग्राहक शिकायत विभाग में जाना होगा। अगर वो बीमा करने वाले से कोई उत्तर नहीं आता है एक समय सीमा के अन्दर

या वे कम्पनी के उत्तर से सतुष्ट नहीं हैं, तब वे आइ0 आर0 डी0 ए0 के शिकायत विभाग में जा सकते हैं। अपने रकम को माँगने/पॉलिसी संबिदा के विवाद में निर्णय की आवश्यकता है और आइ0 आर0 डी0 ए0 कोई निर्णय नहीं देता है तो बीमित व्यक्ति को अर्ध-न्यायायिक या न्यायायिक चैनल जैसे बीमा लोकपाल से मदद की सलाह ली जाती है। उनका टेका का विवरण पृष्ठ में उपलब्ध है। वर्ष के पुनः निरीक्षण में, 2918 शिकायत, जीवन और गैर जीवन दोनों से संबंधित, दर्ज किया गया जिसमें 1527 गैर जीवन बीमा कम्पनियों से संबंधित था तथा शेष 1391 जीवन बीमा कम्पनियों से संबंधित था।

गैर जीवन बीमा

जो भी 1527 शिकायतें पायी गई : उनमें से 1331 सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों से संबंधित था तथा शेष निजी क्षेत्र कम्पनियों से था। 31 मार्च 2005 तक सामान्य बीमा कम्पनियों से संबंधित 730 शिकायतें

विश्लेषण के लिए विचाराधीन था। कुल 2257 शिकायतें में से 75 प्रतिशत शिकायत चालू वर्ष में विश्लेषित कर लिया गया था, पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में शिकायतों के निपटारों में थोड़ी वृद्धि देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा 73 प्रतिशत शिकायतें विश्लेषित की गई, जबकी निजी क्षेत्र कम्पनियों के द्वारा 93 प्रतिशत शिकायतों का विश्लेषण किया गया।

बीमा करने वालों के पास 31 मार्च 2006 को 565 शिकायतें बाकी थीं विश्लेषण करने के लिए। जिसमें से 550 सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों से संबंधित और बचे हुए निजी क्षेत्र से संबंधित थी। बिना निपटारा किए हुए शिकायतों में 51 प्रतिशत रकम की भरपाई नहीं/भरपाई में देरी से संबंधित थी , 27 प्रतिशत पालीसी लेखों का नवीनीकरण नहीं होना/जारी न होना/रशि काटने के कार्य से संबंधित थी , 17.9 प्रतिशत रकम को अस्वीकार/अधूरे निबटारे से संबंधित थी और बचा हुआ अन्य कारणों से संबंधित था।

सारणी 24

शिकायत की स्थिति- गैर जीवन बीमा (2005-06)

बीमा करने वाला	संपूर्ण शिकायत			शिकायतों का निपटारा	31 मार्च 2006	शिकायत के स्वभाव के अनुसार ब्रेक अप			
	31मार्च 2005	वर्तमान वर्ष	संपूर्ण वर्ष			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
सार्वजनिक क्षेत्र	707	1331	2038	1488 (73.01)	550	279	101	149	21
निजी क्षेत्र	23	196	219	204 (93.15)	15	9	0	6	0
कुल 730	1527	2257	1692	565 (74.97)	288	101	155	21	(50.97) (17.88) (27.43) (3.72)

नोट :- कोष्टक के ऑकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत है

- (i) निबटारा नहीं/भुगतान के निबटारे में देरी
- (ii) अस्वीकार/अधूरा भुगतान
- (iii) पॉलिसी जारी (नवीनीकरण नहीं/करने का कार्य/प्रवाह नहीं/ पॉलिसी से संबंधित अन्य कारण)
- (iv) अन्य कारण

जीवन बीमाकर्ता-

विभिन्न जीवन बीमा कम्पनियों के खिलाफ पॉलिसीधारकों से मिली शिकायतों पर प्राधिकरण नजर रखती है क्योंकि ये सम्मिलित किये गये बाजार करने के कार्यों के बारे में लाभदायक इनपुट्स देते हैं। 2005-05 के दौरान आइ0 आर0 डी0 ए0 ने विभिन्न बीमा कम्पनियों

के खिलाफ 1391 शिकायतें मिली थी। ये शिकायतें पॉलिसी प्रमाण के प्राप्त नहीं होना, क्लेम के निबटारा नहीं होना, खत्म करना, प्रिमियम के उपयोग में देरी, एन्वुटी सम्बन्धी तथा समय समाप्त हो जाने पर प्रिमियम के वापसी का प्राप्त न होने से सम्बन्धित है।

सारणी 25

शिकायत की स्थिति- जीवन बीमा (2005-06)

बीमा करने वाला	कुल शिकायत			शिकायतों का निपटारा	31 मार्च 2006	शिकायत के स्वभाव के अनुसार ब्रेक अप			
	31 मार्च 2005	वर्तमान वर्ष	संपूर्ण			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
सार्वजनिक क्षेत्र	992	851	1843	467	1376	109	212	590	465
निजी	133	540	673	270	403	36	92	157	118
कुल	1125	1391	2516	737	1779	145	304	747	583

प्राधिकरण ने ये महसूस किया है कि कुछ शिकायत करने वाले अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न रेड्रेशल चैनल की ओर मुड़ गये हैं। इसको हतोत्साहित करने के लिए, आइ0 आर0 डी0 ए0 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पहले बीमा कम्पनी के रेड्रेशल चैनल में करेंगे फिर यदि जरूरत हुई तो आइ0 आर0 डी0 ए0 के शिकायत कक्ष में करेंगे। यह संदेश सभी पॉलिसीधारक के सूचना के लिए प्राधिकरण के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

1 अप्रैल 2006 से प्राधिकरण ने ऐसे शिकायतों को हीं पंजीकृत करना चालू किया है जो सीधे आइ0 आर0 डी0 ए0 के शिकायत कक्ष को संबोधित करता है तथा ऐसे शिकायतों का पंजीकृत नहीं करता है जो बीमा करने वाले व्यक्ति को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार के प्रति के आधार पर है। अतः 2006, सितम्बर के अन्त तक आधा वर्ष का आइ0 आर0 डी0 ए0 का शिकायत पंजीकृत खाका केवल वैसे शिकायतों को दर्शाता है जो आइआरडीए को सीधे संबोधित करता है।

गैर जीवन बीमाकर्ता

चालू वित्त वर्ष के पहले अर्ध में 703 शिकायतें सीधे आइ0 आर0 डी0 ए0 को प्रेषित की गई थी। इनमें से 538 सार्वजनिक क्षेत्र और जीवन बीमा कम्पनी के थे तथा शेष निजी क्षेत्र कम्पनी का था। सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी ने 177 शिकायतों का विश्लेषण किया था तथा निजी क्षेत्र ने 68 शिकायतों का विश्लेषण किया था। 30 सितम्बर, 2006 तक 458 शिकायतें, बीमा से संबंधित, गैर निस्पादित हैं।

सारणी 26

शिकायत का विवरण - गैर जीवन बीमा
(अर्ध वर्ष की समाप्ति, सितम्बर 2006 को)

बीमा करने वाले का नाम	अप्रैल 06- सितम्बर 06 के बीच सूचित	जिसे विश्लेषित किया गया	30.9.2006 गैर-निस्पादित
सार्वजनिक	538	177	361
निजी	165	68	97
कुल	703	245	458

जीवन

चालू वित्त वर्ष के आधे साल में 525 शिकायतों को सीधे आइ0 आर0 डी0 ए0 को वृत्तान्त की गयी जिसमें से 233 सार्वजनिक क्षेत्र तथा 1292 निजी क्षेत्र बीमा कम्पनियों से सम्बन्धित था। 233

शिकायत में से सार्वजनिक क्षेत्र ने 34 केस का निष्पादन किया था जबल निजी क्षेत्र के कम्पनीयों ने 292 केस में से 159 केस का निष्पादन किया। 30, सितम्बर 2006 तक शिकायतें गैर-निष्पादित थी।

सारणी 27
शिकायत का विवरण – जीवन बीमा करने वाले
(अर्ध वर्ष की समाप्ति, सितम्बर 2006)

बीमा करने वाले का नाम	अप्रैल 06- सितम्बर 06 के बीच सूचित	जिसे निष्पादित किया गया	30.9.2006 गैर-निष्पादित
सार्वजनिक क्षेत्र	233	34	199
निजी क्षेत्र	292	159	133
कुल	525	193	332

प्राधिकरण पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए शिकायतों के जल्द निष्पादन पर ध्यान दे रहा है। इसके अतिरिक्त रिव्यु सभा का गठन बीमा करने वाले के ग्राहक सेवा/शिकायत निष्पादन विभाग के साथ किया गया है ताकि बीमा कम्पनियों द्वारा निष्पादन दर बढ़े जिसके चलते टाइम-लैग कम हुआ दावों के निष्पादन में।

बीमा करने वालों को बीमा कम्पनियों द्वारा दावा निपटारा की रफ्तार बढ़ाने को जबाबदेह माना गया और इस तरह दावे के निपटारे में समय की सीमा घटती गई।

(vi) बीमा संगठन और बीमा परिषद्

जीवन बीमा परिषद्

जीवन बीमा निगम, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 जे का एक वैधानिक भाग है। यह मान्यता प्राप्त जीवन बीमाकर्ता का एक फोरम है जो नियंत्रण के नियमों को लागू करना, सेवा का निरीक्षण करना, जीवन बीमाकर्ता के प्रबन्धन खर्च के संबंध में आई0 आर0 डी0 ए0 को सलाह देना, आई0 आर0 डी0 ए0 की ओर ध्यानाकर्षण करना, बीमाकर्ता के भ्रम की स्थिति को सुधारना जैसे कामों को करता है। निगम ने 2005-06 के दौरान अनेक बैठकें की जिसमें वैसे अर्न्तभाग मुद्दा जो विचार किये गये थे में, यूलिप उत्पादन का दिशा निर्देश, जीवन बीमा क्षेत्र में जीवनो की संख्या में कमी, धन शोधन निवारण से संबंधित दिशा निर्देश, यूनिट लिंक बीमा उत्पादन के संबंध में नियंत्रण के नियम, अभिकर्ताओं के परीक्षा का नया व्याख्यान, सामान्य प्रपोजल तथा पॉलिसी फॉर्मेट इत्यादी शामिल हैं। यह भी निर्णय लिया गया था की निगम तीन महीने में एक बार मिलेगा तथा उप समिति और जल्द समय पर मिलेगा और निगम को

सूचना देगा। निगम ने बाह्य समूह के लिए एक संविधान बनाया है जो प्रबंधन खर्च को समिति करने के लिए आई0 आर0 डी0 ए0 को दिशा निर्देश करेगा। एक समूह भी बनाया गया है जो आई0 आर0 डी0 ए0 के साथ काम करेगा जो बीमाकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर सांख्यिकी सूचना तंत्र बनाएगा। आई0 आर0 डी0 ए0 ने निगम के सदस्यों का ध्यान नये ग्रामिण तथा सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व की ओर भी खींचा है। विभिन्न मुद्दों पर आई0 आर0 डी0 ए0 ने निगम को उद्योग से संबंधित दृष्टि दिया है। निगम, आई0 आर0 डी0 ए0 तथा जीवन बीमा उद्योग के बीच बातचीत करने का स्थायी सामाधान बना है। आई0 आर0 डी0 ए0 की इच्छा है कि निगम जीवन बीमा उद्योग के क्षेत्र में "स्वयं नियंत्रित भाग के रूप में उभरे जो मजबूत तथा प्रभावशाली हो तथा जो जीवन बीमा उद्योग को तेज, स्वास्थ्य तथा प्रतियोगितात्मक उद्योग बनाए।

सामान्य बीमा परिषद्

सामान्य बीमा परिषद् अपने को स्वयं नियंत्रित संगठन की रूप में स्थापित करने की दिशा में जा रही है। परिषद् ने अपना सचिवालय मुम्बई में रखा है और श्री के0 एन0 भंडारी इसके सेक्रेटरी जनरल नियुक्त हुए हैं। परिषद् तेजी से प्राशुत्क मुक्ति स्थिति की ओर जाने में लगी हुई है। वित्त वर्ष 2005-05 में परिषद् ने पाँच बैठकें की तथा परस्पर बातचीत किया :-

(ए) परिषद् की उपयोगिता और काम और निर्णय लिया की परिषद् उद्योग संगठन के रूप में काम करेगा और सरकार तथा आई0 आर0 डी0 ए0 के साथ वार्तालाप को जारी रखने का आधार देगा और उद्योग की अनेक समस्याओं तथा चिन्ताओं पर विचार रखेगा। इससे आगे परिषद् बाजार के कार्य प्रबंधन विन्दुओं पर कमियों को दूर करेगा।

(बी) प्रस्तावित मोटर बीमा पुल को लागू करना।

(सी) अप्रत्याशित आपदा कोष की स्थापना इस पर चिन्तन और कोष के क्रिया विधि पर सलाह वास्ते एक कार्यशील समूह बनाया गया है।

(डी) ब्रोकर एसोसिएशन के सदस्यों से मिला और आम लगाव के विन्दुओं पर बात किया।

(इ) मुम्बई के बाढ़ के सम्बन्ध बीमा दावे के निपटारे का रूप-रेखा यह निश्चित करने के लिये प्रभावित बीमा धारक कोई असुविधा में नहीं पड़े।

(एफ) सोलेटियम फन्ड की नई क्रमबद्ध योजना जो वर्तमान में नयी भारतीय बीमा कम्पनी द्वारा प्रबन्धित है।

(vii) बीमा सलाहकार समिति

22वीं मार्च 2004 को बीमा सलाहकारों की पहली बैठक हुई। 6 जून 2005 को इसका पुनर्गठन हुआ और पुनः गठित समिति 17 अगस्त 2005 को बैठी और दूसरी वस्तुओं के बीच में निम्न पहलुओं पर चिन्तन किया।

- सूक्ष्म-बीमा पर मार्गदर्शन
 - ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र
 - मातृत्व छुट्टी-नियमों में सुधार की जानी है
 - बीमारी में छुट्टी-नियमों में सुधार किया जाना है
- दोबारा बनाए गए समिति के सदस्यों के नाम पृष्ठ Xi में हैं।

(viii) बीमा लोकपाल का कार्यकलाप

2005-06 में लोकपाल के द्वारा शिकायतों की सूचना का निष्पादन सारणी 30 पर किया गया था। 31 मार्च, 2006 तक कुल 11161 शिकायत दर्ज की गई थी। इनमें से 83 प्रतिशत का निष्पादन किया गया था जो पिछले साल के बराबर था। 31 मार्च, 2006 तक

जीवन बीमा से सम्बन्धित कुल 5526 शिकायत थी जिसमें से 5206 पब्लिक सेक्टर से सम्बन्धित था। गैर जीवन बीमा के संबंध में 31 मार्च, 2006 तक 5635 शिकायतें थी जिसमें से 5309 सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित था। इस साल कुल 551 शिकायत बढ़ गयी है। 2005-06 के दौरान जीवन बीमा से सम्बन्धित शिकायतों के निष्पादन का दर 89 प्रतिशत था जबकि गैर जीवन बीमा से सम्बन्धित शिकायतों का निष्पादन का दर 76 प्रतिशत था। इसी प्रकार बिना निष्पादन के शिकायतों की संख्या, एक वर्ष से उपर के समय में 220 थी जो पिछले साल की अपेक्षा 12 अधिक थी। चालू वित्त वर्ष में लोकपाल द्वारा दिए गए पारितोषित और संस्तुतियों की संख्या 1932 है जो 2004-05 के दौरान 2873 थी तथा कुल मूल्य 9.16 करोड़ रु० था जबकि 2004-05 के वित्त वर्ष के दौरान 9.94 करोड़ रु० था। इस वर्ष औसतन 47,389 रु० का व्यक्तिगत पारितोषित था संस्तुति दिया गया जबकी पिछले साल 34,632 रु० था।

सारिणी 28
लोकपाल द्वारा शिकायतों का निष्पादन: 2005-06

विवरण	2005 में शिकायतों की संख्या	1.04.05 से 31.03.06 के बीच की शिकायत	कुल शिकायतों की संख्या	शिकायतों का निष्पादन	शिकायतों के निष्पादन का तरीका						
					संस्तुति	पारितोषिक	निषेध से हटा	स्वीकार नहीं किया गया	खारिज	शिकायत नहीं सुनना	शिकायत सुनना बाकी
जीवन											
सार्वजनिक	502	4704	5206	4677	134	510	1195	198	364	2276	529
निजी	45	275	320	248	7	20	70	14	36	101	72
कुल	547	4979	5526	4925	141	530	1265	212	400	2377	601
				(89.12)	*(2.86)	*(10.76)	*(25.69)	*(4.3)	*(8.12)	*(48.26)	(10.88)
गैर जीवन											
सार्वजनिक	1491	3818	5309	4063	192	1019	733	67	681	1371	1246
निजी	50	276	326	227	3	47	37	5	47	88	99
कुल	1541	4094	5635	4290	195	1066	770	72	728	1459	1345
				(76.13)	*(4.55)	*(24.85)	*(17.95)	*(1.68)	*(16.97)	*(34.01)	(23.87)
संयुक्त	2088	9073	11161	9215	336	1596	2035	284	1128	3836	1946
				(82.56)	*(3.65)	*(17.32)	*(22.08)	*(3.08)	*(12.24)	*(41.63)	(17.44)

नोट : * प्रतिशत को दर्शाता है

ix समितियाँ

प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों के शिकायतों को सुलझाने के तरीकों की जाँच करने के लिए एक समिति की स्थापना की है और उनमें सुधार के उपाय सुझाए हैं। समिति के निर्देश का शर्त, सुझाव परिवर्तनीय सुधार यदि कोई हों, के साथ का नियम, पॉलिसीधारक के हितों के रक्षा, 2002 को बताता है।

आर०बी०आई/सेबी/आई०आर०डी०ए० तकनीकी समिति

भारत सरकार ने वित्तीय और पूँजी बाजार पर एक उच्च स्तरीय समपदस्यता समिति बनाई है जो पूँजी/वित्तीय बाजार से लगातार पुनर्निरीक्षण और मॉनिटरिंग स्थिति के अलावा निमित्त समपदस्यता तथा अन्तर्नियमित पॉलिसी रा का विश्लेषण करता है। एच०एल०सी०सी०एफ०एम० विभिन्न प्रबंध करने वालों के बीच नियमित त्रुटि और ओभरलैप के समपदस्यता के पॉलिसी रा को सम्बोधित करता है तथा वित्त/पूँजी बाजार के लगातार पुनर्निरीक्षण के स्थिति के संबंधों को एक अलग तकनीकी समिति के संविधान के द्वारा सम्बोधित किया जायेगा। अधित हितों के पॉलिसी बातों की स्थिति में, जो अन्तर्नियमित समपदस्यता को महसूस करते हैं। समिति वित्तीय मंत्रालय को सूचना देगा, एल०सी०सी०एफ०सी०एम० की सभा के लिए। एच०एल०सी०सी०एफ०एम० ने आर०बी०आई०/सेबी/आई०आर०डी०ए० के नियमन से संबंधित तीन तकनीकी समितियाँ स्थापित किया है।

आई०आर०डी०ए० ने जों समिति बनाई उससे अपेक्षाएँ इस प्रकार है:

- i. पूँजी बाजार के बीमा क्षेत्र के पुनर्निरीक्षण एक्सपोजर को इन्टर-एजेंसी फोरम को बनाया गया है जो इस एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले असामान्य विकास को खोजने का काम करता है।
- ii. बीमा कम्पनियों से संबंधित संदेहास्पद बाजार दुराचार से संबंधित सूचनाओं की हिस्सेदारी इन्वेस्टीगेटिव/इन्टेलिजेन्स एजेंसी से करने का निर्माण लेना।
- iii. पूँजी बाजार में बीमा क्षेत्र से संबंधित अनियमितताओं के बारे में पारामीटर विकसित करना।
- iv. अन्य नियामक के साथ समपदस्य जों समिति के द्वारा विकसित की गई जल्द चेतना देने वाला तंत्र के आधार

उपर्युक्त बातों के आधार पर आई०आर०डी०ए० के प्रतिनिधित्व में आर०बी०आई तथा सेबी ने समान तकनीकी समिति बनी है। 2006 के दौरान तकनीकी समिति ने समान इश्यु पर विचार किया :-

1. पूँजी बाजार में मुद्रा का बहाव
2. पूँजी बाजार में एसपोजर
3. वित्तीय एकीकरण के निरीक्षण के लिए सूचना तंत्र का कार्य करना
4. ऑपरेशनलाइजेशन दी रिवाज्ड इन्टीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अलर्ट

आन्तरिक-नियामिक इश्यु के विश्लेषण तथा निरीक्षण समपदस्ता को बढ़ाने के लिए और सूचना के हिस्सेदारी में सूचना प्रदान करने वाला ने मदद मदद किया है।

वित्तीय एकीकरण

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सभी चार भागों में विशिष्ट रूप से स्वतंत्रता प्राप्त किया है—बैंकिंग, गैर- बैंकिंग वित्त, प्रतिभूति तथा बीमा और सभी क्षेत्रों में वृद्धि की है जो बाजार मध्यस्थों के बीच पुर्न विकास के प्रक्रिया के द्वारा सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय क्षेत्र गवाही देता है।

1. अन्य वित्तीय क्षेत्र में बड़े बैंकों का प्रवेश जैसे मर्चेंट बैंकिंग, बीमा इत्यादि जो वित्तीय एकीकरण को बनाता है।
2. महत्वपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न नए व्यवसायियों का आना
3. गैर-बैंकिंग संस्थान का वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा होने की सम्भावना

उपर के विकास नियामक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से संगठित समूहों की कमियों को दूर करने वास्ते देख-रेख खण्डित सीमाओं की ओर पहुँच के बाद उँचे स्तर पर आकलन की ओर ले गया है।

1. अनेक एकजुट आर्थिक संगठनों के असफलता उन्मुख विशालता से जुटे हुए नैतिक परेशानियाँ
2. प्रतिष्ठा दूत के समान विस्तार देने वाले काम से प्रभावित होती है।
3. नियम से नियंत्रित पंचायत के पहलू पहुँच के बाहर का कोशिश आदि, जो अन्तर समूह लेन-देन और खतरा लेने के चलते आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही हैं।

आर० बी० आइ० , सेबी, आई०आर०डी०ए० , से लिए गये सदस्यों द्वारा आर० बी० आइ० द्वारा गठित अन्तर नियमन कार्य समूह ने निश्चित माप-दंड के आधार पर 28 एस० आइ० एफ० आइ० की सूची कार्य सम्बर्धन और रिपोर्ट व्यवस्था का पता लगाने के लिये निम्न की समाहित करते हुए किया :-

1. एस० आइ० एफ० आइ० समूहों के वास्ते एक रिपोर्ट व्यवस्था कि जो आम हितों से जुटे आर्थिक मामलों पर आर० बी० आइ० , सेबी, आई०आर०डी०ए० को देगी।
2. आर्थिक संगठनों के बीच परस्पर लेन-देन का रिपोर्ट।
3. आर० बी० आइ०, सेबी, आई०आर०डी०ए० के बीच काम की सूचनाओं का आदान प्रदान

उपर की प्रमाणिक बातों के आधार पर आई०आर०डी०ए० को मुख्य नियामक बनाकर 22 आर्थिक समूह वित्तिय पहलुओं के संग्रह और विशेष अध्ययन के लिए चिन्हित किये गये जिनका संबंध था :-

1. भारत का जीवन बीमा निगम
2. टाटा ग्रुप वास्ते टाटा ए० आइ० जी० का जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड
3. बिरला ग्रुप के लिए बिरला सनलाइफ बीमा कम्पनी लिमिटेड
4. बजाज ग्रुप के लिये बजाज जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड

एक संगठन में आये हुए संस्थान सूचना इकट्ठा कर रहें हैं जिसका सूक्ष्म परीक्षण चल रहा है और आर० बी० आइ० को भेजा जा रहा है, जो सूचनाओं को जमा रखने का केन्द्रीय एजेन्सी का स्थान प्राप्त किया है। आर्थिक समूहों से विहित प्रपत्रों में वित्तीय लेन-देन पर उनके बीच की सूचना की जानकारी ली जाती है।

(अ) आइ० सी० ए० आइ० के 18 ए० एस० के परिभाषित भर्तों के मुताबिक सहायक, संयुक्त उपक्रम, सम्बद्ध और मूल पार्टी से सम्बद्ध।

(ब) ऐसे प्रतिष्ठान जिनका सम्मिलित ब्रान्ड वाला नाम हो।

(स) दूसरे प्रतिष्ठान जिनमें उपर के (अ) और (ब) में चिन्हित प्रतिष्ठानों का 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी की तुलना में लगा हो।

मुख्य नियंत्रक अपने अधीन के दूसरे इकत्रित संगठनों के साथ अर्ध वार्षिक बातचीत करता है। यह बातचीत उन इकत्रित संगठनों निरीक्षण को हिस्सा मानकर किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को साथ इन बैठकों में अन्दरूनी तौर पर नीचे लिखी बातें इसमें आती हैं :-

- एकत्रित संगठनों का जन समुदाय को जगाने का दृष्टिकोण प्रभावित क्षेत्र में व्यापारिक तरीका के तहत अगले 3 वर्षों के निर्धारण के क्या है।
- समूह का संगठनात्मक ढाँचा जिसमें एस० बी० पी० और सम्मिलित व्यापार प्रतीक नाम वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
- समूह प्रतिष्ठान का प्रबन्धन और उत्तराधिकार योजना।
- समूह मुताबिक नियंत्रण तंत्र
- समूह मुताबिक विस्तारित खतरा प्रबन्धन व्यवस्था और समूह विस्तृत निगरानी
- ऐसी स्थिति में बढ़ते हुए खतरों के अनुकूल की व्यवस्था सीमा से अधिक किसी खतरे का किसी व्यवस्था पर दूसरे समूह व्यवस्था की तुलना में दबाव
- अन्तर समूह खतरे से बचाव की बोर्ड अनुमोदित आई० टी० आई० की बुद्धिमानी पूर्ण नीतियाँ।
- समूह की आय-व्यय के लेखा की आई० टी० आई० के विशेष संदर्भ में बोर्ड की नीति क्योंकि इसमें लेखा-जोखा की पेचीदगियाँ रहती हैं, जिससे समूह स्तर पर गणना जमा होता है।
- आई० टी० आई० के मसलों पर पहुँच के भीतर के सिद्धांत पर इस जगह अनुरोध करने की व्यवस्था।
- अन्तर समूह लेन-देन और खतरों के विन्दुओं पर पहुँचने की स्थिति में (आई० टी० आई० तथ्यों का) सूचना जनता के लिए खुलासा करना
- सीमा से बाहर और क्षेत्र से बाहर क्रिया कलापों पर सूचना संग्रह समर्थक तथ्यों का जुटाने के लिए इसके बदले एम० आई० एस० और योजना की व्यवस्था।
- आर्थिक उत्पादों की विक्री समूह प्रतिष्ठानों की सेवायें।
- प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट के संदर्भ में (डी० एस० ए०) क्रिया कलापों को दूरस्थ जगहों से कराने की नीति नियंत्रकों के दिशा निर्देश और समूहों की आन्तरिक नीतियों की प्रतिबद्धता की जाँच के लिए आन्तरिक नियंत्रण और लेखा की व्यवस्था।
- समूह अनुसार प्रबंधन परिवर्तन की नीती यदि कोई ऐसी नीती हो
- समूह विस्तृत पूँजी का बहुतायत यदि ऐसी कोई सम्भावना हो
- उच्च स्तर के निकायी शासन के प्रबन्ध की पुष्टि करना
- दोष रहित और उचित स्तर वाले प्रबंधक निदेशक और मुख्य शेयर धारक जो प्रतिष्ठान के काम-काज को निर्देश दे तथा प्रभावित करे।

आई0 आर0 डी0 ए0 समूहों पर बहस को उठायेगा जिसके लिए यह प्रधान नियंत्रक के रूप में शीघ्र पेश होगा।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ)

डब्ल्यू टी ओ की स्थापना दुनिया के देशों को एक मंच पर आने की व्यवस्था करने के लिये हुआ है और विश्व व्यापार संगठन विश्वस्तर पर अथवा विश्वस्तर के करीबी आधार पर राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों की देखभाल करता है। डब्ल्यू टी ओ के चालू काम का अधिक मांग 1986-94 के उस्गवा राउन्ड के समझौतों से निकाला है और यह पहले के समझौतों से भी आता है जो की प्राशुल्क और व्यापार पर आम सहमति निकली है (जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टारिफ ऐन्ड ट्रेड) विश्व व्यापार संगठन के सामने भारत की सरकार ने कानूनों की व्यवस्था के तहत देश में बीमा व्यापार के संचालन की बातें अपनी स्थिति का विवरण खोला है।

स्वास्थ्य बीमा पर कार्य समूह

देश में स्वास्थ्य बीमा को गति देने और विस्तार देने के लिये सितम्बर 2003 में आइ0 आर0 डी0 ए0 ने एक कार्य समूह का गठन किया। कार्य समूह ने स्वास्थ्य बीमा द्वारा उप-समूह का स्थापना किया जिसने तदुपरान्त नीचे लिखे तीन उप-समितियों का गठन किया :-

- (1) स्वास्थ्य बीमा डाटा : के उप-समूह की सिफारीशों को लागू करने के वास्ते स्वास्थ्य बीमा उपसमिति।
- (2) स्वास्थ्य बीमा और पहले से विद्यमान विमारियों की परिभाषा वास्ते उत्पाद पद्धतियों की जाँच वास्ते उप समिति।
- (3) स्वतंत्र रूप से चलने वाली स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के पंजीयन की उप-समिति।

उप समितियों में अपना रिपोर्ट को दिया है। उत्पाद पद्धति और पूर्व स्थित बीमारियों की परिभाषा की जाँच के लिये दिये गये सलाहों पर ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने वास्ते ग्रामीण बीमा उपसमूह की स्थापना की गई।

X) संबंधित अधिकारी द्वारा किये गये परामर्शदात्री कामों का निरीक्षण :-

भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कम्पनी द्वारा भारत में संपर्क ऑफिस खोलने/पुनः नवीनीकरण के लिए अनुमति
भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कम्पनी द्वारा संपर्क ऑफिस खोलने की अनुमति 2005 की फरवरी तक भारत का रिजर्व बैंक देता आ रहा

था। आर0बी0आई0और आई0आर0डी0ए0 से विचार विमर्श करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कम्पनियों द्वारा भारत में संपर्क ऑफिस खोलने की किया विधि को आई0आर0डी0ए0 के साथ निहित कर दिया जाए। इसके मुताबिक आई0आर0डी0ए0 ने दिसम्बर 2005 में नये आवेदनों और आर0बी0आई द्वारा अनुमोदित अनुमति के पुनः नवीनीकरण के लिए अपनाए जाने वाले किया कलापों का आधार दिया। इस उद्देश्य से संपर्क ऑफिस की परिभाषा का अर्थ सूचना प्रसार के रूप में काम करने वास्ते व्यापार का केन्द्र है जो कारोबार के मुख्य स्थान अथवा मुख्य कार्यालय के बीच काम करता है। इसको हम जिस किसी नाम से बोलें और भारत में इसके अस्तित्व को जाने, लेकिन जो कोई भी व्यवसायिक/व्यापारिक औद्योगिक सक्रियता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लेता है। सम्बद्ध ऑफिस स्वयं अपनी व्यवस्था को आन्तरिक वित्त प्रदानद्वारा जो साधारण बैंकिंग स्रोतों द्वारा विदेशों से प्राप्त किया गया है।

भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कम्पनी द्वारा संपर्क ऑफिस भारत में खोलने की अनुमति आई0आर0डी0ए0 द्वारा प्रस्तावित आधारों और शर्तों पर जो समय समय पर ली गयी है के अनुसार होगा।आई0आर0डी0ए0 ने एक आवेदन फार्म का प्रारूप (आई0आर0डी0ए0 -एफ0आई0सी-1) लिया ऑफिस खोलने की प्रार्थना देने के लिये बनाया है। आर0बी0आई द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान संपर्क कार्यालयों को पहली मान्यता के खतम होने पर पुनः नवीनीकरण वास्ते आई0आर0डी0ए0 का अनुमोदन लेना होगा। बीमा कम्पनियों द्वारा संपर्क कार्यालयों खोलने के नियमन की जबाबदेही आई0आर0डी0ए0 को सौंपे जाने के बाद 12 लाइसेंस (नवीनीकरण को लेकर) निर्गत हो चुका है।बीमा कम्पनियों के संपर्क कार्यालयों जीवन - साधारण बीमा दोनों में/पुनः बीमा क्षेत्र वाली भारत में खुलने वाली कम्पनियाँ हैं (1)स्कौर फ्रान्स 2) ओ0 बी0 ई0 आस्ट्रेलिया 3) सैम्पो जापान इन्श्योरेन्स, जापान 4) दोकियोमेराइन ऐन्ड फायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जापान 5) रॉयल एन्ड सन् एलायन्स यू0 के0 6) रसियन इन्श्योरेन्स सेन्टर रसिया 7) सिंगापुर रे , सिंगापुर 8) सैमसंग लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड , साउथ कोरीया 9) आर0 जी0 ए0 सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड , यू0 एस0 ए0 10) प्रुडेन्सियल इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ अमेरीका , यू0 एस0 ए0 11) आइ0 एन0 जी0 इन्श्योरेन्स इन्टरनेशनल बी0 भी0 नीदरलैंड 12) मुनिच रि , जर्मनी

भाग III

प्राधिकरण के वैधानिक कार्य

ए) आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करना , इस तरह के पंजीयनों का नवीनीकरण , परिवर्तन वापस करना, निलंबित करना अथवा ऐसे पंजीयनों को खारिज करना

बीमाकर्ता

प्राधिकरण ने मेसर्स भारती ए एक्स ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स हेड एण्ड एलाइड कंपनी लिमिटेड नाम की दो कंपनियों को वर्ष के दौरान दिया है। सम्बद्ध अधिकारी मेसर्स पी. एन. बी. प्रिन्सीपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आर. 1 आवेदन का फार्म पंजीयन के प्रमाण पत्र के अनुमोदन के लिये पाया है , जो निष्पादन के क्रम से गुजर रहा है । बीमा अधिनियम 1938 के धारा 3 ए के शर्तों के अनुसार जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों को निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीकरण किया गया है । पंजीयन के नवीनीकरण के के लिये किसी भी बीमाकर्ता द्वारा देर से किये गये आवेदन पर सम्बद्ध अधिकारी ने जुर्माना नहीं लगाया है । सम्बद्ध अधिकारी ने किसी भी बीमाकर्ता के पंजीयन प्रमाण पत्र को परिवर्तित नहीं किया है या वापस नहीं किया है या निलंबित नहीं किया है या बर्खास्त नहीं किया है ।

बीमा दलाल

सम्बद्ध अधिकारी ने निम्नलिखित दलालों के पंजीयन को आइ0 आर0 डी0 ए0 (बीमा दलाल) नियम 2002 के प्रावधानों को तोड़ने के अपराध में निलंबित किया। मेसर्स जस्ट इन्श्योर लिमिटेड के दलाली लाइसेन्स को 01-06-05 को निलंबित किया गया जब अधिकारी के सूचना में यह आया कि दलाली करने वाली कम्पनी बिना मुख्य अधिकारी के काम कर रहा है। मेसर्स भिजन इन्स0 रिस्क एनालाइसिस मैनेजमेन्ट और ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के दलाली लाइसेन्सों को 13-05-05 को समय पर व्यावसायिक खतरा बीमा नहीं लेने कही असफलता पर निलंबित किया गया । 27-09-05 को इस निलंबन को खारिज किया गया जब व्यावसायिक खतरा बीमा ले लिया गया और इसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी को दे दिया गया । आई0आर0डी0ए0 (बीमा दलाल) नियमन 2002 के तहत नियमों के उल्लंघन के अपराध में सम्बद्ध अधिकारी ने निम्नलिखित दलालों के पंजीकरणों को खारिज कर दिया। मेसर्स सेग इन्स ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के दलाली पंजीकरण को 23-02-06 को गलत सूचना मुहैया कराने और तथ्यों को अपने आवेदन में दबाने के कारण जो आवेदन उसने सम्बद्ध अधिकारी को लाइसेन्स लेने के

लिए किया था खारिज किया गया । मेसर्स स्टर्लिंग जेनरल इन्सोरेन्स ब्रोकर के लाइसेन्स को 24-03-06 को खारिज किया गया क्योंकि दलाल कम्पनी ने इसको सीधे तौर अनुमोदित दलाली लाइसेन्स को उसने वापस कर दिया। मेसर्स इन्सपायर इन्सोरेन्स ब्रोकिंग सोलुसन्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेन्स को 20-06-05 को खारिज किया गया क्योंकि दलाल कम्पनी ने उस को सीधे दिये गये बीमा दलाल लाइसेन्स को वापस कर दिया था। वित्तीय वर्ष में निर्गत किये लाइसेन्सों का कुल योग 31 नवीकृत लाइसेन्सों का योग 35 हैं ।

टी0पी0ए0

प्राधिकरण ने मेसर्स सेफवे मेडिकलेम सर्विसेज लिमिटेड और मेसर्स अनमोल मेडिकेअर लिमिटेड को टी0पी0ए0 (स्वास्थ्य सेवाएँ) 2001 के नियम के प्रावधान के अन्दर लाइसेन्स निर्गत किया है।

रक्षा टी0 पी0 ए0 प्राइवेट लिमिटेड (2) टी0 पी0 के0 हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (3) अनिउता मेडिन्डेला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (4) इस्ट वेस्ट एसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड (5) मेडसेम हेल्थ केअर मिमिटेड (6) जेनिन्स इंडिया लिमिटेड (7) भाइचन्द अमोलुक इन्सोरेन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (8) अलंकित हेल्थ केअर लिमिटेड (9) गुड हेल्थ प्लान लिमिटेड के लाइसेन्सों का 2005-2006 के दरम्यान नवीनीकरण हुआ । मेसर्स आई0 सी0 ए0 एन0 हेल्थ केअर लिमिटेड टी0 पी0 ए0 लाइसेन्स का नवीकरण नहीं हुआ क्योंकि कम्पनी अपने कर्तव्य को करने में कमजोर पाई गयी और अपने उद्यम को संचालन में व्यवसायिकता की कमी भी पायी गयी। दो टी0 पी0 ए0 मेसर्स यूनिवर्सल मेडिएड सर्विसेज लिमिटेड और मेसर्स फोकस हेल्थ केअर लिमिटेड के खिलाफ जाँच कि प्रक्रिया वर्तमान में जारी है क्योंकि यह आरोप लगा है कि वे आई0 आर0 डी0 ए0 टी0 पी0 ए0 (स्वास्थ्य सेवाओं) के निर्धारण मापदंडों की जिनकी व्यवस्था नियम 2001 में की गई है का उचित ढंग से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आज भी तारीख में 26 टी0पी0ए0 कम्पनियों के पास टी0 पी0 ए0 (स्वास्थ्य सेवाओं) का काम करने के लिये लाइसेन्स है।

बी) बीमाधारकों पॉलिसी देने के विषयों पर उनके हितों की रक्षा, बीमा धारकों द्वारा उत्तराधिकारी की धोषणा, बीमा करने योग्य व्यापार, बीमा दावा का निपटारा पॉलिसी का वापसी कीमत और

बीमा समझौता से सम्बद्ध दूसरी शर्तों और स्थितियों प्राधिकरण का विशिष्ट कार्य योजना का ध्यान बीमा धारकों के हितों की रक्षा पर बहुतायत से महत्त्वों को सम्बद्ध करता है। इसकी प्राप्ति के निमित्त सम्बद्ध अधिकारी ने बीमा करने वालों के विरुद्ध की शिकायतों के समाधान वास्ते आधिकारिक समिति का स्थापना किया है। सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतें बीमा करने वालों के सामने जाँच, पुनः जाँच और शीघ्र निपटारे के लिए रखी जाती हैं। बीमा धारकों के बीच सम्बद्ध अधिकारी के पास आधिकारिक समिति को पाकर विशेष जागरूकता देखी गई। सम्बद्ध अधिकारी द्वारा सतर्कतापूर्ण अभियान समाधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये, बीमाकर्ताओं द्वारा निर्णयों को मान्यता देने के लिये जाँच बैठक शिकायत निवारण कोषांग अथवा विभागों के साथ करता है। बीमाधारकों के हितों की रक्षा का नियम 2002 प्रत्येक बीमाकर्ता से एक शिकायत निवारण व्यवस्था को रखने की बात कहता है। चालू व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने के प्रयत्न में तथा यह निश्चित करने के लिये बीमाधारकों की शिकायतों का निपटारा प्रथम स्थिति में बीमाकर्ताओं के स्तर पर हो जाता है। प्राधिकरण ने एक समिति श्री वेपा कामेसम को इस समिति का चेयरमैन बना कर किया, जो बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान के प्रबंध निदेशक थे, शिकायत निवारण व्यवस्था जो अभी बीमा कम्पनियों में लागू है तथा उनमें परिवर्तन करने की सिफारिशों के लिये दी जानेवाली सलाहों के लिए यह समिति काम करती है।

सी) एजेन्टो, बीमा मध्यस्थों, मध्यस्थों वास्ते आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण, आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण :-

सम्बद्ध अधिकारी ने आई0आर0डी0ए0 के नियम 4 और 5 से सम्बद्ध प्रावधानों (बीमा एजेन्ट को लाइसेन्स देना) नियम 2002 के अनुसार एजेन्टों को योग्यता और प्रशिक्षण की रूप रेखा तय किया है। इसी तरह प्राधिकरण एजेन्ट्स के मामले में आई0आर0डी0ए0 का विनियमन 4 (प्राधिकरण एजेन्टों लाइसेन्स देने का कार्य नियम 2002 प्राधिकरण बीमा पदाधिकारी निर्धारित व्यक्तियों सम्बद्ध के न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करता है। बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 4 डी0 के अनुसार एजेन्ट, प्राधिकरण पदाधिकारी तथा निर्धारित लोग भी किसी अयोग्यता के शिकार नहीं होंगे।

सम्बद्ध अधिकारी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर एजेन्टों के प्रशिक्षण संस्था के सम्बन्ध में दिशा निदेश अक्टूबर 2004 में तथा अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन प्रशिक्षण संस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश मई 2005 में जारी किया है।

सम्बद्ध दिशा निदेश प्रशिक्षण के न्यूनतम प्रशिक्षण समय के भागीदारी को निश्चित करता है, प्रशिक्षुओं के उपस्थिति दस्तावेज के रख-रखाव, प्रत्येक विषय धारा वास्ते नियंत्रणाधीन प्रशिक्षुओं की जिज्ञासा को एक शिक्षित विभाग, वेब-प्रशासक द्वारा तथ्यों का हिसाब किताब प्रशिक्षुओं आदि को पाने के लिए शुल्क तथा सलाह शुल्क का नियम आदि की व्यवस्था दिशा निदेश द्वारा होता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर की प्रशिक्षण संस्था की मान्यता का समय तीन वर्षों का तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर और प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन के प्रशिक्षण संस्थाओं का आरम्भिक मान्यता एक वर्ष की होगी।

सम्बद्ध अधिकारी ने प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले विषय-सम्बद्ध जाँच परख के तथ्य प्रस्तुतिकरण की रूप-रेखा का निर्धारण भी किया है। इसके अतिरिक्त आई0आर0डी0ए0 में 23 वीं जून 2006 को एक सूचना निर्गत किया जिसका सम्बन्ध (1) एक से अधिक लौगिन का खोलना (अधिसंख्य लौगिन) उसी कम्प्यूटर पर, तथा उसी व्यवहार करने करने से आई0डी0/मिन्न मशीनों पर एक ही समय पासवर्ड अधिकृत करने योग्य नहीं है और) प्रशिक्षण संस्थान को केवल एक ही क्षेत्र आईआरडीए अधिकृत प्रशिक्षण जीवना के लिए और साधारण बीमा के लिए रखना है। एक से अधिक कार्य क्षेत्र के व्यवहार की अनुमति नहीं है।

डी) सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक की आचरण संहिता का निरूपण

सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक की आचरण संहिता का निरूपण सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक के लिए नियम 2000 में हुआ है। वित्त मंत्रालय (जिसमें भंडारी समिति की अनुसंशाओं को मंजूर किया) आज्ञा पर सम्बद्ध अधिकारी ने 4 अक्टूबर 2005 को सर्वेक्षकों में स्वयं नियमन और व्यावसायिकता के लिए भारतीय बीमा तथा हानि निर्धारक संस्थान की स्थापना की है। आई0 आई0 आई0 एस0 एल0 ए0 कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 25 में पंजीकृत है। आई0 आई0 आई0 एस0 एल0 ए0 का उद्देश्य दूसरी वस्तुओं के बीच में सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों में आचरण संहिता और नैतिकता का पालन कराने का उद्देश्य लेकर चलता है तथा उसका तदनुरूप प्रत्यक्षीकरण को निश्चित कराता है।

ई) बीमा व्यापार के संचालन में सक्षमता का बढ़ना

सूरत, गुजरात में अकस्मात आये बाढ़ के चलते आनेवाले दावों के निपटारे के लिये एक विशिष्ट समस्या के रूप में सम्बद्ध अधिकारी ने लाइसेन्स प्राप्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को आज्ञा निर्गत होने की तारीख से दो महीने के भीतर होने वाली क्षति सीमा का सर्व

करने का समय निर्धारण किया। बीमाकर्ताओं को आन्तरिक सर्वेक्षकों की सेवा से क्षति आकलन कराने की अनुमति दी गई।

यह विशेष छूट बीमा कर्ताओं को दावों के शीघ्र और सही निष्पादन और बाढ़ से प्रभावित बीमाधारकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये दिया गया। साधारण बीमा योजना को प्राशुल्क रहित करने के लिए रास्ता साफ करने के साथ इसी बीच सम्बद्ध अधिकारी ने कुछ बीमा कर्ताओं द्वारा मोटर बीमा का सहारा देने से इंकार करने की समस्या का निदान किया। चूंकि प्राशुल्क मुक्त क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिये डाटा का महत्व होता है, सम्बद्ध अधिकारी ने बीमाकर्ताओं से गुणात्मक डाटा देने की आवश्यकता पर जोड़ दिया। सम्बद्ध अधिकारी ने जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद को स्वयं नियंत्रित संगठन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनको बीमा बाजार में क्षमता बढ़ाने वाले पहलुओं पर बहस की सलाह दी जाती है और उद्योग के विचारों को सम्बद्ध अधिकारी के पास प्रेषित करने को कहा जाता है। सम्बद्ध अधिकारी ने सूक्ष्म बीमा पर भी कानून पेश किया है और आशा करता है कि सूक्ष्म बीमा को यदि सही तरीके से बढ़ावा मिला आबादी के आहत वर्ग को राहत मिलेगी।

एफ) बीमा और पुनः बीमा से सम्बद्ध व्यावसायिक संगठनों का वृद्धिकरण क्रिया और नियमन

बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान

आई0आई0आर0एम0 ने बीमा शिक्षा को फैलाने के लिये उद्देश्यपूर्ण योजना को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विश्वसनीय संस्थाओं से और बीमा नियमन पदाधिकारियों से सहयोग पा रहा है। आई0एम0आई0एस0 ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम रखा जो कि बीमा नियमन एजेन्सियों की उच्च पदाधिकारियों के नियमन बिषय पर 3 दिन सेमिनार था। वर्ष के दौरान आई0आई0आर0एम0 ने चार्टर्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टीट्यूट से संबद्धता के लिए कदम उठाया और जुलाई 2006 में अन्तिम सम्बद्धता मिल जायेगा। आई0आई0आर0एम0 सी0आई0आई0 लन्दन से आनन्दपूर्ण सम्बन्ध चला रहा है जो सम्बन्ध मई 2006 में प्रबंध निदेशक की यात्रा से और मजबूत हुआ। उद्योग के क्षेत्र से आनेवाली महकमा की यात्रा तथा शिक्षा क्षेत्र से जुटे महकमों दोनों के आने के क्रम से आते रहने से आवश्यक कमियों की पूर्ति से आई0आई0आर0एम0 को समर्थन मिलता है। बैंकाएश्युरेंस कार्यक्रम हैदराबाद और चेन्नई जनवरी से मार्च 2006 तक हैदराबाद और चेन्नई में भारतीय बैंको के लोगों के भाग लेने वालों के चलाया गया। प्रोफेसर अशोक थम्पी

से ऋण जोखिम खोज योजना पर फर्म, उद्योग और मैक्रो अर्थ तथ्यों पर मार्च 2006 में प्राप्त हुआ।

जी) अधिनियम के कार्य को करने के लिए फीस और अन्य शुल्क लगाना :-

प्राधिकरण बीमा करने वाले और बीमा व्यापार से जुड़े विभिन्न मध्यस्थों से पंजीकरण और नवीनीकरण फीस लेते हैं। नवीन पंजीकृत फीस से पूर्ण प्रीमियम के एक प्रतिशत का दस प्रतिशत होता है या रू0 50000 जो भी अधिक हो। ये आई0 आर0 डी0 ए0 के नियम 20 (भारतीय बीमा कंपनी का पंजीकरण) 2000 जो की फरवरी 2003 से लागू है में संशोधन के बाद हुआ।

बीमा करने वालों और विभिन्न मध्यस्थों के फीस बनावट के विवरण की सारणी कथन 33 में दी हुई है।

एच) सूचना के लिए बुलाना, निरीक्षण का कार्य लेना, पूछताछ और जाँच पड़ताल करना जिसमें बीमा करने वालों के हिसाब की जाँच है, मध्यस्थ बीमा मध्यस्थ, और अन्य संगठन जो बीमा व्यापार से जुड़े हुए हैं।

बीमा क्षेत्र के खुलने के बाद से 2005-06 का वित्तीय वर्ष बीमा कंपनियों के कार्य का छठा साल था। प्राधिकरण एक विस्तृत ऑन-साइट निरीक्षण की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब उन्हें समझाना होगा की पूर्ण निरीक्षण से पहले पंजीकृत संयंत्रों को अपने कार्यों को स्थिर करने के लिए समय देना चाहिए। इसी दौरान प्राधिकरण ने टारगेटेड आन-साइट निरीक्षण को लिया एक लक्ष्य के तहत जो कि समय के विभिन्न बिंदुओं से निकले हुए चिंताओं पर स्थित था। लक्षित निरीक्षण के अलावा (जिसमें बाजार व्यवहार मामले में संबंधित है) प्राधिकरण क्रमित बीमा संयंत्रों विनियोग हिसाब की जाँच 2001-02 के वित्तीय वर्ष से कर रहे हैं। पहले ये निरीक्षण कुछ ही कंपनियों तक थे लेकिन 2005-06 से विनियोग निरीक्षण सभी कम्पनियों के लिए किया जाता है। प्राधिकरण एक विस्तृत निरीक्षण प्रक्रिया को रखना चाहता है जो कम्पनियों के कार्य और उनके वित्तीय और गैर वित्तीय मामलों से आज्ञाकारिता रखते हैं।

आइ) रेट, फायदा, शर्त और परिस्थिति जो की बीमाकर्ताओं द्वारा आम बीमा व्यापार के सिलसिले में दिया जा सकता है जो कि

प्राशुत्क सलाहकार समिति द्वारा उस तरह नियंत्रित और नियमित नहीं किया जाता है जैसा बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू में है।

अब तक के कमाये गये अनुभव पर और बीमा करने वालों से मिले सूचना से अधिकारियों ने संशोधित फाइल और उपयोग किए गये निर्देश को 28 सितम्बर 2006 को निकाला। इन निर्देशों को सभी श्रेणी के साधारण बीमा व्यापार जो कि 01.01.2007 से लागू है उनके प्राशुत्क मुक्त को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है और अन्य निर्देशों को अलग करने के लिए निकाला गया है। ये निर्देश सारे सामान्य बीमा उत्पादों पर लागू होते हैं जो कि 4 दिसंबर 2006 को अधिकारियों के निर्देश सामान्य बीमा व्यापार जो कि 01.01.2007 से लागू है के सभी श्रेणीयों के प्राशुत्क मुक्त के लिए आया। अधिकारियों ने तृतीय पार्टी बीमा पर लागू होने वाले प्रीमियम दरों का एक सारणी दिया है जो एम0 भी0 अधिनियम 1939 के अंतर्गत अनिवार्य है। उत्पादों के स्वीकृति के लिए दिये गये आवेदनों की जाँच करते हुए जिसे फाइल और उपयोग निर्देशों के अन्तर्गत जमा किया गया है। अधिकारी संबंधित मुख्य क्षेत्रों को अपने विभाग में रखते हैं वो हैं—बीमा करने वालों के बीमा करने का सिद्धांत, रेटिंग का आधार, मांग प्रबंधन, विपणन, ग्राहक सेवा सीमा इत्यादी। इसके अलावा सुनिश्चित करना कि विज्ञापन, पॉलीसीधारकों के लगाव की सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनुसरण किया गया है।

अधिकारी ने सामान्य बीमा परिषद को एक पूल बनाने का निर्देश दिया है ताकि भारत में मोटर बीमा व्यापार में काम करने वाली बीमा कंपनियों के बीच मोटर तृतीय बीमा का हिस्सेदारी किया जा सके। ये पूल 01 जनवरी 2007 से कार्य में आयेगी और इसका देख-रेख भारतीय पुर्न बीमा करने वाले सामान्य बीमा संयंत्र के द्वारा किया जायेगा।

जे) विशेष रूप से कहना जिस तरीके और रीति से लेखा-जोखा के किताब को रखा जाए और बीमा करने वाले और अन्य बीमा मध्यस्थों के द्वारा लेखा-जोखा के कथन को देना –

अधिकारी ने वित्तीय कथन और ऑडिटर के वर्ष 2000 के बीमा कंपनियों के रिपोर्ट पर नियम निकाले हैं। विभिन्न स्पष्टीकरण को मिलाते हुए जो कि समय-समय पर एक ही मामले पर निकाले गये थे। उनसे संबंधित नियमों मार्च 2002 में सुधारा गया। अधिकारी हिसाब की जाँच काने वालों का एक बोर्ड संभाले हुए थे। जो कि फरवरी 2001 में निकाले गए विज्ञापन के कारण मिले आवेदन पर

स्थित है। पैनल को संभालने के कार्य करने की रीति का निरीक्षण जिस संबंध में किया गया वो है –

(i) मिले हुए आवेदन की प्रमाणिकता देखना और कार्य में लाने में रुकावट (ii) उपयुक्त ऑडिट संयंत्रों को अधिक अवसर देने की जरूरत के लिए अधिकारी ने पैनल को संभालने के तरीके को हटाया और इसकी जगह जरूरतों को संग्रह कर उन संयंत्रों को भेजा जो बीमा करने वाले कम्पनीयों के कानूनी ऑडिटर बनना चाहते हैं। बीमा करने वाले उनको नियुक्त कर सकते हैं जो ऑडिटर के जरूरतों को पूरा करता हो। जीवन और गैर जीवन बीमाकर्ताओं के आर्थिक ब्यान के तैयारी पर नियमन को लेकर समय-समय पर उठने वाली समस्याओं की जाँच के लिए संबद्ध अधिकारी ने एक समिति खड़ा किया है। कमिटी वर्तमान में जाँच कर रही है – (i) बीमा करने वालों के वित्तीय कथनों के यूनीट से जुड़े हुए उत्पादों के भेद प्रकाशन की जरूरत जिससे सूचना देने में अधिक पारदर्शिता बरती जा सके। (ii) मांग का नियंत्रित करने वाले निर्देशों का कार्य करने की रीति को देना और जीवन बीमा करने वालों से संबंध में एकाउंटिंग करना और (iii) बीमा कंपनियों के रियल एस्टेट में विनियोग की संभावना की अनुमति।

के) बीमा कम्पनियों के निधि के विनियोग को व्यवस्थित करना—

अधिकारी बीमाकरने वालों के द्वारा समय पर जमा किए गये रिटर्न जिसमें ई0—जमा भी शामिल है कि सूक्ष्म तरीके से जाँच करते हैं। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रिटर्न को रुढ़ रास्तों से भेजने में कोई देरी नहीं हो। आई0आर0डी0ए0 वार्षिक रिटर्न की जाँच करता है जिसका उद्देश्य कम्पनियों के दिए हुए विनियोग के तरिकों और अन्य विवेकपूर्ण ज्ञान को जब किसी व्यक्ति, कम्पनियों का समूह और उद्यमों के सामने खोला जाए तब वह उससे आज्ञाकारिता रखता हो। कुछ छोटे और आज्ञाकारिता विनियोग से संबंधित कार्य करने की रीति के जरूरतों के अलावा जाँच ने बीमा करने वालों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कमी या गैर-आज्ञाकारिता को नहीं दर्शाया है। अगले चौमाही के रिटर्न को जमा करने से पहले बीमा करने वालों को विदेशों से आज्ञाकारिता रखने वाले भी कार्य किए हैं। रिटर्न क्षेत्र के विनियोग के आकार जो विभिन्न इन्सट्रुमेंट्स और विनियोग के निर्देशों पर आधारित है पर लाभदायक आकड़े देता है। अधिकारी ने एक कार्यात्मक समूह का निर्माण किया है जो विभिन्न विनियोग नियमों और वित्तीय क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रगति की जाँच करता है।

(आई) ऋण चुकाने की योग्यता की सीमा को संभालने को व्यवस्थित करना—

प्रत्येक बीमा करने वाले को एक ऋण चुकाने की योग्यता की सीमा को बीमा अधिनियम 1938 के धारा 64 भ0ए0 के तहत रखने की जरूरत होती है। प्रत्येक बीमा करने वाले को दायित्व से अधिक सम्पत्ति के मूल्य को रखना चाहिए। ये अधिक मूल्य जो कि आई0आर0डी0ए0 के द्वारा ये पूल 1 जनवरी 2007 से कार्य में आयेगी और इसका देख-रेख भारतीय पुर्नबीमा करने वाले सामान्य बीमा संयंत्र के द्वारा किया जायेगा ।

(जे) विशेष रूप से कहना जिस तरीके और रीति से लेखा-जोखा के किताब को रखा जाए और बीमा करने वाले और अन्य बीमा मध्यस्थों के द्वारा लेखा-जोखा के कथन को देना—

अधिकारी ने वित्तिय कथन और आडिटर के वर्ष 2000 के बीमा कम्पनियों के रिपोर्ट पर नियम निकाले हैं। विभिन्न स्पष्टीकरण को मिलाते हुए जो कि समय-समय पर एक ही मामले पर निकाले गए थे उनसे संबंधित नियमों को मार्च 2002 में सुधारा गया। अधिकारी हिसाब की जाँच करने वालों का एक बोर्ड संभाले हुए थे जो कि फरवरी 2001 में निकाले गए विज्ञापन के कारण मिले आवेदन पर स्थित हैं। पैनल को संभालने के कार्य करने की रीति का निरीक्षण जिस संबंध में किया गया वो है—

(1) मिले हुए आवेदन की प्रमाणिकता देखना और कार्य में लाने में रुकावट(2) उपयुक्त आडिट संयंत्रों को अधिक अवसर देने की जरूरत के लिए अधिकारी ने पैनल को संभालने के तरीके को हटाया और इसकी जगह जरूरतों को संग्रह कर उन संयंत्रों को भेजा जो बीमा करने वाले कम्पनियों के कानूनी आडिटर बनाना चाहते हैं। बीमा करनेवाले उनको नियुक्त कर सकते हैं जो आडिटर्स के जरूरतों को पूरा करता हो। जीवन और गैर जीवन बीमाकर्ताओं के आर्थिक ब्यान के तैयारी पर नियमन को लेकर समय-समय पर उठने वाली समस्याओं की जाँच के लिए सम्बद्ध अधिकारी ने एक समिति खड़ा किया है।

समिति वर्तमान में जाँच कर रही है—(1) बीमा करने वालों के वित्तिय कथनों के यूनिट से जुड़े हुए उत्पादों के भेद प्रकाशन की जरूरत जिससे सूचना देने में अधिक पारदर्शिता बरती जा सके। आई0आर0डी0ए0 (सम्पत्ति दायित्व और ऋण चुकाने की योग्यता सीमा बीमा करने वालों की) विनियमन, 2000 में विस्तारपूर्वक जरूरत के अनुसार ऋण चुकाने की योग्यता सीमा का गणना करने का तरीका बताया गया है।

भाग खंड के सम्पूर्ण 15 बीमा करने वाले जिन्होंने 2004-2005 के वर्ष के प्रिमियम को नीचे किया उसमें से 14 बीमा करने वालों ने

निर्दिष्ट ऋण चुकाने की योग्यता की जरूरत से आज्ञाकारिता रखी है। आठ निजी क्षेत्र गैर-जीवनबीमा कम्पनियों में से छः ने ऋण चुकाने की योग्यता को पा लिया है

चार सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा कम्पनियों में से तीन ने निर्दिष्ट ऋण चुकाने की योग्यता के अनुपात को पा लिया है। विशिष्ट बीमा कम्पनियों के सेदर्भ में ऋण चुकाने की योग्यता का अनुपात निर्दिष्ट जरूरत से कम है।

(एम) बीमा करने वालों और मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों के बीच के झगड़ों का निर्णय करना—

जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन किया गया है अधिकारी उस पर गंभीर ध्यान देते हैं और जबाब सुनने के बाद नियमों पर आधारित कारवाई करते हैं। इस तरह के काफी कम गंभीर मामले हैं। बीमा करने वालों और मध्यस्थों के बीच के झगड़े के मामले में अधिकारी संबंधित पार्टियों से उत्तर माँगते हैं।

(एन) प्राशुल्क सलाहकार समिति के कार्यों का निरीक्षण—

किसी भी प्राशुल्क को 2005-2006 के दौरान पुनः संशोधन नहीं किया गया। वर्तमान प्राशुल्क को बाजार स्थिति के अनुरूप करने के लिए संशोधित किया गया। बीमा करने वाले टी0ए0सी0 के पास गये ताकि प्राशुल्क को संशोधन कर बदला जा सके और उन्होंने प्राशुल्क को लागू करने के लिए उत्तर माँगा। प्रश्नों को संबंधित तकनीकी समितियों के सामने रख कर उन पर सही कार्रवाई की गई। जहाँ पर निर्देश पूर्व में समिति के द्वारा बनाये गये स्वीकृत नियमों से संबंधित हैं सचिवालय सीधे बीमा करने वाले को जबाब देता है। जीवन बीमा परिषद के कहने पर टी0ए0सी0 एक बेस से चलने वाल 'डिक्लाइन्ड लाइफ डाटा बेस' का संचालन कर रही है जो पूरी तरह और विश्वसनीय रूप में जीवन बीमा कम्पनियों के लिए है। इस डाटा बेस को टी0उ0सी0 के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में संभाला जाता है टी0ए0सी0 और परिषद ने जीवन बीमा करवाने वालों को मिलने वाली सेवा के उपयोगिता को बढ़ाने के लिए बातचित की है। टी0ए0सी0 अपने आप को तेजी से प्राशुल्क मुक्त बाजार कार्य में अधिकारियों के साथ काम करने के लिए तैयार कर रहा है। पी0एस0यू0 बीमा करने वालों से 2003-04 और 2004-05 के लिए संग्रह किये गए मोटर ऑकड़े संशोधित फार्मेट को साफ कर लिया गया है और इसके सारकारणी को बना लिया गया है। ऑकड़ों का आगे विश्लेषण किया गया ताकि प्राधिकरण इसे योग्य तरीके से उपयोग कर सकें। 2004-2005 के स्वास्थ्य ऑकड़ों को टी0पी0ए0 से एकत्रित किया गया है। सारा ब्यौरा और नमूना विश्लेषण को टी0पी0ए0 के प्रतिनिधियों के सभा में रखा गया। साफ और गलती से मुक्त ऑकड़े की जरूरत पर जोर डाला गया।

(ओ) बीमाकर्ता के बीमा राशि के प्रतिशत आय को निर्दिष्ट करते हुए व्यवसायिक संगठनों के बढ़ाने और विनियमन हेतु वित्त प्रदान करने की योजनाएँ प्रावधान एफ में निर्दिष्ट हैं।

प्राधिकरण ने बीमा करने वाले के प्रिमियम आय के प्रतिशत को नहीं दिया है जो क्लाइज(एफ) में दिये हुए लोकेशनल संगठनों के उन्नति और व्यवस्था के वित्तीय योजनाओं से संबंधित हैं

(पी) विशेष रूप से जीवन बीमा व्यापार और सामान्य बीमा व्यापार के प्रतिशत को करना जिसे बीमा करने वालों ने क्षेत्रीय और सामाजिक क्षेत्र के लिए लिया है। बीमा के फैलाव को ग्रामीण और सामाजिक पिछड़े हुए क्षेत्र में बढ़ाने के सूत्रपात के तहत अधिकारी ने 2000 के वर्ष में ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमा करने वालों के नियमों पर सूचना दिया जो कि 1938 के बीमा अधिनियम में संशोधन के कारण हुआ। जीवन और गैर-जीवन बीमा करने वालों से संबंधित ग्रामीण कर्तव्यों को कमानुसार पालिसी और सम्पूर्ण प्रिमियम को नीचे लिखने के संख्या के प्रतिशत पर दिखाया गया है।

जीवन बीमा करने वालों के कर्तव्य:-

सारे 15 बीमा करने वाले जो अंतिम छः सालों से जीवन बीमा कार्यों में सम्मिलित हैं ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के कर्तव्यों को पूरा

किया है। एल0आई0सी0 ने इससे संबंधित अपने कर्तव्यों को पूरा किया है और सामाजिक क्षेत्र में 2001-2002 के वर्ष में बीमा के अंदर लाये गए जिंदगियों से वर्तमान संख्या अधिक है। सरकार के द्वारा बनाये गये एक अलग निधि से पिछड़े हुए को बीमा सुरक्षा दी गई है।

गैर-जीवन बीमा करने वालों के कर्तव्य :-

सारे आठ निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा करने वाले और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करने वालों ने 2005-06 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। नेशनल इंशोरेंस कम्पनी ग्रामीण क्षेत्र के बीमालेखन व्यापार और सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत जिंदगियों की संख्या जिन्हें बीमा के अंदर लाया गया है के आँकड़े को जमा नहीं कर पाई है।

(क्यू) दी गयी शक्तियों का उपयोग :-

प्राधिकरण के पास कोई अवसर नहीं था जब वो इसके अंतर्गत अपने शक्तियों का उपयोग कर सकता।

भाग IV

संगठनात्मक विषय

i) संगठन

श्री सी एस राव प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर लगातार बने हुये हैं। श्री पी ए बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (बीमांकक), श्री टी के बेनर्जी, सदस्य (जीवन) तथा श्री मैथ्यू वर्गीस, सदस्य (गैर-जीवन) का कार्यकाल क्रमशः 31 मई 2005, 1 अगस्त 2005 और 31 अगस्त 2005 को पूर्ण हो गया।

श्री सी आर मुरलीधरन सदस्य (वित्त एवं निवेश) के रूप में प्राधिकरण में शामिल हुये। ये अपने साथ आरबीआई का निरीक्षण और परिचालन का वृहद् अनुभव लेकर आये हैं। श्री के के श्रीनिवासन प्राधिकरण में सदस्य (गैर-जीवन) के पद पर 5 सितम्बर 2005 को नियुक्त हुये। ये अपने साथ साधारण बीमा का वृहद् अनुभव लेकर आये हैं। सदस्य (बीमांकक) का पद अभी भी रिक्त है। श्री पी ए बालासुब्रह्मण्यम को बीमांकक संबंधित मुद्दों का सलाहकार नियुक्त किया गया है।

श्री विवेक मलहोत्रा, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारत सरकार के स्थान पर श्री अशोक चावला अंशकालिक सदस्य के रूप में 30 नवम्बर 2005 को प्राधिकरण में शामिल हुये। श्री कमलेश विक्रमसे के स्थान पर श्री टी एन मनोहरन 4 फरवरी 2006 से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके अलावा, श्री विजय महाजन तथा श्री गौतम हरी सिंघानिया अंशकालिक सदस्य के रूप में 7 अक्टूबर 2005 को प्राधिकरण में शामिल हुये।

ii) प्राधिकरण की बैठकें

अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तथा मार्च 2006 से सितम्बर 2006 के मध्य प्राधिकरण की क्रमशः पाँच और दो बैठकें हुईं।

iii) मानव संसाधन

किसी भी संगठन में मानव संसाधन एक अहम् भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण ने भी इसे अपनाया और मानव संसाधन की क्षमता को विकसित करने के लिये समय समय पर कई कदम उठाये हैं।

प्राधिकरण ने वित्त एवं लेखा, प्रशासन, बीमांकन आदि को मजबूत करने के लिये 16 व्यक्तियों की भर्ती मुक्त बाजार से की है। बीमांकन की योग्यता रखने वाले अधिकारी आसानी से उपलब्ध न होने के कारण कुछ आवश्यक अधिकारियों को ऋण के आधार पर प्राधिकरण में शामिल करने की आवश्यकता जतायी है। प्राधिकरण बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपने अधिकारियों को बीमांकक की योग्यता ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है।

प्राधिकरण ने सेबी (एसईबीआई) के अधिकारियों के वेतन संरचना के आधार पर ही अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन करते हुये सेबी द्वारा अपनायी जा रही वेतन प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है। संशोधन को 1 नवम्बर 2002 से प्रभावी करते हुये इसे प्राधिकरण की 23 फरवरी 2006 में हुई 44वीं बैठक में स्वीकार किया गया।

प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा है तथा इन्हें जाँच, वित्त विश्लेषण, उत्पाद विकास आदि का प्रशिक्षण देने के लिये दश एवं विदेश में आयोजित होने वाली संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रायोजित कर रहा है। इस कार्य के अंतर्गत 8 अधिकारियों को यूएसए में यूसेड (यूएसएआईडी) के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

1994 में स्थापित की गयी अन्तर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) में बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरण के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें आईआरडीए भी एक सदस्य के रूप में है और यह कार्यकारी समिति, तकनीकी समिति, बीमा लेखा समिति, पुर्नबीमा समिति एवं अन्य में अपना प्रतिनिधित्व करती है। इसका गठन बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरण के बीच समन्वय बढ़ाना, बीमा पर्यवेक्षण एवं नियमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना, सदस्यों को प्रशिक्षण देने एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र व अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों के साथ समन्वय से कार्य करने के लिये किया गया है। हमारे अध्यक्ष एवं सदस्य इनकी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं एवं प्राधिकरण की इससे ज्ञान में वृद्धि एवं कार्यक्षमता बढ़ी है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2002 में आंध्र प्रदेश सरकार से मिलकर बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम) की हैदराबाद में स्थापना की है। इसका ध्येय बाजार में समकालीन चुनौतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तैयार

कर इसका विकास करना है। आईआईआरएम को प्राधिकरण के चैयरमैन के नेतृत्व वाले निदेशक मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कई पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें साधारण बीमा, जीवन बीमा एवं जोखिम प्रबंधन पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। आईआईआरएम द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों को चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दी गयी है।

iv) राजभाषा का विकास

प्राधिकरण अन्य वित्तीय नियमकों की तरह भारत सरकार की राजभाषा नीतियों को लागू कर रहा है। प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम को लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्राधिकरण को सूचना के अधिकार अधिनियम के लिये काफी संख्या में पत्र प्राप्त हुये। इनमें से हिन्दी में प्राप्त हुये पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया। प्राधिकरण हिन्दी के विकास के लिये कई कदम उठा रहा है जैसे वेबसाइट में हिन्दी विभाग एवं उनका विकास, सभी नियमों एवं अधिसूचनाओं को द्विभाषा में जारी करना तथा हिन्दी का व्यापक प्रसार करने के लिये आईआरडीए मासिक जर्नल में हिन्दी का अंश प्रकाशित करना आदि

v) आईआरडीए में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

इस वर्ष के दौरान डाटा एक्ज करने की प्रणाली को सरल बनाने के लिये ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली लागू की गयी है। पिछले वर्ष लागू की गई प्रणालियों को इस वर्ष भी जारी रखा गया है। वर्ष 2005-2006 में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को लागू करने के बाद हुई प्रगति का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है:-

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (गैर जीवन)

इस प्रणाली को लगातार उन्नत करते हुये सभी छोटे मोटे सुधारों को सही किया गया है। विभाग इसके आवश्यक आंकड़ें तैयार कर सकता है। इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्राधिकरण इस सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहा है।

केन्द्रीयकृत आवर्ती डाक जाँच प्रणाली

इस प्रणाली से प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली डाक की प्रक्रिया एवं उसके निपटान की स्थिति की खोज की जा सकती है। इस प्रणाली को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया एवं उपयोगकर्ता की आवश्यकता के आधार पर इसे लगातार उन्नत किया जा रहा है। इस प्रणाली को पूर्ण रूप से संचालित किये जाने से

इसकी उपयोगिता इस वर्ष भी बढ़ी है। चाही गयी रिपोर्ट को इस प्रणाली द्वारा तैयार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने डाटा एक्ज प्रणाली का सरलीकरण करने के साथ-साथ इस साल से नयी प्रणाली भी लागू की है:

बीमा ब्रोकर (मध्यस्थ) द्वारा वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन भरा जाना

- ब्रोकर को अपने वार्षिक रिटर्न को ऑनलाइन भरने की सुविधा
- प्राधिकरण द्वारा इस प्रणाली से ऑन फाइलिंग के केन्द्रीय तौर पर निगरानी करने के साथ साथ ब्रोकर द्वारा पहले फाईल की गयी सूचना में अंतर का परीक्षण करने की सुविधा
- ब्रोकरों को रिटर्न फाईल करने का प्रशिक्षण देने को ऑर्डिनेशन इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

जीवन बीमाकर्ता द्वारा नये व्यापारिक आंकड़ों को ऑनलाइन से फाईल करना

- इस नयी प्रणाली द्वारा चयनित सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को अभ्यास करवाया गया और वे ऑनलाइन मासिक आंकड़ों को भरने में सक्षम हैं।

जीवन-शिकायत प्रबंध प्रणाली

- जीवन संबंधित शिकायतों की जाँच के लिये मॉड्यूल तैयार कर उसका आरंभ किया गया है।

निवेश परीक्षण प्रणाली

बीमाकर्ता के निवेश का परीक्षण करने हेतु नयी प्रणाली की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसकी जाँच चयनित बीमाकर्ता से प्राप्त किये गये आंकड़ों से की जा रही है।

इंटरनेट:

अधिकारियों की उपयोगिता के आधार पर इसे नियमित रूप से उन्नत किया गया है।

नेटवर्किंग एवं अन्य आईटी संरचनाएँ:

आईटी प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुये आईटी की संरचना को उन्नत किया गया है। प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट का उपयोग अधिक बढ़ने के कारण वर्तमान में 128 केबीपीएस इंटरनेट लीज लाईन को 2 मेगा बाइट्स प्रति सैकेंड्स की लीज लाईन में बदला गया है। नये कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त डेस्क टॉप, लेपटॉप एवं प्रिंटर आदि मुहैया करवाये गये हैं। इसके अलावा अनुसंधान विभाग के विश्लेषण उपकरणों को उन्नत किया गया है।

ऑनलाइन एजेंट प्रशिक्षण संस्थान:

ऑनलाइन एजेंट प्रशिक्षण संस्थान की प्रणाली का समय-समय पर मार्ग दर्शन / सूचना आदि की उचित व्यवस्था की गयी है तथा नियमित रूप से जाँच भी की जाती है।

एजेंट लाइसेंस डाटाबेस:

इस वर्ष एजेंट लाइसेंस डाटाबेस की रिफाईनमेंट गतिविधियाँ आयोजित की गयी एवं प्राधिकरण रिफाईन डाटाबेस की प्रक्रिया लागू करने जा रहा है।

vi) लेखा

प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लेखा जोखों का अंकेक्षण भारत के महालेखा परीक्षक(सीएंडएजी) द्वारा किया गया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 17 के तहत अंकेक्षित लेखों को ऑडिट रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को भेजा जाता है जिसे सरकार संसद के दोनों सदनों में पेश करती है। वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लेखों को सीएंडएजी की रिपोर्ट के साथ संलग्नक XIII में दर्शाया गया है। सीएंडएजी को भेजी गयी प्रति को भी इस रिपोर्ट के संलग्नक XIV में दर्शाया गया है।

vii) आईएसओ 9001-2000 का पंजीयन

प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का आंकलन करने के पश्चात प्राधिकरण को आईएसओ प्रमाण प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण इस बात का सबूत है कि प्राधिकरण गुणवत्ता प्रबंधन को बखूबी संचालित किया है।

viii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पत्रिका

प्राधिकरण का मासिक प्रकाशन आईआरडीए जर्नल नवम्बर 2006 के अंक से अपने 4 साल पूरे कर चुका है। वर्तमान में इस जर्नल ने बीमा उद्योग से जुड़े लोगों और इस उद्योग पर नजर रखने वालों के मध्य अपनी अच्छी पहचान पा चुका है। साथ ही, औद्योगिक शोधकर्ताओं, विश्लेषणकर्ताओं तथा उद्योगपतियों का यह एक प्रमुख श्रोत बन चुका है। समकालीन डाटा तथा विश्लेषण का स्रोत बन चुका है। सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण समय के परिवर्तित हो रहा है तथा उद्योग की समकालीन स्थिति एवं नये नजरिये पर यह निर्भर करता है। ये सभी उद्योग तथा शोयरधारकों द्वारा ग्रहण किये गये हैं।

वर्ष 2006 में हमने वर्तमान में उद्योग से संबंधित मुद्दों पर रोशनी डाली। हालांकि प्राशुल्क मुक्त को ज्यादा महत्वपूर्णता प्रदान की गयी जो कि भारतीय बीमा उद्योग का मील का पत्थर है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हमने रोशनी डाली वे हैं: मोटर दायित्व बीमा, ए डिकेड ऑफ रिफॉर्मस, कोर्पेट गवर्नेंस, बीमा में तकनीक, बीमा दावों का निपटारा, एंटी मनी लांड्रिंग, बीमा में धोखाधड़ी, उत्पाद की खोज तथा विकास, बीमा उत्पाद का मूल्य निर्धारण, डिटेरिफ वर्ग का बीमा लेखांकन तथा प्राशुल्क मुक्त माहौल से जुड़े अन्य कई मुद्दे।

ix) आभारोक्ति

प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति, पुर्नबीमा सलाहकार समिति, बीमा विभाग (वित्त मंत्रालय), सभी बीमाकर्ता, मध्यवर्तियों को उनकी निरंतर अमूल्यनीय दिशा-निर्देश और बेहतर संचालन में सहायता के लिये तथा प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके बेहतर कार्य के लिये धन्यवाद देता है। प्राधिकरण जनता, मीडिया, पेशेवर संगठनों और बीमा क्षेत्र से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समय-समय पर अपना अमूल्य योगदान देने के लिये विशेष धन्यवाद प्रदान करता है।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

विदेशी गैर सरकारी पूँजी के प्रवेश से बीमा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार से दूर हो गया। यह आशा की गयी है यह व्यक्तिगत, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आर्थिक लाभों को परिचय करायेगी। इस क्षेत्र को खोलने से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्रोत्साहदायक थीं भारत के कुछ प्रधान औद्योगिक कारखाने और अच्छे कायम रूप से स्थित बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय बीमाकर्ताओं के साथ सहयोग करके संयुक्त साहस स्थापित किया हैं। बैंकिंग क्षेत्र के प्रवेश से बीमाकर्ताओं को बीमा लेख का खतरा और योग्यता भी जल्दी बढ़ गया। पिछले पाँच वर्षों में गैर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के मेल जोल से बीमा क्षेत्र के बाज़ार को बीमाकर्ताओं ने विस्तार किया है। गैर सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं ने बाज़ार शेर को जीवन बीमा-गैर जीवन बीमा विभागों में बढ़ाया है। प्रस्तुत 15 जीवन बीमा कंपनियों और 9 सामान्य बीमाकंपनियों ने गैर-सरकारी स्वामित्व में भारत में कार्याचरण कर रहे हैं। 2005-06 के दौरान गैर सरकारी जीवन बीमा कंपनियों ने नये जीवन बीमा प्रीमियम के 26% बीमालेखन का संग्रह किया। इस अवधि में सामान्य बीमा कंपनियों ने 26% बाज़ार शेयर पाया था। घटकों संयुक्त उत्पन्नो ने जीवन विभाग में वृद्धि दिखाने में मदद की है, मोटर और स्वास्थ्य बीमा विभाग ही सामान्य बीमा के बड़ा हिस्सा है।

जब कई प्रकार के बीमा उत्पन्न प्राप्त होते हैं और एजेन्सी शक्ति उन्हें बनेने में सशक्त होंगे तब बीमा बाज़ार की प्रगति होगी। गैर सरकारी बीमाकर्ता जब कोई उत्पादनो की वृद्धि करेंगे तब ग्राहक अपने आवश्यकता और योग्यतानुसार उन्हें चुन सकते हैं। इस प्रकरण में एजेन्सी फोर्स ग्राहकों को उत्पादों के बारे में सही विवरण दे कर मदद कर सकते हैं। इसे करने के लिए कुशलता और सही प्रशिक्षण आवश्यकता है। प्रस्तुत 20 लाख वैयक्तिक एजेंट और 5000 कार्पोरेट एजेंट से ज्यादा लोग हैं। पिछले साल एक महत्वपूर्ण प्रगति दिखायी

दिया कि वाणिज्य बैंकों और बीमाकर्ताओं के बीच एक व्यवस्था बनी जिससे ठेके के मार्केटिंग या तो कार्पोरेट एजेंट के द्वारा या अंतर्निर्देश द्वारा सूचना वितरण, बैंक ग्राहकों को बीमाकर्ताओं से हो सकता है।

बड़े पैमाने के कार्यालय की माँग से संस्थाओं द्वारा देबेवाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में प्रतिकूल परिणाम होने लगे हैं। इन संस्थाओं के परिवीक्षण ने यह साबीत किया कि सुधार करने के कई क्षेत्र हैं। यह भी देखा गया कि संस्थाओं के स्रोतों को ज्यादा बढ़ाया, कई संस्थाओं में कक्षा चलाने के लिए जगह की व्यवस्था ही नहीं और पढ़नेवाले और अन्य विभाग के लोग अस्थाई के आधार पर वेतन ले रहे हैं। और पाठ्य-क्रम बहुत कम समय में चलाया है। इसका परिणाम कई एजेंटों को पूरा प्रशिक्षण नहीं मिला है। आगे जो संस्थाएँ प्रशिक्षण देने को दूसरे को अधिकार दिया जो अक्रम था। बीमाकर्ताओं ने एजेंटों की नियुक्त करने की होड में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। प्राधिकार ने 2004 में मार्गसूचियों को पुनरावर्तित करके स्टेक होल्डर से विस्तृत परामर्श करके प्रशिक्षण व्यवस्था को सही धारा में लाया। प्राधिकार ने बीमाकर्ताओं को अपने एजेन्सी कोर्स के गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में ज्यादा ध्यान लगाने के लिए प्रभावित किया। यह आशा की है कि इससे एजेन्सी कोर्स में गुणवत्ता बढ़ेगी। एजेंटों को ग्राहकों से सही व्यवहार व मार्गदर्शन देना चाहिए। प्राधिकार ने भारत के बीमा संस्था के साथ निकटतम प्राप्त करके परीक्षाओं में भी पारदर्शकता लाने की प्रक्रिया में लगा है क्योंकि परीक्षाओं में भी कुछ अपवित्र मैत्री दिखाई दे रही है।

प्राधिकार ने अपने कार्पोरेट एजेंटों के द्वारा दूसरी संस्थाएँ यहाँ बहुत सारे लोग संबंध रखते हैं अपने पालिसियों को बचने का नया प्रयोग आरंभ किया। यह प्रयोग फलकारी हुआ। बाद में प्राधिकार ने यह भी देखा

कि कमिशन सब एजेंटों को और शोध करने वालों को भी जा रहा है। क्योंकि बीमा इकरार नामें वास्तव में तकनीकी के आधार पर है, प्राधिकार ने यह निर्देश दिया कि प्रचार भी कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा “जो एजेंट बनने योग्य” है। प्राधिकार ने बीमाकर्ताओं को सूचनाएँ प्राप्त कार्पोरेट एजेंट को अनुज्ञापत्र दी जाती है। सामूहिक बीमा पालिसियों की बिक्री में कुछ गलतियों को कुछ अहद तक किया गया है।

जीवनबीमा बाज़ार में एजेंट से चालित, साधारण बीमा बाज़ार दलालों से चलता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ समझौता करना बीमाकर्ताओं को दलाल पैकेज के शर्त और अवधि को इकरारनामे करते समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तुत भारत में साधारण बीमाकर्ताओं को दर निर्धारण या अवधि निर्धारित करने नहीं दिया गया है। दोनों टीएसी से निर्धारित है और इसमें परिवर्तन किया तो दंड दिया जाता है। फिर भी दलालों की प्रमुखता जनरल बीमा व्यापार में कर मुक्त बाज़ार में जनवरी 1 2007 में दिखाई दे रही है।

बीमाकर्ताओं के गुणवत्ता बढ़ने से बीमा बाज़ार में बीमाकर्ताओं और बीमा करने वालों की रुचि बढ़ाने से बीमा क्षेत्र की वृद्धि होगी यह प्राधिकार का यकीन है।

बीमा संविदा में भाषा भी प्रमुख है। बीमासंविदा सरल और स्पष्ट और छोटा होना यह एक वादा है। यह प्रमाण दोनों को स्पष्ट होना चाहिए। इससे व्यापार सरल और सुविधाजनक होगी। बीमा करने वालों को संविदा की सीमा भी पता लगाना चाहिए। ग्राहकों को यह भी पता चलाना चाहिए कि वह क्या खरीद रहा है।

यह न्यायिक करार नामे को सरल भाषा में रखने से सामान्य आदमी भी यह समझ सकता है कि उसके हक और कर्तव्य क्या है। सरल भाषा जागृति भारत में अभी उभर रहा है। बीमा क्षेत्र में अभी यह शैशव अवस्था में है। भाषा ग्राहकों के दोस्त जैसा होना चाहिए ताकि

लोगों में बीमा के प्रति जागरूक होना चाहिए। इससे बीमा की माँग बढ़ेगी। बीमा उद्योग ने बहुत लंबी रास्ता नापा है। प्राधिकार ने भी उसे गहरा बनाने में मदद भी की है। बचत जो छिपा हुआ है, वह बीमा बाज़ार में आ सकता है। जागृत बीमा कंपनियाँ इसकी आकर्षण में भारत में आ रहे हैं। इस उत्सुकता से व्यापार भी बढ़ेगा और आगे बीमाकर्ताओं को वचनबद्ध होना मुश्किल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति जो समाज की भलाई और व्यापार की रुचि को निर्धारित कर सकती है।

इस सूक्ष्मता पर प्रकाश डालते हुए प्राधिकरण यह यकीन करता है कि दिवाले का अंतरा को निरंतर नियंत्रण में रखना है। इससे कंपनी अपनी बाध्यता निभा रही है या नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वे प्रगति के पथ पर हैं तो उन्हें पूँजी भी दे कर उनके बढ़ते हुए बाध्यता को पूरा कर सकते हैं।

ऋण चुकाने की योग्यता को सामान्यतः दूरदर्शिता के मापों से पता लगा सकते हैं। ये क्रम पूँजी और ऋण चुकाने की आवश्यकता, दूरदर्शी और वापसी नियम और नियमित नियंत्रण प्रक्रियाओं से होगा। कंपनी के व्यापार का परिवीक्षण करना भी प्रमुख है। बीमाकर्ताओं को बाज़ार के अनुशासन पर नज़र रखकर प्राधिकार को सूचना देते रहना है। प्राधिकार ने इन नियमों को बीमाकर्ताओं को भी पालन करना है। जब देश मुक्त-बाज़ार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। एक आशावादी बाज़ार की सृष्टि की जा सकती है। यह आशा की जा सकती है कि अगर बीमाकर्ता बाज़ार के प्रक्रियाओं गहराई से समझे तब प्राधिकार ज्यादा जिम्मेदारियों को बीमाकर्ताओं बाँट सकते हैं। इस स्थिति में प्राधिकार को ग्राहकों की सुरक्षा और ऋण चुकाने की योग्यता का अंतर को निरंतर नियंत्रण करना चाहिए।

जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् को सक्रिय बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वे अपनी संस्थाओं के विविध विभागों की रुचियों को ध्यान दे

सकते हैं। सूक्ष्म चर्चाएँ, परिषद् में प्रमुख विषयों के बारे में प्राधिकार को आवश्यक मार्गसूचियाँ बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह साधारण और जीवन बीमा कंपनियाँ काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण गलत बिक्री, बंद आदि को निभाना के द्वारा नई दिशा दिखा रही हैं। बीमा दलाल तथा टीपीए इसे स्वयं प्रतिबंधक संस्थाएँ बनने में प्रयत्न कर रहे हैं। प्राधिकार इन्हें स्वयं अधिकार देने सूक्ष्म प्रबंधक विषय को भी अच्छी तरह इन परिषदों को निभाने को कहा है। बाज़ार ने अनुशासन से सूक्ष्म प्रबंधक से एक दूरी बनाये रखना है। प्राधिकार ने कार्पोरेट गवर्नेन्स के बोर्ड में मार्गसूचियों को दिया है।

कार्पोरेट नियंत्रण व्यापारी गृहों के कार्यसूची बन गया है। यह कार्पोरेट प्रबंधकों को साफ शेयरहोल्डर की भागीदारी भी नहीं बल्कि उच्च लक्ष्य को दृष्टि में रखकर की गयी है। सीईओ का महत्व और पात्र को बढ़ा-चढ़ाकर देखने से प्रस्तावों को ठीक से जाँच नहीं पाते थे। पालिसिदारों के धन को निभाते समय बीमाकर्ताओं को जागरूक रहना है। पूँजी निवेशन तथा स्वयं निर्वहण में भी जागरूक होना आवश्यक है। बाज़ार के खतरा और लचीलापन के बारे में नियंत्रण करना। अच्छी दूरदर्शिता से स्थिरता लाना बहुत मुश्किल है यह प्राधिकार ने बीमाकर्ताओं के कर्तव्य और निर्वहण के नियम को अनुशासित और पारदर्शक बनाया जैसे हमेशा उसकी रुची पालिसिदारों की सुरक्षा के बारे में है।

प्रस्तुत कर व्यवस्था में साधारण बीमा बाज़ार को पहले के कठिन नियमों से मुक्ति दिलाने की माँग निरंतर हो रही है। बीमाकर्ताओं को बीमालेख में निर्धार लेने का अवकाश मिलना चाहिए। आज की व्यवस्था में बीमालेख करते समय खतरे उठाना, देश को मुक्त करने से दूरों में टेडापन दिखाई देता है। इससे एक जगह खतरा और दूसरी जगह में कर मूल्य कम होकर व्यापार बढ़ेगी।

जहाँ मुक्त बाज़ार है, ग्राहक को लाभ मिलेगा। प्राधिकार ने यह समझाया है कि कर-मुक्त करने से बाज़ार स्वस्थ

रूप से बढ़ेगी। अनुभव की कमी से यह विरुद्ध प्रभाव भी डाल सकता है और बीमा के कर भी वापस ली जा सकेगी।

इसलिए सितंबर 2005 में प्राधिकार ने एक नक्शा बनाने की घोषणा की जिसमें कर बाज़ार से कर-मुक्त बाज़ार में परिवर्तित हुआ। 1 जनवरी 2007 से बीमा कर्ता दर निर्धारण, खतरे का निर्धारण कर सकते हैं। मुक्त-बाज़ार एक बहुत सफल बाज़ार की सृष्टि कर सकता है। सांख्यिक व्यवस्था, ज्ञान प्रबंधक मुक्त-बाज़ार में क्षमता बढ़ा सकती है। इसके लिए न्यायिक सहकार भी है। यह एक स्वतंत्र व्यापार हो जाएगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि बीमालेख प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके लिए अच्छी योजना की आवश्यकता है। प्राधिकार हर एक स्तर पर इसकी जाँच करती रहेगी। इससे होनेवाले कष्ट और निभानेवाले पात्रों में पारदर्शिकता दिखाई देगी। यह आशा की जाती है कि स्टैक होल्डर को इस व्यवस्था से लाभ होगा।

यद्यपि बीमा उद्योग ने 2000 में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रवेश किया, चिकित्सा (मेडिकल) वैद्यकीय बीमा का पात्र बहुत ही कम है। भारत की जनसंख्या के सिर्फ 10% लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं। चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी हो। अस्सी के दशकों में इसका परिचय किया गया। तो भी यह लोगों में यकीन पैदा करने में सफल नहीं हुआ। कई कारणों से यह नैतिक संकट पैदा किया है। बिल के भुगतान में देरी और सेवा में कमी, पॉलिसी सेवा में अलक्ष्य आदि कारण हैं। टीपीए भी बहुत संकट के रास्ते पार करके अब स्थिर हुआ है। अब स्वास्थ्य बीमा के बारे में शिकायत कुछ कम हुए हैं।

स्वास्थ्य बीमा विभाग में अपर शक्ति है जिसे बाज़ार ने अब तक छुआ नहीं। लोगों में एक ज्ञान पैदा करना उसका महत्व समझाने का काम अब भी बाकी है। समूह भी इसके बारे में सजग हो कर काम करना, जब एक

स्वास्थ्यबीमा कंपनी भारत में काम करने लगता है तब शायद स्वास्थ्यबीमा का क्षेत्र बढ़ सकता है ।

कार्यकारी समूह ने पवेश की पूँजी को कम करने की सलाह दी । एफ.डी.आइ. का स्तर ज्यादा हो तो प्रत्येक नियम इसका परिवीक्षण करना चाहिए । इसे लक्ष्य में रखकर स्वास्थ्यबीमा की प्रगति के लिए आइ.आर.डी.ए. ने स्वास्थ्य बीमा कार्यकारी समूह को बनाया । आइ.आर.डी.ए. ने एक ही स्वास्थ्य बीमा कंपनी को अनुज्ञापत्र दिया । आगे और आने की आशा की जा सकती है ।

प्राधिकार ने बीमा कवरेज क्षेत्र के विस्तार को मन में रखकर इसका महत्व समक्षा है । ग्रामीण क्षेत्र, दुर्बलवर्गों

को भी इसकी रक्षा देनी चाहिए । बीमा कानून और प्रतिबंधक कानून के अनुसार कुछ प्रतिशत के पालिसियो को दुर्बलवर्गों के लिए ही बनाना है। उनके योग्यता के अनुसार कुछ उत्पादनों को बनाकर उन्हें सजगा कराना है । उन्हें सुविधा पहुँचाने के लिए एजेन्सियों को इस विभाग में काम करना चाहिए । अंत में प्राधिकार ने एक न्या सूक्ष्म बीमा योजना का परिचय करा रहा है । जिसे एस.एच.जी, एन.जी.ओ सहकारी समाजों के द्वारा बेच सकते हैं । ग्रामीण प्रदेश में सूक्ष्म बीमा योजना घर घर में गूँज रही है । गरीबों के लिए यह आशा किया है कि सरल संपत्ति और उनके जीवन को यह निर्वाह करता है और समाज में समानता लाने के उद्देश्य भी प्राप्त कर सकते हैं ।

विवरणी एवं संलग्नक

विवरण 1

घरेलू क्षेत्र का वित्त बचत (सकल)

प्रतिशत

मद	2005-06#	2004-05अं	2003-04अं	2002-03अं	2001-02अं	2000-01
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्तीय बचत सकल	100.0 (16.7)	100.0 (14.0)	100.0 (13.8)	100.0 (13.1)	100.0 (12.7)	100.0 (11.9)
क) मुद्रा	8.8 (1.5)	8.5 (1.2)	11.2 (1.5)	8.9 (1.2)	9.7 (1.2)	6.3 (0.7)
ख) जमा	47.4 (7.9)	37.0 (5.2)	38.3 (5.3)	40.9 (5.4)	39.4 (5.0)	41.0 (4.9)
i) बैंकों में	46.7	36.4	37.4	35.5	35.3	32.5
ii) गैर बैंकिंग कंपनियों में	0.8	0.8	1.0	2.7	2.6	2.9
iii) सहकारी बैंकों एवं संघों में	0.0	0.0	0.0	2.8	3.6	5.6
iv) व्यापार ऋण (चुद्ध)	0.0	0.0	0.0	-0.1	-2.1	0.1
ग) शेयर एवं डिबेंचर	4.9 (0.8)	1.1 (0.2)	0.1 (0.0)	1.7 (0.2)	2.7 (0.3)	4.1 (0.5)
i) निजी निगम कारोबार	1.3	1.4	1.1	0.8	1.5	3.1
ii) बैंकिंग	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
iii) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिट	-0.1	-0.7	-2.3	-0.5	-0.6	-0.4
iv) सार्वजनिक उपक्रमों के बंध पत्र	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
v) म्युचुअल फंड (यूटीआई से भिन्न)	3.6	0.4	1.2	1.3	1.8	1.3
घ) सरकार पर दावे	14.7 (2.5)	24.4 (3.4)	23.0 (3.2)	17.4 (2.3)	17.9 (2.3)	15.7 (1.9)
i) सरकारी सुरक्षाओं में निवेश	2.4	4.9	7.5	2.5	5.8	1.7
ii) लघु बचत आदि में निवेश	12.3	19.5	15.5	14.9	12.1	14.0
ड) बीमा निधियाँ	14.2 (2.4)	16.0 (2.2)	13.7 (1.9)	16.1 (2.1)	14.2 (1.8)	13.6 (1.6)
i) जीवन बीमा नीधियाँ	13.5	15.1	13.0	15.5	13.5	12.9
ii) डाक बीमा	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
iii) राज्य बीमा	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5
च) भविष्य एवं सेवानिवृत्ति निधियाँ	10.0 (1.7)	12.9 (1.8)	13.6 (1.9)	15 (2.0)	16.1 (2.0)	19.3 (2.3)

अं: अंतरिम

: प्राथमिक अनुमान

टिप्पणी:

1. कोष्ठकों में दिये गये अंक वर्तमान भाव पर जीडीपी है।
2. राउंड करने से संघटक कुल के साथ नहीं जुड़ेंगे। स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण 2

बीमा पहुँच की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

महादेश / देश	2003**		2004**		2005**	
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
उत्तरी अमेरिका	9.40	4.25	5.15			
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	9.61	4.38	5.23	9.36	4.22	5.14
कनाडा	6.82	2.63	4.19	7.02	2.97	4.05
लेटिन अमेरिका एवं कैरेबियन	2.45	0.94	1.51	2.47	1.01	1.46
बहामास	7.98	4.38	3.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बारबाडोस	11.29	3.87	7.42	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ब्रिजिट्स एवं टोबागो	5.11	3.49	1.63	7.85	5.77	2.08
चिली	4.09	2.61	1.47	3.93	2.55	1.38
जमैका	5.56	2.35	3.21	5.00	1.88	3.11
पनामा	3.64	1.19	2.45	3.07	1.12	1.96
हेण्डुरास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अजट्टाइन	2.54	0.72	1.82	2.68	0.88	1.80
कोलोम्बिया	2.56	0.70	1.86	2.51	0.69	1.82
वेनेजुएला	2.89	0.09	2.80	2.55	0.08	2.47
डॉमिनिकम रिपब्लिक	2.43	0.20	2.23	2.05	0.18	1.86
ब्राजील	2.96	1.28	1.68	2.98	1.36	1.63
कोस्टा रिका	1.88	0.17	1.72	1.87	0.15	1.72
उरुग्वे	2.16	0.48	1.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
एल साल्वाडोर	2.35	0.70	1.66	2.28	0.68	1.60
मेक्सिको	1.80	0.70	1.10	1.86	0.79	1.06
इक्वाडोर	1.72	0.17	1.54	1.68	0.20	1.48
पेरू	1.44	0.60	0.83	1.31	0.59	0.72
वेनेमला	1.12	0.20	0.92	1.09	0.17	0.92
यूरोप	7.98	4.64	3.35	7.89	4.68	3.20
ग्रेट ब्रिटेन	13.37	8.62	4.75	12.60	8.92	3.68
स्विट्जरलैंड	12.74	7.72	5.02	11.75	6.73	5.02
नीदरलैंड्स	9.77	4.93	4.84	10.10	5.43	4.67
आयरलैंड	9.59	6.04	3.55	8.97	5.74	3.23
फिनलैंड	8.69	6.81	1.88	8.77	6.89	1.88
फ्रांस	9.15	5.99	3.15	9.52	6.38	3.14
बेल्जियम	9.77	6.81	2.96	9.62	6.73	2.89
स्वीडन	6.97	4.74	2.23	6.96	4.56	2.39
डेनमार्क	7.92	5.18	2.74	8.07	5.15	2.92
जर्मनी	6.99	3.17	3.82	6.97	3.11	3.86
इटली	7.45	4.82	2.63	7.60	4.86	2.74
स्पेन	5.58	2.38	3.20	5.63	2.38	3.25
ऑस्ट्रिया	5.89	2.59	3.30	5.95	2.63	3.32
यूनाइटेड किंगडम	7.31	4.14	3.17	7.85	4.66	3.19
साल्वाडोर	5.23	1.25	3.98	5.61	1.65	3.96
नार्वे	4.57	2.29	2.28	4.39	2.31	2.08
माल्टा	4.89	2.79	2.10	5.20	3.14	2.06
नेक रिपब्लिक	5.04	2.52	2.52	5.61	2.84	2.78
लारजम्बो	4.48	1.72	2.76	4.15	1.63	2.53
स्लोवाकिया	4.49	2.09	2.40	3.64	1.43	2.21
आइसलैंड	3.38	1.38	2.00	3.61	1.46	2.15
गालेड	3.23	0.29	2.94	3.01	0.29	2.72
रूस	3.02	1.12	1.91	3.07	1.17	1.90
	3.25	1.12	2.13	2.83	0.61	2.21
						2.27
						8.90
						6.20
						5.12
						5.65
						7.33
						7.08
						8.36
						5.32
						5.19
						3.06
						2.89
						3.73
						2.79
						2.50
						2.87
						3.28
						2.88
						6.20
						1.69
						2.08
						3.28
						2.15
						3.96
						2.87
						2.15
						2.74
						2.45
						2.30
						2.54
						1.84
						2.15

जारी...

महादेश / देश	कुल	2003** जीवन	गैर-जीवन	कुल	2004** जीवन	गैर-जीवन	कुल	2005** जीवन	गैर-जीवन
क्रोशिया	3.25	0.72	2.53	3.20	0.76	2.44	3.25	0.84	2.41
हंगरी	3.01	1.20	1.80	2.83	1.15	1.67	3.08	1.37	1.71
यूगोस्लाविया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग्रीक	2.10	0.93	1.17	2.10	0.93	1.17	2.17	1.03	1.13
बुल्गारिया	1.90	0.21	1.69	1.92	0.26	1.65	2.55	0.32	2.23
यूक्रेन	3.54	0.03	3.52	4.82	0.05	4.77	3.02	0.08	2.95
तुर्की	1.35	0.24	1.12	1.54	0.29	1.25	1.55	0.25	1.30
रोमानिया	1.45	0.34	1.11	1.51	0.35	1.15	1.53	0.32	1.21
सर्बिया मोन्टेनेग्रो	2.25	0.08	2.17	2.20	0.16	2.04	2.23	0.19	2.04
लेटविया	2.06	0.09	1.97	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लियुथानिया	1.51	0.40	1.11	लागू नहीं	0.38	लागू नहीं	1.47	0.41	1.07
एशिया	7.51	5.74	1.77	7.37	5.58	1.79	6.83	5.16	1.67
दक्षिण कोरिया	9.63	6.77	2.86	9.52	6.75	2.77	10.25	7.27	2.98
जापान	10.81	8.61	2.20	10.51	8.26	2.25	10.54	8.32	2.22
ताइवान	11.31	8.28	3.02	14.13	11.06	3.07	14.11	11.17	2.93
हांग कांग	7.88	6.38	1.50	9.27	7.88	1.39	9.93	8.63	1.29
इजराइल	6.54	2.90	3.65	6.16	2.76	3.40	5.96	2.75	3.21
मलेशिया	5.35	2.29	2.05	5.40	3.52	1.88	5.42	3.60	1.82
सिंगापुर	7.59	6.09	1.50	7.50	6.02	1.48	7.47	6.00	1.48
थाईलैंड	3.45	2.25	1.19	3.52	1.94	1.58	3.61	1.99	1.62
भारत	2.88	2.26	0.62	3.17	2.53	0.65	3.14	2.53	0.61
लेबनान	2.91	0.78	2.13	3.06	0.95	2.10	3.15	0.95	2.19
पी आर चीन	3.33	2.30	1.03	3.26	2.21	1.05	2.70	1.78	0.92
बहरेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जोर्डन	2.22	0.28	1.94	2.67	0.31	2.36	2.59	0.27	2.32
फिलीपीन्स	1.48	0.87	0.61	1.49	0.91	0.59	1.48	0.91	0.57
संयुक्त अरब अमीरात	1.12	0.26	0.86	1.65	0.28	1.37	1.53	0.28	1.25
श्री लंका	1.30	0.55	0.74	1.37	0.60	0.77	1.46	0.62	0.84
इंडोनेशिया	1.49	0.66	0.83	1.31	0.63	0.68	1.52	0.82	0.70
ओमान	1.24	0.17	1.06	1.28	0.18	1.10	1.14	0.17	0.97
विश्वनाम	1.45	0.87	0.57	2.02	1.35	0.68	1.62	0.97	0.65
इरान	1.16	0.09	1.07	1.15	0.09	1.06	1.23	0.08	1.15
तुवालू	0.92	0.23	0.69	0.93	0.22	0.70	0.79	0.15	0.64
पाकिस्तान	0.62	0.24	0.39	0.71	0.28	0.43	0.67	0.27	0.40
मुउरी अरबिया	0.47	0.02	0.45	0.48	0.02	0.46	0.46	0.01	0.45
बंगलादेश	0.57	0.37	0.20	0.57	0.37	0.20	0.61	0.42	0.20
अफ्रीका	4.09	2.93	1.16	4.89	3.41	1.48	4.80	3.33	1.47
दक्षिण अफ्रीका	15.88	12.96	2.92	14.38	11.43	2.95	13.87	10.84	3.03
मोरिशस	4.59	2.78	1.81	4.61	2.78	1.83	4.36	2.62	1.74
जिम्बाब्वे	4.17	2.40	1.77	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मोरोक्को	2.85	0.80	2.05	2.70	0.64	2.06	2.87	0.71	2.16
केन्या	2.98	0.78	2.20	2.81	0.82	1.99	2.56	0.78	1.78
इक्वोरी कोस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तुनिसिया	1.82	0.16	1.66	2.01	0.16	1.86	2.07	0.17	1.90
नाइजीरिया	0.77	0.14	0.63	0.94	0.17	0.76	0.70	0.09	0.62
इजिप्ट	0.68	0.22	0.47	0.79	0.27	0.52	0.85	0.34	0.52
अल्जेरिया	0.64	0.02	0.61	0.58	0.03	0.55	0.56	0.03	0.53
ओसियानिया	7.70	3.99	3.71	7.65	3.75	3.90	6.38	3.16	3.22
ऑस्ट्रेलिया	7.99	4.42	3.57	8.02	4.17	3.85	6.60	3.51	3.09
न्यूज़ीलैंड	6.23	1.39	4.83	5.74	1.32	4.42	5.20	0.81	4.39
विश्व	8.06	4.59	3.48	7.99	4.55	3.43	7.52	4.34	3.18

स्रोत: विश्व बैंक, सिमा, अंक 3/2004, 2/2005 एवं 5/2006

* बीमा भ्रमल को (प्रतिशत में) किरत एवं कुल जनसंख्या के अनुपात में मापा जायेगा।

** डेटा कैंलर्ड वर्षों से संबंधित है।

विवरण 3

बीमा पहुँच की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

महादेश / देश	2003**			2004**			2005**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
उत्तरी अमेरिका	3464.3	1565.7	1898.6	3601.1	1617.2	1984.0	3735.1	1686.3	2048.8
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	3637.7	1657.5	1980.2	3755.1	1692.5	2062.6	3875.2	1753.2	2122.0
कनाडा	1871.8	722.9	1148.9	2188.7	926.1	1262.6	2449.0	1071.9	1377.1
लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन	78.3	30.0	48.2	90.9	37.2	53.7	105.7	42.0	63.8
बहामास	1274.1	699.5	574.6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बारबाडोस	1064.1	364.6	699.6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ब्रिनिदाद एवं टोबागो	383.9	261.8	122.1	659.3	484.5	174.8	810.2	595.4	214.8
चिली	216.3	138.3	78.0	253.1	164.5	88.6	281.5	174.9	106.6
जमैका	155.1	65.6	89.5	161.6	60.8	100.7	179.4	67.6	111.8
पनामा	129.7	42.4	87.3	139.3	50.6	88.7	133.0	47.2	85.8
होंडुरास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अर्जन्टिना	85.9	24.2	61.7	105.1	34.5	70.6	118.0	35.4	82.7
कोलम्बिया	45.1	12.4	32.7	51.9	14.3	37.6	60.3	16.8	43.6
वेनेजुएला	84.5	2.5	82.0	101.1	3.1	98.0	125.3	3.6	121.7
डोमोनिकम रिपब्लिक	45.7	3.7	42.0	41.3	3.7	37.6	52.5	6.7	45.7
ब्राजील	82.6	35.8	46.8	101.1	45.9	55.2	128.9	56.8	72.1
कोस्टा रिका	79.1	7.0	72.0	85.7	6.8	78.8	80.3	6.4	73.9
उरुग्वे	69.9	15.4	54.5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	92.3	15.5	76.8
एल साल्वाडोर	52.7	15.6	37.1	52.7	15.8	36.9	50.8	15.0	35.8
मैक्सिको	106.5	41.3	65.3	117.8	50.2	67.6	121.3	49.9	71.4
इक्वाडोर	34.4	3.5	30.9	37.1	4.5	32.6	41.0	5.4	35.7
पेरू	32.1	13.5	18.7	32.1	14.5	17.5	34.8	18.9	15.9
क्वेमत्ला	22.0	3.9	18.1	23.0	3.5	19.5	25.5	4.1	21.3
यूरोप	1251.8	726.9	524.9	1427.9	848.1	579.8	1513.8	911.8	601.9
ग्रेट ब्रिटेन	4058.5	2617.1	1441.4	4508.4	3190.4	1318.0	4599.0	3287.1	1311.9
स्विट्जरलैंड	5660.3	3431.8	2228.5	5716.4	3275.1	2441.2	5558.4	3078.1	2480.3
नीदरलैंड्स	3094.0	1561.7	1532.4	3599.6	1936.5	1663.1	3739.7	1954.2	1785.5
आयरलैंड	3669.5	2312.5	1356.9	4091.2	2617.4	1473.8	4177.0	2759.7	1417.4
फिनलैंड	2714.5	2126.8	587.7	3134.1	2461.0	673.1	3389.3	2470.8	681.4
फ्रांस	2698.3	1767.9	930.5	3207.9	2150.2	1057.7	3568.5	2474.6	1093.9
बेल्जियम	2875.7	2004.8	870.9	3275.6	2291.2	984.4	3985.6	2988.7	996.9
स्वीडन	2357.9	1602.3	755.6	2690.0	1764.3	925.7	3092.1	2105.2	986.8
डेनमार्क	3116.0	2037.5	1078.5	3620.4	2310.5	1309.9	3876.2	2489.9	1386.3
जर्मनी	2051.2	930.4	1120.8	2286.6	1021.3	1265.3	2310.5	1042.1	1268.4
इटली	1913.1	1238.3	674.8	2217.9	1417.2	800.7	2263.9	1449.8	814.1
स्पेन	1146.1	488.6	657.5	1355.2	571.9	783.3	1454.5	615.8	838.7
अस्ट्रिया	1846.8	811.0	1035.7	2159.7	955.3	1204.4	2342.8	1095.1	1247.7
पुर्तगाल	1079.6	611.4	468.2	1293.5	768.1	525.4	1628.0	1113.7	514.4
स्लोवेनिया	725.8	173.6	552.1	919.6	270.0	649.5	978.1	292.6	685.5
साइप्रस	765.4	383.0	382.3	861.5	453.3	408.2	840.7	412.6	428.1
नार्वे	2321.3	1322.5	998.8	2842.2	1714.4	1127.8	3302.3	2043.1	1259.2
माल्टा	589.2	294.7	294.5	728.6	368.6	360.4	813.8	435.4	378.5
नेक रिपब्लिक	363.4	139.4	224.0	430.5	168.6	261.9	477.8	183.6	294.2
लक्जमबर्ग	2496.0	1161.1	1335.0	2562.9	1007.1	1555.8	2756.3	1112.5	1643.8
स्लोव्हाकिया	210.6	85.8	124.8	276.0	111.8	164.2	314.7	116.8	197.9
आइसलैंड	1205.6	108.1	1097.5	1310.2	126.9	1183.3	1438.1	153.9	1284.1
पोलैंड	162.2	59.9	102.3	192.7	73.3	119.4	245.1	101.9	143.2
रूस	98.2	33.9	64.3	114.4	24.8	89.6	122.8	6.3	116.5
क्रोशिया	207.9	46.3	161.6	247.9	58.7	189.2	274.7	70.9	203.9

जारी...

महदेश / देश	2003**				2004**				2005**			
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
हंगरी	247.8	99.1	148.7	287.3	117.3	170.0	334.1	148.2	185.9	495.5	210.6	284.4
यूगोस्लाविया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मॉक	342.8	152.1	190.7	402.1	177.9	224.1	446.7	213.1	233.6	76.8	11.1	65.7
बुल्गारिया	49.2	5.5	43.7	59.4	8.2	51.2	87.9	11.1	76.8	51.7	1.3	50.4
यूक्रेन	35.4	0.3	35.1	60.9	0.6	60.3	53.1	1.3	51.7	65.9	12.7	53.2
तुर्की	47.7	8.4	39.3	64.5	12.0	52.6	78.6	12.7	65.9	54.9	14.6	40.3
रोमानिया	35.8	8.4	27.3	48.2	11.3	36.9	69.5	14.6	54.9	44.5	4.2	40.3
मॉल्डोवा	40.8	1.4	39.4	44.7	3.2	41.5	48.7	4.2	44.5	79.3	लागू नहीं	लागू नहीं
लैटविया	90.1	4.0	86.1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लिथुआनिया	76.6	20.1	56.4	95.7	24.6	71.1	109.6	30.4	79.3	48.3	149.6	48.3
एशिया	183.4	140.1	43.3	194.3	147.2	47.1	197.9	149.6	48.3			
दक्षिण कोरिया	1243.0	873.6	369.4	1419.3	1006.8	412.5	1706.1	1210.6	495.5	3770.9	3002.9	768.0
जापान	3770.9	3002.9	768.0	3874.8	3044.0	830.8	3746.7	2956.3	790.4	1433.3	1050.1	383.2
ताइवान	1433.3	1050.1	383.2	1909.0	1494.6	414.4	2145.5	1699.1	446.4	1483.9	1483.9	348.7
हांग कांग	1483.6	1483.6	348.7	2217.2	1884.3	332.9	2544.9	2213.2	331.7	1040.6	460.8	579.8
इंडोनेशिया	1040.6	460.8	579.8	1043.4	467.4	576.0	1104.5	510.2	594.4	227.0	139.8	87.2
मलेशिया	227.0	139.8	87.2	256.5	167.3	89.3	283.3	188.0	95.3	1620.5	1300.2	320.3
सिंगापुर	1620.5	1300.2	320.3	1849.3	1483.9	365.5	1983.4	1591.4	392.0	79.6	52.0	27.6
थाईलैंड	79.6	52.0	27.6	92.1	50.8	41.4	99.0	54.6	44.4	भारत	16.4	12.9
भारत	16.4	12.9	3.5	19.7	15.7	4.0	22.7	18.3	4.4	लेबनान	115.6	31.0
लेबनान	115.6	31.0	84.7	126.7	39.6	87.2	185.6	56.3	129.3	मि. आर. चीन	36.3	25.1
मि. आर. चीन	36.3	25.1	11.2	40.2	27.3	12.9	46.3	30.5	15.8	जोर्डन	लागू नहीं	लागू नहीं
जोर्डन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	फिलिपीन्स	41.4	5.2
फिलिपीन्स	41.4	5.2	36.2	52.1	6.0	46.2	54.2	5.7	48.6	310.7	72.5	238.2
संयुक्त अरब अमीरात	14.6	8.6	6.0	15.6	9.4	6.1	17.2	10.6	6.7	श्री लंका	12.5	5.3
श्री लंका	12.5	5.3	7.1	350.2	59.7	290.6	414.2	74.7	339.5	इंडोनेशिया	14.5	6.4
इंडोनेशिया	14.5	6.4	8.1	15.5	7.5	8.1	19.4	10.5	8.9	ओमान	99.0	13.8
ओमान	99.0	13.8	85.2	103.1	14.2	88.9	113.7	17.3	96.3	इरान	6.7	4.1
वियतनाम	6.7	4.1	2.7	11.0	7.3	3.7	10.1	6.1	4.1	कुवैत	22.3	1.7
इरान	22.3	1.7	20.5	27.9	2.3	25.7	35.1	2.2	33.0	पाकिस्तान	148.0	36.9
कुवैत	148.0	36.9	111.1	161.2	39.1	122.2	185.5	35.7	149.8	मुउत्तौ अरबिया	2.9	1.1
पाकिस्तान	2.9	1.1	1.8	3.7	1.5	2.2	4.6	1.9	2.8	बंगलादेश	41.2	1.7
मुउत्तौ अरबिया	41.2	1.7	39.5	51.4	2.1	49.3	57.1	0.7	56.4	अफ्रीका	36.4	26.1
बंगलादेश	2.1	1.4	0.7	2.3	1.5	0.8	2.5	1.7	0.8	दक्षिण अफ्रीका	583.9	476.5
अफ्रीका	36.4	26.1	10.3	43.4	30.3	13.1	44.2	30.7	13.5	मॉरिशस	196.5	119.1
दक्षिण अफ्रीका	583.9	476.5	107.4	686.5	545.5	141.0	714.6	558.3	156.2	जिम्बावे	37.2	21.4
मॉरिशस	196.5	119.1	77.4	220.8	133.1	87.7	226.5	136.1	90.4	मोरोक्को	42.8	12.0
जिम्बावे	37.2	21.4	15.8	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केन्या	12.9	3.4
मोरोक्को	42.8	12.0	30.8	44.9	10.6	34.3	47.0	11.7	35.3	इक्वोरी कोस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं
केन्या	12.9	3.4	9.5	12.6	3.7	8.9	14.6	4.5	10.2	तुनिशिया	45.9	4.0
इक्वोरी कोस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नाइजीरिया	3.0	0.6
तुनिशिया	45.9	4.0	42.0	55.3	4.3	51.0	58.7	4.8	53.9	हज्जिस्ट	8.4	2.7
नाइजीरिया	3.0	0.6	2.5	4.0	0.7	3.3	4.3	0.5	3.7	अल्बानिया	12.5	0.5
हज्जिस्ट	8.4	2.7	5.7	8.9	3.1	5.8	10.3	4.0	6.2	ओसियानिया	1449.3	750.7
अल्बानिया	12.5	0.5	12.0	14.8	0.8	14.0	17.4	0.9	16.5	ऑस्ट्रेलिया	2041.4	1129.3
ओसियानिया	1449.3	750.7	698.5	1736.9	851.0	885.9	1789.3	885.0	904.3	न्यूज़ीलैंड	1215.1	272.0
ऑस्ट्रेलिया	2041.4	1129.3	912.1	2471.4	1285.1	1186.3	2569.9	1366.7	1203.2	विश्व	469.6	267.1
न्यूज़ीलैंड	1215.1	272.0	943.1	1382.2	318.0	1064.2	1408.5	219.7	1188.8			
विश्व	469.6	267.1	202.5	511.5	291.5	220.0	518.5	299.5	219.0			

स्रोत: स्विस् रे, सिमा, अंक. 3/2004, 2/2005 एवं 5/2006

* बीमा घनत्व को (प्रतिशत में) क्लिप एवं कुल जनसंख्या के अनुपात में मापा जायेगा।

** डाटा कैलेडर वर्षों से संबंधित है।

राजस्व खाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

विवरण 4

(रू. लाखों में)

विवरण :	बीएसएलआई		आईसीआईसीआई प्रू		आईएनजी वेश्या		एलआईसी		एचडीएफसी स्टैंडर्ड		एमएनवाईएल		रिलायंस लाइफ \$	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
अर्जित प्रीमियम- शुद्ध														
(क) प्रीमियम @	125566	91547	426105	236382	42538	33886	9079222	7512729	156991	68663	78813	41343	22421	10655
(ख) पुर्नबीमा खर्गत	(2184)	(1388)	(684)	(382)	(251)	(121)	(3454)	(4295)	(2296)	(1371)	(841)	(471)	(200)	(147)
(ग) पुर्नबीमा स्वीकृत							151	(97)						
निवेशों से आय														
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया -सकल	8880	4501	20293	9579	2012	522	3547864	3297750	6897	2671	3852	2131	731	269
(ख) विक्री से लाभ / निवेशों से मोचन	6081	511	22062	2251	481	76	610719	430727	9449	1087	331	9	937	111
(ग) स्थानांतरण / पुर्नमूल्यांकन / निवेश को छुड़ाना	(75)	(243)	(6271)	(283)	(83)		(153943)	(96922)	(150)	(1139)	(47)	(0)	(140)	(16)
(घ) स्थानांतरण / पुर्नमूल्यांकन पर लाभ / सही मूल्य में परिवर्तन			106235	7722	2380	(175)			21590	340	2260	40	3014	(10)
अन्य आय	1610	690	47	10	39	56	134128	99382	1726	96	(28)	(78)	(27)	12
शेयरधारक के खाते से अंतरण	7019	6762	23067	23335	12624	9822			13970	9547	6516	10267	10494	5742
कुल (ए)	146897	102380	590854	278614	59739	44067	13214688	11239274	208177	79896	90856	53241	37229	16616
कमीशन	15964	12922	28339	17796	6913	4107	709492	624517	12033	7309	13447	6509	1433	787
संबंधित परिचालन खर्च														
बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचलन खर्च	24397	17744	72383	46151	21083	14649	604156	598718	39849	23075	33932	24641	11593	7680
संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान							20976	109937			9	17		
इवते ऋण की माफी कर के लिये प्रावधान	210		610		242		396775	561925			5	3		
(प्रावधान) कर को छोड़कर							4036	16480	268		256		126	
(क) निवेशों के मूल्य में कमी (शुद्ध)														
(ख) अन्य							5110	(518)						
कुल (बी)	40571	30666	101332	63947	28238	18755	1740546	1911059	52150	30384	47650	31171	13152	8466
भुगतान किये गये लाभ (शुद्ध)	7379	3303	21064	10120	3034	260	3392711	2844045	4483	1572	4254	1242	3279	695
भुगतान किये गये अंतरिम बोनस						1	29724	19529	4	2			1	0
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन														
(क) सकल *	100054	69100	467452	201373	28507	25090	6926623	6016358	152476	50465	38605	21068	20797	7557
(ख) पुर्नबीमा में किया गया खर्च	(1107)	(688)			(41)	(40)			(1192)	(2527)	(212)	(240)		(102)
(ग) पुर्नबीमा में स्वीकृत धन														
(घ) जुड़ी हुई निधि में अंतरण							1062908	378623						
कुल (सी)	106326	71714	488515	211492	31501	25311	11411965	9258555	155772	49512	42646	22070	24077	8150
ज्यादा / (कमी) (डी) = (ए) - (बी) - (सी)			1006	3176		0	62177	69660	256		560		(0)	(0)
वर्ष के शुरूआत में कमी														
ज्यादा मूल्यांकनों के लिये उपलब्ध मूल्यांकन			1006	3176		0	62177	69660	256		560		(0)	(0)
शेयरधारकों के खाते में अंतरण			759				62177	69660			6			
अन्य आरक्षणों में अंतरित														
शेष भविष्य के मूल्यांकनों की निधियाँ		248	3175					256		554				
बचा हुआ तुलन पत्र में अंतरित														
कुल (डी)			1006	3175			62177	69660	256		560			

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं।

* बोनस आवंटन के लिये गणित के रिजर्वों को प्रदर्शित करता है।

बीमाकर्ता ने अपना कारोबार वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया है।

\$ बीमाकर्ता पूर्व में एएमपी संस्मार @ 2004-05 के परिशिष्टित वित्त विवरण

राजस्व खाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण :	बजाज अलायंस		एसबीआई लाइफ		कोटक लाइफ		टाटा एआईजी		मैट लाईफ		अविवा		सहारा		श्रीराम #		कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
अर्जित प्रीमियम- शुद्ध																		
(क) प्रीमियम @	313358	100168	107532	60118	62185	46616	88019	49704	20599	8153	60027	25342	2766	174	1033	10587174	8285480	
(ख) पुर्नबीमा स्थगित	(536)	(364)	(223)	(189)	(1115)	(678)	(1305)	(849)	(202)	(214)	(334)	(305)	(0)	(0)	(1)	(13625)	(10774)	
(ग) पुर्नबीमा स्वीकृत																151	(97)	
निवेशों से आय																		
(क) व्याज, लाभांश एवं किराया -सकल	2111	856	5760	2776	3960	1239	3052	1727	643	231	1916	498	87	0	1	3608059	3324751	
(ख) विन्नी से लाभ / निवेशों से मोचन	1066	24	5124	1133	2000	369	648		98		576	183				659573	436483	
(ग) स्थानांतरण / पुर्नमूल्यांकन / निवेश को छुड़ाना	(53)	(37)	(76)	(2)	(446)	(273)	(12)	(0)			(17)	(85)				(161313)	(99000)	
(घ) स्थानांतरण / पुर्नमूल्यांकन पर लाभ / सही मूल्य में परिवर्तन			2266	(0)	7415	484					7421	843				152581	9244	
अन्य आय	2902	530	94	227	24	26	1450	565	1	5			3	1		141969	101522	
शेयरधारक के खाते से अंतरण	10855	4512	4559	2170	4998	2173	7608	5764	8658	5629	15095	9637	935	1152		126397	96513	
कुल (ए)	329704	105688	125037	66235	79020	49956	99461	56911	29797	13803	84684	36114	3791	1327	1032	1510096712144122		
कमीशन	34187	14584	6969	2339	5912	3890	13755	8994	4041	1449	10317	4593	379	66	358	863539	709861	
गये अंतरिम बोनस																		
बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचलन खर्च	48681	21439	19003	12456	13408	11133	29054	19802	16157	9538	25498	14357	1121	177	659	960974	821560	
संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान		107														20985	110062	
इबते ऋण की माफी																5	3	
कर के लिये प्रावधान	410		180		107		27	5	201		272					399290	561929	
(प्रावधान) कर को छोड़कर							310									4741	16480	
(क) निवेशों के मूल्य में कमी (शुद्ध)																		
(ख) अन्य					446	243										5557	(275)	
कुल (बी)	83278	36130	26152	14796	19873	15266	43146	28801	20398	10987	36087	18950	1500	243	1017	2255090	2219621	
भुगतान किये गये लाभ (शुद्ध)	65348	5651	8243	4636	4197	456	4738	2282	597	350	1755	522	22			3521104	2875133	
भुगतान किये गये अंतरिम बोनस	12	3									5					29746	19536	
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन																		
(क) सकल *	19123	64169	90754	47981	12468	8541	28188	14951	12564	3814	45193	16829	502	1084	27	7943333	6548377	
(ख) पुर्नबीमा में किया गया खर्च			(111)	(1178)			(102)	(259)	(161)	(112)	(89)	(186)	(0)			(3017)	(5331)	
(ग) पुर्नबीमा में स्वीकृत धन																		
(घ) जुड़ी हुई निधि में अंतरण	155761				42217	28404	22237	7718					1739			1284862	414744	
कुल (सी)	240244	69823	98885	51439	58882	37400	55061	24691	13000	4052	46864	17164	2263	1084	2712776028	9852458		
ज्यादा / (कमी) (डी) = (ए) - (बी) - (सी)	6182	(265)		0	265	(2711)	1254	3418	(3601)	(1236)	1733		29		(12)	69849	72042	
वर्ष के शुरूआत में कमी	640	904			(4967)	(2256)			1834	(4721)						1834		
									(5957)							(10284)	(6072)	
ज्यादा मूल्यांकनों के लिये उपलब्ध मूल्यांकन	6822	640		0	(4702)	(4967)	1254	3418	(7724)	(5957)	1733		29		(12)	65970		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण							351	400								63293	70060	
अन्य आस्थापनों में अंतरित	1177					244		3018			26					1203	3018	
शेष भाविष्य के मूल्यांकनों की निधियाँ	5645	640			147	(424)					1707		29			8161	3815	
बचा हुआ तुलन पर में अंतरिता					(4848)	(4967)	1327		(7724)	(5957)					(12)	(11257)	10924	
कुल (डी)	6822	640		(4702)	(4967)	1254	3418	(7724)	(5957)	1733			29		(12)	61400	65969	

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं।

* बोनस आबंटन के लिये गणित के रिजर्वों को प्रदर्शित करता है।

बीमाकर्ता ने अपना कारोबार वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया है।

\$ बीमाकर्ता पूर्व में एएमपी संस्मार

@ 2004-05 के परिशोधित वित्त विवरण

विवरण 5

गणतन्त्र नेपालको विकास बर्षान्वयि (रु. लाखों में)														
विवरण	बीमापूराआई		आईसीआईसीआई पू		आईएमबी केखा		एएआईबी		एआईएसी स्टैंडर्ड्स		एएएआईएन		वित्तवस लाइफ	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
गणतन्त्राधारको के खर्चो से अंतरित (तकनीकी खाता)			759				62177	69660			6			
निवेशो से आय:														
(क) ब्याज, लाभांश और फिन्दावा - सकल	1073	937	1668	963	1092	503	995	1063	1385	653	682	356	834	702
(ख) विदेशी पर लाभ / निवेशो की छूट	36	26	369	313	36	108		22	80	102	90	106	133	77
(ग) विक्री पर हानि / निवेशो की छूट	(16)	(14)	(16)	(156)	(25)	(81)			(135)	(40)	(0)		(20)	(71)
अन्य आय	(156)	(213)	32	15	5				(53)	(36)	4	10	(189)	(253)
कुल (ए)	936	736	2792	1135	1108	530	63172	70746	1277	679	781	472	758	465
अन्य खर्च जो बीमा व्यापार से सीधे संबंधित नहीं है	29	36	59	41	883	82	14	(91)	183	105	271	171	104	115
गलत ऋण की हानि														
प्रारंभन (हर निर्धारण के अलावा)														
(क) निवेश मूल्य में कमी (छुट)														
(ख) सेटलमेन्ट ऋणों के हितों प्रारंभन														
(ग) अन्य														
गणतन्त्राधारको के खर्चो में अंशदान	7019	6762	23067	23335	12624	9822		13970	9547	6516	10267	10494	5742	
कुल (बी)	7049	6797	23125	23376	13506	9904	14	(91)	14153	9652	6767	10438	10598	5857
लाभ / (नुकसान) हर से पूर्व	(6113)	(6061)	(20333)	(22241)	(12398)	(9374)	63158	70837	(12876)	(8973)	(6006)	(9966)	(9940)	(5401)
समय से पूर्व सामग्री			(1545)	(1079)	2	2								
कर निर्धारण के प्रारंभन														
लाभ / (नुकसान) हर के पश्चात	(6113)	(6061)	(18789)	(21162)	(12400)	(9376)	63158	70837	(12876)	(8973)	(6006)	(9966)	(9940)	(5401)
विवरण														
(क) वॉरिंग में शेरा	(24373)	(18312)	(88570)	(47407)	(22555)	(13179)			(18782)	(9808)	(33228)	(22631)	(12360)	(6958)
(ख) वी के ट्रेडिंग दिने जाने वाले अंतरिम लाभांश														
(ग) प्रयत्नित अंतरिम लाभांश							62177	69660						
(घ) हर पर लाभांश विवरण														
(च) रिचर्व / अन्य खर्चों में अंतरित			7922				981	1176						
कुलन पर को ले जाया गया लाभ	(30486)	(24373)	(95279)	(66570)	(34956)	(22555)	(0)	(0)	(31668)	(18782)	(39234)	(33228)	(22199)	(12360)

नोट: कोटिक में अंक नकशालक मूल्य बताते हैं।

जारी...

लाभ एवं हानि ख़ाता: सभी जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विद्यार्थी 5

[illegible]

[illegible]

निषिद्ध का उपयोग																
निवेश																
रोयलभारत	18170	12351	44847	32095	16704	13516	16640	12063	13809	9843	13432	11379	9864	8679		
पारितोषिक	7199	4627	125146	80454	27285	12094	45278642	35568558	116950	60879	57384	34390	6826	1790		
जुड़े हुये दाखिल के लिये संगति	230114	116327	707885	265406	28331	13326	1231528	422510	119361	19183	17796	2533	23500	7482		
क्राण	202	35	142	252	42	9	5512438	5199193	294	120	16	2	188			
स्वाई संगति	3904	3086	6105	6301	4690	3927	126214	121843	6045	7318	6839	5625	1445	1247		
बदली हुई कर संगति (युक्त)			2624	1079												
चारू संगति																
नगर एवं बैंक शेयर	5506	5478	24590	19959	8664	18458	1031251	800156	28796	7335	2864	1601	5101	1032		
अभिमान एवं अन्य संगति	3777	2046	11211	7144	6291	6131	1824126	1619705	9869	4095	8226	4381	1799	991		
कुल योग (ए)	9284	7524	35800	27102	14955	24589	2855377	2419861	38666	11430	11089	5982	6900	2022		
चारू संगति	13309	10334	59349	37909	17386	20162	325322	489025	26586	10896	14676	10295	7390	2129		
प्रत्यक्ष	2209	1759	1631	842	563	292	1556483	1563966	287	207	185	33	72	32		
कुल योग (बी)	15518	12093	60980	38750	17949	20454	1881805	2052991	26873	10904	14861	10328	7462	2161		
शुद्ध चारू संगति	((6235))	((4569))	((25180))	((11648))	((2994))	4135	973572	366870	11793	527	((3771))	((4347))	((562))	((139))		
विविध खर्च (समाविजन या माफ नहीं किया गया)																
शेयर लाभ - हानि वाला (रोयलभारत खाता)	30486	24373	95279	68570	34956	22555			31658	18782	39234	33228	22199	12360		
शेयर को पारितोषिक के खाने में अंतर्गत करें																
कुल	283841	156230	956849	442509	108994	69552	53139035	41691036	289909	116651	131299	83337	63460	31419		

विवरण 6
(रु. लाखों में)

तुलन पत्र: सभी जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)

काला अलाना	एनबीआई लाइफ	कोटक लाइफ	टाटा एनबीसी	मैट लाइफ	अविवा	सहाय	श्रीराम	कुल								
2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006								
15023	14976	42500	35000	24437	21133	44700	32100	23500	23500	45870	31980	15662	15649	12500	588963	435041
					9000										9000	
															17723	19719
34953	11766	704												218	37104	12456
7			160	5204	5204		572	48	31	(0)	22	0	0	8015	6024	
49984	26742	43204	35160	29641	26337	44700	32672	32548	23531	45870	31980	15683	15649	12718	660805	473240
								704	452						815	1055
130	70	3146	299	1505	151	1152	10	(3)		122					6543917	2820100
40430	21308	139128	72673	28151	15683	61239	33152	11463	5473	1537	813	1585	1084	27	45580929	38447312
															282624	
256932	55350	24398	210	75652	33434	37449	8342	7424	215	65406	21026	1827			1023193	
297492	76727	166671	73181	105307	49269	99840	41505	18887	5685	66943	21961	3412	1084	27	55340517	42573229
6823	641			157	10	4345	3018			1707	29				27941	8812
354299	104110	209875	108341	135104	75616	148885	77194	52139	29668	114520	53941	19125	16733	12745	56030078	43056337
27809	16370	44075	33837	6570	5882	16771	12151	8083	9850	18458	10614	12926	12994	12603	280760	201624
47661	22018	136133	70219	29752	15717	67174	34880	11731	5473	1542	813	1532	1086	338	45915275	35912989
256932	55350	24398	210	75798	33692	37308	8342	7424	215	67111	21070	1831			2829317	965646
34	10			72	23	147	50	7							5513583	5199693
3646	3071	2885	1580	1836	2307	4116	3945	2108	2238	1232	1177	801	764	265	172133	164430
														2	2626	1079
29585	8473	9768	5588	5710	5270	7266	5239	3590	1785	7762	5202	354	350	903	1171709	885925
7629	4008	11950	5304	2800	2051	8309	6516	2793	2000	1418	1591	734	674	300	1901231	1666634
37214	12481	21718	10892	8510	7320	15575	11755	6382	3785	9180	6792	1088	1024	1202	3072940	2552560
38905	15611	22587	11934	7640	5165	15473	11487	6350	3298	15871	5308	412	200	1586	572841	633553
524	155	95	13	185	228	62	383	319	125	458	156	1	1	92	1563167	1568191
39429	15766	22683	11947	7825	5392	15536	11870	6669	3423	16329	5465	413	201	1678	2136008	2201744
(2215)	(3285)	(965)	(1055)	685	1928	39	(115)	(286)	362	(7149)	1328	674	824	(476)	936932	350816
															503	
															371	1030
20431	10577	3349	3550	15541	11099	23331	17940	15348	5574	33325	18939	1360	562		366497	248108
				4848	4967			7724	5957					12	12584	10924
354299	104110	209875	108341	135104	75616	148885	77194	52139	29668	114520	53941	19125	16733	12745	56030078	43056337

विवरण 7

भारतीय जीवन बीमा निगम
प्रतिदान एवं एन्चुटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)

राजस्व खाता

(रू. लाखों में)

	2005-06	2004-05
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1266	1231
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	(27)	2912
गालिसी दायित्वों में परिवर्तन	(1793)	(5091)
अन्य	1	1
निवेशों पर ब्याज, लाभभंश, किराया (सकल)	722	533
कुल (ए)	169	(414)
उपगत दाये (शुद्ध)	433	444
कर्मशान	22	26
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	60	62
अन्य परिशोधन, माफी		
एवं प्रावधान		
विदेशी कर		
कुल (बी)	515	532
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	(346)	(946)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	(346)	(946)

विवरण 8

भारतीय जीवन बीमा निगम
प्रतिदान एवं एन्युटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)

लाभ एवं हानि खाता

	2005-06	2004-05
(रु. लाखों में)		
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	(346)	(946)
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)		
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय		
कुल (ए)	(346)	(946)
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) सट्टाहस्यद ऋणों के लिये		
(ग) अन्य		
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के भलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफ़ी		
(ग) अन्य		
कुल (बी)		
कर से पूर्व लाभ	(346)	(946)
कर के लिये प्रावधान		
कर के पश्चात लाभ	(346)	(946)
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश		
(इ) लाभांश वितरण कर		
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित		
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया		(946)

विवरण 9

भारतीय जीवन बीमा निगम
प्रतिदान एवं एन्चुटी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)
तुलन - पत्र (मार्च 31 तक)

(रू. लाखों में)

निधियों का स्रोत	2006	2005
शेयर पूंजी		
पब्लिसी दायित्व	12411	10963
रिजर्व एवं ज्यादा	36	36
सही मूल्य परिवर्तन खाता	7	7
ऋण		
कुल	12453	11006
निधियों का उपयोग		
निवेश	10453	10497
ऋण		
स्थाई संपत्तियाँ		
चाहू संपत्तियाँ	1566	16
नाद एवं बैंक शेष	860	571
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति		
कुल चाहू संपत्तियाँ (ए)	2427	587
वर्तमान दायित्व	427	79
प्रावधान		
कुल वर्तमान दायित्व (बी)	427	79
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	2000	509
विविध खर्च (माफ नही किये गये)		
शेष को लाभ-हानि खाते में डालें		
कुल	12453	11006

राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	न्यू इंडिया								ओरिएंटल							
	2005-06				2004-05				2005-06				2004-05			
	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	83088	16860	312151	412099	79884	17297	279536	376717	33763	13632	188189	235584	33690	11784	166843	212317
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	9564	3626	56750	69941	5117	2125	30465	37707	4586	2115	41550	48251	3103	1680	30048	34831
अन्य									(71)	2	(61)	(131)	98	36	(27)	107
पालिसी दायित्वों में परिवर्तन	7935	3008	47083	58027	7328	3043	43626	53996	3243	1496	29385	34124	4235	2292	41013	47540
कुल (ए)	100588	23494	415985	540066	92329	22465	353627	468420	41522	17244	259062	317828	41126	15791	237878	294795
उपगत दावे (शुद्ध)	60151	11525	291525	363201	32702	9850	247946	290498	23090	8531	174854	206474	15885	7959	166994	190838
कमीशन	7178	822	29628	37628	7119	1579	24490	33188	(1032)	706	10666	10340	(543)	626	8374	8457
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	30556	5899	94234	130689	29058	5389	84371	118819	14160	6189	64727	85076	13094	4581	55313	72989
अन्य परिशोधन, माफी एवं प्रावधान	606	230	3596	4432	366	146	2126	2638	143	66	1292	1500	104	57	1011	1172
विदेशी कर	139	2	373	514												
कुल (बी)	98630	18478	419356	536464	69246	16964	358932	445142	36361	15491	251538	303390	28542	13222	231692	273456
अग्नि, समुद्री, अन्य बीमा व्यापार से प्रचलन लाभ / (हानि) सी = (ए - बी)	1957	5016	(3371)	3602	23083	5500	(5305)	23278	5161	1753	7524	14438	12585	2569	6185	21339
विनियोग																
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	1957	5016	(3371)	3602	23083	5500	(5305)	23278	5161	1753	7524	14438	12585	2569	6185	21339
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण																
अन्य रिजर्व में अंतरण																
कुल (सी)	1957	5016	(3371)	3602	23083	5500	(5305)	23278	5161	1753	7524	14438	12585	2569	6185	21339

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

राजस्व खाता: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	2005-06				नेशनल 2004-05				2005-06				युनाइटेड 2004-05				कुल	
	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	2004-05	2003-04
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	35727	11876	228715	276317	35259	11300	219855	266414	40808	10656	167969	219433	42548	11329	162387	216265	1143433	1071713
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	3252	1613	36639	41505	1447	840	16779	19066	4933	2268	47458	54659	3186	1487	28504	33177	214355	124780
अन्य			75	75	56		109	165	(10)	365	56	412	67	16	133	215	355	487
पालिसी दायित्वों में परिवर्तन	2896	1437	32632	36965	2598	1508	30127	34234	3932	1808	37827	43567	4177	1949	37373	43499	172683	179270
कुल (ए)	41875	14926	298061	354862	39360	13648	266870	319878	49663	15097	253310	318070	49979	14781	228396	293156	1530827	1376250
उपगत दावे (शुद्ध)	24658	8560	249815	283033	14411	7244	204696	226350	18079	7268	178930	204277	15246	7822	176785	199853	1056985	907539
कमीशन	1323	501	12231	14055	(2069)	(515)	10334	7749	(1401)	220	7579	6398	(3088)	(590)	5676	1999	68421	51393
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	13145	3369	71747	88261	13150	4514	68276	85939	20988	4913	71765	97666	19075	5503	61706	86284	401692	364031
अन्य परिशोधन, माफी एवं प्रावधान	27	3		29		81		81	422	194	4059	4675	269	125	2404	2798	10636	6689
विदेशी कर																		
कुल (बी)	39153	12433	333793	385379	25491	11323	283305	320119	38089	12594	262333	313015	31502	12861	246571	290934	1538249	1329652
अग्नि, समुद्री, अन्य बीमा व्यापार से प्रचलन लाभ /(हानि) सी =(ए - बी)	2722	2493	(35732)	(30517)	13869	2325	(16435)	(241)	11574	2503	(9022)	5055	18477	1920	(18175)	2222	(7422)	46598
विनियोग	2722	2493	(35732)	(30517)	13869	2325	(16435)	(241)	11574	2503	(9022)	5055	18477	1920	(18175)	2222	(7422)	46598
शेयरधारकों के खाते में अंतरण आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण अन्य रिजर्व में अंतरण																		
कुल (सी)	2722	2493	(35732)	(30517)	13869	2325	(16435)	(241)	11574	2503	(9022)	5055	18477	1920	(18175)	2222	(7422)	46598

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

लाभ एवं हानि खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नेशनल		युनाइटेड		कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
प्रचलन लाभ / (हानि)										
(क) अग्नि बीमा	1957	23083	5161	12585	2722	13869	11574	18477	21414	68013
(ख) समुद्री बीमा	5016	5500	1753	2569	2493	2325	2503	1920	11765	12315
(ग) विविध बीमा	(3371)	(5305)	7524	6185	(35732)	(16435)	(9022)	(18175)	(40601)	(33730)
	3602	23278	14438	21339	(30517)	(241)	5055	2222	(7422)	46598
निवेशों से आय										
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	36424	33886	12169	14918	10602	9774	18547	17220	77742	75798
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	43909	23887	17207	10930	11918	5445	23278	13136	96312	53398
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि	(6)	(224)			(14)	(2)	(9)	(3)	(29)	(228)
अन्य आय	3864	1301	671	685	1095	1055	393	363	6023	3403
कुल (ए)	87793	82129	44485	47871	(6917)	16031	47264	32938	172626	178969
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)										
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये	108	825	(216)	179	(3029)	196	(19)	(90)	(3156)	1109
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	172	507	10527	308	729	551	789	49	12218	1415
(ग) अन्य	2502	280	283	236					2785	516
अन्य खर्च										
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च					1347	88	1220	39	2567	127
(ख) गलत ऋण की माफी				(103)						(103)
(ग) अन्य	(546)	729	472	81		1075		1110	(75)	2995
कुल (बी)	2236	2341	11066	701	(953)	1910	1990	1108	14339	6059
कर से पूर्व लाभ	85557	79788	33419	47170	(5964)	14121	45274	31830	158286	172910
कर के लिये प्रावधान	13919	39565	5028	14118	4661	1009	2751	1059	26359	55751
कर के पश्चात लाभ	71638	40223	28392	33052	(10625)	13112	42523	30771	131927	117159
विनियोग										
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		2000		1250						3250
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	13000	6000	5000	1750		2500	8600	6200	26600	16450
(इ) लाभांश वितरण कर	1823	1103	701	409		351	1206	877	3731	2740
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	56814	31120			(10625)	10262	32717	23694	78906	65076
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया										
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया			22690	29644		0	(0)		22690	29644

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

तुलन - पत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नेशनल		युनाइटेड		कुल	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
शेयर पूंजी	20000	15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	50000	45000
रिजर्व एवं ज्यादा	460803	416641	154552	131861	101002	111627	225740	192958	942097	853088
सही मूल्य परिवर्तन खाता	1221127	684697	670703	369147	681624	396656	495752	293940	3069206	1744440
ऋण										
दिया हुआ कर दायित्व										
कुल	1701930	1116338	835255	511008	792626	518284	731492	496898	4061304	2642528
निधियों का उपयोग										
निवेश	2066526	1457523	1126268	766420	1094224	737656	1080409	825814	5367427	3787412
ऋण	78652	87413	43269	49491	45913	50846	62982	70299	230815	258050
स्थाई संपत्तियाँ	12106	11441	8460	6350	6758	8985	7067	6493	34391	33268
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	6175	8407		5681					6175	14088
चालू संपत्तियाँ										
नगद एवं बैंक शेष	305971	228609	102676	101850	97149	120103	89048	79524	594844	530086
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	223012	173856	73831	57395	136601	109505	116631	81811	550076	422567
कुल योग - (ए)	528983	402465	176507	159245	233750	229609	205680	161335	1144920	952654
वर्तमान दायित्व	713474	608525	354576	348889	447829	361627	471023	441934	1986902	1760976
प्रावधान	287154	257857	174972	143036	152357	165524	153623	146974	768105	713391
कुल योग - (बी)	1000628	866382	529548	491925	600186	527152	624646	588908	2755008	2474367
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी =(ए - बी)	(471645)	(463918)	(353040)	(332680)	(366436)	(297543)	(418966)	(427572)	(1610088)	(1521713)
विविध खर्च (माफ नही किये गये)	10116	15472	10298	15746	12168	18340		21864	32583	71422
शेष को लाभ-हानि खाते में डालें										
कुल	1701930	1116338	835255	511008	792626	518284	731492	496898	4061304	2642528

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	रायल सुन्दरम					बजाज अलार्चज				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	2340	1101	21502	24944	17328	7399	2196	49042	58637	37092
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	7	3	60	70	(16)	105	16	260	382	534
अन्य			3	3	3	213	57	435	705	71
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	127	61	1148	1337	841	799	124	1971	2893	2319
कुल (ए)	2474	1166	22714	26354	18156	8517	2392	51707	62616	40015
उपगत दावे (शुद्ध)	929	1041	14196	16166	11371	5769	2480	32750	40999	22633
कमीशन	(1663)	43	1001	(619)	(523)	(6690)	(259)	728	(6222)	(4194)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	2055	306	8121	10481	7282	4747	756	15360	20864	14905
प्रीमियम में कमी								293	293	7
कुल (बी)	1321	1390	23318	26028	18130	3826	2978	49130	55934	33351
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	1153	(224)	(604)	325	27	4691	(586)	2577	6682	6664
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	1153	(224)	(604)	325	27	4691	(586)	2577	6682	6664
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	1153	(224)	(604)	325	27	4691	(586)	2577	6682	6664

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

जारी...

राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रु. लाखों में)

विवरण	इफको टोकियो					आईसीआईसीआई लंबार्ड				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	4368	1928	28303	34598	17537	3480	1164	48124	52768	21561
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	10	5	39	54	11	358	124	2701	3182	1373
अन्य			3	3	69		(2)	(40)	(43)	(2)
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	421	191	1568	2180	1014	237	81	1758	2076	1003
कुल (ए)	4799	2124	29912	36835	18631	4075	1366	52542	57983	23935
उपगत दावे (शुद्ध)	1195	2452	20761	24407	11923	1701	2019	35205	38925	15476
कमीशन	(5507)	108	1388	(4011)	(4535)	(8343)	(1055)	(3175)	(12573)	(8927)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	4511	792	9986	15289	9718	5903	1606	22318	29827	15094
प्रीमियम में कमी		50		50	10					(352)
कुल (बी)	199	3402	32134	35735	17115	(738)	2570	5438	56180	21291
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	4600	(1278)	(2222)	1100	1515	4813	(1204)	(1806)	1804	2644
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	4600	(1278)	(2222)	1100	1515	4813	(1204)	(1806)	1804	2644
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	4600	(1278)	(2222)	1100	1515	4813	(1204)	(1806)	1804	2644

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

जारी...

राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	टाटा एआईजी					रिलायंस				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	1085	2484	24987	28556	22760	1357	427	3613	5397	4803
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	15	38	332	385	3	16	4	34	53	64
अन्य	17	6	78	101	127					20
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	111	172	1511	1794	1679	122	27	265	414	429
कुल (ए)	1227	2699	26909	30835	24569	1494	458	3912	5864	5315
उपगत दावे (शुद्ध)	797	2156	13061	16015	12549	1299	766	1379	3444	3836
कमीशन	(3616)	(50)	1564	(2102)	(649)	(1066)	(104)	(225)	(1395)	(1967)
बीमा व्यापार से संबंधित										
प्रचलन खर्च	1238	959	12916	15113	10655	468	193	2063	2724	3431
प्रीमियम में कमी										
कुल (बी)	(1581)	3066	27541	29026	22555	701	855	3217	4773	5301
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	2808	(367)	(632)	1809	2014	793	(397)	694	1091	15
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	2808	(367)	(632)	1809	2014	793	(397)	694	1091	15
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	2808	(367)	(632)	1809	2014	793	(397)	694	1091	15

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

जारी...

राजस्व खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रु. लाखों में)

विवरण	चोलामंडलम					रिलायंस					कुल	
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	1444	546	6849	8840	7104	158	50	13627	13835	11925	227575	140109
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	15	2	19	36	53	0		11	12	34	4174	2056
अन्य	7	1	38	45	9	(1)	(1)	57	55	(94)	869	203
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	271	45	343	659	383	16	3	701	720	532	12071	8199
कुल (ए)	1738	594	7248	9580	7550	173	52	14397	14622	12397	244690	150568
उपगत दावे (शुद्ध)	1357	602	4935	6893	5472	252	37	7684	7973	7913	154822	91173
कमीशन	(1462)	(101)	(609)	(2172)	(1226)	(146)	(9)	935	780	1071	(28312)	(20950)
बीमा व्यापार से संबंधित												
प्रचलन खर्च	1919	438	3363	5719	4293	133	44	5590	5767	4608	105785	69985
प्रीमियम में कमी					(14)						343	(349)
कुल (बी)	1814	939	7688	10440	8524	239	72	14210	14521	13592	232638	139859
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	(76)	(345)	(440)	(860)	(974)	(66)	(19)	187	101	(1195)	12052	10709
विनियोग												
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(76)	(345)	(440)	(860)	(974)	(66)	(19)	187	101	(1195)	12052	10709
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण												
अन्य रिजर्व में अंतरण												
कुल (सी)	(76)	(345)	(440)	(860)	(974)	(66)	(19)	187	101	(1195)	12052	10709

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

लाभ एवं हानि खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. लाखों में)

विवरण	रायल सुन्दरम		बजाज अलायंस		टाटा एआईजा		रिलायंस		इफको टोकियो		आईसीआईसीजी लंबार्ड		चोलामंडलम		एचडीएफसी चम्ब		कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
प्रचलन लाभ / (हानि)																		
(क) अग्नि बीमा	1153	742	4691	4724	2808	1793	793	734	4600	2815	4813	5235	(70)	179	(66)	(27)	18723	16195
(ख) समुद्री बीमा	(224)	(6)	(586)	(555)	(367)	(86)	(397)	(83)	(1278)	(651)	(1204)	(819)	(345)	(111)	(19)	(7)	(4419)	(2318)
(ग) विविध बीमा	(604)	(710)	2577	2496	(632)	307	694	(637)	(2222)	(649)	(1806)	(1773)	(440)	(1042)	187	(1160)	(2245)	(3169)
निवेशों से आय																		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	668	530	981	841	1149	892	918	789	1316	847	1468	1166	573	562	602	539	7675	6166
(ख) निवेशों की विक्री पर लाभ	35	38	166	255	255	2	118	142	33	9	2256	1694	36	78	10	34	2909	2253
घटायें: निवेशों की विक्री से हानि	(1)	(48)	(36)	(61)	(3)			(25)			(40)	(98)	(5)			(0)	(84)	(233)
अन्य आय	2	3	584	56	73	47	(20)	(8)		17	0	8			(152)	(96)	487	27
कुल (ए)	1030	550	8376	7756	3283	2955	2108	912	2449	2389	5488	5412	(250)	(334)	561	(717)	23045	18922
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)																		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये								111										111
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये																		
(ग) अन्य																		
अन्य खर्च																		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	15	5	175	42	597	140		42	39	25	35	25			81	64	943	343
(ख) गलत ऋण की माफी																		
(ग) अन्य		10	18	18		374		37								17	18	457
कुल (बी)	15	15	193	60	597	514		191	39	25	35	25			81	81	961	911
कर से पूर्व लाभ	1015	535	8183	7696	2687	2440	2108	721	2410	2364	5453	5387	(250)	(334)	480	(799)	22085	18011
कर के लिये प्रावधान	151	34	3026	2987	1326	1216	671	138	948	892	422	553	62		39	0	6646	5819
कर के पश्चात लाभ	863	501	5156	4709	1360	1224	1437	583	1462	1472	5031	4835	(312)	(334)	441	(799)	15438	12192
विनियोग																		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश																		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश									880		2325	2200					3205	2200
(इ) लाभांश वितरण कर								123		326	288					450	288	
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरि																		
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित																		
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया																		
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया (2738)	(3239)	6879	2170	(1638)	(2862)	3641	3057	2520	1048	2940	593	(1259)	(926)	(3651)	(2852)	6695	(3009)	
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	(1875)	(2738)	12036	6879	(277)	(1638)	5078	3641	2979	2520	5320	2940	(1571)	(1259)	(3210)	(3651)	18479	6695

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

तुलन - पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	रायल सुन्दरम		बजाज अलायंज		टाटा एआईजी		रिलायंस		इफको टोकियो		आईसीआईसीएल लंबार्ड		चोलामंडलम		एचडीएफसी चम्ब		कुल	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
शेयर पूंजी	14000	13000	11005	10982	19500	12500	10200	10200	22000	10000	24500	22000	14196	14196	12474	11957	127875	104835
रिजर्व एवं ज्यादा			15702	6879			5078	3641	5990	2532	12792	2940					39562	15992
सही मूल्य परिवर्तन खाता	1		967	380	680	92	442				4386	665		1	2	0	6477	1139
ऋण	3	26			44									16	30		64	56
अन्य																		
दिया हुआ कर दायित्व																		
कुल निधियों का उपयोग	14004	13026	27674	18242	20225	12592	15719	13841	27990	12532	41678	25606	14196	14197	12491	11986	173977	122022
निवेश	36650	25825	75802	58355	43204	30244	21934	17283	36305	19359	90646	46409	21598	19818	18682	17696	344821	234990
ऋण					1	12											1	12
स्थायी संपत्तियाँ	1307	1360	3530	3069	2485	1911	341	283	1608	1280	4730	3366	802	896	909	966	15712	13132
दिया हुआ कर संपत्तियाँ			536	842			9	6	737	400	561	343					1843	1591
चालू संपत्तियाँ																		
नगद एवं बैंक शेष	3348	2921	9810	7313	3619	5315	1084	3025	27951	16083	10779	5001	1330	951	1541	940	59462	41549
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	3634	2545	16651	4177	11454	4407	2108	1629	9721	2880	57193	21774	2210	1491	1980	1590	104950	40492
कुल योग - (ए)	6982	5466	26461	11490	15072	9722	3192	4654	37672	18964	67972	26774	3540	2442	3521	2529	164413	82041
वर्तमान दायित्व	17206	11518	40811	28300	19706	16195	6188	4872	20815	14003	83094	32776	7610	5565	6393	6021	201822	119250
प्रावधान	15604	10845	37844	27215	21110	14857	3568	3512	27517	13468	39137	18511	5705	4653	7538	6999	158023	100059
कुल योग - (बी)	32809	22363	78655	55515	40815	31052	9756	8385	48333	27471	122231	51286	13315	10218	13930	13020	359845	219310
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी = (ए - बी)	(25827)	(16897)	(52194)	(44025)	(25743)	(21330)	(6564)	(3731)	(10660)	(8507)	(54258)	(24512)	(9775)	(7776)	(10410)	(10491)	(195432)	(137268)
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)						117								99	163		99	280
लाभ एवं हानि खाता (नौमे बाकी)	1875	2738			277	1638							1571	1259	3210	3651	6933	9286
कुल	14004	13026	27674	18242	20225	12592	15719	13841	27990	12532	41678	25606	14196	14197	12491	11986	173977	122022

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 16

भारतीय साधारण बीमा निगम
राजस्व खाता

(रु. लाखों में)

	2005-06				2004-05					
	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	127344	33484	284925	131	445884	134099	29617	273583	70	437368
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	10279	4533	35256		50067	5989	2386	19908		28282
अन्य	(38)	30	82	(0)	74	419	(19)	(21)	(0)	379
ल्याज, लाभांश तथा क्रिया - सकल	12247	5401	42008	6	59661	12044	4799	40037	3	56882
कुल (ए)	149832	43447	362270	136	555686	152550	36783	333506	72	522912
उपगत दावे (शुद्ध)	92767	31877	332615	48	457307	81270	30159	258607	244	370280
कमीशन	41505	7387	61379	22	110293	45863	8184	66702		120749
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार के विदेशी खर्च से संबंधित	1521	243	2746	23	4533	1273	244	2528	16	4060
कुल (बी)	135793	39507	396741	93	572133	128406	38586	327836	260	495089
प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	14039	3940	(34470)	43	(16448)	24144	(1803)	5670	(188)	27823
विनियोग										
रोयल्टी/रॉयको के खाते में अंतरण	14039	3940	(34470)	43	(16448)	24144	(1803)	5670	(188)	27823
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण										
अन्य रिजर्व में अंतरण										
कुल (सी)	14039	3940	(34470)	43	(16448)	24144	(1803)	5670	(188)	27823

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम
राजस्व खाता

विवरण 17
(रू. लाखों में)

विवरण	2005-06	2004-05
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा	14039	24144
(ख) समुद्री बीमा	3940	(1803)
(ग) विविध बीमा	(34470)	5670
(घ) जीवन बीमा	43	(188)
	(16448)	27823
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	33868	36608
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	28424	18202
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	458	5595
कुल (ए)	46302	88228
प्रावधान (कर के अलावा)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये	(976)	1228
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लियेS		3580
(ग) अन्य		3338
अन्य खर्च	2984	
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफ़ी		
(ग) अन्य		73
कुल (बी)	2008	8220
कर से पूर्व लाभ	44294	80008
कर के लिये प्रावधान	(15558)	60006
कर के पश्चात लाभ	59852	20002
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	8600	6450
(इ) लाभांश वितरण कर	1206	905
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
(उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	50050	12650
(ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	6	8
(ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	2	6

नोट: 1. कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 18

भारतीय साधारण बीमा निगम
तुलन - पत्र: (मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	2006	2005
शेयर पूंजी	43000	21500
रिजर्व एवं जमादा	4322913	404426
सही मूल्य परिवर्तन खाता	1031161	514414
ऋण		
दिया हुआ कर दायित्व		402
कुल	1507074	940742
निधियों का उपयोग		
निवेश	2138083	1463026
ऋण	75323	80405
स्थायी संपत्तियाँ	4276	4031
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	16989	
चालू संपत्तियाँ		
नागद एवं बैंक शेष	187645	149437
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	220088	258286
कुल योग - (ए)	407732	407723
वर्तमान दायित्व	872167	649893
प्रावधान	263162	364550
कुल योग - (बी)	1135329	1014442
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी = (ए - बी)	(727597)	(606719)
विविध खर्च		
(माफ़ नही किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	1507074	940742

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 19

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

राजस्व खाता

(रू. लाखों में)

विवरण	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	54305	47613
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि	0	1
अन्य	67	71
व्याज, लाभांश तथा क्रिया - सकल	9611	7066
कुल (ए)	63983	54751
उपगत दावे (शुद्ध)	24964	40386
कमीशन	(9)	(49)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	11308	5628
अन्य परिशोधन, माफी या प्रावधान		
विदेशी कर		
कुल (बी)	36263	45966
अनि / समुद्रो / विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	27720	8785
विवनयोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	27720	8785
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	27720	8785

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 20

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
लाभ एवं हानि खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2005-06	2004-05
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	27720	8785
	27720	8785
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	6145	4343
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	420	104
कुल (ए)	34285	13232
प्रावधान (कर के अलावा)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) संदेहस्पद ऋणों के लिये	28	713
(ग) अन्य		
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफ़ी		
(ग) अन्य		
कुल (बी)	28	713
कर से पूर्व लाभ	34257	12519
कर के लिये प्रावधान	12181	4338
समय से पहले समायोजन	(100)	568
कर के पश्चात लाभ	22176	7614
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश	1000	1523
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	3435	199
(इ) लाभांश वितरण कर	482	
(ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित		
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	17259	5892
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	2	2
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	2	2

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

**भारतीय निर्यात ऋण गारंटी
निगम लिमिटेड तुलन - पत्रः
(मार्च 31 तक)**

विवरण 21

(रु. लाखों में)

निष्ठियों का स्रोत	2006	2005
शेयर पूंजी	70000	60000
रिजर्व एवँ ज्यादा	39847	22588
सही मूल्य परिवर्तन खाता		
ऋण		
दिया हुआ कर दायित्व		
कुल	109847	82588
निष्ठियों का उपयोग		
निवेश	4672	4672
ऋण	402	964
स्थायी संपत्तियाँ	5616	5660
चाहूँ संपत्तियाँ		
नगद एवँ बैंक शेष	248774	201062
अग्रिम एवँ अन्य संपत्ति	10171	12302
कुल योग - (ए)	258945	213364
वर्तमान दायित्व	116573	114151
प्राक्धान	45121	28301
कुल योग - (बी)	161693	142452
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी 3(ए - बी)	97251	70912
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	1906	381
विविध खर्च		
(माफ नही किये गये)		
लाभ एवँ हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	109847	82588

भारतीय कृषि बीमा कंपनी *

राजस्व खाता

विवरण 22

(रू. लाखों में)

विवरण	2005-06	2004-05
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	55092	45537
निवेशों को बेचने / छुड़ाने में लाभ - हानि		
अन्य		
ब्याज, लाभभांश तथा किराया - सकल	4711	4771
कुल (ए)	59803	50309
उपगत दावे (शुद्ध)	51873	27685
कमीशन	(24)	(10)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	1217	845
अन्य- परिशोधन, माफ़ी या प्रावधान	169	57
विदेशी कर		
कुल (बी)	53236	28576
अनि / समुद्धी / विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ / (हानि) सी =(ए - बी)	6567	21732
विवरण		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	6567	21732
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	6567	21732

- नोट:
1. कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।
 2. प्रीमियम अभिज्ञान के लिये जून-मई अवधि को विचारार्थ रखा गया है।
 3. * लेखा को निदेशक मंडल की अनुमति मिली है तथा सीएजी लेखा परीक्षा पर्यंत है।

विवरण 23

भारतीय कृषि बीमा कंपनी *

लाभ एवं हानि खाता

(रु. लाखों में)

विवरण	2005-06	2004-05
प्रचलन लाभ / (हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	6567	21732
	6567	21732
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	2020	749
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	150	
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय		
कुल (ए)	56	5
प्रावधान (कर के अलावा)	8793	22486
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) सेदेहास्पद ऋणों के लिये		
(ग) अन्य	73	21
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	449	3
(ख) गलत ऋण की माफी		
(ग) अन्य		45
कुल (बी)	522	69
कर से पूर्व लाभ	8271	22417
कर के लिये प्रावधान	3091	5571
कर के पश्चात लाभ	5181	16846
विनियोग		
(अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
(आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश		
(इ) लाभांश वितरण कर		
(ई) किस्मी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	5181	92
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		8462
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया		(8292)

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 24

भारतीय कृषि बीमा कंपनी *
तुलना - पत्र:
(मार्च 31 तक)

(रु. लाखों में)

निधियों का स्रोत	2006	2005
शेयर पूंजी	19909	19864
रिजर्व एवं जमादा	13642	8462
सही मूल्य परिवर्तन खाता	167	73
ऋण		2061
कुल	33718	30459
निधियों का उपयोग		
निवेश	67563	40666
ऋण	34	25
स्थायी संपत्तियाँ	459	484
दिया हुआ कर संपत्तियाँ		
चालू संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेय	75502	63808
अग्रिम एवं अन्य संगति	13882	6284
कुल योग - (ए)	89385	70093
वर्तमान दायित्व	95080	50861
प्रावधान	28643	29948
कुल योग - (बी)	123723	80809
शुद्ध वर्तमान संगति सी =(ए - बी)	(34338)	(10717)
विविध खर्च (माफ नही किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	33718	30459

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत है।

विवरण 25

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के शुद्ध अवरोध
2005-06

(प्रतिशत)

विभाग	शुद्ध अवरोध
अग्नि	85.76
समुद्री माल	91.77
समुद्री पेटा	39.76
विविध (कुल)	94.47
अभियंत्रिकी	91.55
मोटर	100.00
हवाई	48.35
कुल	92.58

भारत में सकल सीधा प्रीमियम आय

(रू. लाखों में)

कंपनी	अग्नि		विविध		समुद्री		कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
नेशनल	48394	53764	286630	301098	17343	25129	352367	379991
न्यू इंडिया	83963	78888	365208	316944	29978	25249	479150	421081
ओरिएंटल	54689	49395	265511	228842	32511	23541	352711	301778
युनाइटेड	64548	59091	230533	210975	20397	24380	315478	294446
कुल योग	251594	241138	1147883	1057859	100229	98299	1499706	1397296
रायल सुन्दरम	9174	6301	34861	25089	1829	1680	45864	33070
रिलायंस	4776	5358	10383	9541	1074	1270	16233	16169
इपको टोकियो	26329	17278	58330	29299	4613	3087	89272	49664
टाटा एआईजी	11627	8371	40854	32368	4788	4085	57270	44824
आईसीआईसीआई लंबार्ड	30847	27745	118868	51389	8571	8253	158286	87387
बजाज अलायंस	35140	21942	86656	58724	5433	4496	127229	85162
चोलामंडलम	7283	4778	13035	10557	1700	1590	22018	16925
एचडीएफसी चव्वा	582	181	19228	17332	172	50	19981	17563
कुल योग	125759	91954	382214	234299	28180	24511	536153	350764
महा योग	377353	333092	1530097	1292158	128409	122810	2035859	1748060

शुद्ध प्रीमियम आय (प्राप्त किया) *

(रु. लाखों में)

	अग्नि		विविध		समुद्री		कुल	
कंपनी	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
नेशनल	35727	35259	228715	219855	11876	11300	276317	266414
न्यू इंडिया	83088	79884	312151	279536	16860	17297	412099	376717
ओरिएंटल	33763	33690	188189	166843	13632	11784	235584	212317
युनाइटेड	40808	42548	167969	162387	10656	11329	219433	216264
कुल योग	193386	191381	897023	828621	53024	51710	1143433	1071712
रायल सुन्दरम	2340	1909	25649	14581	1101	838	29091	17328
रिलायंस	1357	1625	3613	2847	427	330	5397	4802
इफको टोकियो	4368	3158	28303	12777	1928	1602	34598	17537
टाटा एआईजी	1085	810	24987	20148	2484	1802	28556	22760
आईसीआईसीआई लंबार्ड	3480	3616	48124	16353	1164	1591	52768	21560
बजाज अलायज	7399	5264	49042	30241	2196	1586	58637	37091
चोलामंडलम	1444	1085	6849	5639	546	380	8840	7104
एचडीएफसी चब	158	109	13627	11801	50	16	13835	11926
कुल योग	21632	17576	200194	114387	9896	8145	231722	140108
महा योग	215018	208957	1097217	943008	62920	59855	1375155	1211820

* जो जोखिम खत्म नहीं हुये हैं पर शुद्ध प्रीमियम रिजर्व

बीमा अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(रू. लाखों में)

	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नेशनल		युनाइटेड		कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05
शुद्ध प्रीमियम	404082	389511	250047	221802	229219	283216	222585	217266	1105932	1111795
भुगतान करने के शुद्ध दावे	363201	290498	206474	190838	283033	226350	204277	199853	1056985	907539
	89.88%	74.58%	82.57%	86.04%	123.48%	79.92%	91.78%	91.99%	95.57%	81.63%
कमीशन, प्रबंधन के खर्च एवं अन्य	173263	154644	96916	82618	102345	93769	108739	91081	481263	422112
	42.88%	39.70%	38.76%	37.25%	44.65%	33.11%	48.85%	41.92%	43.52%	37.97%
समय सीमा समाप्त नहीं हुये जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	(8017)	12794	14463	9485	(47098)	16802	3152	1001	(37501)	40082
	-11.66%	4.31%	1.26%	0.45%	-16.36%	14.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
बीमा लाभ / हानि	(124365)	(68425)	(67806)	(61139)	(109061)	(53705)	(93583)	(74669)	(394815)	(257938)
	-30.78%	-17.57%	-27.12%	-27.56%	-47.58%	-18.96%	-42.04%	-34.37%	-35.70%	-23.20%
सकल निवेश आये	208294	149253	111751	108219	100976	68517	140042	107029	561063	433018
अन्य आयघटायें:										
अन्य दूसरे खर्च	1628	(1040)	(10526)	91	2121	(690)	(1185)	(530)	(7962)	(2169)
कर से पूर्व लाभ	85557	79788	33419	47171	(5964)	14122	45274	31830	158286	172911
आयतकर कटा हुआकर के लिये स्रोत एवं प्रावधान	13919	39565	5028	14118	4661	1009	2751	1059	26359	55751
कर के बाद शुद्ध लाभ	71638	40223	28391	33053	(10625)	13113	42523	30771	131927	117160

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

बीमा अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(रू. लाखों में)

	रायल सुन्दरम		बजाज अलायंस		टाटा एआईजी		रिलायंस			इंफो टेकियो		लंबार्ड	चोलामंडलम		एचडीएफसी चब्स			कुल	
	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
शुद्ध प्रीमियम	29689	20162	69869	47929	33677	25977	5554	6196	47830	23476	73387	32089	9856	8947	14365	13425	284226	178202	
भुगतान करने के शुद्ध दावे	16166	11371	40999	22633	16015	12549	3444	3836	24407	11923	38925	15476	6893	5472	7973	7913	154822	91173	
	54.45%	56.40%	58.68%	47.22%	47.56%	48.31%	62.01%	61.91%	51.03%	50.79%	53.04%	48.23%	69.94%	61.16%	55.50%	58.94%	54.47%	51.16%	
कमीशन, प्रबंधन के																			
खर्च एवं	9862	6759	14936	10718	13011	10006	1329	1464	11328	5193	17254	5815	3547	3053	6547	5679	77814	48687	
अन्य	33.22%	33.52%	21.38%	22.36%	38.64%	38.52%	23.93%	23.63%	23.68%	22.12%	23.51%	18.12%	35.99%	34.12%	45.58%	42.30%	27.38%	27.32%	
समय सीमा समाप्त नहीं हुये	4745	2834	11232	10837	5121	3217	157	1393	13232	5939	20619	10528	1016	1843	530	1500	56651	38092	
जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	15.98%	14.06%	16.08%	22.61%	15.20%	12.39%	2.82%	22.49%	27.67%	25.30%	28.10%	32.81%	10.31%	20.60%	3.69%	11.17%	19.93%	21.38%	
बीमा	(1084)	(802)	2702	3741	(470)	205	624	(497)	(1137)	421	(3411)	270	(1600)	(1421)	(685)	(1667)	(5061)	250	
लाभ / हानि	-3.65%	-3.98%	3.87%	7.81%	-1.40%	0.79%	11.24%	-8.03%	-2.38%	1.79%	-4.65%	0.84%	-16.23%	-15.88%	-4.77%	-12.42%	-1.78%	0.14%	
सकल निवेश आय	2109	1345	4386	3888	3580	2576	1503	1399	3583	1881	8942	5138	1308	1076	1344	1139	26755	18442	
अन्य आयघटाये:																			
अन्य दूसरे खर्च	(10)	(8)	1095	67	(423)	(341)	(20)	(181)	(36)	62	(78)	(21)	42	11	(179)	(271)	391	(682)	
कर से पूर्व लाभ	1015	535	8183	7696	2687	2440	2107	721	2410	2364	5453	5387	(250)	(334)	480	(799)	22085	18010	
आयतकर कटा																			
हुआकर के लिये खोत	151	34	3026	2987	1326	1216	671	138	948	892	422	553	62		39		6645	5820	
एवं प्रावधान																			
कर के बाद शुद्ध लाभ	864	501	5157	4709	1361	1224	1436	583	1462	1472	5031	4834	(312)	(334)	441	(799)	15440	12190	

नोट: कोष्ठक में अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

उपगत दावों का अनुपात - सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	शुद्ध प्रीमियम *						उपगत दावे (शुद्ध)						उपगत दावों का अनुपात					
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05		अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05		अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	
	(रु. लाखों में)						(रु. लाखों में)						(प्रतिशत)					
न्यू इंडिया	83076	16438	334752	434265	389510	60151	11525	291525	363201	290498	72.40	70.11	87.09	83.64	74.58			
ओरिएंटल	33134	15910	201002	250046	221802	23090	8531	174854	206474	190838	69.69	53.62	86.99	82.57	86.04			
नेशनल	35332	10314	222653	268299	283217	24658	8560	249815	283033	226351	69.79	83.00	112.20	105.49	79.92			
युनाईटेड	38947	10367	173270	222585	217266	18079	7268	178930	204277	199853	46.42	70.10	103.27	91.77	91.99			
कुल	190490	53028	931677	1175195	1111795	125978	35883	895123	1056985	907540	66.13	67.67	96.08	89.94	81.63			

* शुद्ध पुनर्बीमा

उपगत दावों का अनुपात - सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	शुद्ध प्रीमियम *					उपगत दावे (शुद्ध)					उपगत दावों का अनुपात				
	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05	अग्नि	समुद्री	विविध	2005-06	2004-05
	(रू. लाखों में)					(रू. लाखों में)					(प्रतिशत)				
गवत सुन्दरम	2792	1247	25649	29689	20162	929	1041	14196	16166	11370	33.26	83.49	55.35	54.45	56.39
बजाज अलायंस	9116	2359	58394	69869	47929	5769	2480	32750	40999	22633	63.29	105.15	56.08	58.68	47.22
टाटा एआईजी	1095	2582	29999	33676	25977	797	2156	13061	16015	12623	72.81	83.51	43.54	47.55	48.59
रिलायंस	955	394	4206	5554	6196	1299	766	1379	3444	3836	136.05	194.67	32.78	62.00	61.91
इंफो टेकनो	5240	2645	39945	47831	23476	1195	2452	20761	24407	11923	22.80	92.70	51.97	51.03	50.79
आईसीआईसीआई लंबार्ड	3567	796	69024	73387	32089	1701	2019	35205	38925	15476	47.70	253.54	51.00	53.04	48.23
चोलामंडलम	2317	629	6909	9855	8947	1357	602	4935	6893	5472	58.54	95.67	71.42	69.94	61.16
एनडीएफसी चब	144	75	14147	14366	13425	252	37	7684	7973	7913	175.47	49.54	54.32	55.50	58.94
कुल	25227	10727	248273	284227	178201	13299	11554	129970	154822	91173	52.72	107.71	52.35	54.47	51.16

* शुद्ध पुर्नबीमा

बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी
(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता का नाम	2004-05	2005-06	विदेशी प्रोत्साहक	भारतीय प्रोत्साहक
जीवन बीमाकर्ता				
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	320.00	620.00	113.08	506.92
आर्हीमीआर्हीमीआई यूइशियल लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	925.00	1185.00	308.10	876.90
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	466.08	557.43	144.93	412.50
ओएम कोटक मॉहिन्द्रा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	211.76	244.58	63.59	180.99
बिरला समलाइफ	350.00	460.00	119.60	340.40
टाटा एआइजी लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	321.00	447.00	116.22	330.78
एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	350.00	425.00	110.50	314.50
आर्हीमजी वेरवा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	325.00	490.00	127.40	362.60
मैटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कं. प्रा. लि.	235.00	235.00	61.10	173.90
अलायज बजाज लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	150.07	150.23	39.06	111.17
रिलायंस लाइफ (पूर्व में एएमपी समगर)	217.10	331.00	0.00	331.00
अविवा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	319.80	458.70	119.26	339.44
सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	157.00	157.00	0.00	157.00
श्रीराम लाइफ इश्योरेंस कं. लि.		125.00	32.50	92.50
कुल योग	4347.81	5885.95	1355.35	4530.60
भारतीय जीवन बीमा निगम	5.00	5.00	0.00	5.00
कुल (जीवन)	4352.81	5890.95	1355.35	4535.60
नॉन जीवन बीमाकर्ता				
रायल सुन्दरम अलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	130.00	140.00	36.40	103.60
रिलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	102.00	102.00	0.00	102.00
बजाज अलायज जनरल इश्योरेंस कं. लि.	110.00	110.05	28.61	81.44
इफको टोकिया जनरल इश्योरेंस कं. लि.	100.00	220.00	57.20	162.80
टाटा एआइजी जनरल इश्योरेंस कं. लि.	125.00	195.00	50.70	144.30
आर्हीमीआर्हीमीआई लंबार्ड जनरल इश्योरेंस कं. लि.	220.00	245.00	63.70	181.30
एचडीएफसी चब्ब जनरल इश्योरेंस कं. लि.	120.00	125.00	32.50	92.50
चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	141.96	141.96	36.91	105.05
कुल योग	1048.96	1279.01	306.02	972.99
यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि.	100.00	100.00		100.00
द न्यू इंडिया जनरल एश्योरेंस कं. लि.	150.00	200.00		200.00
द ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि.	100.00	100.00		100.00
नेशनल इश्योरेंस कं. लि.	100.00	100.00		100.00
कुल योग	450.00	500.00		500.00
कुल (नॉन जीवन)	1498.96	1779.01	306.02	1472.99
भारतीय निर्वात ऋण गारंटी निगम	600.00	700.00		700.00
भारतीय कृषि बीमा कंपनी	200.00	200.00		200.00
स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी		105.00	27.30	77.70
भारतीय साधारण बीमा निगम	215.00	430.00		430.00
महा योग	6866.77	9104.96	1688.87	7416.29

विवरण 33

बीमाकर्ता एवं विभिन्न मध्यवर्तियों की शुल्क संरचना

क्र. सं.	प्रक्रियात्मक शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	नवीनीकरण की समय सीमा
1	बीमाकर्ता (जीवन / गैर जीवन / पुर्नबीमा	रु. 50,000	रु. 30,000	नवीनीकरण की समय सीमा भारत में किये गये में से 1 प्रतिशत में सीधे प्रति वर्ष (31 दिसम्बर सकल किरत में से 1/10 के अधीन न्यूनतम रु. तक) 50,000 और अधिकतम रु. 5 करोड़
2	तीसरा पक्ष प्रशासक	रु. 20,000	रु. 30,000	3 वर्ष
3	दलाल सीधे दलाल	रु. 25,000	रु. 30,000	3 वर्ष पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 25,000 और अधिकतम रु. 1,00,000
	दलाल सीधे दलाल	रु. 75,000		3 वर्ष पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 75,000 और अधिकतम रु. 3,00,000
	संयुक्त दलाल	रु. 1,25,000		3 वर्ष पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये ब्रोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम रु. 1,25,000 और अधिकतम रु. 5,00,000
4	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक			
	व्यक्तिगत वर्ग	रु. 10,000	रु. 7,500	5 वर्ष हर वर्ग के लिये रु. 200
	निर्गम्य वर्ग	रु. 25,000	रु. 20,000	5 वर्ष हर वर्ग के लिये रु. 200
5	निर्गम्य एजेंट	रु. 15,000	रु. 250	3 वर्ष निर्गम्य बीमा प्रशासक के लिये रु. 250 एवं निर्दिष्ट व्यक्ति के लिये रु. 500

जीवन बीमाकर्ता के निवेश के निधि आधारित पैटर्न (31 मार्च 2006 तक)

बीमाकर्ता	जीवन निधि									
	सी जी सेक्युरिटीज	एसजी एवं ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)	संरचना / सामाजिक क्षेत्र	खुलासा निधियों के अनुरूप निवेश (ओटीएआई सहित)	अनुमोदित निवेशों के अलावा (ओटीएआई)					
सार्वजनिक क्षेत्र	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
एलआईसी (ए)	197419.39	167718.86	241103.52	206906.87	48182.22	44660.40	100161.78	109861.60	26286.06	26111.98
निजी क्षेत्र										
एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	463.82	286.29	463.82	286.29	213.28	85.80	233.43	108.67	14.82	19.68
एमएनआईएल	505.97	109.09	505.97	315.67	130.90	89.08	57.03	31.62	29.80	15.06
आईसीआईसीआई ग्रुप	683.64	552.82	683.64	552.82	226.11	159.04	404.34	258.77	67.37	75.82
बीएसएलआई	141.95	84.73	141.95	110.75	41.97	31.74	68.72	27.58	7.25	9.56
टाटा एआईजी	511.43	311.91	511.43	311.91	121.50	64.66	91.37	16.19	4.69	1.33
कोटक लाइफ	128.97	108.11	180.53	113.10	59.99	46.92	98.02	40.64	1.98	0.73
एसजीआई लाइफ	758.38	587.78	780.18	592.78	264.96	155.26	500.76	212.86	167.70	88.46
बजाज अलायंस	403.04	235.67	403.04	235.67	141.91	74.02	178.15	72.59	30.94	20.89
मेटलाइफ	127.20	101.51	127.20	101.51	43.87	30.05	37.60	25.63	17.69	13.34
रिलायंस लाइफ \$	95.80	63.54	95.80	65.30	34.34	22.94	33.84	22.47	6.00	6.58
आईएमजी वेश्या	196.16	132.91	196.16	132.91	75.93	46.63	99.64	61.69	49.01	14.30
अविवा	128.91	79.70	128.91	79.70	38.15	30.21	51.24	35.04	4.94	0.00
सहारा लाइफ	48.42	60.47	90.52	102.90	28.37	24.27	26.80	15.32	2.71	0.01
श्रीराम लाइफ	65.25		65.25		34.95		29.55		7.59	
कुल (बी)	4258.93	2714.53	4374.41	3001.31	1456.23	860.61	1910.49	929.07	412.50	265.75
कुल (ए + बी)	201678.32	170433.39	245477.93	209908.18	49638.45	45521.01	102072.27	110790.66	26698.56	26377.73

- नोट: 1. सी जी सेक्युरिटीज - केन्द्रीय सरकार की सेक्युरिटीज
2. ओटीएआई - अनुमोदित निवेशों के अलावा
3. ओएस - अन्य- अनुमोदित निवेश
4. एसजी - राज्य सरकार की सेक्युरिटीज
5. उपरोक्त आंकड़े अनुमानित आधार परआईरडीए को दिये गये
6. \$ पूर्व में एएमपी संस्कार

जारी...

जीवन बीमाकर्ता के निवेश के निधि अक्षाति पैटर्न (31 मार्च 2006 तक)

(रु. करोड़ों में)

बीमाकर्ता	सेवानिवृत्ति एवं सामान्य वार्षिक निधि						कुल सेवानिवृत्ति निधि (बी)	
	सी जी सेक्युरिटीज	एसजी एवँ ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)		युलगा निधियों के अनुरूप निवेश (ओटीएआई सहित)				
सर्वजनिक क्षेत्र	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
	एलआईसी (ए)	18987.86	5650.77	28881.26	9083.36	7276.38	2378.66	36157.64
निजी क्षेत्र	एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	215.39	117.37	215.39	117.37	52.24	34.54	267.63
	एमएनआईएल	14.79	2.81	14.79	12.90	1.06	1.13	15.85
आईसीआईसीआई ग्रु	184.53	121.87	184.53	121.87	60.02	44.77	244.55	166.64
	बीएसएलआई	0.15	0.06	0.15	0.06	0.00	0.00	0.16
टाटा एआईसी	72.93	58.25	72.93	58.25	23.69	18.53	96.62	76.78
	कोटक लाइफ	9.12	8.23	11.12	8.23	9.56	5.13	20.68
एसबीआई लाइफ	90.86	55.36	117.26	60.37	160.49	18.60	277.75	78.97
	बजाज अलायंस	18.12	7.13	18.12	7.13	0.00	2.15	18.12
मेटलाइफ	0.36	0.21	0.36	0.21	0.08	0.00	0.44	0.21
	रिलायंस लाइफ	50.38	27.87	50.38	27.87	39.21	22.58	89.58
आईएमजी वेरना	37.85	0.00	37.85	0.00	37.11	0.00	74.96	0.00

जीवन बीमाकर्ता के निवेश के निधि आधारित पैटर्न (31 मार्च 2006 तक)

(रु. करोड़ों में)

बीमाकर्ता	ग्रुप छोड़कर ग्रुप सेवानिवृत्ति एवं सामान्य वार्षिक निधि							
	सी जी सेक्युरिटीज		एसजी एवं ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)		खुलासा नियमों के अनुरूप निवेश (ओटीएआई सहित)		कुल ग्रुप निधि (सी)	
सार्वजनिक क्षेत्र	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
एलआईसी (ए)	16665.46	25039.54	21231.45	33297.31	5506.08	9342.11	26737.53	42639.42
निजी क्षेत्र								
एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमएनवाईएल	3.76	1.45	3.76	6.81	1.16	0.44	4.92	7.25
आईसीआईसीआई ग्रु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीएसएलआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टाटा एआईजी	40.69	14.70	40.69	14.70	0.00	0.00	40.69	14.70
कोटक लाइफ	3.52	2.05	3.52	2.05	0.48	0.00	4.00	2.05
एसबीआई लाइफ	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	6.57	0.00	10.77
बजाज अलायंस	8.00	1.27	8.00	1.27	5.82	0.00	13.82	1.27
मेटलाइफ	5.76	2.52	5.76	2.52	0.53	0.00	6.29	2.52
रिलायंस लाइफ \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईएनजी वेश्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अविवा	0.76	0.76	1.54	2.06	0.77	0.80	2.32	2.85
सहारा लाइफ	0.06	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	0.06	0.02
श्रीराम लाइफ	0.00		0.00		0.00		0.00	
कुल (बी)	62.55	26.97	63.33	33.63	8.77	7.81	72.09	41.43
कुल (ए + बी)	16728.01	25066.52	21294.78	33330.93	5514.85	9349.92	26809.62	42680.85

जारी...

जीवन बीमाकर्ता के निवेश के निधि आधारित पैठर (31 मार्च 2006 तक)

(रु. करोड़ों में)

बीमाकर्ता	यूनिट लिंक्ड फंड							
	अनुमोदित निवेश		अनुमोदित निवेश के अलावा		कुल यूनिट आधारित निधि (डी)		कुल सभी निधियाँ (ए + बी + सी + डी)	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
सार्वजनिक क्षेत्र								
एलआईसी (ए)	10269.86	2547.87	1158.59	210.80	11428.45	2758.67	463771.14	418288.99
निजी क्षेत्र								
एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	1396.26	280.17	21.86	10.49	1418.13	290.67	2596.29	923.35
एमएनवाईएल	142.33	20.11	28.85	0.33	171.18	20.44	885.85	478.09
आईसीआईसीआई प्रू	5270.23	1896.27	656.63	440.89	5926.86	2337.16	7485.50	3474.43
बीएसएफआई	1862.92	1047.34	235.13	78.38	2098.05	1125.72	2350.85	1295.85
टाटा एआईजी	325.79	76.00	34.95	4.81	360.74	80.81	1222.35	565.05
कोटक लाइफ	750.35	304.75	10.26	3.57	760.61	308.33	1123.82	524.40
एसबीआई लाइफ	193.27	3.46	18.06	0.08	211.33	3.54	2034.98	1054.17
बजाज अलायंस	2325.67	336.14	243.65	33.10	2569.32	369.24	3324.36	762.07
मेटलाइफ	50.52	1.62	0.00	0.12	50.52	1.74	265.92	161.66
रिलायंस लाइफ \$	93.25	21.40	6.09	0.00	99.34	21.40	352.90	182.56
आईएनजी वेश्या	214.12	73.70	31.56	4.91	245.68	78.61	692.36	319.83
अक्विवा	490.87	122.95	41.27	8.18	532.15	131.13	752.76	278.93
सहारा लाइफ	15.57	0.00	0.21	0.00	15.79	0.00	161.86	142.56
श्रीराम लाइफ	0.00		0.00		0.00		129.75	
कुल (बी)	13131.15	4183.91	1328.53	584.86	14459.68	4768.77	23379.55	10162.94
कुल (ए + बी)	23401.01	6731.78	2487.12	795.66	25888.13	7527.45	487150.69	428451.93

जारी...

गैर जीवन बीमाकर्ता के निवेश के पैटर्न (31 मार्च 2006 तक)

बीमाकर्ता	सी जी सेक्युरिटीज		एसजी एंव ओएस (सी जी सेक्युरिटीज के साथ)		घर एंव एफएफई के लिये ऋण		संरचना / सामाजिक क्षेत्र		खुलासा निधियों के अनुसूच निवेश (ओटीएआई सहित)		अनुमोदित निवेशों के अलावा (ओटीएआई)		कुल
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
सार्वजनिक क्षेत्र													
जीआईसी	2788.83	2744.18	3973.30	3848.92	1011.85	926.96	1275.16	1199.34	6269.50	4905.19	1583.72	1455.81	12529.81
नव ईंडिया	2825.93	2398.43	4165.65	3657.98	616.78	494.58	1206.33	1050.08	3414.77	3201.04	611.31	770.58	9403.53
नेशनल	1345.88	1082.98	1942.02	1596.37	486.32	384.51	719.87	600.49	1536.89	1724.52	409.97	459.90	4685.10
यूनाइटेड	1653.75	1584.63	2855.58	2645.04	391.94	321.34	684.55	691.25	2720.33	2552.93	733.83	705.98	6652.41
ओरिएंटल	1692.39	1394.52	2213.95	1976.88	279.95	307.54	527.16	460.01	2227.62	2311.55	591.65	539.64	5248.68
कुल (ए)	10306.79	9204.73	15150.50	13725.20	2786.84	2434.93	4413.07	4001.17	16169.11	14695.23	3930.48	3931.90	38519.52
निजी क्षेत्र													
रिलायंस	74.51	96.70	74.51	96.70	15.36	13.22	30.49	25.59	98.98	57.32	35.04	12.26	219.34
रावत मुद्रम	132.32	88.79	147.40	98.91	44.74	35.59	110.40	66.51	78.63	70.02	13.81	16.54	381.16
इफ्को टैकनो	245.11	127.87	245.11	127.87	40.50	20.54	76.93	44.67	244.71	116.50	0.00	0.00	607.25
टाटा एआईसी	198.27	206.54	238.03	206.54	40.71	26.17	59.81	40.66	94.48	38.28	2.87	0.80	433.04
क्वाज अलायंस	294.35	256.90	294.35	256.90	73.75	54.96	87.33	78.35	341.83	222.54	25.81	35.19	797.26
आईसीआईसीआई लेबार्स	210.34	160.11	381.59	227.42	64.15	30.01	135.52	78.65	377.33	133.35	48.71	10.61	958.58
सीएनएलएनबी संघ	4.97	3.91	5.14	4.07	0.90	0.80	1.93	1.34	5.49	6.84	0.96	1.37	13.46
नेलामंडलम	133.27	140.29	133.27	140.29	25.59	15.73	40.67	26.63	16.44	15.52	5.44	10.40	215.98
एचडीएफसी बब	75.42	80.35	75.42	80.35	15.24	15.43	25.73	26.14	70.43	55.04	16.37	5.97	186.82
कुल (बी)	1368.55	1161.46	1594.81	1239.04	320.94	212.45	568.81	388.53	1328.32	715.41	149.02	93.13	3812.89
कुल (ए + बी)	11675.34	10366.19	16745.31	14964.24	3107.78	2647.38	4981.88	4389.70	17497.42	15410.64	4079.50	4025.04	42332.41

- नोट: 1. भारतीय कृषि बीमा कंपनी के निवेशों को नहीं लिखा गया
 2. सी जी सेक्युरिटीज - केन्द्रीय सरकार की सेक्युरिटीज
 3. ओटीएआई - अनुमोदित निवेशों के अलावा
 4. ओएस - अन्य अनुमोदित निवेश
 5. एसजी - राज्य सरकार की सेक्युरिटीज
 7. उपरोक्त आंकड़े अनुमानित आधार परआईए को दिये गये

विवरण 36

शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (2005 - 06)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	वर्ष के दौरान दाखिल किये गये		वर्ष के दौरान सुलझाये गये		31 मार्च 2006 तक विलम्बित
1	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	96	48	48		
2	रिलायंस लाइफ	8	4	4		
3	टाटा एआईजी	82	41	41		
4	एमएनबीएल	38	10	28		
5	अविवा	38	11	27		
6	बीएसएलआई	48	12	36		
7	एसबीआई लाइफ	77	23	54		
8	आईसीसीआई मू	122	58	64		
9	मेट लाइफ	9	4	5		
10	सहारा लाइफ	0	0	0		
11	बजाज अलायंस	114	50	64		
12	कोटक लाइफ	26	5	21		
13	आईएनजी वेश्या	15	4	11		
14	एलआईसी	1843	467	1376		
	कुल	2516	737	1779		

विवरण 37

शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता (2005 - 06)
(अर्ध वर्ष समाप्ति सितम्बर, 2006)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	अवधि के दौरान दाखिल किये गये		अवधि के दौरान सुलझाये गये		30 सितम्बर 2006 तक विलंबित
1	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	28	11	17		
2	रिलायंस लाइफ	1	1	0		
3	टाटा एआईजी	20	13	7		
4	एमएनआईएल	13	11	2		
5	अविवा	32	31	1		
6	बीएसएलआई	12	7	5		
7	एसबीआई लाइफ	24	14	10		
8	आईसीआईसीआई मू	57	40	17		
9	मेट लाइफ	1	0	1		
10	सहारा लाइफ	0	0	0		
11	बजाज अलायज	80	19	61		
12	कोटक लाइफ	13	3	10		
13	आईएनजी वेश्या	11	9	2		
14	एलआईसी	233	34	199		
	कुल	525	193	332		

शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (2005 - 06)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च 2005 तक विलंबित	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के दौरान सुलझाये गये	31 मार्च 2006 तक	शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण *			
						(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	ओरिएंटल	83	223	268	38	16	8	9	5
2	न्यू इंडिया	145	371	368	148	80	27	35	6
3	युनाइटेड	175	370	349	196	97	34	58	7
4	नेशनल	303	362	497	168	86	32	47	3
5	ईसीजीसी	0	3	3	0	0	0	0	0
6	बजाज अलायंस	6	29	33	2	1	0	1	0
7	टाटा एआईजी	9	35	35	9	5	0	4	0
8	रायल सुन्दरम	1	24	25	0	0	0	0	0
9	इफको टोकियो	3	8	11	0	0	0	0	0
10	रिलायंस	1	0	1	0	0	0	0	0
11	चोलामंडलम	1	11	12	0	0	0	0	0
12	आईसीआईसीआई लंबार्ड	1	76	73	4	3	0	1	0
13	एचडीएफसी चब्स	1	13	14	0	0	0	0	0
14	एआईसी	1	2	3	0	0	0	0	0
	कुल	730	1527	1692	565	288	101	155	21

* (i) निपटारा नहीं / दावे के निपटारे में देरी

(ii) दावे का पाश्चिक अस्वीकरण / निपटारा

(iii) पालिसी मामले (नवीनीकरण नहीं करना / रद्द करना / जारी नहीं करना / अन्य पालिसी संबंधित मामले)

(iv) अन्य कारण

शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (अर्ध वर्ष समाप्ति सितम्बर 2006)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च 2005	अवधि के दौरान	अवधि के दौरान	31 मार्च 2006	शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण *			
		तक विलंबित	दाखिल	सुलझाये गये	तक	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	ओरिएंटल	38	72	59	51	25	5	19	2
2	न्यू इंडिया	148	157	112	193	96	34	55	8
3	युनाइटेड	196	138	125	209	101	31	65	12
4	नेशनल	168	170	166	172	104	21	45	2
5	ईसीजीसी	0	1	1	0	0	0	0	0
6	बजाज अलायंस	2	23	2	23	13	4	4	2
7	टाटा एआईजी	9	23	20	12	4	0	8	0
8	रायल सुन्दरम	0	22	12	10	1	1	8	0
9	इफको टोकियो	0	8	2	6	3	0	3	0
10	रिलायंस	0	4	2	2	0	1	1	0
11	चोलामंडलम	0	6	4	2	1	0	1	0
12	आईसीआईसीआई लंबार्ड	4	75	35	44	15	3	26	0
13	एनडीएफसी चम्ब	0	4	1	3	0	0	3	0
14	एआईसी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	565	703	541	727	363	100	238	26

* (i) निपटारा नहीं / दावे के निपटारे में देरी

(ii) दावे का पाश्चिक अस्वीकरण / निपटारा

(iii) पालिसी मामले (नवीनीकरण नहीं करना / रद्द करना / जारी नहीं करना / अन्य पालिसी संबंधित मामले)

(iv) अन्य कारण

तीसरा पक्ष प्रशासक - दावों का डाटा : 2005-06

क्र. सं.	नाम	प्राप्त दावों की संख्या	नियंत्रित गये दावे			
			1 महीने के अंदर	1 से 3 महीनों के अंदर	3 से 6 महीनों के अंदर	6 महीने से ज्यादा
1	पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	277225	217914 (78.61)	41964 (15.14)	13527 (4.88)	457 (0.16)
2	कैमेली हेल्थ प्लान लिमिटेड	191526	44286 (23.12)	127365 (66.50)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	टीटीके हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	175280	153515 (87.58)	17927 (10.23)	4505 (2.57)	1650 (0.94)
4	मोड आसिट प्राइवेट लिमिटेड	116655	78384 (67.19)	24128 (20.68)	2459 (2.11)	443 (0.38)
5	मोडिकेयर टीपीए सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	63074	36476 (57.83)	13662 (21.66)	3251 (5.15)	1704 (2.70)
6	रशा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	61535	50310 (81.76)	7093 (11.53)	693 (1.13)	236 (0.38)
7	ई-मोडिटेक सोल्यूशन्स लिमिटेड	59521	44955 (75.53)	9616 (16.16)	2729 (4.58)	1035 (1.74)
8	मेड सेव हेल्थ केयर लिमिटेड	40509	14838 (36.63)	15710 (38.78)	1827 (4.51)	453 (1.12)
9	हैरिटेज हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	37180	18088 (48.65)	14565 (39.17)	4361 (11.73)	1583 (4.26)
10	जेनिस इंडिया लिमिटेड	30215	22657 (74.99)	4912 (16.26)	1039 (3.44)	2815 (9.32)
11	एएमडी इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	18779	14868 (79.17)	451 (2.40)	28 (0.15)	कुछ नहीं
12	विपुल मड कोर्प प्राइवेट लिमिटेड	13752	5223 (37.98)	5015 (36.47)	889 (6.46)	139 (1.01)
13	मार्चेंट अमोलक इश्योरस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	12917	6395 (49.51)	4448 (34.44)	631 (4.89)	56 (0.43)
14	अलॉकल हेल्थ केयर लिमिटेड	12413	7376 (59.42)	3982 (32.08)	64 (0.52)	24 (0.19)
15	पारेख हेल्थ मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	7987	7327 (91.74)	660 (8.26)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16	गुड हेल्थप्लान लिमिटेड	5900	5813 (98.53)	11 (0.19)	2 (0.03)	कुछ नहीं
17	पार्क मोडकलेम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	1398	1234 (88.27)	10 (0.72)	2 (0.14)	2 (0.14)
18	यूनिवर्सल मोड-एड सर्विसेस लिमिटेड	950	568 (59.79)	228 (24.00)	42 (4.42)	कुछ नहीं
19	ईस्ट - वेस्ट आसिट प्राइवेट लिमिटेड	55	18 (32.73)	19 (34.55)	2 (3.64)	कुछ नहीं
20	एनयुता मोडिनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	24	24 (100)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21	अनमोल मोडिकेयर लिमिटेड	कुछ नहीं	--	--	--	--
22	डॉन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	कुछ नहीं	--	--	--	--
23	सेन्सो मोडकलेम सर्विसेस	कुछ नहीं	--	--	--	--
24	फोकस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	कुछ नहीं	--	--	--	--
25	आईसीएन हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	कुछ नहीं	--	--	--	--
कुल	—	1126895	730269 (64.80)	291766 (25.89)	36051 (3.20)	10597 (0.94)

विभिन्न केन्द्रों पर ओम्बड्समैन का कार्य स्तर
31 मार्च 2006 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा: जीवन

ओम्बड्समैन केंद्र	ओ/एस वर्ष के दौरान प्राप्त 31.3.2005 तक	कुल किये	इस तरह निपटयी गयी शिकायतों की संख्या								समय सीमा आधारित निपटारा				समय सीमा आधारित बाकी			
			1	2	3	4	5	6	कुल		7	8	9	कुल	7	8	9	कुल
अहमदाबाद	39	132	171	-	15	60	-	39	34	148	85	57	6	148	15	8	-	23
भोपाल	20	470	490	-	14	27	-	52	393	486	449	37	-	486	4	-	-	4
भुवनेश्वर	60	256	316	4	8	117	-	-	36	165	82	69	14	165	58	75	18	151
चंडीगढ़	73	441	514	-	21	319	1	67	32	440	313	127	-	440	72	2	-	74
चेन्नई	19	640	659	-	53	46	-	51	496	646	570	76	-	646	13	-	-	13
दिल्ली	168	283	451	-	110	2	170	14	9	305	67	173	65	305	6	103	37	146
गुवाहटी	15	109	124	73	13	-	-	-	4	90	41	49	-	90	28	6	-	34
हैदराबाद	22	543	565	-	42	53	-	75	384	554	523	31	-	554	11	-	-	11
कोच्ची	8	128	136	-	19	-	-	20	91	130	128	2	-	130	6	-	-	6
कोलकाता	38	904	942	63	6	135	4	78	592	878	636	227	15	878	57	7	-	64
लखनऊ	38	852	890	1	144	487	-	2	227	861	762	99	-	861	29	-	-	29
मंबई	47	222	269	-	85	19	37	2	80	223	136	87	-	223	28	18	-	46
कुल	547	4980	5527	141	530	1265	212	400	2378	4926	3792	1034	100	4926	327	219	55	601

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. सिफारिश | 6. कोई पत्राचार नहीं |
| 2. पुरस्कार | 7. ३ महीनों के अंदर |
| 3. वापस लेना / निपटारा | 8. 3 महीने से 1 साल तक |
| 4. अस्वीकृत | 9. 1 साल से ज्यादा |
| 5. बर्खास्त | |

विभिन्न क्षेत्रों पर ओम्बड्समैन का कार्य स्तर
31 मार्च 2006 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा: गैर - जीवन

ओम्बड्समैन केंद्र	ओ/एस वर्ष के दौरान प्राप्त किये		कुल	इस तरह निपटयी गयी शिकायतों की संख्या								समय सीमा आधारित निपटारा				समय सीमा आधारित बाकी			
	31.3.2005 तक																		
				1	2	3	4	5	6	कुल	7	8	9	कुल	7	8	9	कुल	
अहमदनगर	221	342	563	-	122	87	-	164	67	440	103	312	25	440	62	61	-	123	
भोपाल	82	155	237	-	28	60	-	116	28	232	149	83	-	232	5	-	-	5	
भुवनेश्वर	113	131	244	13	37	3	-	-	10	63	13	21	29	63	27	99	55	181	
चंडीगढ़	121	355	476	3	83	101	-	138	22	347	95	251	1	347	81	48	-	129	
चेन्नई	25	377	402	-	85	27	-	38	233	383	345	38	-	383	17	2	-	19	
दिल्ली	234	440	674	7	52	14	46	44	125	288	111	95	82	288	67	209	110	386	
गुवाहटी	47	146	193	64	63	-	-	-	13	140	30	110	-	140	28	25	-	53	
हैदराबाद	18	424	442	1	133	60	1	68	158	421	319	102	-	421	21	-	-	21	
कोच्ची	20	210	230	1	52	5	-	64	94	216	202	14	-	216	14	-	-	14	
कोलकाता	282	894	1176	103	74	109	-	91	585	962	597	240	125	962	57	157	-	214	
लखनऊ	10	275	285	3	20	198	-	-	60	281	281	-	-	281	4	-	-	4	
मंबई	368	345	713	-	317	106	25	5	64	517	109	194	214	517	75	121	-	196	
कुल	1541	4094	5635	195	1066	770	72	728	1459	4290	2354	1460	476	4290	458	722	165	1345	

1. सिफारिश

2. पुरस्कार

3. वापस लेना / निपटारा

4. अस्वीकृत

5. बर्खास्त

6. कोई पत्राचार नहीं

7. ३ महीनों के अंदर

8. 3 महीने से 1 साल तक

9. 1 साल से ज्यादा

विभिन्न क्षेत्रों पर ओम्बड्समैन का कार्य स्तर

31 मार्च 2006 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा: जीवन एवं गैर - जीवन संयुक्त

ओम्बड्समैन केंद्र	ओ/एस वर्ष के दौरान प्राप्त 31.3.2005 तक	कुल	इस तरह निपटायी गयी शिकायतों की संख्या								समय सीमा आधारीत निपटारा				समय सीमा आधारीत बाकी			
			1	2	3	4	5	6	कुल		7	8	9	कुल	7	8	9	कुल
अहमदाबाद	260	474	734	-	137	147	-	203	101	588	188	369	31	588	77	69	-	146
भोपाल	102	625	727	-	42	87	-	168	421	718	598	120	-	718	9	-	-	9
भुवनेश्वर	173	387	560	17	45	120	-	-	46	228	95	90	43	228	85	174	73	332
चंडीगढ़	194	796	990	3	104	420	1	205	54	787	408	378	1	787	153	50	-	203
चेन्नई	44	1017	1061	-	138	73	-	89	729	1029	915	114	-	1029	30	2	-	32
दिल्ली	402	723	1125	7	162	16	216	58	134	593	178	268	147	593	73	312	147	532
गुवाहटी	62	255	317	137	76	-	-	-	17	230	71	159	-	230	56	31	-	87
हैदराबाद	40	967	1007	1	175	113	1	143	542	975	842	133	-	975	32	-	-	32
कोच्ची	28	338	366	1	71	5	-	84	185	346	330	16	-	346	20	-	-	20
कोलकाता	320	1798	2118	166	80	244	4	169	1177	1840	1233	467	140	1840	114	164	-	278
लखनऊ	48	1127	1175	4	164	685	-	2	287	1142	1043	99	-	1142	33	-	-	33
मंबई	415	567	982	-	402	125	62	7	144	740	245	281	214	740	103	139	-	242
कुल	2088	9074	11162	336	1596	2035	284	1128	3837	9216	6146	2494	576	9216	785	941	220	1946

1. सिफरिंग

6. कोई पत्राचार नहीं

2. गुरुवार

7. 3 महीनों के अंदर

3. वापस लेना / निपटारा

8. 3 महीने से 1 साल तक

4. अस्वीकृत

9. 1 साल से ज्यादा

5. बर्खास्त

विवरण 44

प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम को मिलाकर) जीवन बीमा प्रीमियम

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
एलआईसी	9700.98	19588.77 (101.93)	15976.76 (-18.44)	17347.62 (8.58)	20653.06 (19.05)	28515.87 (38.07)
आईएमजी बेरमा	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65
बीएसएलआई	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12
आईसीआईसीआई मू	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50
कोटक लाइफ	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06
टाटा एआईबी *	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82
बजाज अलायंस	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77
एमएनबीएल	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36
मेट लाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53
लिलायस लाइफ	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56
अविवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12
सहाय	--	--	--	--	1.74	26.34
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33
निजी क्षेत्र	6.45	268.51 (4061.70)	965.69 (259.65)	2440.71 (152.74)	5564.57 (127.99)	10269.67 (84.55)
कुल	9707.40	19857.28 (104.56)	16942.45 (-14.68)	19788.32 (16.80)	26217.64 (32.49)	38785.54 (47.94)

- नोट:
1. * वर्ष 2002-2003 के परियोजनाओं में समूह व्यवसाय शामिल है।
 2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि बताते हैं।
 3. — व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया को दर्शाता है।

विवरण 45

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)
आईएनजी वेष्ट्वा	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91
बीएसएलआई	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68
आईसीआईसीआई मू	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05
कोटक लाइफ	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85
टाटा एआईजी *	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19
एसबीआई लाइफ	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32
बजाज अलियांज	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58
एमएनवाईएल	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13
मेट लाइफ	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99
रिलायंस लाइफ	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21
अविवा	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27
सहाय	--	--	--	--	1.74	27.66
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33
निजी क्षेत्र	6.45	272.55	1119.06	3120.33	7727.51	15083.54
		(4124.31)	(310.59)	(178.83)	(147.65)	(95.19)
कुल	34898.47	50094.46	55747.55	66653.75	82854.80	105875.76
		(43.54)	(11.28)	(19.56)	(24.31)	(27.78)

- नोट:
1. * वर्ष 2002-2003 के पर्योषित आंकड़ों में समूह व्यवसाय शामिल है।
 2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि बताते हैं।
 3. — व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया को दर्शाता है।
 4. — 1 करोड़ = 10 मिलियन

विवरण 46

गैर-जीवन बीमा का सकल सीधा प्रीमियम (भारत तथा भारत के बाहर)

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
नेशनल	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34
न्यू इंडिया	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54
ओरिएंटल	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77
युनाइटेड	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78
सार्वजनिक क्षेत्र	10491.88	11917.59	13520.44	14284.65	14948.82	15976.44
		(13.59)	(13.45)	(5.65)	(4.65)	(6.87)
रायल सुन्दस	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64
सिलारस	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33
इम्पेरो-टोकियो	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72
टाटा एआईजी	--	78.46	233.93	343.52	448.24	572.70
आईसीआईसीआई लंबार्ड	--	28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86
बजाज अलयांत्र	--	141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29
चोलामंडलम	--	--	14.79	97.05	169.25	220.18
एचडीएफसी चब्ल	--	--	9.49	112.95	175.63	199.81
निजी क्षेत्र	7.14	467.65	1349.80	2257.83	3507.62	5361.53
		(6453.98)	(188.64)	(67.27)	(55.35)	(52.85)
कुल	10499.02	12385.24	14870.25	16542.49	18456.45	21337.97
		(17.97)	(20.06)	(11.25)	(11.57)	(15.61)
ईसीजीसी	--	338.52	374.78	445.48	515.55	577.33
एआईसी	--	--	--	369.21	549.72	555.83

- नोटः
1. — व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया को दर्शाता है।
 2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष वृद्धि बताते हैं।
 3. — 1 करोड़ = 10 मिलियन

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)
लागू व्यापार (पॉलिसियों की संख्या)

('000 में)

बीमाकर्ता	नोन लिंकड - व्यापार								लिंकड व्यापार	कुल व्यापार
	जीवन			सामान्य एन्ड्युटी तथा सेवानिवृत्ति				स्वास्थ्य		
	01-04-2005		31-03-2006	01-04-2005		31-03-2006	31-03-2006	31-03-2006	31-03-2006	31-03-2006
	को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार
बजाज अलायंस	247.77	214.97	67.93	394.81	6.48	0.56	0.65	6.39	0.00	710.44
रिलायंस	47.72	47.47	18.41	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.97
अविवा	23.14	29.35	18.64	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.61
बीएसएलआई	102.18	73.19	16.05	159.32	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	447.63
एचडीएफसी लाइफ	410.44	221.78	42.25	589.97	72.55	3.45	3.42	72.58	0.00	233.04
आईसीआईसीआई ग्रुप	373.79	237.45	138.03	473.21	50.47	1.08	1.29	50.26	1.64	1238.49
आईएमजी वेश्या	152.24	82.95	41.86	193.33	27.91	3.71	0.12	31.50	0.00	49.46
एलआईसी	162950.92	30947.38	14334.44	179563.86	2868.21	293.29	238.63	2922.87	0.00	3914.16
एमएनवाईएल	353.45	315.94	107.49	561.90	8.66	0.92	1.40	8.18	0.00	119.09
मेट लाइफ	61.70	76.22	31.88	106.04	0.73	0.16	0.15	0.74	0.00	21.92
कोटक लाइफ	96.54	39.03	27.29	108.28	6.68	0.21	0.42	6.47	0.00	74.24
एसबीआई लाइफ	200.19	186.02	34.57	351.64	53.95	10.67	0.14	64.48	0.00	92.34
टाटा एआईजी	328.88	205.01	81.01	452.88	17.74	7.37	2.81	22.30	38.79	85.77
सहारा	10.00	17.38	5.21	22.17	0.20	0.15	0.05	0.30	0.00	5.79
श्रीराम लाइफ	0.00	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	165358.96	32714.93	14965.06	183108.83	3113.58	321.58	249.08	3186.08	40.43	7265.95

टिप्पणी: * शामिल है नई पॉलिसी जारी, प्राचीन पॉलिसी बहाली / पुनरुद्धारित

** शामिल है मृत्यु के कारण पॉलिसी समाप्ति, परिपक्वता, कलित अभ्यर्पण अथवा निरस्तीकरण

आंकड़ों का स्रोत बीमांकक रिपोर्ट 31-03-2006 - जीवन बीमाकर्ता

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)

लागू व्यापार (बीमित राशि)

(करोड़ में)

बीमाकर्ता	नोन लिंकड - व्यापार								लिंकड व्यापार	कुल व्यापार	
	जीवन				सामान्य एन्ड्युटी तथा सेवानिवृत्ति						स्वास्थ्य
	01-04-2005			31-03-2006	01-04-2005			31-03-2006	31-03-2006	31-03-2006	31-03-2006
	को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार	अतिरिक्त *	हटायी गयी **	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार	को लागू व्यापार
बजाज अलायंस	8040.77	5033.41	2455.04	10619.14	216.81	96.81	25.63	287.99	0.00	18897.67	29804.80
रिलायंस	992.31	1049.90	275.26	1766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.58	2252.53
अविवा	112.57	137.20	49.15	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7654.71	7855.33
बीएसएलआई	2950.62	1381.05	398.87	3932.80	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	18504.51	22437.38
एचडीएफसी लाइफ	8152.68	4552.18	904.07	11800.79	1447.97	108.99	79.30	1477.66	0.00	10357.81	23636.26
आईसीआईसीआई ग्रू	11030.08	4062.88	1655.08	13437.88	1557.22	79.34	76.10	1560.46	55.07	27686.09	42739.50
आईएनजी वेश्या	3579.67	1705.98	892.88	4392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1351.06	5743.83
एलआईसी	1065095.26	311408.43	96344.46	1280159.23	63768.70	8857.96	8715.12	63911.54	0.00	7321.37	1351392.14
एमएनवाईएल	14132.04	7917.13	2857.90	19191.27	175.63	18.02	26.27	167.38	0.00	5174.09	24532.74
मेट लाइफ	2632.82	2907.96	1049.45	4491.33	16.35	3.28	3.86	15.77	0.00	1239.96	5747.06
कोटक लाइफ	5350.90	1863.46	1131.79	6082.57	275.15	5.83	19.08	261.90	0.00	5671.41	12015.88
एसबीआई लाइफ	3713.31	4091.54	550.7	7254.15	172.08	77.46	0.42	249.12	0.00	2053.77	9557.04
टाटा एआईजी	7216.47	4381.61	1295.36	10302.72	525.46	54.23	94.19	485.50	832.81	3885.71	15506.74
सहारा	136.70	213.57	61.18	289.09	4.80	3.70	0.93	7.57	0.00	83.69	380.35
श्रीराम लाइफ	0.00	443.10	0.00	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.10
कुल	1133136.20	351149.40	109921.19	1374364.41	68160.17	9305.69	9040.90	68424.96	887.88	110367.43	1554044.68

टिप्पणी: * शामिल है नई पॉलिसी जारी, प्राचीन पॉलिसी बहाली / पुनरुद्धारित

** शामिल है मृत्यु के कारण पॉलिसी समाप्ति, परिपक्वता, कलित अभ्यर्पण अथवा निरस्तीकरण

आंकड़ों का स्रोत बीमाकक रिपोर्ट 31-03-2006 - जीवन बीमाकर्ता

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)- नोन लिंकड व्यापार में जुर्मानित / व्यपगत पॉलिसियाँ*

बीमाकर्ता	कालित पॉलिसियों की संख्या (में '000)	कालित पॉलिसियों की बीमित राशि (करोड़ रु. में)
बजाज अलायंस	66.47	2417.74
रिलायंस	17.58	259.80
अविवा	18.60	48.99
बीएसएलआई	5.26	359.97
एचडीएफसी लाइफ	40.55	793.56
आईसीआईसीआई प्रू	136.54	1377.46
आईएनजी वेश्या	40.73	855.40
एलआईसी	9568.88	61640.00
एमएनवाईएल	104.02	2657.78
मेट लाइफ	31.12	1008.37
कोटक लाइफ	27.07	520.55
एसबीआई लाइफ	31.52	459.43
टाटा एआईजी	92.49	1615.67
सहारा	5.24	61.83
श्रीराम लाइफ	0.00	0.00
कुल	10186.07	74076.55

- टिप्पणी: 1 एक पॉलिसी को कालित माना जायेगा यदि जैसा अधिकांश बीमाकर्ताओं द्वारा अनुमत किया गया है, उन्हें छोड़ कर जिनका विवरण नीचे दिया गया है
- 2 एक पॉलिसी को कालित माना जायेगा यदि देय दिनांक से 60 दिनों के बाद आईएनजी वेश्या लाइफ इश्योरेंस कंपनी द्वारा
- 3 एक पॉलिसी को कालित माना जायेगा यदि देय दिनांक से 6 मास के बाद एलआईसी, एसबीआई लाइफ द्वारा
- 4 एक पॉलिसी को कालित माना जायेगा यदि देय दिनांक के 45 दिनों के बाद मेटलाइफ तथा टाटाएआईजी द्वारा

स्त्रोत: बीमांकक रिपोर्ट जीवन बीमाकर्ता 31-03-2006 के अंश

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2005-06)

बीमाकर्ता	शोधन अनुपात
ब्रजाब अलखन	2.8
दिलीपस	2.0
अविवा	2.0
बीएमएलआई	2.8
एचडीएफसी लाइफ	2.9
आईसीआईसीआई यू	1.6
आईएनवी वेष्टा	2.3
एलआईसी	1.3
एमएनवाईएल	2.0
मेट लाइफ	1.7
कोटक लाइफ	1.8
एसबीआई लाइफ	2.7
टाटा एआईजी	2.9
सहारा	2.7
श्रीराम लाइफ	2.2

टिप्पणी : **आंक डों का स्रोत :** बीमांकक रिपोर्ट जीवन बीमाकर्ता 31-03-2006 के अंश
शोधन अनुपात की परिभाषा उपलब्ध शोधन की गुंजाइश की तुलना में अपेक्षित शोधन अनुपात

गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (2005-06)

बीमाकर्ता	शोधन अनुपात
सार्वजनिक	
न्यू इंडिया	3.09
युनाइटेड	2.23
ओरिएंटल	1.97
नेशनल	1.08
जीआईसी	3.41
ईसीजीसी	9.39
एआईसी	2.16
निजी	
बजाज अलायंस	1.22
चोलामंडलम	2.51
एयडीएफसी चब्स	1.78
आईसीआईसीआई लंबार्ड	1.29
इम्को टोकिओ	1.95
रिलायंस	3.04
रायल सुन्दरम	1.66
टाटा एआईजी	1.68

**भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ
जीवन बीमाकर्ता**

सार्वजनिक क्षेत्र

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

निजी प्रतियोगी

1. बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस क. लि.
2. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (बीएसएलआई)
3. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (एचडीएफसी स्टैंड लाइफ)
4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (आईसीआईसीआई प्रू)
5. आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (आईएनजी वेश्या)
6. मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (एमएनवाईएल)
7. मैट लाइफ इंश्योरेंस क. प्रा. लि. (मैटलाइफ)
8. कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल इंश्योरेंस क. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (एसबीआई लाइफ)
10. टाटा एआईजी इंश्योरेंस क. लि. (टाटा एआईजी)
11. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस क. लि.
12. अविवा लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (अविवा)
13. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (सहारा लाइफ)
14. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (श्रीराम लाइफ)
15. भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (भारती एएक्सए*)

गैर - जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1. न्यू इंडिया एश्योरेंस क. लि. (न्यू इंडिया)
2. नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (नेशनल)
3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि. (ओरिएंटल)
4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (यूनाइटेड)
5. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोरपोरेशन लि.(ईसीजीसी)
6. भारतीय कृषि बीमा संस्थान (एआईसी)

निजी प्रतियोगी

1. बजाजा अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (बजाज अलायंज)
2. आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (आईसीआईसीआई लंबार्ड)
3. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (इफको टोकियो)
4. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (रिलायंस)
5. रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कं. लि. (रॉयल सुन्दरम)
6. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (टाटा एआईजी)
7. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (चोलामंडलम)
8. एचडीएफसी चबब जनरल इंश्योरेंस कं. लि. (एचडीएफसी चबब)
9. स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं. लि. (स्टार हेल्थ) **

पुर्नबीमाकर्ता : साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

* जुलाई, 2006 में अपना कार्य आरंभ किया

** मार्च, 2006 में अपना कार्य आरंभ किया

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमन

क्र. सं.	अधिसूचना
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति के सदस्य)
2	आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति का चयन विनियमन, 2000
3	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियमन, 2000
4	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियमन, 2000
5	आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट तथा एक्स्ट्रैक्ट्स) विनियमन, 2000
6	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियमन, 2000
7	आईआरडीए (बीमाकर्ता की संपत्ति, दायित्व और सोल्वेन्सी मार्जिन्स) विनियमन, 2000
8	आईआरडीए (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियमन, 2000
9	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियमन, 2000
10	आईआरडीए (बीमा एडवर्टाइजमेंट तथा डिस्कलोजर्स) विनियमन, 2000
11	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) विनियमन, 2000
12	आईआरडीए (बैठक) विनियमन, 2000
13	आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2000
14	आईआरडीए (ऑफिसर्स एवं अन्य कर्मचारियों की कार्य करने के नियम) विनियमन, 2000
15	आईआरडीए (बीमा सर्वक्षक एवं हानि निर्धारक (लाइसेंस, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स तथा कोड ऑफ कंडक्ट)) विनियमन, 2000
16	आईआरडीए (जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनियमन, 2000
17	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2001
18	आईआरडीए (तीसरा पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवायें) विनियमन, 2001
19	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियमन, 2001
20	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2002
21	आईआरडीए (प्रीपैरेशन ऑफ फाइनांशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इश्योरर्स कम्पनीज) विनियमन, 2002
22	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) विनियमन, 2002
23	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियमन, 2002
24	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) विनियमन, 2002
25	आईआरडीए (कोर्पोरेट एडेंट्स का लाइसेंसिकरण) विनियमन, 2002
26	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसिकरण) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2002
27	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2002
28	आईआरडीए (मेनर ऑफ रिसिट ऑफ प्रीमियम) विनियमन, 2002
29	आईआरडीए (डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सरप्लस) विनियमन, 2002
30	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2003
31	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2004
32	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनियमन, 2004
33	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2004
34	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनियमन, 2005
35	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियमन, 2005
36	आईआरडीए (प्रसव छुट्टी) विनियमन, 2005
37	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (अमेन्डमेंट) विनियमन, 2005

प्राधिकरण द्वारा एजेंट को दिये गये लाइसेंस (2004-2005)

(व्यक्ति एवं निगम)

जीवन बीमाकर्ता

नाम	व्यक्तिगत एजेंट		निगमित एजेंट		कुल		कुल
	नये	नवीनीकरण	नये	नवीनीकरण	नये	नवीनीकरण	
अलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि	78,826	1365	18	8	78,844	1373	80,217
टाटा एआइजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	18,051	1277	10	10	18,061	1287	19,348
एएमपी सनमार इंश्योरेंस कं. लि.	14,034	255	4	0	14,038	255	14,293
बिरला सनलाइफ	11,101	778	15	19	11,116	797	11,913
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	9,178	23	2	1	9,180	24	9,204
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	14,762	1940	6	9	14,768	1949	16,717
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	41,552	2930	1	6	41,553	2,936	44,489
आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	13,689	354	0	0	13,689	354	14,043
भारतीय जीवन बीमा निगम	155,250	316752	15	59	155,265	316,811	472,076
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	11,941	596	10	2	11,951	598	12,549
मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	8,217	124	1	1	8,218	125	8,343
ओएम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	6,920	443	5	6	6,925	449	7,374
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	80	1	0	0	80	1	81
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	5,935	2	0	0	5,935	2	5,937
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4,794	310	3	5	4,797	315	5,112
कुल योग	394,330	327,150	90	126	394,420	327276	721,696

सामान्य बीमाकर्ता

नाम	व्यक्तिगत एजेंट		निगमित एजेंट		कुल		
	नये	नवीनीकरण	नये	नवीनीकरण	नये	नवीनीकरण	कुल
टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	248	89	1	9	249	98	347
बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1,484	234	2	5	1,486	239	1,725
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	102	33	0	1	102	34	136
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम	0	0	1	0	1	0	1
एचडीएफसी चबब जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	40	2	0	0	40	2	42
आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1,099	71	4	1	1,103	72	1,175
इफको टोकिया जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1,060	80	2	2	1,062	82	1,144
द न्यू इंडिया जनरल एश्योरेंस कं. लि.	2,308	7038	5	11	2,313	7,049	9,362
नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	2,331	6534	0	13	2,331	6,547	8,878
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	5,017	5198	1	7	5,018	5,205	10,223
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	122	46	0	1	122	47	169
रायल सुन्दरम अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	74	64	2	6	76	70	146
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	1,426	5739	8	30	1,434	5,769	7,203
कुल योग	15,311	25,128	26	86	15,337	25,214	40,551
महा योग	409,641	352,278	116	212	409,757	352,490	762,247

प्राधिकरण द्वारा एजेंट को दिये गये लाइसेंस (2004-2005)

जीवन बीमाकर्ता

नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
अलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	65651	14566	80217
टाटा एआइजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	18920	428	19348
एएमपी सनमार इंश्योरेंस कं. लि.	11805	2488	14293
बिरला सनलाइफ	11811	102	11913
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	8985	219	9204
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	14582	2135	16717
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	43962	527	44489
आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	13238	805	14043
भारतीय जीवन बीमा निगम	186919	285157	472076
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	12251	298	12549
मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	7895	448	8343
ओएम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	6761	613	7374
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	71	10	81
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2163	3774	5937
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4413	699	5112
कुल योग	409,427	312,269	721,696

सामान्य बीमाकर्ता

नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	336	11	347
बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1512	213	1725
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	111	25	136
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम	1	0	1
एचडीएफसी चब्ल जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	42	0	42
आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1107	68	1175
इफको टोकिया जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1103	41	1144
द न्यू इंडिया जनरल एश्योरेंस कं. लि.	5837	3525	9362
नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	5633	3245	8878
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	6879	3344	10223
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	161	8	169
रायल सुन्दरम अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	114	32	146
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	4344	2859	7203
कुल योग	27,180	13,371	40,551
महा योग	436,607	325,640	762,247

जीवन बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक (31 मार्च 2006 तक)

बीमाकर्ता का नाम का नाम	नियुक्त बीमांकक
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	केवल कृष्ण वाधवा *
बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एंड्र्यू वेकलिंग
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	केदार मुलगंड
एचडीएफसी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कं. लि..	निकोलस डेविड टकेट
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	वी राजगोपालन **
आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	हेमामालिनी रामकृष्णन
कोटक महिन्द्रा ओएम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	अच्यर वेंकटासुब्रह्मण्यम
भारतीय जीवन बीमा निगम	गोरख नाथ अग्रवाल
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	जोन चार्ल्स पूल
मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	के पी शर्मा
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	पूर्णमा गुप्ते
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	के के धरनी
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आर कन्नन ***
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एन एस शास्त्री
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	हीरक बासु

* चंदन खसनोबिस की नियुक्ति 1 सितम्बर 2006 से

** अजीम मिथानी की नियुक्ति 1 जुलाई 2006 से

*** आई संबाशिव राव की नियुक्ति 1 अप्रैल 2006 से

**गैर - जीवन बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक
(31 मार्च 2006 तक)**

बीमाकर्ता का नाम

नियुक्त बीमांकक का नाम

भारतीय कृषि बीमा संस्थान

बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

एचडीएफसी चब्स जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

आईसीआईसीआई लंबार्डजनरल इंश्योरेंस कं. लि.

नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कं. लि.

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.

यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.

इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं. लि.

साधारण बीमा निगम, गैर-जीवन पुर्नबीमा विभाग

साधारण बीमा निगम, जीवन पुर्नबीमा विभाग

नलिनकुमार रमणिकलाल कपाड़िया ***

आशा जे जोशी

एम वेंकटेशन

नारायणन लक्ष्मण

लियाकत खान

भूदेव चटर्जी

आनंद रामचंद्र प्रभु

एन गोपालकृष्ण पाई

ओ लक्ष्मी नारायण

कसिम हनुमंता राव

प्रेमचंद गुप्ता

सारंगराजा कृष्ण

ए पी पिताम्बरण

आर सुंदरराजन

धर्मेन्द्र कांतिलाल पंडित

टी भार्गव

*** श्री एस. चिदम्बरम की नियुक्ति 1 अप्रैल 2006 से

संलग्नक V (ए)

भारतीय जन्म-मृत्यु दर (1994-96) (संशोधित) निर्धारण

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
0	0.001630	50	0.005244
1	0.000960	51	0.005819
2	0.000670	52	0.006443
3	0.000620	53	0.007116
4	0.000470	54	0.007839
5	0.000420	55	0.008611
6	0.000380	56	0.009433
7	0.000400	57	0.010294
8	0.000400	58	0.011025
9	0.000400	59	0.011951
10	0.000380	60	0.013073
11	0.000450	61	0.014391
12	0.000530	62	0.015904
13	0.000650	63	0.017612
14	0.000713	64	0.019516
15	0.000770	65	0.021615
16	0.000823	66	0.022724
17	0.000873	67	0.025617
18	0.000919	68	0.028823
19	0.000961	69	0.032372
20	0.000999	70	0.036294
21	0.001033	71	0.040623
22	0.001063	72	0.045392
23	0.001090	73	0.050639
24	0.001113	74	0.056404
25	0.001132	75	0.062728
26	0.001147	76	0.069655
27	0.001159	77	0.077231
28	0.001166	78	0.085502
29	0.001170	79	0.094519
30	0.001170	80	0.104331
31	0.001171	81	0.114992
32	0.001201	82	0.126553
33	0.001246	83	0.139067
34	0.001308	84	0.151077
35	0.001387	85	0.162298
36	0.001482	86	0.174149
37	0.001593	87	0.186638
38	0.001721	88	0.199775
39	0.001865	89	0.213560
40	0.002053	90	0.227995
41	0.002247	91	0.243072
42	0.002418	92	0.258782
43	0.002602	93	0.275109
44	0.002832	94	0.292031
45	0.003110	95	0.309522
46	0.003438	96	0.327549
47	0.003816	97	0.346073
48	0.004243	98	0.365052
49	0.004719	99	0.384436

भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत के जन्म-मृत्यु दर निर्धारण

एलआईसी ए (96-98) अंतिम

आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर	आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

वर्ष 2005-06 के दौरान मुक्त किये गये जीवन बीमा उत्पाद

बीमाकर्ता	उत्पाद	लक्षिकाएँ
बजाज अलायंज	बजाज अलायंज स्वर्ण रक्षा (पुनर्संशोधित) बजाज अलायंज हेल्थ केयर बजाज अलायंज सेक्युर फर्स्ट बजाज अलायंज फैमिली केयर बजाज अलायंज यूनिट गेन सुपर बजाज अलायंज यूनिट गेन प्रीमियर एसपी	बजाज अलायंज महिला गेन राइडर- सीआई + रिकंसट्रक्टिव ब्रीस्ट सर्जरी बजाज अलायंज महिला गेन राइडर- सीआई + रिकंसट्रक्टिव ब्रीस्ट सर्जरी + कोम्प्लिकेसन्स ऑफ प्रेग्नेन्सी + कॉजिटल डिस्पैबिलिटीज
रिलायंस	कुछ नहीं	
अविवा	फ्रीडम लाइफ प्लान इंडिया बां.	ग्रुप डबल एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर
बीएसएलआई	क्लासिक लाइफ प्रीमियर लाइफ कम्पेनियन मनी बैक प्लान लाइफ कम्पेनियन एनडोमेंट प्लान प्राइम लाइफ प्राइम लाइफ प्रीमियर सिमप्ली लाइफ	
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	एचडीएफसी ग्रुप फ्लेक्सिबल टर्म इंश्योरेंस एचडीएफसी ग्रुप वेरिएबल टर्म इंश्योरेंस	
आईसीआईसीआई प्रू	आईसीआईसीआई प्रू होम एश्योर आईसीआईसीआई प्रू गोल्डन ईयर्स आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप ग्रेज्युटी प्लान- प्लस आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप ग्रेज्युटी प्लान- प्लेटिनम आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप सुपरएनुएशन प्लस आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप सुपरएनुएशन प्लेटिनम आईसीआईसीआई प्रू हेल्थ एश्योर आईसीआईसीआई प्रू हेल्थ एश्योर प्लस आईसीआईसीआई प्रू कैसर केयर	

बीमाकर्ता आईएनजी वेश्या	उत्पाद क्रीएटिंग लाइफ मनी बैक न्यू फुलफिलिंग लाइफ एन्टीसिपेटेड होल लाइफ प्लान वन लाइफ प्लान प्लेटिनम लाइफ प्लान सफल जीवन मनी बैक प्लान	लक्षिकाएँ
एलआईसी	एलआईसी जीवन प्लस एलआईसी गोल्डन जुबिली पॉलिसी- बीमा गोल्ड एलआईसी बीमा बचत एलआईसी अमूल्य जीवन एलआईसी जीवन अक्षय IV एलआईसी जीवन तरंग प्लान	एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर
एमएनवाईएल	इम्डिएट एनयुटी सुपर सेवर बांड लाइफ मेकर पेंशन प्लान मैक्स मंगल एंडान्मेंट प्लान मैक्स वृक्ष मनी बैक प्लान लाइफ पार्टनर प्लस	
0 मैट लाइफ	मैट क्रेडिट लाइफ	
1 कोटक ओएम	कोटक प्रीविलेज्ड एश्योरेंस प्लान	
2 एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ यूनिट प्लस सिंगल एसबीआई लाइफ यूनिट प्लस रेग्युलर एसबीआई लाइफ धन वृद्धि एसबीआई लाइफ इम्डिएट एनयुटी	
3 टाटा एआईजी	टाटा एआईजी निर्भय लाइफ	
4 सहारा	सहारा संचय शहारा समूह सुरक्षा शहारा कवच	सहारा क्रिटिकल इलनेस राइडर
5 श्रीराम	श्री लाइफ श्री निधि श्री रक्षा	एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर

वित्त वर्ष 2005-06 में बीमा कंपनियों द्वारा फाइल एवं उपयोग प्रक्रिया के अधीन गैर-जीवन उत्पादों के लिये फाइल करना

बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड	गेहूँ बीमा पॉलिसी रेनफाल बीमा पोटेटे क्रोप इनपुट बीमा कॉफी (रेनफाल इन्डैक्स एवं एरिया इल्ड) बीमा आम (मौसम तथा इल्ड) बीमा पोस्त बीमा- सूक्ष्म बीमा
बजाज अलायंज	मरिन हल बीमा वूमन स्पेसिफिक क्रिटिकल इल्नेस बीमा क्रेडिट बीमा पॉलिसी प्रवासी भारतीय बीमा योजना
चोलामंडलम	मरिन हल- बिल्डर्स जोखिम बीमा पॉलिसी मरिन हल- शिप ब्रेकिंग पॉलिसी चोला स्टूडेंट्स ट्रेवल प्रोटेक्शन प्लान
ईसीजीसी	होलटर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी शिपमेंट कोम्प्राहेन्सिव जोखिम पॉलिसी
एचडीएफसी चव्व आईसीआईसीआई लंबार्ड	फोरफ्रंट पोर्टफोलियो पॉलिसी- एसएमई के लिये दायित्व बीमा मरिन हल बीमा बैंकर्स इन्डेमनिटी बीमा पॉलिसी ज्वैलर्स ब्लॉक बीमा पॉलिसी सेक्युर माइंड पॉलिसी
इफ्को-टोकियो	इरर्स एंड ओमिसंस (तकनीकी) दायित्व पॉलिसी कैरियर्स कानूनी दायित्व पॉलिसी जनता पर्सनल एक्सीडेंट
नेशनल इश्योरेंस	मरिन हल बीमा टरूमा केयर बीमा पॉलिसी सेफ्ड मुसली प्लान्टेशन बीमा वी आरोग्य बीमा पॉलिसी विद्यार्थी- विद्यार्थियों के लिये मेडीक्लेम परिवार- परिवार के लिये मेडीक्लेम धनवंतरि- मेडिकलेम बीमा पॉलिसी एसबीबीजे- नेशनल मेडिकवच बीमा स्टार नेशनल स्वास्थ्य बीमा

बीमाकर्ता का नाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस
ओरिएंटल इश्योरेंस
रिलायंस जनरल

रॉयल सुन्दरम

स्टार हेल्थ

टाटा एआईजी जनरल

यूनाइटेड इंडिया

उत्पाद का नाम

मरिन बीमा पॉलिसी
मरिन हल बीमा
मरिन हल बीमा
रिलायंस ट्रेवल केयर बीमा पॉलिसी
रिलायंस हेल्थ केयर बीमा पॉलिसी
रिलायंस होम केयर बीमा पॉलिसी
प्रवासी भारतीय बीमा योजना
रिलायंस स्टूडेंट केयर बीमा पॉलिसी
रिलायंस स्टूडेंट केयर बीमा पॉलिसी
इंकम प्रोटेक्टर प्लान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
हेल्थ शिल्ड स्टैंडर्ड इश्योरेंस
क्रिटिकल इलनेस (लमसम) इश्योरेंस
क्रिटिकल इलनेस (रिइम्बरसमेंट) इश्योरेंस
मल्टीइयर (टू) हेल्थ शिल्ड इश्योरेंस पॉलिसी
हेल्थ इश्योरेंस प्रोडक्ट मेडिकेश
टैक्स सेवर हेल्थ शिल्ड
मेडि क्लासिक इश्योरेंस
मेडि प्रीमियर इश्योरेंस
एक्सीडेंट केयर (इन्डिविजुअल) इश्योरेंस
एक्सीडेंट केयर (ग्रुप) इश्योरेंस
स्कूल स्टूडेंट केयर इश्योरेंस
कॉलेज स्टूडेंट केयर इश्योरेंस
मेडि क्लासिक इश्योरेंस (ग्रुप)
माइक्रो हेल्थ इश्योरेंस प्रोडक्ट
स्टार ट्रेवल प्रोटेक्ट इश्योरेंस - ओएमपी
स्टार फैमिली ट्रेवल
स्टार कोर्पोरेट ट्रेवल
स्टार स्टूडेंट ट्रेवल प्रोटेक्ट इश्योरेंस
एक्सीडेंट एंड हेल्थ प्रोडक्ट - हॉस्पिटल केयर पॉलिसी
नार्मड परिल डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायब्रिटी पॉलिसी
इंडिविजुअल एक्सीडेंट एंड सिकनेस हॉस्पिटल कैश प्रोडक्ट - आईएचसी
प्रोफेशनल लायब्रिटी (स्पेसीफाइड प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम,
आउटसोर्सिंग, मल्टीमीडिया, रियल इस्टेट्स)
बिजनेस गार्ड - कॉमर्शियल पॉलिसी (लघु उद्योग)
मरिन हल इश्योरेंस

संलग्नक VIII

जीआईसी को प्राप्त जिम्मेदार सेशन

श्रेणी	रकम में सेशन की सीमा बीमाकृत या पीएमएल	पुर्नबीमा कमीशन	लाभ कमीशन
अग्नि, आईएआर, एएल	रू. 100 करोड़ पीएमएल प्रति जोखिम	35%	25%
बड़े जोखिम	लीड टर्मस	20%	
मरिन कार्गो	रू. 10 करोड़ रकम प्रति पॉलिसी में बीमाकृत	25%	10% -36 महीने की समाप्ति पर
मरिन हल	रू. 16 करोड़ बीमाकृत प्रति वेसल के लिये		
वार एंड एसआरसीसी	रू. 16 करोड़ बीमाकृत प्रति वेसल के लिये	10%	कुछ नहीं
एसआरसीसी			
मोटर	कोई सीमा नहीं	20%	कुछ नहीं
कर्मचारियों का मुआवजा	कोई सीमा नहीं	20%	कुछ नहीं
जनरल एविएसन हल	कोई सीमा नहीं	12.5%	कुछ नहीं
सामान्य उडान दायित्व	कोई सीमा नहीं	12.5%	कुछ नहीं
उडान (एयरलाइन्स)	हल के लिये रू. 120 करोड़ एवं अन्य बीमाओं पर प्रति खतरे के लिये	औसत टर्म	कुछ नहीं
तेल एवं उर्जा	रू. 15 करोड़ बीमाकृत प्रति जोखिम	5%	20% -36 महीने की समाप्ति पर
सारे दायित्व संबंधी उत्पाद, वित्त दायित्व के अलावा	अमेरिका को मिलाकर प्रति पॉलिसी के लिये रू. 5 करोड़ / अमेरिका को निकालकर रू. 10 करोड़	25%	कुछ नहीं
वित्त, ऋण एवं गारंटी लाइन, मार्टगेज बीमा, मौसम बीमा, विशेष कर्टिजेन्सी पॉलिसीयाँ आदि	प्रति घटना के लिये रू. 10 करोड़ बीमाकृत	10%	कुछ नहीं
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं *	25%	कुछ नहीं
मशीन का खराब होना, बॉयलर एक्सप्लोजन तथा संबंधित लाभों का	रू. 30 करोड़ पीएमएल, लेकिन जहाँ पीएमएल 33.3% से ज्यादा होता है, वहाँ 90 करोड़ राशि बीमाकृत साथ में सामान का नुकसान एवं लाभों का नुकसान	30%	25%
ठेकेदार के सभी खतरे, खड़ा करने के सभी खतरे, लाभों का अग्रिम नुकसान, डीएसयू बीमा	रू. 60 करोड़ पीएमएल, लेकिन जहाँ पीएमएल 33.3% से ज्यादा होता है, वहाँ 180 करोड़ राशि बीमाकृत साथ में सामान का नुकसान एवं लाभों का नुकसान		

पंजीकृत दलाल - राज्य के आधार पर ब्रेक अप

राज्य	लाइसेंस जारी किया गया			कुल
	सीधे	पुर्नबीमा	संयुक्त	
आंध्र प्रदेश	14		1	15
चंडीगढ़	4			4
घुजरात	10			10
कर्नाटक	10			10
केरल	3			3
मध्य प्रदेश	3			3
महाराष्ट्र	45	4	19	68
नई दिल्ली	49		2	51
पंजाब	11			11
राजस्थान	5			5
तमिलनाडु	16		1	17
उत्तर प्रदेश	8			8
पश्चिम बंगाल	15		2	17
कुल	193	4	25	222

टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा अनुवीक्षण किया गया टैरिफ व्यापार

क्र. सं.	विभाग	उत्पाद
1	अग्नि	अखिल भारतीय अग्नि टैरिफसंपूर्ण औद्योगिक जोखिम टैरिफसीएल (अग्नि) टैरिफपेट्रोकेमिकल टैरिफ
2	मरिन हल कार्गो	* मरिन हल बीमा के सभी वर्ग नये व्यवसाय को देखते हुये 1 अप्रैल 2005 से डिटैरिफ्ट हो गये हैं। ** मरिन कार्गो बीमा के सभी वर्ग नये व्यवसाय को देखते हुये 1 अप्रैल 2005 से डिटैरिफ्ट हो गये हैं।
3	अभियांत्रिकी	इरेक्शन ऑल रिस्क्स / स्टोरज कम एरेक्शन टैरिफ कांटेक्टर्स ऑल रिस्क्स पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी बॉयलर प्रेशर प्लांट टैरिफ सिविल इंजीनियरिंग कम्पलिटेटेड रिस्क टैरिफ कांटेक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी टैरिफ विद्युत उपकरण बीमा टैरिफ स्टॉक (आलू) की अवनित टैरिफ लाभ पर हानि (फोलोइंग मशीनरी ब्रेकडाउन एंड बॉयलर एक्सप्लोजन) आतंकवाद जोखिम अंडरराइटिंग पर रिवाइज्ड गाइडलाइन्स
4	मोटर	अधिनियम पॉलिसी निजी कार पैकेज पॉलिसी मोटरराइज्ड दुपहिया वाहन पैकेज पॉलिसी व्यवसायिक वाहन पैकेज पॉलिसी मोटर व्यापार पैकेज रोड एंड ट्रांसिट रिस्क्स पॉलिसी मोटर व्यापार- इंटरनल रिस्क्स ओनली पॉलिसी
5	विविध	वर्कमैन्स कम्पन्सेसन पॉलिसी

बीमा सलाहकार समिति

- 1 श्री गौतम सेन गुप्ता
- 2 श्री एच एम जैन, मुंबई
- 3 श्री भारत बोडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा दलाल संघ
- 4 श्री पी सी गाँधी, पीसी गाँधी एंड एसोसिएट्स, मुंबई
- 5 श्री ए पी वी रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फैमिली हैल्थ प्लान लिमिटेड
- 6 श्री राजेन्द्र चिटाले, एम पी चिटाले एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई
- 7 श्री लियाकत खान, अध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान, मुंबई
- 8 श्री एन एम गोवर्धन, बैंगलौर
- 9 श्री आर के जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई
- 10 श्री सी एन एस शास्त्री, पुट्टपर्ती
- 11 श्री जी सी चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एवं बीमा) वित्त मंत्रालय
- 12 श्री एस के मिश्रा, निदेशक (सड़क परिवहन), मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग
- 13 श्री वी के बाशिन, संयुक्त सचिव एवं लेजिस्लेटिव काउंसल, विधि एवं कानून विभाग
- 14 श्री के सी मिश्रा, निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
- 15 श्री वेपा कामेसम, प्रबंध निदेशक, बीमा जोखिम एवं प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
- 16 श्री अनलजीत सिंह, अध्यक्ष- सीआईआई जीवन बीमा एवं पेंशन समिति एवं अध्यक्ष- मैक्स (इंडिया) लिमिटेड
- 17 श्री ओनकार एस कनवर, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
- 18 श्री एम के शुक्ला, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
- 19 श्री दीपक सतवालेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- 20 श्री एम के गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- 21 श्री संदीप बख्शी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
- 22 श्री राघव नरसाले, अग्र अर्थशास्त्री, मुंबई

प्राधिकरण द्वारा जारी प्रपत्र / आदेश / अधिसूचनाएँ

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
1	आईआरडीए/एफएंडए/002/2005-06	4/13/2005	ऋण सुरक्षा संबंधी 31 मार्च तक किये गये उल्लंघन
2	03/आईआरडीए/जीवन/जीआई गाइडलाइंस/2005	4/5/2005	समूह बीमा पॉलिसियों के बारे में मसौदा दिशा - निर्देश
3	आईआरडीए/एफएंडए/004/2005-06	4/15/2005	बीमाकर्ताओं द्वारा अंशधारकों की नियुक्ति
4	आईआरडीए/बीआरओ/005/2005-06	4/15/2005	मैसर्स अवनी इश्योरेंस सर्विसेस प्रा. लि., मुंबई के सीधा बीमा दलालों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी
5	आईआरडीए/लाइफ/006/2005-06	4/27/2005	की-मैन की बीमा पॉलिसियाँ
6	आईआरडीए/टीएसी/007/2005-06	5/2/2005	प्राशुल्क सलाहकार समिति के मंडल में भारतीय साधारण बीमा निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक, आर के जोशी, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी चक्रवर्ती तथा दी ओरिएंटल इश्योरेंस के मुख्य निदेशक एम रामदास की औपचारिक नियुक्ति
7	08/आईआरडीए/सीटीएल/आईबीएनआर/2005-06	5/6/2005	साधारण बीमा व्यवसाय के तहत आईबीएनआर दावों संबंधी अनुमान के लिये दिशा निर्देश
8	009/सीआईआर/आईआरडीए/एक्ट/एआरसी/2005-06	5/17/2005	बीमांकन समीक्षा समिति का पुर्नगठन
9	010/आईआरडीए/ऑर्डर/एक्ट/2005-06	17/05/2005	बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा मूल्य निर्धारण संबंधी पेश किये गये दस्तावेजों की समीक्षा के लिये बीमांकन निर्धारण समिति का पुर्नगठन
10	-	5/24/2005	ऑनलाइन एजेंट प्रशिक्षण संस्थानों के नवीनीकरण के लिये लागू दिशा-निर्देश तथा मान निर्देश
11	बीआरओ/ओआरडी/010/मई-05	5/31/2005	मैसर्स जस्ट इश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लाइसेंस का निलम्बन
12	11/आईआरडीए/एक्ट एल/आईबीएनआर/2005-06	6/8/2005	साधारण बीमा व्यापार के प्रावधानों के तहत आरबीएनआर दावों संबंधी अनुमान के दिशा-निर्देश
13	01/आईआरडीए/एक्ट एल/लॉ कॉम/2005-06	6/8/2005	विधि आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा उससे संबंधित सिफारिशें करने के लिये एक समिति का गठन
14	आईआरडीए/डीबी/096/03	6/20/2005	मैसर्स इंसपायर इश्योरेंस ब्रोकिंग सोल्यूशन्स प्रा. लि. कोलकता द्वारा लौटाये गये पंजीकरण संबंधी नोटिस
15	आईआरडीए/आईएसी/1/2005	6/9/2005	6 जून 2005 से बीमा सलाहकार समिति का पुर्नगठन
16	आईआरडीए/एफएंडए/012/2005-06	6/8/2005	ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं का उत्तरदायित्व
17	आईआरडीए/एफएंडए/013/2005-06	6/9/2005	वार्षिक आर्थिक तालिकाओं की प्रस्तुति
18	आईआरडीए/एफएंडए/014/2005-06	6/9/2005	लेखा जोखा बाद की अवधि में 31 मार्च तक अमल में लायी गयी पॉलिसियों का अंशधारण
19	015/आईआरडीए/लाइफ/सर्क्युलर/जीआईगाइडलाइंस/2005/14/2005		समूह बीमा पॉलिसियों के बारे में दिशा - निर्देश
20	बीआरओ/ओआरडी/016/जुलाई-05	7/13/2005	मैसर्स विजन इश्योरेंस ब्रोकर्स लाइसेंस रिस्क मैनेजमेंट एवं ब्रोकर्स प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलालों के लाइसेंस का पर्यवेक्षण
21	017/आईआरडीए/लाइफ/सर्क्युलर/सीएगाइडलाइंस/2005	7/14/2005	निगम एजेंट का लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशा निर्देश

22	018/आईआरडीए/आरएंडए/जुलाई	7/18/2005	जीवन बीमा कंपनियों के एफएंडए मानकों की जाँच और अमलावरी
23	36/7/एफएंडए/ईएमपीएल/74/जुलाई/05	7/25/2005	बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित अकेक्षकों की नियुक्ति
24	019/टीएसी/टीपीएम/जुलाई-05	7/29/2005	तृतीय पक्ष प्रस्तावों की अस्वीकृति
25	आईआरडीए/सीआईआप/जीईएन/020/अगस्त-05	8/2/2005	पश्चिम क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न बीमा दावों को निपटना
26	-	8/4/2005	4.8.2005 को टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार के कारण जल प्लावन सुरक्षा राशि को हटाने के बारे में संदिग्धों के संबंध में स्पष्टीकरण
27	022/आईआरडीए/एफएंडए/अगस्त-05	8/25/2005	(i) इक्विटी के अलावा किसी अन्य रूप में शेयरों को जारी करने (ii) शेयरों का अंतरित करने के संबंध में विनियामक ढाँचा
28	आईआरडीए/जीआई/डिटैरिफ/001/05-06	9/23/2005	निःशुल्क व्यवस्था (रिजिम) के लिये मार्ग दर्शिका
29	024/आईआरडीए/ब्रो/सितम्बर-05	9/27/2005	मैसर्स विजन इश्योर्स रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट एंड ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्यक्ष बीमा दलाल अनुज्ञा के निलम्बन का प्रतिसंहरण
30	आईआरडीए/एडीएम/ओआरडी/25/अगस्त-05	8/1/2005	सर्वेक्षकों तथा हानि निर्धारकों की समिति का गठन
31	51/1/एफएंडए/मिस/119/सित/2005-06	9/26/2005	बीमा अधिनियम 1938, के खंड 64बीसी - नये स्थान पर व्यापार आरंभ करना
32	-	9/30/2005	बीमा अधिनियम 1938, के उपबंधों पर केपीएन समिति की रिपोर्ट
33	025/आईआरडीए/जीआईसी/अक्टू 05	10/11/2005	आईआरडीए सेवा से सेवानिवृत्त श्री मैथ्यू वर्गीस के स्थान पर श्री के के श्रीनिवासन सदस्य (गैर-जीवन) की साधारण बीमा काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति
34	026/आईआरडीए/आईएनएस ब्रोकर्स/अक्टू 05	10/11/2005	अनुज्ञप्त बीमा दलालों के प्रधान अधिकारी - विदेशी दलालों के साथ अवैध बंधन के बारे में आचरण संहिता
35	-	10/18/2005	सर्वेक्षक विभाग का नयी दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरण
36	आईआरडीए/डीबी/096/03	10/26/2005	मैसर्स इंस्पायर एन्सयूरेस ब्रोकिंग सोल्यूशन्स प्रा. लि. द्वारा प्रत्यक्ष दलाल पंजीकरण का अभ्यार्पण
37	028/आईआरडीए/एफएंडए/अक्टू-05	10/26/2005	अंतिम मासिक डाटा प्रस्तुत करना
38	एडीएम/ओआरडी/50/अक्टू-05	10/27/2005	अधिकर्ताओं के प्रशिक्षण संस्थानों को पंजीकरण, प्रत्यायन / नवीनीकरण
39	-	11/10/2005	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियमन, 2005
40	-	11/26/2005	भारतीय बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक संस्थान का समामेलन
41	30/आईआरडीए/सीआईआर/एलआईए ऑफ/दिस-05	12/7/2005	भारत के बाहर पंजीकृत एक बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय आरंभ करने की प्रक्रिया
42	-	12/9/2005	नवगठित सर्वेक्षक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता के बारे में सूचना के लिये बैठकों की संशोधित सूची
43	031/आईआरडीए/टीपीए/05	12/15/2005	टीपीए और अन्य अभिकरण अपनी स्वास्थ्य परियोजना सेवाओं के लिये गैर बीमा कंपनियों से समझौता कर सकते हैं या नहीं के बारे में स्पष्टीकरण
44	-	12/20/2005	नवगठित सर्वेक्षक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता के बारे में सूचना के लिये बैठकों की सूची
45	-	12/21/2005	यूनिट अनुबंध जीवन बीमा योजनाओं के तहत उत्पादों के अभिकल्प के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों पर प्रेस विज्ञप्ति

46	033/सीआईआर/एजेंट्स/दिस-2005	12/27/2005	निगम एजेंट की बीमा अर्हता
47	-	1/11/2006	भारतीय बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक संस्थान की सदस्यता के लिये सूचना - निमंत्रण
48	034/आईआरडीए/आर1/जन-06	1/16/2006	पुर्नबीमाकर्ताओं का चयन
49	035/आईआरडीए/लाइफ/जन-06	1/20/2006	नये स्थानों पर व्यापार आरंभ करने के लिये सिद्धांत अनुमोदन
50	036/आईआरडीए/लाइफ/जन-06	1/30/2006	भागीदारी बीमा पॉलिसी
51	036/ओआरडी/एटीआई/फर-06	1/31/2006	मेसर्स एनआईएस स्पार्टा के दुर्गापुर एवं आसनसोल स्थित एजेंट प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने का निर्देश जारी
52	-	2/1/2006	एएमपी सनमार जीवन बीमा का नया नाम रिलायंस जीवन बीमा कंपनी किया गया
53	-	2/8/2006	सर्वेक्षक शोधकर्ता परीक्षा - परीक्षा का संचालन
54	-	2/20/2006	सर्वेक्षक संस्थान - प्रवेश शुल्क में कमी
55	आईआरडीए/सीबी212/03	2/23/2006	मेसर्स सागे जीवन ब्रोकर्स प्रा. लि. का लाइसेंस रद्द
56	037/आईआरडीए/एफएंडए/मार्च-06	3/6/2006	बिक्री पर लाभ / निवेश - आयकर
57	-	3/10/2006	लोक सूचना - समलिक भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की अनाधिकृत गतिविधियाँ
58	039/आईआरडीए/एसीटीएल/आरएसएम-एनएल/2005-06	3/16/2006	सामान्य बीमा व्यापार में आवश्यक शोधन अंतर पर दिशा-निर्देश
59	-	3/18/2006	लोक सूचना - मोटर तीसरा पक्ष बीमा कवर का नामंजुरीकरण प्राधिकरण की सूचना में लाना
60	040/आईआरडीए/टीपीए/मार्च-06	3/22/2006	मेसर्स आर्किन स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राइवेट लिमिटेड, पूना के लाइसेंस नवीनीकरण को नामंजूर करना
61	आईआरडीए/डीबी/060/03	3/24/2006	मेसर्स स्टर्लिंग सामान्य बीमा ब्रोकर्स, नयी दिल्ली के सीधे ब्रोकर लाइसेंस को समर्पित करना
62	041/आईआरडीए/एसीटीएल/मार्च-2006	3/29/2006	बीमांककीय रिपोर्ट की तैयारी में नियुक्त बीमांककों के उपयोग
63	042/आईआरडीए/एसीटीएल/मार्च-2006	3/29/2006	बीमांककीय रिपोर्ट की तैयारी में नियुक्त बीमांककों के उपयोग
64	044/आईआरडीए/एफएंडए/मार्च-06	3/31/2006	बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों का समूह
65	045/आईआरडीए/एफएंडए/मार्च-06	3/31/2006	आईआरडीए (संपत्ति, उत्तरदायित्व एवं बीमाकर्ताओं का शोधन अंतर), विनियमन 2000
66	9ए/लाइफ/एएमएल/2005-06	3/31/2006	बीमाकर्ताओं के लिये धन शोधन निवारण उपाय कार्यक्रम पर दिशा निर्देश
67	001/एनएल/जन/अप्रैल 06	4/19/2006	बीमा कवर
68	002/आईआरडीए/एफएंडए/अप्रैल-06	4/21/2006	आईआरडीए (संपत्ति, उत्तरदायित्व एवं बीमाकर्ताओं का शोधन अंतर), विनियमन 2000 - बीमा एक्ट के खंड 64V (1)(i) में आवश्यकताएं
69	003/एनएल/जीआरवी/एसआरपी06	4/22/2006	वाहन बीमा का तीसरा पक्ष कवर - निरस्त
70	004/एनएल/जीईएन/अप्रैल-06	4/22/2006	प्राशुल्क पुनः निर्धारण के अवसर पर प्रीडेटरी कीमत अभ्यास
71	आईआरडीए/आईएनवी/सीआईआर/005/2006-07	4/28/2006	बैंकों के टीयर 1 में नये परपेक्च्युअल ऋण संसाधन तथा बैंकों के टीयर 2 पूंजी में निवेश

72	25/एफएंडयू/आईसीआईसीआई लं/लॉन शीड/06-07	4/28/2006	आईसीआईसीआई लंबार्ड को ऋण शील्ड उत्पाद हटाने के निर्देश तथा इसके कार्यालयों, एजेंटों तथा बीमा दलालों को इस उत्पाद के विपणन को बंद करने का निर्देश
73	006/आईआरडीए/जीआरवी/मई-06	5/10/2006	सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में शिकायत निपटारे के लिये समिति की स्थापना तथा बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा के लिये दिशा निर्देश
74	007/आईआरडीए/एफएंडए/मई-06	5/11/2006	जीवन बीमाकर्ता जिन्होंने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बी का उल्लंघन नहीं किया है। बीमा अधिनियम, 1939 के नियम 17डी के साथ पढ़ें।
75	008/आईआरडीए/एफएंडए/मई-06	5/17/2006	आईआरडीए (संपत्ति, उत्तरदायित्व एवं बीमाकर्ताओं का शोधन अंतर), विनियमन 2000 - वित्तीय पत्र से कम शोधन अंतर की पुनः गणना
76	009/आईआरडीए/बीआरओ/मई-06	5/26/2006	दलाल - जीवन बीमा - वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग
77	010/आईआरडीए/एक्ट एल/मई-2006	5/26/2006	जीवन बीमा उत्पाद - यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के लिये दिशा निर्देश
78	011/आईआरडीए/एटीआई/जून-06	6/23/2006	ऑनलाइन एजेंट्स प्रशिक्षण संस्थान के लिये दिशा निर्देश
79	-	6/30/2006	आईआरडीए निवेश विनियमन पर कर्मिक समूह
80	एडीएम/ओआरडी/76/जून-06	7/19/2006	दलाल एवं दलालों संबंधित मुद्दों पर समिति
81	012/आईआरडीए/एफएंडए/जुलाई-06	7/24/2006	बीमाकर्ताओं का ग्रामीण एवं समाजिक क्षेत्रों में उत्तरदायित्व - छठे वर्ष की स्थापना
82	आईआरडीए/जीआई/डिडैरिफ/06	8/9/2006	साधारण बीमा उत्पादों के लिये ड्राफ्ट रिवाइंड फाइल तथा यूएसई दिशा निर्देश
83	013/आईआरडीए/लाइफ/जुलाई-06	7/27/2006	बीमाकर्ताओं के लिये धन शोध निवारण उपाय पर दिशा निर्देश
84	-	8/16/2006	ब्रोकर्स के लाइसेंस से संबंधित विनियमन पर समिति की बैठक
85	015/आईआरडीए/एसयूआरवी/अगस्त-06	8/16/2006	श्री टी एस नायक, डीडी के स्थान पर श्री आर सी शर्मा, एसएडी को आईआरडी की तरफ से शोधकर्ता लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया
86	आईआरडीए/एसयूआरवी/016/अगस्त-06	8/23/2006	सूरत, गुजरात में बाढ़ को देखते हुये, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम(2) के अंतर्गत बीमाकर्ताओं को विशेष अवसर्जन
87	आईआरडीए/एफएंडए/018/अगस्त-06	8/28/2006	जीवन बीमाकर्ता द्वारा मासिक नया व्यापार सांख्यिकी का ऑनलाइन फाइलिंग
88	019/आईआरडीए/लाइफ/सितम्बर-06	9/26/2006	बीमाकर्ताओं के लिये धन शोध निवारण उपाय पर दिशा निर्देश
89	020/एनएल/आईआरडीए/06	9/15/2006	सामान्य बीमा जोखिम पर बीमा एवं पुनः बीमा के लिये दिशा निर्देश
90	021/आईआरडीए/एफएंडयू/सितम्बर-06	9/28/2006	सामान्य बीमा उत्पादों के लिये 'फाइल एंड यूज' आवश्यकताओं पर दिशा निर्देश

31 मार्च 2006 को समाप्त हुये वित्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखा विवरण

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च 2006 के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,, हैदराबाद का संलग्न पत्र और लाभ तथा हानि खाता और प्राप्ति तथा भुगतान खाता जो 31 मार्च 2006 को समाप्त होता है का परीक्षण किया है। इस वित्तीय विवरण को तैयार करना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का दायित्व है। मेरा दायित्व अपने परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार प्रकट करना है ।

मैंने अपना परीक्षण का निर्वहन समस्त भारत में अपनाए जाने वाले सम्बद्ध नियम तथा परीक्षण सिद्धांत के अनुसार किया है । यह सिद्धांत दर्शाता है कि मैं परीक्षण की योजना बनाता हूँ तथा उसे पूरा करता हूँ ताकि यह विश्वास हो जाए कि विवरण गलत वर्णन से मुक्त है। एक परीक्षण जाँच के आधार पर परीक्षण, पूरे मूल्य को समर्पित प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में भेद प्रकाशन को समावेश करता है ।

अपने परीक्षण के आधार पर मैं सूचित करता हूँ कि :-

1. मैंने सभी आवश्यक सूचनाओं और वर्णनों,को प्राप्त किया था ,जो मेरे ज्ञान और विश्वास पर आधारित है , जो मेरे परीक्षण के लिए आवश्यक था।
2. प्रमुख निरीक्षण का विषय नीचे दिया गया है तथा विस्तृत निरीक्षण अलग परीक्षण सूचना में जोड़ दिया गया है , मैं सूचित करता हूँ कि तुलन पत्र और आय-व्यय खाता/प्राप्ति तथा भुगतान खाता ,जो इस सूचना द्वारा दिया गया है, समुचित ढंग से जाँचा गया है तथा खातों के किताबों के अनुसार सही है ।
 - बैंक खातों में 160.60 करोड़. रु. का विनियोग किया गया है जो वित्त मंत्रालय के उन निर्देशों का उल्लंघन करता है जिसमें इन मूलधनों को भारत के सार्वजनिक खाता में रखने की बात कही गयी थी (परिच्छेद 1.2)
 - 129.51 करोड़. का आधिक्य मूलधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के आधिक्य मूलधन में नहीं डाला गया (परिच्छेद 2.1.1)
3. मेरे विचार से तथा मूझे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर और मूझे दिए गए वर्णन के अनुसार
 - (1) खाता वो सूचनाएँ देता है जो खाताओं के निर्देशित पुस्तक के प्रारूप के अनुसार जरूरी है ।
 - (2) दिया गया पत्र , आय तथा व्यय खाता /प्राप्ति और भुगतान खाता पॉलिसी और नोट के साथ पढ़ा जाता है और उपर्युक्त बातों से सम्बन्धित विषय तथा अन्य बातें जो अलग अंकेक्षण में जोड़ा गया है सच्चा और विश्वासनीय है ।

अ. यह 31 मार्च 2006 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के उद्यम के अवस्था का विवरण पत्र से सम्बन्धित है ।

ब. यह वर्षान्त के उसी दिनांक के लिए आय और व्यय खाता के अधिक्य से सम्बन्धित है ।

ह/-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 03/11/06

महा निदेशक - लेखा परीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वर्ष 2005-06 के लिये आईआरडीए के लेखा पर अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना :-

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तहत 19 अप्रैल 2000 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली था जिसे अगस्त 2000 में हैदराबाद कर दिया गया था। अधिकारी के लेखा का परीक्षण महालेखा नियंत्रक परिक्षक अधिनियम 1971 के भाग 19(2) के अंदर किया जाता है जो आई0 आर0 डी0 ए0 अधिनियम 1999 के भाग 17 में निहित है।

1.1 प्राप्ति और व्यय का स्रोत :-

2005-06 के दौरान प्राधिकरण की प्राप्ति 67.04 करोड़ रुपये थी जो मुख्यतः पंजीकरण, नवीनीकरण मूल्य और विनियोग से होने वाले आय इत्यादि के शुल्क के तौर पर विभिन्न बीमा कम्पनियों और दलालों से प्राप्त हुआ था। अधिकारी का व्यय 12.09 करोड़ रु0 था जो मुख्यतः संस्थायन, यात्रा, किराया इत्यादि के कारण था।

1.2 निधि

प्राधिकरण के प्राप्तियों को बैंक खाता में रोके रखा गया जबकी वित्त मंत्रालय का निर्देश था इसे भारतीय सार्वजनिक लेखा के बिना ब्याज मिलने वाले खाता में डाला जाये। 31 मार्च 2006 को 160.60 करोड़ रु0 की निधि अनुसूचित बैंक के ब्याज मिलने वाले जमा पूंजीयों में रखा गया था।

2. लेखों पर टिप्पणियाँ

2.1 तुलन पत्र और दायित्व

2.1.1 आई0 आर0 डी0 ए0 निधि-8.93रु0

आई0 आर0 डी0 ए0 अधिनियम 1999 के भाग 16 के अनुसार सारे सरकारी अनुदान, फीस और भार जो प्राधिकरण को मिला है को प्रतिदिन व्ययों के भुगतान के बाद आई0 आर0 डी0 ए0 निधि में डाल देना चाहिए। अधिकारी ने लेकिन 8.93 लाख रु0 ही आई0 आर0 डी0 ए0 निधि में डाला जो 2001-01 वर्ष

के दौरान मध्यम नियम अधिकारी के द्वारा स्थानान्तरित संपत्ती के मूल्य को दर्शाता है। व्यय के भुगतान के बाद के अपधिक्य मूलधन को खाते में अपधिक्य मूलधन के अन्तर्गत रखा गया। अपधिक्य मूलधन का 31 मार्च 2006 को बचा हुआ भाग था 129.51 करोड़ रुपये जिसे आई0 आर0 डी0 ए0 निधि में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए था। इस मामले को 2002 - 03 और 2004-05 में अधिकारी को दिखा दिया गया था फिर भी अधिकारी ने अपधिक्य मूलधन को आई0 आर0 डी0 ए0 निधि में नहीं डाला। अधिकारी ने सितम्बर 2006 में बतलाया की पत्र को फार्म ए के तहत बनाया गया है जिसे निपुण अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रदर्शनी में कोई भी भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक से विचार करके भारतीय सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन होगा। अधिकारी का जबाब टिकाउ नहीं है क्योंकि आई0 आर0 डी0 ए0 फंड को साफ तौर पर विवरण पत्र के दायित्व वाले भाग के खाते के खाका में दर्शाया गया है और अपधिक्य मूलधन को खाते के खाका में बिना कोई परिवर्तन के इस भाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

संपत्ति-

2.1.2 अचल संपत्ति

प्राधिकरण ने संलग्नक - 1 " अचल संपत्ती की अनुसूची " जिसे विवरण पत्र में जोड़ा गया के खाते के अंदर अतिरिक्त 2.36 लाख रु0 को दर्शाया। इसमें 2005-06 के दौरान 1.94 लाख रु0 के खरीदे गये खाते शामिल है जिस पर सौ प्रतिशत हास लगाया गया है। क्योंकि प्रत्येक पुस्तक का दाम 5000 रु0 से अधिक है और उनकी साथेकता को वर्षों में वितीरत कर दिया गया है इसलिए सौ प्रतिशत हास लगाना लेखा सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके कारण स्थिर संपत्ती का मूल्य नीचे हो गया और व्यय का मूल्य 1.94 लाख रु0 से उपर हो गया।

प्राधिकरण ने सितंबर 2006 को बतलाया कि सारे पुस्तक सिवाय तकनीकी प्रस्तुतीकरण वाले पुस्तक जिन्हें साधारणतः उनके

खरीदे हुए वर्ष में पूरी तरह हास किया जाता है आई0 आर0 डी0 ए0 के स्थिर रीति के अनुसार।

प्राधिकरण का उत्तर टिकाऊ नहीं है क्योंकि प्रत्येक पुस्तक का दाम वास्तविक है। अधिकारी को जरूरत है कि वो इन पुस्तकों की सार्थकता का पुर्ननिरीक्षण करें और उसी अनुसार खाते में दर्शायें।

2.1.3 वर्तमान संपत्ति का लेखन विवरण

2.1.3.1 पी0 एफ0 आर0 डी0 ए0 के तरफ से व्यय

प्राधिकरण के द्वारा 31.03.2006 तक पी0 एफ0 आर0 डी0 ए0 के तरफ से 2.19 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जिसमें से 2005-06 वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये को वापस कर दिया गया। इस तरह से 1.19 करोड़ रुपये की शेष राशि को चालू संपत्ति के अंदर पी0 एफ0 आर0 डी0 ए0 (पेंशन फंड नियम और विकास अधिकार) को पेशगी के तौर पर दर्शाना गया था। जिसमें से केवल 64.50 अग्रिम के रूप में दिखाये गये हैं।

सही स्थिति का पुर्ननिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

2.1.3.1 प्रसार भारती को पेशगी

2002-03 और 2003-04 में प्रसार भारती को विज्ञापन के लिए दिये गये 13.18 करोड़ रुपये के मुकाबले 2005-06 में केवल 12.99 करोड़ रुपये के व्यवस्था खाता को दिया गया। 0.19 करोड़ रुपये के बिना व्यवस्था पेशगी को चालू संपत्ति के अंदर नहीं लिखा गया जिसके कारण पेशगी 0.19 करोड़ रु0 से नीचे चला गया।

सितंबर 200 को प्राधिकरण ने बतलाया कि 31 मार्च 2006 को दिखाये गये बचे हुए 13.18 करोड़ रु0 के मुकाबले कुल बचा हुआ पेशगी 12.99 करोड़ रु0 था जिसे व्यवस्थित कर दिया गया। 0.19 करोड़ रु0 का अंतर प्रसार भारती खाता को दिये गये प्रतिष्ठा कों दर्शाता है।

प्राधिकरण का उत्तर टिकाऊ नहीं है क्योंकि प्रसार भारती को दिये गये 0.19 करोड़ रु0 प्रतिष्ठा के विवरण को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है। तलपट में 31 मार्च 2005 के 13.18 करोड़ रु0 अंतिम शेष के मुकाबले शुरूवात शेष 12.99 करोड़ रु0 था।

3. साधारण

3.1 प्राधिकरण ने 2005-06 के वर्ष में संपत्तियों के संबंध में कंप्यूटर के अलावे स्थिर संपत्ति का प्रमाणिकरण नहीं किया। भौतिकी शेष और पुस्तक शेष के बीच में असंगतता को अभी तक पहचाना , एकीकरण और लेखाओं के पुस्तक में व्यवस्था नहीं किया गया है। इसलिए विवरण पत्र में दिये गये ऑकड़ों के विश्वसनीयता को परखा नहीं जा सकता है। प्राधिकरण ने सितंबर 2006 में बतलाया की 27.04.2006 को एक समिति को सारे संपत्ति के भौतिकी प्रमाणिकरण के लिए नियुक्त किया गया है और इसने अपने रिपोर्ट को कंप्यूटर में जमा कर दिया था।

3.2 प्राधिकरण ने अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना नहीं की थी और आंतरिक लेखा परीक्षा का काम चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को बाह्य रूप से दे दिया गया था।

4 लेखा परीक्षा पर कुल प्रभाव

पूर्व परिच्छेदों के लिये लेखा परीक्षा टिप्पणियों के कुल प्रभाव से पता चला है कि 31 मार्च 2006 को प्राधिकरण को रु. 20.94 करोड़ को कम करके लिखा गया है तथा संदर्भित राशि को रुपये 1.94 बढ़ाकर दर्शाया गया है।

ह/-

महा निदेशक, लेखा परीक्षण
केंद्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03/11/06

प्रारूप - ए

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 का तुलन पत्र

पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)	दायित्व	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)	संपत्तियाँ
सामान्य निधि				
i) आईआरडीए निधि (टिप्पणी ४ देखिये)				
893,244	-वर्ष के आरंभ में	893,244	19,821,464	-सकल व्योक्त
-	-वर्ष में प्राप्तियाँ	-	11,447,979	-कम: मूलह्रास
893,244	-वर्ष के अंत में शेष	893,244	8,373,485	-नेट व्योक्त
			525,000	-पूँजी - कार्य प्रगति पर
ii) पूँजी निधि				
-	-पूँजी अनुदान	-		निवेश (नोट २ देखिये)
-	-वर्ष के आरंभ में शेष	-		(मूल्यांकन की पद्धति - लागत पर)
-	जोड़े: वर्ष के दौरान स्थाई संपत्तियों के रूप में प्राप्त अनुदान	-		- i) बैंक एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ
				- ii) वृत्ति
			1,032,626,388	iii) अनुसूचित बैंक के साथ अवल निवेश
		857,913,846		- iv) अन्य
517,520,396	अधिशेष एवं निधियाँ	471,432,138		चालू संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी ३ देखिये)
	- पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			
340,393,450	जोड़े: आय और व्यय लेखा के अनुसार			
	व्यय पर आय की अधिकता संलग्न			
-	घटाये- आय पर व्यय की अधिकता	-	690,253	i) जमा
857,913,846	आय और व्यय लेखा के अनुसार - संलग्न	1,329,345,984	11,778,393	ii) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम
	- वर्ष के अंत में शेष	-	106,500	iii) बीमा कंपनियों से देय राशि और अन्य
			203,047,314	iv) अन्य चालू संपत्तियाँ
- iv) उपहार एवं चंदे				v) नगद एवं बैंक शेष
			17,037	ए) हथ में नगद
- v) अन्य शेष				बी) अधिवहन में नगद
			32,003,690	सी) बैंक में शेष
	ऋण			
	- i) सुरक्षित (उद्देश्य के लिये दी गयी सुरक्षा की जानकारी देते हुये)	-		
	- ii) असुरक्षित	-		
	- iii) भारत सरकार से ऋण	-		
	- iv) अन्य ऋण	-		

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 का तुल्य पत्र

ते वर्ष के ये अंक (रु.)	दाखिल	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)	ने वर्ष के वे अंक (रु.)	संपत्तियाँ	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)
वर्तमान दायित्व एवं श्रवधान (टिप्पणी ५ देखें)					
i) सड़की फ्रेडिटार्य - पूंजी सामग्रियों के लिये	51,336				
- अन्य सामग्रियों के लिये	47,843,910				
ii) श्रवधान - संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम के लिये श्रवधान - निवेश मूल्य कम होने के लिये श्रवधान	106,500 -				
iii) अन्य दायित्व १. खर्च नहीं किये गये अनुदान २. सरकार को भुगतान करने का व्याज / अन्य ऋण ३. भविष्य सेवा निवृत्ति एवं अन्य कल्याण निधि ए) भविष्य निधि बी) अन्य कल्याण निधियाँ इन्हें सी) सेवानिवृत्ति निधि एवं कर्मचारी लाभ निधि	361,040 - 5,900,382				
४. अन्य (निर्देश) अन्य दायित्व (टीडीएस) पञ्जीकरण, मनीमंकरण शुल्क अग्रिम रूप में प्राप्त नग्न उत्प्रेक्षण पुनः प्राप्ति	1,488,905 337,519,414 66,597 1,723,577,312				1,689,365,201

स्थानीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी संलग्नक १ में दी गयी है।

निवेश संबंधी जानकारी संलग्नक २ में दी गयी है।

वर्तमान संपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों संबंधित जानकारी संलग्नक ३ में दी गयी है।

संलग्नक ४ में आईआरडीए निधियों की जानकारी दी गयी है। (निधि में शामिल है अधिकतम की शरा १६ के अनुपात में संतुलन, अन्य संस्थाओं एवं संघटनों से प्राप्त अनुदान)

संलग्नक ५ में आन्तरिक दायित्वों का विवरण दिया गया है।

महत्वपूर्ण खाता संबंधी निधियाँ एवं टिप्पणियाँ जो खाते का भाग हैं की जानकारी संलग्नक ९ में है।

उपरोक्त मामलों के विवरण एवं टिप्पणियों संबंधी संलग्नक / खाता संबंधी निधियों, जो खाते का भाग बनते हैं।

ह/-
(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

ह/-
(सी एस राव)
अध्यक्ष

प्रारूप बी

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
 दिनांक 31 मार्च, 2006 को आय एवं व्यय

पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)	व्यय	चातू वर्ष के लिये अंक (रु.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)	आय	चातू वर्ष के लिये अंक (रु.)
2,150,785	अग्रक्ष एवं सदस्यों को भुगतान	2,640,363		अनुदान सहायता	
21,861,127	कर्मचारी सदस्यों को भुगतान एवं प्रावधान (टिप्पणी 1 देखिये)	3,652,307	-	प्राप्त	-
64,502,726	स्वाप्तन खर्च (टिप्पणी 2 देखिये)	69,785,045	-	प्राप्त योग्य	-
1,940,978	वित्तगता	1,832,703	-	घटायें : पूर्व निधि को अंतरित	-
-	शोध एवं सलाह शुल्क	-	-	पंजीकरण शुल्क	-
-	परिसंचार, समारोह, प्रकाशन आदि (संतिखा देखिये)	-	-	एजेंट	-
-	व्याज (टिप्पणी 3 देखिये)	-	-	सर्वेक्षक एवं बीमा मध्यवर्ती	1,622,480
3,659,394	मूल्यह्रास	2,698,356	1,841,330	दलाल	425,000
-	पूर्वी संपत्तियाँ भट्टे खाता डालना	-	1,575,000	तीसरा पक्ष प्रशासक	80,000
12,113	संपत्तियों के भट्टे खाते डाकूने पर हानि	-	110,000	बीमा कंपानियाँ	100,000
-	संदेहास्पद ऋण एवं अंशों के लिये प्रावधान	-	-	नवीनीकरण शुल्क	-
-	विकास खर्च	154,700	215,394,170	बीमा कंपानियाँ	252,995,804
1,922,640	प्रोत्साहन खर्च	2,357,195	8,247,536	दलाल	13,593,968
68,390	अन्य खर्च	370,644	151,878,484	एजेंट	220,241,800
340,393,450	अग्रहित हितकारी कर	3,176,328	-	सर्वेक्षक एवं बीमा मध्यवर्ती	-
	पिछले वर्ष के लिये व्यय पर आय की अधिकता	471,432,138	390,000	तीसरा पक्ष प्रशासक	290,200
				अन्य	-
			297,756	पेंड, चुर्माना आदि	-
			-	परिसंचार, समारोह, प्रकाशन आदि	-
			56,204,670	निवेशों पर आय - अनुसूचित बैंकों के साथ	67,978,541
			-	उपमा पर व्याज	-
			-	अंशों पर व्याज	-
			238,890	i) ग्रह निर्माण उद्येश्यों के लिये कर्मचारी सदस्यों को दी गयी	378,762
			149,313	ii) अन्य उद्येश्यों के लिये कर्मचारी सदस्यों को दी गयी	200,876
			-	iii) अन्य वित्त आद	-
			184,454	विविध आय	192,348
436,511,603		558,099,779	436,511,603		558,099,779

खोते का भाग बनने वाले महत्वपूर्ण खाता संबंधी नैतिर्याँ एवं टिप्पणियाँ - संलग्नक IX

- टिप्पणियाँ
- कर्मचारियों के लिये भुगतान तथा प्रकाशन की संबंधित सूचना संलग्नक 6 में दी गयी है।
 - स्थापन व्यय से संबंधित सूचना संलग्नक 7 में दी गयी है।
 - व्याज राशि से संबंधित सूचना संलग्नक 8 में दी गयी है।
 - लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नैतिर्याँ से संबंधित आय तथा व्यय लेखा और टिप्पणियाँ / सूचना

ह/ -
 (के जपन मोहन राव)
 मुख्य लेखा अधिकारी

ह/ -
 (के के श्रीनिवासन)
 सदस्य

ह/ -
 (सी आर मुलीधरन)
 सदस्य

ह/ -
 (सी एस राव)
 अध्यक्ष

प्रारूप सी

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 की प्राप्ति एवं भुगतान

क्र. सं.	प्राप्ति	राशि (रु.)	क्र. सं.	भुगतान	राशि (रु.)
1	अग्रे लाया गया शेष		1	शेष एवं सलाह शुल्क	-
i)	बैंक में नाद	32,003,690	2	सेमिनार, सम्मेलन एवं प्रकाशन आदि	-
ii)	हाथ में नाद	17,037	3	किराया भुगतान	4,493,813
iii)	हाथ में चेक		4	विकास व्यय	154,700
iv)	अभिवहन में नाद / चेक		5	उन्नत व्यय	2,362,641
2	पंजीकरण शुल्क		6	अध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतान	
	बीमा कंपनियाँ	100,000	(i)	वेतन एवं भत्ते	2,115,628
	तीसरा पक्ष प्रशासक	80,000	(ii)	अन्य लाभ	537,539
	बीमा दलाल	1,000,000	(iii)	यात्री व्यय	7,134,249
	बीमा एजेंट		7	स्थापन व्यय	
	बीमा सर्वेक्षक	1,622,480	(i)	वेतन एवं भत्ते	22,478,330
	अन्य		(ii)	अन्य लाभ	2,206,331
3	पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क		(iii)	यात्री व्यय	11,731,312
	बीमा कंपनियाँ	320,516,957	(iv)	सेवानिवृत्ति लाभ	
	तीसरा पक्ष प्रशासक	290,200	(v)	कार्यालय खर्च	3,507,112
	बीमा दलाल		8	व्याज द्वारा	33,528,353
	बीमा एजेंट	223,334,000	9	संरक्षक शुल्क	
	बीमा सर्वेक्षक	13,593,968	(i)	संरक्षक शुल्क	-
	अन्य		(ii)	अन्य शुल्क	-
4	बीमाकर्ता एवं मध्यवर्तियों से ढंड / जुर्माना		10	संपत्तियों की खरीदी	4,339,393
5	सेमिनार, सम्मेलन आदि		11	पूँजी कार्य प्रगति पर	
6	निवेशों से आय		12	कर्मचारियों एवं अन्य को याता अतिथि सहित आश्रम	5,951,847
7	निवेशों की बिक्री		13	निवेश	2,292,231,925
8	अनुदान		14	सरकारी ऋण शुल्क का पुर्नभुगतान	
i)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अन्य	1,718,857,313	15	अन्य ऋणों का पुर्नभुगतान	
ii)	उपहार एवं चंदा		16	अन्य खर्च	16,736,133
9	ऋण		17	आईआईआरएम को भुगतान	78,617
10	प्रकाशन आदि की बिक्री		18	पीएफआरडीए	3,176,328
11	संपत्तियों की बिक्री		19	अग्रहित लाभ कर	
12	व्याज प्राप्त				
	जमा	106,633,139			
	अग्रिम				
	अन्य				
13	कर्मचारियों से वसूली				
ए)	ऋण एवं अग्रिम	2,945,714		अग्रे लाया गया शेष	
बी)	ऋण एवं अग्रिम पर व्याज	-	(i)	बैंकों में नाद	8,444,945
सी)	विविध	144,955	(ii)	हाथ में नाद	12,291
14	अन्य प्रविष्टियाँ		(iii)	हाथ में चेक	
ए)	विविध आय	47,393	(iv)	अभिवहन में नाद / चेक	32,709
बी)	कॉन्ट्रिब्यूटर्स से सुरक्षा जमा	65,000			
सी)	सुरक्षा जमा पुनः प्राप्त किया	2,350			
		2,421,254,195			2,421,254,195

ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)
मुख्य लेखा अधिकारी	सादस्य	सादस्य
		अध्यक्ष

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में

180

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में

निवेश							
बैंक का नाम	दिनांक	राशि	ब्याज दर	समय सीमा	परिपक्वता तिथि	प्राप्त ब्याज	उपार्जित ब्याज
आंध्रा बैंक हैदराबाद	2 सित 05	13,000,000	6.75%	155	2 सित 06		520,586
	25 सित 03	1,000,000	5.50%	178	25 सित 06		149,655
	3 अक्टू 05	10,000,000	6.80%	186	3 अक्टू 06		342,890
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,450,000	5.75%	275	31 दिस 06		201,910
	31 दिस 03	1,300,000	5.75%	275	31 दिस 06		181,023
	30 जून 05	50,000,000	6.50%	822	30 जून 08		2,524,699
		84,000,000					4,930,313
बैंक आफ इंडिया हैदराबाद	7 नव 03	4,000,000	5.25%	221	7 नव 06		541,375
	16 जन 04	10,000,000	5.50%	291	16 जन 07		1,300,975
	20 जन 04	5,000,000	5.50%	295	20 जन 07		647,079
	23 जन 04	5,000,000	5.50%	298	23 जन 07		644,523
	24 जून 03	5,000,000	6.00%	816	24 जून 08		911,340
	30 जून 03	5,000,000	6.00%	819	27 जून 08		905,451
		34,000,000					4,950,743
केनरा बैंक हैदराबाद	13 जून 03	3,000,000	6.00%	74	13 जून 06		553,283
	12 अगस्त 03	1,500,000	6.00%	134	12 अगस्त 06		259,090
	30 अगस्त 03	5,000,000	6.00%	151	29 अगस्त 03		846,224
	11 मार्च 04	1,000,000	5.50%	345	11 मार्च 07		120,725
	31 मार्च 06	300,000,000	8.91%	365	31 मार्च 07		74,250
		310,500,000					1,853,572
आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद	19 जून 03	4,000,000	6.00%	80	19 जून 06		732,999
	26 जून 03	3,000,000	6.00%	88	27 जून 06		545,626
	14 जुलाई 03	5,000,000	6.00%	105	14 जुलाई 06		891,708
	19 अगस्त 05	10,001,000	6.80%	144	22 अगस्त 06		430,848
	17 सित 03	5,000,000	5.75%	171	18 सित 06		791,943
	20 नव 03	5,000,000	5.50%	173	20 सित 06		699,677
	29 मार्च 06	300,000,000	9.35%	730	30 मार्च 08		233,750
	31 मार्च 06	100,000,000	9.25%	364	30 मार्च 07		25,694
		432,001,000					4,352,245

वार्षिक रिपोर्ट 2005-06

बैंक का नाम	दिनांक	राशि	ब्याज दर	समय सीमा	परिपक्वता तिथि	प्राप्त ब्याज	उपार्जित ब्याज
हैदराबाद	10 अक्टू 03	2,500,000	5.50%	193	10 अक्टू 06		367,570
	4 दिस 03	5,000,000	5.50%	248	4 दिस 06		687,584
	2 अप्रैल 05	30,000,000	7.00%	368	3 अप्रैल 07		2,180,781
		37,500,000					3,235,935
इंडसईड बैंक	17 जन 06	30,000,000	7.30%	108	17 जुलाई 06		450,167
हैदराबाद		30,000,000					450,167
लक्ष्मी विलास बैंक	19 जन 06	16,000,000	7.40%	110	19 जुलाई 06		236,800
हैदराबाद	31 जन 06	17,500,000	7.40%	122	31 जुलाई 06		215,833
	2 मार्च 06	15,000,000	8.15%	336	2 मार्च 07		101,875
		48,500,000					554,508
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	31 मार्च 06	100,000,000	9.05%	365	31 मार्च 07		25,139
हैदराबाद		100,000,000					25,139
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8 मार्च 06	20,000,000	8.50%	342	8 मार्च 07		113,333
हैदराबाद	24 मार्च 06	2,500,000	5.50%	358	24 मार्च 07		296,273
	31 मार्च 06	40,000,000	8.91%	365	31 मार्च 07		9,900
	31 मार्च 06	300,000,000	8.91%	365	31 मार्च 07		74,250
		362,500,000					493,756
स्टेट बैंक आफ इंडिया	23 दिस 05	50,000,000	7.25%	267	23 दिस 06		998,518
हैदराबाद	26 दिस 05	50,000,000	7.25%	270	26 दिस 06		967,762
	2 अप्रैल 05	15,000,000	6.75%	2	2 अप्रैल 06		1,050,447
	5 जन 06	50,000,000	7.10%	280	5 जन 07		848,056
		165,000,000					3,864,783
कुल योग		1,604,001,000					24,711,161
2 अन्य							
ए) उद्धृत दर एवं बाजार भाव						कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अनुद्धत						कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
(के जगन मोहन राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

ह/-
(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

ह/-
(सी एस राव)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में
चालू संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)
जमा		
प्राणों के लिये	817,185	524,050
अन्यों से: एमटीएनएल	31,730	34,080
बिजली से	128,123	128,123
ईंधन के लिये	4,000	4,000
	981,038	690,253
कर्मचारियों के लिये ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों के लिये आवासीय ऋण	8,278,661	6,279,275
कर्मचारियों को अन्य कार्यों के लिये ऋण	4,805,161	4,486,189
अन्य अग्रिम: त्र्यौहार	243,620	155,926
व्याज पुनः प्राप्ति	1,325,515	745,877
अन्य अग्रिम	418,072	111,126
कुल	15,071,029	11,778,393
बीमा कंपनियों एवं अन्यो से देय राशि		
बीमा कंपनी (राज्य बीमा कंपनियों से देय राशियों का संकेत है)	69,100	69,100
एजेंट (एजेंटों से पहले प्राप्त समय सीमा समाप्त हुये चेकों की संख्या)	-	37,400
कुल	69,100	106,500
अन्य चालू संपत्तियाँ		
पुनः प्राप्त करने के खर्च	-	-
पूर्व भुगतान किये गये खर्च	213,528	576,856
उपार्जित व्याज लेकिन देय नहीं: बैंक जमा	25,075,306	63,729,904
राशि पुनः प्राप्ति: अन्य	245,338	99,390
पूंजी लेखे पर अग्रिम (सॉफ्टवेयर विकास हेतु)	-	104,208
बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान को अग्रिम	16,736,133	-
पीएफआरडीए को अग्रिम	6,450,299	6,651,283
अन्य: यात्रा के लिये अग्रिम	172,317	43,435
आईआरडीए सुपरएन्युशन ट्रस्ट को अग्रिम	-	-
प्रसार भारती को अग्रिम	0	131,842,238
कुल	48,892,921	203,047,314
नगद एवं बैंक शेष		
हाथ में नगद	12,291	17,037
हाथ में चेक	-	-
अभिवहन में नगद / चेक	32,709	-
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		
ए) चालू खाते में	5,987,280	31,351,401
बी) जमा खाते में	-	-
सी) बचत खाते में	2,457,665	652,289
कुल	8,444,945	32,003,690
गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		
ए) चालू खाते में	-	-
बी) जमा खाते में	-	-
कुल	-	-

ह/-

(के जगन मोहन राव)
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

ह/-

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

ह/-

(सी एस राव)
अध्यक्ष

संलग्नक IV

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण निधि खाता

विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रू.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रू.)
भारत सरकार से अनुदान	-	-

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(सी एस राव)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

संलग्नक V

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में

आकस्मिक देयतायें

विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रू.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रू.)
	-	-

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(सी एस राव)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

संलग्नक VI

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को आय एवं व्यय खाता के संलग्न एवं भाग के रूप में
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)
i) वेतन, भत्ते, मजदूरी तथा बोनस		16,348,801
ii) भविष्य निधि को योगदान आदि (१४,०५,२८८/ की सेवानिवृत्त निधि के योगदान सहित)		2,552,116
iii) उपदान		411,991
iv) कर्मचारी कल्याण व्यय		473,276
v) अन्य		
पुस्तक अनुदान	-	-
छुट्टी यात्रा रियायत	682,870	713,200
बीमा	-	-
कैंटीन व्यय	-	-
आर्थिक पुरस्कार अध्ययन	-	-
समूह बीमा योजना के लिये योगदान	446,039	111,830
कर्मचारी द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति	842,714	744,647
छुट्टी वेतन	1,680,684	505,266
कुल	3,652,307	21,861,127

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(सी एस राव)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को आय एवं व्यय खाता के संलग्न एवं भाग के रूप में

स्थापन व्यय			
विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रू.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रू.)	
भवन एवं परिसरों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,353,748	2,770,115	
गृह व्यवस्था - कार्यालय अनुरक्षण	904,667	787,092	
उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-	
मरम्मत एवं अनुरक्षण अन्य	-	-	
बिजली एवं जल व्यय	1,783,699	911,080	
बीमा व्यय	261,793	7,641	
दर एवं कर	2,500	-	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	974,381	444,009	
पुस्तक / पत्रिकायें आदि	84,708	144,673	
डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि	3,219,035	2,253,867	
यात्रा एवं स्वदेशी दैनिक भत्ते	12,966,184	6,950,898	
विदेश यात्रा	6,169,262	5,657,570	
कानूनी एवं व्यवसायिक प्रभार	7,938,902	5,786,267	
शिक्षा/प्रशिक्षण/आई एंड डी/ शिकायत निपटान व्यय	-	-	
लेखा परीक्षा शुल्क	251,920	359,705	
साफ्टवेयर	-	-	
प्रचार एवं विज्ञापन	27,764,163	35,633,255	
भर्ती	-	-	
प्राधिकरण एवं सलाहकार समिति तथा अन्य बैठकों के व्यय			
समिति के सदस्यों को प्रदत्त दैनिक भत्ते सहित बैठक व्यय			
समिति के सदस्यों को	1,377,480	834,189	
सदस्यता एवं चंदा	2,879,353	801,639	
सुरक्षा सेवायें	180,026	102,968	
वेब पोर्टल विकास व्यय	527,500	169,250	
कैंटीन व्यय	811,068	539,370	
कार मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	56,729	45,599	
अन्य व्यय	277,927	303,539	
कुल	69,785,045	64,502,726	
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(सी एस राव)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
दिनांक 31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र के संलग्न एवं भाग के रूप में

ब्याज

विवरण	चालू वर्ष के लिये अंक (रु.)	पिछले वर्ष के लिये अंक (रु.)
सरकार	-	-
बैंक	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

ह/- (के जगन मोहन राव) मुख्य लेखा अधिकारी	ह/- (के के श्रीनिवासन) सदस्य	ह/- (सी आर मुरलीधरन) सदस्य	ह/- (सी एस राव) अध्यक्ष
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा

वित्तीय विवरण के लिये टिप्पणियाँ

(अन्यथा विशिष्ट रूप में निर्दिष्ट के अलावा अन्य सभी राशियाँ रूपयों में होगी)

1. पृष्ठभूमि

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा पारित कानून बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अनुसार किया गया और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को भारत सरकार के गैजेट में जारी अधिसूचना के साथ किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि बीमा उद्योग के विकास को नियमित, प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उससे संबंधित मामलों का निपटारा किया जा सके और अचानक उभरने वाले संकटों का मुकाबला किया जा सके, आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके, पंजीकरण के नवीनीकरण निलंबन अथवा रद्दकरण की प्रक्रिया सुलभ बनाई जा सके और अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये शुल्क और अन्य खर्च की वसूली की जा सके। बीमा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्राधिकरण 19 अप्रैल 2000 के अपने स्थापना दिवस के मौजूद अंतरिम बीमा विनियामक की संपत्ति और दायित्वों का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 16 के तहत -बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि- के नाम से निधि की स्थापना की जा सकती है। इस निधि के लिये सभी सरकारी अनुदानों तथा वसूल किये जाने वाले शुल्क एवं अन्य खर्च की राशि का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान एवं शुल्क तथा अन्य खर्च के रूप में वसूली जाने वाली राशि एवं बीमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले कमीशन के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। खास तौर पर इस निधि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान और अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले कार्यों से संबंधित खर्चों, कर्मचारियों और प्राधिकरण सदस्यों, अधिकारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिये किया जाता है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारंश

वित्तीय विवरण खास तौर पर ऐतिहासिक शुल्क विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है, जो निम्नलिखित पद्धति के अनुसार राजस्व पूर्ति के लिये किये जाने वाले अकेक्षण के दस्तावेजों के आधार पर होता है। साथ ही यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ निम्नलिखित हैं-

(ए) स्थिर संपत्तियों और अवमूल्यन सिर संपत्तियों को शुल्क विरहित एकीकृत अवमूल्यन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। स्थिर संपत्तियों के

अवमूल्यन का विश्लेषण कंपनी अधिनियम 1956 के परिशिष्ट XIV में उल्लेखित शुल्क के आधार पर निर्धारित शुल्क के अनुसार समतुल्य पद्धति के उपयोग में कमी लाकर किया जाता है। 5,000 रूपयों से कम मूल्य की संपत्तियों का वार्षिक खरीदी में 100 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाता है, अन्यथा संबंधित खंड में संपत्तियाँ 10 प्रतिशत अधिक दिखाई देती है। ऐसे मामलों में परिशिष्ट XIV में उल्लेखित शुल्क के अनुसार ही संपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

बी) निवेश: बैंकों में मियादी जमा के रूप में निवेश की जाने वाली राशि का उल्लेख शुल्क में किया गया है।

सी) राजस्व:

i) पंजीकरण शुल्क

ए) किसी भी बीमाकर्ता द्वारा भारत में किसी भी प्रकार बीमा व्यवसाय की श्रेणी में पहली बार पंजीकरण के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वार्षिक आय के रूप में शामिल की जाती है।

बी) पहले ही स्वीकृत पंजीकरण के नवीनीकरण संबंधी बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त होने वाली राशि संबंधित खंड की वार्षिक आय के रूप में स्वीकार की जाती है।

ii) लाइसेंस शुल्क

बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों, दलालों तथा बीमा क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों से प्राप्त होने वाली लाइसेंस शुल्क की राशि संबंधित खंड की वार्षिक आय के रूप में स्वीकार की जाती है। बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों, दलालों तथा बीमा मध्यस्थों के नाम जारी किये जाने वाले लाइसेंस उसी वर्ष के लिये होते हैं, जिसमें वे जारी किये जाते हैं और उनकी शुल्क अवधि समाप्त होने का बाद उनका फिर से नवीनीकरण करना पड़ता है। उनके संबंधित वर्षों में लाइसेंस शुल्क का वितरण करना संभव नहीं है।

iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाला अनुदान

प्राप्त होने वाली प्राथमिक अनुदान राशि उसी वर्ष की आय के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसके दौरान वहन प्राप्त हुई है।

डी) विदेशी मुद्रा का लेने देन

विदेशी मुद्रा का लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर ही विनिमय नियंत्रण शुल्क के आधार पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की संपत्ति और योग्यता का रूपये

में रूपांतरण जमा-खर्च किया जाता है। स्थिर संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा दायित्वों के रूपांतरण के दौरान आने वाले अंतर को स्थिर संपत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाता है। अन्य रूपांतरण संबंधी अंतर आय और खर्च संबंधी लेखा-जोखा में स्पष्ट हो जाते हैं।

ई) वेब पोर्टल का विकास और रख-रखाव

वेब पोर्टल के विकास और रख-रखाव पर आने वाला खर्च उसी वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल किया जाता है।

एफ) सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि अवकाश वृद्धि प्रावधान आदि का नियमन के साथ मेल बीमा अधिनियम में किया गया है।

अवकाश नगदीकरण का प्रावधान कुल शेष अवकाश संबंधी नगद वेतन के भुगतान के उद्देश्य से किया गया है।

प्राधिकरण सभी आईआरडीए कर्मियों एवं आईआरडीए सुपरनेशन फंड ट्रस्ट के लिये योगदान करता है।

सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त राशि भुगतान की योग्यता प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई ग्रैजुटी योजना के तहत संपूर्ण मूल्यांकन पर ही निर्भर होती है।

3. आयकर

प्राधिकरण की आय को आयकर अधिनियम 1961 की सं. 10(23 बीबीई) धारा के तहत कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क

ए) बीमाकर्ताओं के पंजीकरण का नवीनीकरण करने संबंधी शुल्क रियायत में कुल प्रीमियम के 2 प्रतिशत के बजाये एक प्रतिशत तक कटौती करने संबंधी लिये गये निर्णय के मद्देनजर वार्षिक आय का अंशक्षण किया जा रहा है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी माना गया है।

बी) कुल प्रीमियम संबंधी जानकारी के अभाव में कुछ राज्य बीमा एजेंसियों के नवीनीकरण शुल्क का अंशक्षण करना असंभव है।

5. भारत के लोक लेखे में प्राधिकरण की निधियों का निवेश

प्राधिकरण को 17 जुलाई 2002 के दिन वित्त मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्राधिकरण को वसूली गई राशि गैर ब्याज धारी खाते के तौर पर लोक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण को यह भी

बताया गया है कि वह अपने खर्चों की पूर्ति के लिये प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित राशि की निकासी करे।

प्राधिकरण ने वैधानिक दृष्टिकोण से विचार के लिये इस निर्देश को स्वीकार कर लिया। उसके नजरिये से बीमाकर्ताओं तथा मध्यस्थों से वसूली गई राशि राशि सरकारी के रूप में नहीं है, और ना ही वह भारत सरकार की सार्वजनिक निधि का हिस्सा है।

6. प्राधिकरण का मुख्यालय

प्राधिकरण के मुख्यालय नई दिल्ली से हैदराबाद को स्थानांतरित करने संबंधी भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2001 में लिये गये निर्णय के मद्देनजर प्राधिकरण ने मूल्य निर्धारण विभाग का स्थानांतरण अप्रैल 2002 में तथा अन्य विभागों का स्थानांतरण अगस्त 2002 में किया जा चुका है। प्राधिकरण का कार्यालय पश्चिम भवन में स्थित है, जिसकी तीसरी मंजिल आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण को बिना किसी शुल्क के मुहैया करायी गयी है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आंध्र प्रदेश औद्योगिक संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से हैदराबाद के समीप ही रंगारेड्डी जिले के शेरीलिंगमपल्ली मंडल स्थित नानकरामगुड़ा क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से मुहैया करवाई है। हालांकि उस भूमि पर प्राधिकरण ने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है।

7. परिचालन पट्टे

गैर रद्दकरण योग्य किसी भी प्रकार के पट्टे समझौते नहीं है। पट्टे संबंधी भुगतान पट्टे समझौतों के आधार पर ही किये जाते हैं।

प्राधिकरण फिलहाल हैदराबाद में बिना किसी किराये के परिसर का उपयोग कर रहा है, लेकिन वह संबंधित स्थान जैसा है वैसा आधार पर आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को लौटाना चाहता है। दिल्ली स्थित परिसर के साथ ही अन्य परिसरों का पट्टा भुगतान आय-व्यय खाते में निर्देशित राशि के अनुसार 1,940,978 रुपये है (पिछले वित्त वर्ष में यह 6,430,147 रुपये था)।

8. पिछले वित्त वर्ष का तुलनात्मक विवरण

पिछले वर्ष के आंकड़े पुनःसमायोजित किये गये हैं और जब कभी आवश्यकता होगी उनका उपयोग वर्तमान वित्त वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना के लिये किया जायेगा।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(के जगन मोहन राव)	(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(सी एस राव)
मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष	

बीमाकर्ता तथा ओम्बड्समैन के पते

जीवन बीमाकर्ता

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री पी नंद गोपाल	पांचवा तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 14, 'ई' रोड, चर्चगेट, मुंबई 400 020	टेली नं.: 044-28118450/56623931/32 फैक्स: 044-28117669 वेब: www.reliancelife.co.in
2	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री स्टुअर्ट पुर्डी	पांचवा तल, जेएमडी रिजेंट स्कवेयर, गुडगांव- महरोली रोड, गुडगांव 122 001.	टेली नं.: 0124-2804141 / 2804121 फैक्स: 0124-280 4142 ईमेल: stuart.purdy@avivaindia.com वेब: www.avivaindia.com
3	बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री साम घोष	जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येरावडा, पुणे 411 006.	टेली नं.: 020-56026777/ 56026770 फैक्स: 020-56026789 ईमेल: sam.ghosh@bajajallianz.co.in वेब: www.bajajallianz.co.in
4	बिरला सन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एस के मित्रा	छठा तल, वामन सेंटर, मखवाना रोड, नारोल नाका के पास, ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पू), मुंबई-400 059.	टेली नं.: 022-56783366 फैक्स: 022-56783377 वेब: www.birlasunlife.com
5	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री डी एम सतवालेकर	दूसरा तल, ट्रेड स्टार बिल्डिंग, ए विंग, कोडिवाता और एमवी रोड का जंक्शन, अंधेरी कुर्ला रोड (पू), मुंबई 400 059.	टेली नं.: (D) 022-2822 2234/65 फैक्स: 022-2822 8844 ईमेल: md@hdfcinsurance.com वेब: www.hdfcinsurance.com
6	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सुश्री शिखा शर्मा	आईसीआईसीआई प्रूलाइफ टावर्स, 1089, अपासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी मुंबई 400 025.	टेली नं.: 022-56621600 / 56621996 फैक्स: 022-56622031 ईमेल: shikhasharma@iciciprulife.com वेब: www.iciciprulife.com
7	आईएनजी वेश्या लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री क्षितिज जैन	पांचवां तल, आईएनजी वेश्या हाउस, 22, महात्मा गांधी रोड, बैंगलौर- 560 001.	टेली नं.: 080-25328000 फैक्स: 080-25559753/25559764 वेब: www.ingvysya.com
8	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूचुल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री गौरंग शाह	छठा तल, पेनिन्सुला चैम्बर्स, पेनिन्सुला कोर्पोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल (प) 400 013.	टेली नं.: 022-56635000 / 56635039 फैक्स: 022-56635111 ईमेल: gaurang.shah@kotak.com वेब: www.kotak.com
9	भारतीय जीवन बीमा निगम	श्री टी एस विजयन	केंद्रीय कार्यालय, 'योगक्षमा' जीवन बीमा मार्ग, पो. बॉ. नं. 19953, मुंबई 400 021.	टेली नं.: 022-22020997 फैक्स: 022-22810680 ईमेल: chairman@licindia.com वेब: www.licindia.com
10	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री गैरी आर बैनेट	11वां तल, डीएलएफ स्कवेयर, जकरन्दा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस II गुडगांव 22 022.	टेली नं.: 0124-2561717 / 5013201 फैक्स: 0124-2561765 ईमेल: gary.bennett@maxnewyorklife.com वेब: www.maxnewyorklife.com
11	मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	श्री वेकटेश एस मैसूर	ब्रिगेड शीशमहल, नं. 5, वाणी विलास रोड, बसववनगुडी, बैंगलौर - 560 004.	टेली नं.: 080-26678617/18, फैक्स: 080-26521970 ईमेल: vmysore@metlife.com वेब: www.metlife.com
12	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एन सी शर्मा	सहारा इंडिया भवन, 1, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ - 226 024.	टेली नं.: 0522-2337777 / 2373018 फैक्स: 2332683, 2378200

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
13	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री एस कृष्णमूर्ति	दूसरा तल, टर्नर मॉरिशान बिल्डिंग, जी एन विद्या मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 023.	टेली नं.: 022-56339321 56392010 फैक्स: 022-56392012 ईमेल: s.krishnamurthy@sbilife.co.in वेब: www.sbilife.co.in
14	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री आर ध्रुववसन	पंजीकृत कार्यालय: 3-6-478, तीसरा तल, लिबर्टी रोड, हिमायतनगर, हैदराबाद – 500029	टेली नं.: फैक्स:
15	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री ट्रिवोर बुल	पांचवा तथा छठा तल, पेनिन्सुएला टावर्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013.	टेली नं.: 022-56516001/6002 फैक्स: 022- 56661414 ईमेल: trevor.bull@tata-aig.com वेब: www.tata-aig.com
16	भारती एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्री नितिन चोपड़ा	61/62, कल्पतरू सिनरजी, वकोला, ग्रांड हयात होटल के सामने, सांताक्रूज (पू), मुंबई- 400 055	टेली नं.: 022-40306300 / 01 फैक्स: 022-40306347 ईमेल: nitin.chopra@axa-abs.co.in वेब: www.bharti.com

गैर - जीवन बीमाकर्ता

क्र.सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड	श्री एम प्रसाद	तेरहवां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली - 110 001.	टेली नं.: 011-51081991 - 94 फैक्स: 011-51081995 - 96 ईमेल: suparasbhandari_aic@yahoo.com वेब: www.aicofindia.org
2	बजाज अलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री कामेश गोयल	जीई प्लाजा, पहला तल, एयरपोर्ट रोड, एरविडा, पुणे - 411 006.	टेली नं.: 020-56026666, 56026777 फैक्स: 020-56026667, 56026789 ईमेल: kamesh.goyal@bajajallianz.co.in वेब: www.bajajallianz.co.in
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री एम आनन्दन	पाँचवा तल, टीआईएएम हाउस, 72, राजाजी सलाइ, चैन्नई - 600 001	टेली नं.: 044-52166000 फैक्स: 044-25357104, 52166001 वेब: www.cholainsurance.com
4	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड	श्री क्रिस्टी फर्नांडीज	एक्सप्रेस टावर्स, दसवाँ तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.	टेली नं.: 022-56590512-15 फैक्स: 022-56590517 वेब: www.ecgindia.com
5	एचडीएफसी चब्ब जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री श्रीरंग वी सामंत	एक्सप्रेस टावर्स, पाँचवाँ तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021	टेली नं.: 022-56383668, 56383666 फैक्स: 022-56383699. ईमेल: ssamant@hdfcchubb.com वेब: www.hdfcchubb.com
6	आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री संदीप बख्शी	जेनिथ हाउस, केशवराव खांडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - 400 034.	टेली नं.: 022-24924100, 24906800, फैक्स: 022-24927624, 24914080 ईमेल: sandeep.bakhshi@icicilombard.com वेब: www.icicilombard.com
7	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री अजीत नारायन	चौथा एवं पाँचवाँ तल, इफको टावर, प्लॉट नं. 3, सेक्टर 29, गुडगांव - 122001. (हरियाणा)	टेली नं.: 0124-2577911 - 20 /2577925 फैक्स: 0124-2577923/924 ईमेल: anarain@itgi.co.in वेब: www.itgi.co.in
8	नेशनल इश्योरेंस कं. लि.	श्री वी रामासामी	3, मिडलटन स्ट्रीट, पो. बॉ. नं. 9229, कोलकता - 700 071.	टेली नं.: 033-22472130, 22401634 फैक्स: 033-22402369 वेब: www.nationalinsuranceindia.com
9	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री के ए सोमशेखरन	पाँचवाँ तल, एनकेएम इंटरनेशनल हाउस, 178, बेकबे रिकल्मेनेशन, बाबूभाई चिन्नई रोड, मुंबई -400 020	टेली नं.: 022-30216900 फैक्स: 022 22886155 ईमेल: soma.sekharan@ril.com
10	रॉयल सुन्दरम अलायंस इश्योरेंस कं. लि.	श्री एंथोनी जैकब	46, व्हाइट्स रोड, रोयापेट, चैन्नई- 600 014.	टेली नं.: 044-28517394, 28517387 फैक्स: 044-28510596 ईमेल: antony.jacob@in.royalsun.com वेब: www.royalsundaramalliance.com
11	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कं. लि.	श्री दिलिप वर्मा	पेनिनसुला कोर्पोरेट पार्क, निकोलस पिरमल टावर, नवाँ तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400 013.	टेली नं.: 022- 56699701 फैक्स: 022-56546414 ईमेल: dalip.verma@tata-aig.com वेब: www.tata-aig.com
12	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	श्री बिमलेंदु चक्रवर्ती	न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, 87, एम जी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.	टेली नं.: 022-22674617-22 फैक्स: 022-22622355 / 22652811 ईमेल: cmd@niacil.com वेब: www.niacil.com

पुर्नबीमाकर्ता

क्र.सं.	पुर्नबीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	संपर्क
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	श्री आर के जोशी	सुरक्षा, 170, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400 020.	टेली नं.: 022-22833046 फैक्स: 022-22833209, 22841231, 2282233 ईमेल: info@gicofindia.com वेब: www.gicindia.com

बीमा ओम्बड्समैन

क्र.सं.	केन्द्र	बीमा ओम्बड्समैन	डाक पता	संपर्क
1.	अहमदाबाद	श्री बी सी बोस	दूसरा तल, अम्बिका हाउस, सी यू शाह कॉलेज के पास, 5 नवयुग कॉलोनी, अहमदाबाद – 380 014	टेली नं.: 079-27546150, 27546139 फैक्स: 079-27546142 ईमेल: insombahd@rediffmail.com
2.	भोपाल	श्री आर पी दुबे	पहला तल, 117, जोन II, डी एम मोटर्स प्रा. लि. के ऊपर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल – 462 011	टेली नं.: 0755-2769200, 2769202, फैक्स: 0755-2769203 ईमेल: bimalokpalbhopal@airtelbroadband.in
3.	भुवनेश्वर	श्री एम पी पटनयाक	62, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर – 751 009	टेली नं.: 0674- 2535220, 2533798 फैक्स: 0674-2531607 Email : ioobbsr@vsnl.net
4.	चंडीगढ़	श्री आर बेरी	एससीओ सं. 101-103, 42 फ्लोर, बत्रा बिल्डिंग, सेक्शन 17-डी, चंडीगढ़ – 160 017	टेली नं.: 0172 - 2706196 / 2705861 फैक्स: 0172-2708274 ईमेल: ombchd@yahoo.co.in
5.	चैन्नई	श्री के श्रीधर	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथा तल, 453 (पहले 312), अन्ना सलाइ, तेनमपेट, चैन्नई – 600 018	टेली नं.: 044 - 24333678 / 24333668 फैक्स: 044-24333664 ईमेल: insombud@md4.vsnl.net.in
6.	दिल्ली	श्री आर बेबी	2/2 ए, पहला तल, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, असफ अली रोड, नयी दिल्ली – 110 002	टेली नं.: 011-23239611, 23237539 फैक्स: 011-23230858 ईमेल: iobdelraj@rediffmail.com
7.	गुवाहटी	श्री एस के कर	एक्वेरियस, भास्कर नगर, आर जी बरूआ रोड, गुवाहटी – 781 021	टेली नं.: 0361-2413525 फैक्स: 0361-2414051 ईमेल: omb_ghy@sify.com
8.	हैदराबाद	श्री पी ए चौधरी	पहला तल, 6-2-46, मोइन कोर्ट, सलीम फंक्शन हॉल के सामने वाली लेन, ए सी गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद – 500 004	टेली नं.: 040-65574325, 65504122 फैक्स: 040-23376599 ईमेल: hyd2_insombud@sancharnet.in
9.	कोच्ची	श्रीमती पी एन शांताकुमारी	दूसरा तल, सीसी 27/2603, पुलिनत बिल्डिंग, कोच्ची शिपयार्ड के सामने, एम जी रोड, एरनाकुलम- 682 015	टेली नं.: 0484-2358734, 2359338 फैक्स: 0484-2359336 ईमेल: ombudsmankochi@yahoo.co.in
10.	कोलकता	श्री बी सी बोस	नोर्थ ब्रिटिश बिल्डिंग, 29, एन एस रोड, तीसरा तल, कोलकता – 700 001	टेली नं.: 033-22134869, 22134867 फैक्स: 033-22134868 ईमेल: iombkol@vsnl.net
11.	लखनऊ	श्री के एस के खरे	जीवन भवन, फेस 2, छठा तल, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ – 226 001	टेली नं.: 0522-2201188, 2231330 फैक्स: 0522-2231310 ईमेल: ioblko@sancharnet.in
12.	मुंबई	श्री बी डी बेनर्जी	तीसरा तल, जीवन सेवा एनेक्स, एमटीएनएल के ऊपर, एस वी रोड, सांताक्रूज (प), मुंबई-400054	टेली नं.: 022-26106928, 26106360 फैक्स: 022-26106052 ईमेल: ombudsman@vsnl.net

टिप्पणी